UPSC DARPAN

शीलं परं भूषणम्

Sheelam param bhushanam · Character is the highest ornament

मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration) का आदर्श वाक्य, भर्तृहरि के शतकत्रय (Bhartrihari's Shatakatraya) से

यूपीएससी सीएसई (UPSC CSE) परीक्षा संसाधनों के लिए आपका एकमात्र समाधान।

Welcome to the Ohana family

Hum jeet ka maja chakh kar rahenge.

आज का उद्धरण

"अन्याय कहीं भी हो, वह हर जगह के न्याय के लिए ख़तरा बन जाता है।"

— मार्टिन लूथर किंग जूनियर, 'लेटर फ्रॉम बर्मिंघम जेल' (1963)

द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू और द इकोनॉमिक टाइम्स (दिल्ली संस्करण) — 22 सितंबर 2026

सामान्य अध्ययन (General Studies) · दैनिक समसामयिकी (Daily Current Affairs) · संकल्पना मैट्रिक्स (Concept Matrix) · बिंदुवार विश्लेषण (Point-Wise Analysis)

क्षमता · गुमनामी · सादगी (Ability · Anonymity · Austerity)

निःशुल्क, और हर अभ्यर्थी के लिए — चाहे वे भुगतान कर सकें या न कर सकें।

संपादक की कलम से (A Letter from the Editor)

यह पत्रिका क्यों मौजूद है, और इसे कैसे पढ़ा जाना चाहिए

यह पत्रिका एक वादे के बजाय एक स्वीकृति के साथ शुरू होती है। सिविल सेवा परीक्षा (Civil Services Examination) अंततः यह परीक्षा नहीं है कि आपने कितना एकत्र किया है। पिछले दशक के प्रश्नपत्रों को पढ़ने पर हमारा अपना निष्कर्ष यह है कि यह परीक्षा वास्तव में जो पूछती है — सामान्य अध्ययन (General Studies) के प्रश्नपत्रों, निबंध (essay) और साक्षात्कार (interview) में — उसका साठ प्रतिशत से अधिक हिस्सा कोई ऐसा तथ्य नहीं है जिसे आप खोज सकें। यह एक विवादास्पद मुद्दा (critical issue) है: एक जीवंत सार्वजनिक समस्या जिसके भीतर परस्पर विरोधी हित हों, और जिस पर आपसे सोचने, तौलने और किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की अपेक्षा की जाती है। जिस अभ्यर्थी ने हज़ार तथ्य याद कर लिए हों और उनमें से किसी के बारे में भी न सोचा हो, वही वह अभ्यर्थी है जो चार सौ अंक लिखता है और समझ नहीं पाता कि क्यों।

यही पूरा कारण है कि यह पत्रिका अपने वर्तमान स्वरूप में मौजूद है। यहां हर कहानी को एक अध्ययन कार्ड (study card) में बदला गया है जो सोचने का काम आपके साथ करता है, आपके लिए नहीं: क्या हुआ, यह पाठ्यक्रम की किस पंक्ति पर बैठता है, परीक्षक बार-बार इस विषय पर क्यों लौटते हैं, वे मुट्ठी भर तथ्य जो वास्तव में प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) के किसी विकल्प का फैसला कर सकते हैं, नामित बिंदुओं में विभाजित एक विश्लेषण ताकि तर्क केवल शीर्षकों से ही पढ़ा जा सके, परीक्षा की अपनी भाषा में एक मुख्य परीक्षा (Mains) प्रश्न, उसके लिए एक आदर्श दृष्टिकोण (model approach) — और फिर वह प्रश्न जो एक ज़िला मजिस्ट्रेट (District Magistrate) या एक संयुक्त सचिव (Joint Secretary) को इसी मुद्दे पर वास्तव में हल करना पड़ेगा। यह अंतिम भाग वह है जिसे अधिकांश संकलन छोड़ देते हैं, और यही वह है जिसकी परीक्षा वास्तव में परख कर रही है।

दूसरा कारण सरल भी है और कठिन भी। बहुत से योग्य अभ्यर्थी ऐसे कारणों से पिछड़ जाते हैं जिनका क्षमता से कोई लेना-देना नहीं होता। उन्हें नहीं पता होता कि कौन-से स्रोत महत्वपूर्ण हैं। वे अच्छी सामग्री तक नहीं पहुंच पाते, या उसका भुगतान नहीं कर सकते। वे हिंदी में पढ़ते हैं और पाते हैं कि किसी विषय का ईमानदार, वर्तमान और सुव्यवस्थित संस्करण केवल अंग्रेज़ी में मौजूद है। हमने यह देखा है, और हम इसे चीज़ों की स्वाभाविक व्यवस्था के रूप में स्वीकार नहीं करते। यूपीएससी दर्पण (UPSC Darpan) में कुछ भी भुगतान के पीछे नहीं है, और कुछ भी कोचिंग कक्षा (coaching class) मानकर नहीं चलता। हम हर सुबह जो कुछ भी पढ़ते हैं — समाचार पत्र, पीआईबी (PIB), पीआरएस (PRS), न्यायालय का अपना रिकॉर्ड, शोध पत्रिकाएं — उसे एक बार, ठीक से पढ़ा जाता है, और पूरी तरह सौंप दिया जाता है। किसी भी अभ्यर्थी को इसलिए पीछे नहीं रह जाना चाहिए कि वह कहां पैदा हुआ, उसका परिवार कितना कमाता है, या वह किस भाषा में सोचता है।

तीसरा कारण वह है जिसे हम बहुत ज़ोर से नहीं कहते। इस परीक्षा से जिस प्रकार के अधिकारी को तैयार करना है, उसका वर्णन बहुत पहले मसूरी (Mussoorie) में किया गया था, और तब से यह वर्णन बेहतर नहीं हुआ है: एक कर्मयोगी (Karma Yogi), एक ऐसा सिविल सेवक जिसकी आत्मा क्षमता (Ability), गुमनामी (Anonymity) और सादगी (Austerity) के सिद्धांतों से ओतप्रोत हो। क्षमता, क्योंकि अक्षमता से लागू की गई अच्छी नीयत भी लोगों को नुकसान पहुंचाती है। गुमनामी, क्योंकि जिस अधिकारी का नाम हर हफ्ते अखबार में हो, वह अधिकारी आमतौर पर वह नहीं होता जिसका ज़िला काम कर रहा होता है। सादगी, क्योंकि अधिकारी के जीवन और नागरिक के जीवन के बीच की दूरी ठीक वही दूरी है जिस पर सहानुभूति (empathy) असफल हो जाती है। हम वहां नहीं हैं। लेकिन यही वह मानक है जिसके योग्य यह पत्रिका बनने का प्रयास कर रही है, और यही वह मानक है जिसके विरुद्ध हम आपसे तैयारी करने को कह रहे हैं — कट-ऑफ (cut-off) के विरुद्ध नहीं।

इसलिए इसे धीरे-धीरे पढ़ें। इसे खत्म करने की कोशिश न करें। तीन कार्ड लें, उन्हें इस हद तक समझें कि आप दोनों पक्षों में तर्क कर सकें, और एक उत्तर लिखें। यह पच्चीस कार्ड पढ़ने और किसी को भी याद न रखने से बेहतर सुबह है। और जब आप उस कमरे में बैठें, तो याद रखें कि वास्तव में आपका चयन किस लिए किया जा रहा है।

— संपादक (The Editor)
UPSC Darpan · 22 सितंबर 2026

हम मसूरी-वाला कर्मयोगी (Mussoorie-wala Karma Yogi) बनना चाहते हैं — एक ऐसा सिविल सेवक जिसकी आत्मा क्षमता (Ability), गुमनामी (Anonymity) और सादगी (Austerity) के सिद्धांतों से ओतप्रोत हो। और हम बनकर रहेंगे, मेरे दोस्त। (And we shall become, my man.)

हमारी प्रेरणा (Our Inspiration)

Our inspiration, and the reason this initiative exists



Rakesh Verma Sir

Indian Administrative Service, 1981 batch

Every initiative has a person standing behind it who never asked to be named. Ours is Rakesh Verma sir — an IAS officer of the 1981 batch, who spent a career inside the administration and then, after retiring from it, went back to the classroom to teach the next set of officers. What he gave us was not a strategy. It was a way of looking at the work.

उन्होंने हमें क्या सिखाया (WHAT HE TAUGHT US)

1. **सेवा परमो धर्मः — service is the highest duty, and it is a duty, not a favour** — He would not let the word 'service' stay decorative. A civil servant does not confer a benefit on a citizen; the citizen is entitled, and the officer is discharging an obligation. Once you accept that, the tone of an office changes — the file moves because someone is waiting on the other side of it, not because a note demanded it.
2. **The Mussoorie-wala Karma Yogi: Ability, Anonymity, Austerity** — Ability, because good intentions administered incompetently still hurt people. Anonymity, because the officer whose name is in the newspaper every week is usually not the officer whose district is working. Austerity, because the distance between the officer's life and the citizen's life is the distance at which empathy fails. He taught these three as one instruction, not three virtues to be picked from.
3. **Begin with the last person, not the average person** — His constant test for any scheme, any circular, any decision: what happens to the person at the end of the line — the one with no documentation, no connection, no way to complain, and no idea the scheme exists. A policy that works for the median citizen and fails the last one has not worked. It has only been measured generously.
4. **Reach the last mile, because the last mile is where the state actually is** — Delivery, he insisted, is not the boring part that follows policy; it is the policy. The budget line means nothing until the money reaches the panchayat, the entitlement means nothing until the beneficiary is on the list, and the list means nothing if the person who was left out has no way back onto it. He made us look at the exclusion errors, not the coverage numbers.
5. **Understand the system before you criticise it** — He had no patience for the easy cynicism aspirants pick up online. Learn how a file actually moves, who signs, where the discretion sits, what the officer on the spot is trading off. Criticism that comes after that understanding is worth something; criticism that replaces it is noise — and it writes a shallow answer, too.
6. **Karma yoga at the desk: do the work, stay with the work** — He taught the Gita's instruction as an administrator's working rule, not as a sermon. You control the effort and the honesty; you do not control the transfer order, the posting, the recognition or the result. An officer who needs the outcome to feel the work was worth it will not last a career. Nor will an aspirant who needs the result to justify the year.
7. **Teach what you know, to whoever cannot pay for it** — The clearest thing he did was the simplest: after a full career, he went back and taught. Not to a selected batch that could afford it — to whoever turned up. That is where this initiative came from. The idea that good preparation material should not be a function of what a family can spend is not our idea; it is his.

> *We are not his equals and this is not his page. It is the receipt for something we were given for free, by a man who spent forty years serving the country and then spent his retirement teaching other people how to do it properly. सेवा परमो धर्मः — and we shall become.*

आज के उद्धरण (Quotes of the Day)

निबंध (essay) की भूमिका में किसी एक उद्धरण को शामिल करें — हर अनुच्छेद में नहीं। प्रत्येक उद्धरण एक प्रलेखित स्रोत (documented source) से लिया गया है, ताकि इसे आत्मविश्वास से उद्धृत किया जा सके।

> *"सबसे गरीब और सबसे कमज़ोर व्यक्ति का चेहरा याद करें जिसे आपने कभी देखा हो, और स्वयं से पूछें कि जिस कदम पर आप विचार कर रहे हैं, वह उसके लिए किसी काम का होगा या नहीं। ("Recall the face of the poorest and the weakest man whom you may have seen, and ask yourself if the step you contemplate is going to be of any use to him.")"*

— **महात्मा गांधी (Mahatma Gandhi)** · *गांधी जी का तिलिस्म कहा जाता है, 1948 (Known as Gandhi's Talisman, 1948)*
उपयोग करें (Use in): शासन (Governance) · नैतिकता (Ethics) · कल्याण वितरण (Welfare delivery)

> *"प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है; उनके कल्याण में ही उसका कल्याण है। ("In the happiness of his subjects lies the king's happiness; in their welfare, his welfare.")"*

— **कौटिल्य (Kautilya)** · *अर्थशास्त्र (Arthashastra)*
उपयोग करें (Use in): लोक सेवा (Public service) · शासन (Governance) · भारतीय चिंतन (Indian thought)

> *"राजनीतिक लोकतंत्र तब तक टिक नहीं सकता जब तक इसके आधार में सामाजिक लोकतंत्र न हो। ("Political democracy cannot last unless there lies at the base of it social democracy.")"*

— **डॉ. बी.आर. आंबेडकर (Dr B. R. Ambedkar)** · *संविधान सभा (Constituent Assembly), 25 नवंबर 1949*
उपयोग करें (Use in): लोकतंत्र (Democracy) · सामाजिक न्याय (Social justice) · संविधान (Constitution)

अनुक्रमणिका (Index)

आज के अंक में सब कुछ, कार्ड दर कार्ड।

प्रारंभिक सामग्री (Front matter)

- संपादक की कलम से (A Letter from the Editor)
- हमारी प्रेरणा (Our Inspiration) — Rakesh Verma Sir
- आज के उद्धरण (Quotes of the Day)

1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity & Governance)

1.1 सर्वोच्च न्यायालय : लिखित आधार बताए बिना गिरफ्तारी असंवैधानिक, दोबारा गिरफ्तारी के लिए मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति अनिवार्य
1.2 केंद्र का प्रस्ताव : अनुच्छेद 371K के ज़रिए लद्दाख को विधायी और वित्तीय शक्तियों वाला प्रत्यक्ष निर्वाचित निकाय
1.3 द हिंदू का संपादकीय : पश्चिम बंगाल एसआईआर की निपटाई गई अपीलों में 93% मामलों में गलत तरीके से हटाए गए मतदाता बहाल
1.4 सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र के मेथनॉल रंजक नियमों को अनुपातहीन मानकर रद्द किया, ज़हरीली शराब रोकने के दिशानिर्देश जारी किए
1.5 कर्नाटक उच्च न्यायालय ने केपीएससी घोटाले की नए सिरे से एसआईटी जाँच का आदेश दिया, लोक सेवा आयोग को 'संवैधानिक प्रहरी' कहा

2. अर्थव्यवस्था (Economy)

2.1 भारत–न्यूज़ीलैंड मुक्त व्यापार समझौता 20 अक्टूबर से लागू, सभी भारतीय निर्यातों को शून्य शुल्क
2.2 RBI की स्वैप खिड़की से 143.6 अरब डॉलर आए, 133 अरब डॉलर FCNR(B) जमा से ; लेख ने लागत पर सवाल उठाया
2.3 MoSPI की स्रोत एवं पद्धति रिपोर्ट : नई GDP शृंखला में विनिर्माण की 30 में से 28 श्रेणियों में दोहरा अपस्फीतीकरण
2.4 नथिंग अपने CMF ब्रांड को भारतीय बहुमत वाली कंपनी के रूप में अलग करेगी, ₹62,500 करोड़ की मोबाइल योजना भारतीय ब्रांडों को पुरस्कृत करती है
2.5 रंगराजन और षण्मुगम : तमिलनाडु के 1.5 ट्रिलियन डॉलर लक्ष्य के लिए 12.2% वास्तविक वृद्धि चाहिए ; 2038-39 अधिक संभावित

3. कृषि एवं खाद्य (Agriculture & Food)

3.1 83 तालुकों में 20 दिन से बारिश नहीं, महाराष्ट्र 100% सूखा घोषित करने की तैयारी में
3.2 अगस्त में उर्वरक उत्पादन 12.4% सिकुड़ा, लगातार छठी गिरावट ; गैस और गंधक की कमी का असर
3.3 भारत–न्यूज़ीलैंड FTA 20 अक्टूबर से लागू : डेयरी बाहर, सेब, कीवी और शहद कोटे की बाड़ में

4. अंतरराष्ट्रीय संबंध (International Relations)

4.1 होर्मुज़ बंद, बाब-अल-मंदेब हाथ से निकला ; द हिंदू के लेख में मलक्का–सिंगापुर जैसे सहयोग तंत्र का सुझाव
4.2 पाकिस्तान ने कुनार और पक्तिका पर हमले किए, डूरंड रेखा पर तीन महीने की अपेक्षाकृत शांति टूटी
4.3 जयशंकर UNGA के लिए पहुंचे, भारत EU–ब्राजील–केन्या–कनाडा की 'पार्टनर्स फॉर मल्टीलैटरलिज़्म' बैठक में शामिल
4.4 हूतियों की बढ़त ने बिना अनुसमर्थन वाले मक्का रक्षा समझौते की पोल खोली, पाकिस्तान और तुर्किये ने लड़ने से मना किया

5. पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी (Environment & Ecology)

5.1 नेपाल ने बाढ़ के नुकसान को जलवायु न्याय का दावा बनाया, हानि और क्षति पर भारत के रुख की परीक्षा
5.2 शिमला में बंदरों के हमले से मौत ने उजागर की वह खाई, जो 2022 के संशोधन में रीसस बंदर को अनुसूची से हटाने पर बनी
5.3 दिल्ली ने छत पर सौर ऊर्जा की सब्सिडी दोगुनी कर ₹1.56 लाख की, 2.3 लाख घरों को मुफ़्त सिस्टम का लक्ष्य
5.4 नई कारों की बिक्री में वैकल्पिक ईंधन ने पेट्रोल को पछाड़ा, पर आगे CNG और हाइब्रिड हैं, EV नहीं

6. स्वास्थ्य एवं जीवन विज्ञान (Health & Life Sciences)

6.1 भारतीय अध्ययन : Candida auris के 90% नमूने एज़ोल दवाओं के प्रतिरोधी, खुराक तय करने वाली जाँचों की खामियाँ उजागर
6.2 असुरक्षित चिकित्सा उपकरणों की बिक्री रोकने और उन्हें नष्ट कराने का अधिकार नियामकों को देने की तैयारी में केंद्र
6.3 बच्चों को पर्चे वाली दवाओं की बिक्री रोकने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा दुकानों पर CCTV अनिवार्य करने का मसौदा बनाया

7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science & Technology)

7.1 गगनयान क्रू मॉड्यूल ADRDE द्वारा बनाए दो ड्रोग और तीन मुख्य पैराशूटों के सहारे उतरेगा
7.2 विशेषज्ञों की माँग : सुरक्षा परीक्षण के लिए भारत अग्रणी AI मॉडलों तक शुरुआती पहुँच सुनिश्चित करे
7.3 माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में चौथा क्लाउड क्षेत्र खोला ; डेटा केंद्र क्षमता को पाँच से सात गुना बढ़ाना होगा

8. समाज (Society)

8.1 ईपीडब्ल्यू अध्ययन : 'हिंदू ग्राहक' बने अभिभावक दिल्ली के निजी स्कूलों में बहुसंख्यकवादी नियम ला रहे हैं
8.2 सर्वोच्च न्यायालय के कार्यबल ने परिसरों में आत्महत्याओं को प्रतिस्पर्धा, जाति और शिक्षकों के सामाजिक बेमेल से जोड़ा
8.3 जमुई में कक्षा 10 के दो विद्यार्थियों पर भीड़ का हमला : पॉक्सो मामला दर्ज, राष्ट्रीय महिला आयोग सक्रिय, तीन गिरफ्तार

9. आंतरिक सुरक्षा (Internal Security)

9.1 अमेरिका ने कक्षा में 'अंतरिक्ष नियंत्रण हथियार' तैनात करना माना, बाह्य अंतरिक्ष संधि में पारंपरिक हथियारों की खामी उजागर

9.2 मेटा के बाद गूगल भी बाल यौन शोषण सामग्री की रिपोर्ट अमेरिकी संस्था के बजाय सीधे गृह मंत्रालय के I4C को देगा

9. नैतिकता एवं प्रशासक कोना — समन्वित केस स्टडी (Ethics & Administrator's Corner — Integrative Case Studies)

9.1 केस 1 — छत पर वह महिला और वह बंदर जिसे कानून भूल गया

9.2 केस 2 — काउंटर के ऊपर लगा कैमरा

9.3 केस 3 — शिकायत से पहले आया वीडियो

10. प्रारंभिक परीक्षा त्वरित-पुनरीक्षण तथ्य (Prelims Quick-Revision Facts)

10 20 परीक्षा-पैटर्न में एक-पंक्ति तथ्य (one-line facts in exam-pattern form)

11. आज के निबंध (Essays of the Day)

11.1 किसी स्वतंत्र समाज की सच्ची कसौटी यह है कि वह उन लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है जिन पर उसे संदेह है।

11.2 जो सबका है, उसकी परवाह कोई नहीं करता।

> *इस पत्रिका का उपयोग कैसे करें (How to use this magazine) — हर कहानी एक अध्ययन कार्ड (study card) है: क्या हुआ (समाचार / The News), यह पाठ्यक्रम के किस विषय पर बैठता है (स्थैतिक संबंध / Static Linkage), परीक्षक बार-बार इस विषय पर क्यों लौटते हैं (ट्रेंड / Trend), वे तथ्य जो प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) के किसी विकल्प का फैसला कर सकते हैं (प्रारंभिक मुख्य तथ्य / Prelims Nuggets), एक बिंदुवार विश्लेषण (Analysis), परीक्षा की अपनी भाषा में एक मुख्य परीक्षा (Mains) प्रश्न एक आदर्श दृष्टिकोण (Model Approach) के साथ, और वे प्रश्न जिनका सामना एक ज़िला मजिस्ट्रेट (District Magistrate) या संयुक्त सचिव (Joint Secretary) को वास्तव में करना पड़ेगा। हर लंबे क्षेत्र को क्रमांकित बिंदुओं में विभाजित किया गया है, जिनका अपना शीर्षक है, ताकि तर्क केवल शीर्षकों से ही पढ़ा जा सके। जहां कोई कहानी प्रभावों की एक श्रृंखला के माध्यम से आगे बढ़ती है, वहां पूरी श्रृंखला एक पंक्ति में दी जाती है इससे पहले कि बिंदु हर कड़ी को समझाएं।*

1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity & Governance)

आज के राजव्यवस्था खंड की हर ख़बर एक ही प्रश्न पूछती है: साबित किसे करना है? सर्वोच्च न्यायालय पुलिस से कहता है कि गिरफ्तारी के आधार बताए गए थे, यह गिरफ्तार व्यक्ति को नहीं, पुलिस को सिद्ध करना होगा, और दोबारा गिरफ्तारी के लिए मजिस्ट्रेट की अनुमति ज़रूरी होगी। द हिंदू का तर्क है कि निर्वाचन आयोग ने पहले मतदाताओं के नाम काट दिए और फिर उन्हीं से यह साबित करने को कहा कि वे निर्वाचक नामावली में रहने के हक़दार हैं। न्यायालय मेथनॉल संबंधी नियमों को इसलिए रद्द करता है कि महाराष्ट्र यह नहीं दिखा सका कि वे कारगर हैं, और कर्नाटक उच्च न्यायालय एक लोक सेवा आयोग से उसकी अपनी भर्ती का हिसाब माँगता है। लद्दाख का प्रस्ताव भी अंततः प्रमाण पर ही टिका है, क्योंकि नए अनुच्छेद 371K को उसके नाम से नहीं, बल्कि उसमें लिखी गई शक्तियों से परखा जाएगा।

1.1 सर्वोच्च न्यायालय: लिखित आधार बताए बिना गिरफ्तारी असंवैधानिक, दोबारा गिरफ्तारी के लिए मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति अनिवार्य

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। सोमवार, 21 सितंबर को न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयाँ और न्यायमूर्ति अतुल एस. चंदुरकर की पीठ ने निर्णय दिया कि जिस गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार नहीं बताए गए या जिसे वकील से मिलने नहीं दिया गया, वह तत्काल रिहाई का हक़दार है। गिरफ्तारी के आधार (grounds of arrest) वे तथ्य और कारण हैं जिनके चलते पुलिस किसी व्यक्ति को हिरासत में लेती है। द हिंदू के अनुसार पीठ ने माना कि इन आधारों को लिखित रूप में, उस भाषा में जिसे व्यक्ति समझता हो, जानने का अधिकार और अपनी पसंद के वकील से परामर्श का अधिकार अनुच्छेद 22(1) के अंतर्गत एक "पवित्र" (sacrosanct) मौलिक अधिकार है, जिसका "किसी भी स्थिति में उल्लंघन नहीं किया जा सकता"। न्यायमूर्ति भुइयाँ ने लिखा, "किसी भी उल्लंघन या अनुपालन न होने पर गिरफ्तार व्यक्ति को तुरंत रिहा करना होगा, क्योंकि ऐसी गिरफ्तारी असंवैधानिक है। अनुच्छेद 22 में दिए गए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा उपायों से हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते।" यह अधिकार हर अपराध पर लागू होता है, चाहे मामला भारतीय न्याय संहिता का हो या आतंकवाद और धन-शोधन (money laundering) से जुड़े विशेष कानूनों का, और जाँच एजेंसियाँ इसके उल्लंघन को "मात्र प्रक्रियागत चूक" नहीं मान सकतीं। ऐसी रिहाई ज़मानत नहीं है; यह असंवैधानिक हिरासत से मुक्ति है, और बाद में आरोप-पत्र दाखिल होने या मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लेने से वह गिरफ्तारी वैध नहीं हो जाती। पीठ ने दोबारा गिरफ्तारी से "पूर्ण छूट" (blanket immunity) देने से इनकार किया, क्योंकि कुछ मामले गंभीर अपराधों के होते हैं, लेकिन द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार 69 पृष्ठों के इस निर्णय में कड़ी शर्तें रखी गई हैं। पुलिस को पहले लिखित आधार देने होंगे और फिर मजिस्ट्रेट के सामने आवेदन करना होगा, जिसमें बताना होगा कि दोबारा गिरफ्तारी क्यों ज़रूरी है और पहली बार आधार क्यों नहीं दिए गए। इस आवेदन पर अधिकारी के तत्काल वरिष्ठ का पृष्ठांकन (endorsement) ज़रूरी होगा; वह वरिष्ठ जाँच किसी दूसरे अधिकारी को सौंपेगा और विभागीय जाँच का आदेश देगा, और प्रतिकूल निष्कर्ष सेवा-पुस्तिका (service book) में दर्ज होगा। मजिस्ट्रेट को एक सप्ताह के भीतर निर्णय करना होगा और वह दोबारा गिरफ्तारी की अनुमति तभी देगा जब सद्भावपूर्ण (bona fide) कारणों से संतुष्ट हो। उच्च न्यायालयों को निर्देश दिया गया कि इन सुरक्षा उपायों का उल्लंघन करने वाली गिरफ्तारियों के लिए "उचित अनिवार्य प्रतिकर" दें। यह मामला पंजाब के एक पॉक्सो (POCSO) मामले के अभियुक्त की अपील थी, जिसे मजिस्ट्रेट ने पहले रिहा किया और फिर दोबारा गिरफ्तार करने की अनुमति दे दी; पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने 29 मई को इस निर्णय को सही ठहराया था। एक्सप्रेस इस निर्णय को उन मामलों की शृंखला में रखता है जो पंकज बंसल (अक्टूबर 2023) से शुरू होकर मिहिर राजेश शाह बनाम महाराष्ट्र राज्य (नवंबर 2025) तक पहुँची। पाठ्यक्रम से जुड़ाव: मौलिक अधिकार और आपराधिक न्याय सुधार।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

अनुच्छेद 22(1) गिरफ्तारी के आधार और वकील का अधिकार देता है, पर दशकों तक इसका पालन ढीला रहा → पंकज बंसल (2023) पीएमएलए (PMLA) के मामलों में लिखित आधार की माँग करता है, राम किशोर अरोड़ा इसे कमज़ोर करता है → प्रबीर पुरकायस्थ (2024) और मिहिर राजेश शाह (2025) लिखित आधार की शर्त सभी कानूनों तक बढ़ाते हैं → एजेंसियाँ इसी आधार पर छूटे लोगों को फिर पकड़ लेती हैं, जैसा पंजाब के पॉक्सो मामले में हुआ → 21 सितंबर को सर्वोच्च न्यायालय मजिस्ट्रेट की अनुमति, वरिष्ठ का पृष्ठांकन और प्रतिकर अनिवार्य करता है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. **अनुच्छेद 22 स्वयं संविधान की गिरफ्तारी-संहिता है** — अनुच्छेद 22(1) के अनुसार किसी गिरफ्तार व्यक्ति को यथाशीघ्र गिरफ्तारी के आधार बताए बिना हिरासत में नहीं रखा जाएगा, और न ही उसे अपनी पसंद के विधि व्यवसायी से परामर्श करने और बचाव कराने के अधिकार से वंचित किया जाएगा। अनुच्छेद 22(2) के अनुसार हर गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर (यात्रा का समय छोड़कर) निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, और मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना इससे अधिक समय तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता। अनुच्छेद 22(3) ये दोनों सुरक्षा उपाय शत्रु विदेशी (enemy alien) और निवारक निरोध की किसी विधि के अधीन पकड़े गए व्यक्ति से हटा लेता है, और खंड (4) से (7) निवारक निरोध के लिए अलग सुरक्षा उपाय देते हैं, जैसे सलाहकार बोर्ड द्वारा पुनर्विलोकन। यह अनुच्छेद नागरिकों और गैर-नागरिकों, दोनों की रक्षा करता है।

2. **कानून यही कर्तव्य दोहराता है, पर न्यूनतम सीमा संविधान तय करता है** — भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita) की धारा 47, जिसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 50 का स्थान लिया है, बिना वारंट गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी से अपेक्षा करती है कि वह व्यक्ति को अपराध का पूरा विवरण या गिरफ्तारी के अन्य आधार बताए। धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA) की धारा 19 और विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (UAPA) की धारा 43B में ईडी और आतंकवाद की

	जाँच के लिए ऐसे ही कर्तव्य हैं। न्यायालय का कहना है कि ये धाराएँ अनुच्छेद 22(1) को लागू करती हैं, उसे सीमित नहीं करतीं; इसलिए कोई विशेष कानून इस कर्तव्य को कमज़ोर नहीं कर सकता। यही कारण है कि अब एक ही निर्णय साधारण अपराधों, धन-शोधन और आतंकवाद, तीनों पर लागू होता है। 3. **पुराने ऐतिहासिक निर्णयों ने गिरफ्तारी को ऐसी शक्ति माना जिसका औचित्य बताना होगा** — जोगिंदर कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1994) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि गिरफ्तार करने की शक्ति होने का अर्थ यह नहीं कि हर मामले में उसका प्रयोग उचित है; पुलिस को इसका औचित्य बताना होगा। डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1997) ने गिरफ्तारी ज्ञापन (arrest memo), किसी संबंधी को सूचना और चिकित्सीय परीक्षण जैसे दिशानिर्देश दिए। अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य (2014) ने सात वर्ष तक की सज़ा वाले अपराधों में नियमित गिरफ्तारी को हतोत्साहित किया। सोमवार का निर्णय इस प्रक्रिया में परिणाम जोड़ता है: अब अवैध गिरफ्तारी का अर्थ है रिहाई, जाँच अधिकारी का बदलना और अधिकारी के रिकॉर्ड पर दाग। 4. **स्वतंत्रता के हनन पर प्रतिकर लोक विधि का उपचार है** — रुदल साह बनाम बिहार राज्य (1983) में सर्वोच्च न्यायालय ने उस व्यक्ति को प्रतिकर दिलाया जिसे दोषमुक्ति के बाद भी वर्षों जेल में रखा गया, और नीलाबती बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य (1993) में कहा कि अनुच्छेद 21 के उल्लंघन पर प्रतिकर लोक विधि (public law) का उपचार है, जो क्षतिपूर्ति के दीवानी वाद से अलग है। उच्च न्यायालयों को "अनिवार्य प्रतिकर" देने का निर्देश इसी परंपरा को आगे बढ़ाता है। 44वें संशोधन, 1978 द्वारा संशोधित अनुच्छेद 359 के अनुसार आपातकाल में भी अनुच्छेद 20 और 21 का प्रवर्तन निलंबित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 22 को यह संरक्षण प्राप्त नहीं है।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. **जीएस-2 में मौलिक अधिकार और न्यायपालिका की कार्यप्रणाली दोनों शामिल हैं** — जीएस-2 में दैहिक स्वतंत्रता पर प्रश्न अक्सर आते हैं, विशेषकर मेनका गांधी के बाद अनुच्छेद 21 के विस्तार पर और सुरक्षा कानूनों तथा स्वतंत्रता के बीच तनाव पर। यह निर्णय पीएमएलए या यूएपीए पर लिखे उत्तर को एक सटीक सैद्धांतिक आधार देता है: संवैधानिक सुरक्षा उपाय किसी कानून पर निर्भर नहीं है। यह पुलिस सुधार और हिरासत में जवाबदेही वाले प्रश्नों में भी काम आता है। 2. **प्रारंभिक परीक्षा अनुच्छेद 22 के खंडों और आपातकाल के अपवादों को परखती है** — परीक्षक पूछना पसंद करता है कि आपातकाल में कौन-से अधिकार बने रहते हैं, क्या 24 घंटे का नियम निवारक निरोध पर लागू होता है, और क्या अनुच्छेद 22 विदेशियों को उपलब्ध है। जाल यह है कि खंड (1) और (2) में दिए गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकारों को खंड (4) से (7) के निवारक निरोध संबंधी सुरक्षा उपायों से मिला दिया जाए। 3. **आपराधिक कानून सुधार जीएस-2 और निबंध का सजीव विषय है** — भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 जुलाई, 2024 से लागू हुए। जो अभ्यर्थी आईपीसी-सीआरपीसी की पुरानी धारा-संख्याएँ दोहराने के बजाय यह दिखा सके कि कोई संवैधानिक निर्णय नई संहिताओं को कैसे नियंत्रित करता है, वह अद्यतन और सटीक ज्ञान का परिचय देता है।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● संविधान के अनुच्छेद 22(1) के अनुसार गिरफ्तार व्यक्ति को यथाशीघ्र गिरफ्तारी के आधार बताए जाएँगे और उसे अपनी पसंद के विधि व्यवसायी से परामर्श करने तथा बचाव कराने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। ● अनुच्छेद 22(2) के अनुसार गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर, यात्रा में लगे आवश्यक समय को छोड़कर, निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना अनिवार्य है। ● अनुच्छेद 22(3) के अंतर्गत खंड (1) और (2) के संरक्षण शत्रु विदेशी पर या निवारक निरोध की विधि के अधीन गिरफ्तार या निरुद्ध व्यक्ति पर लागू नहीं होते। ● 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा संशोधित अनुच्छेद 359 के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 का प्रवर्तन निलंबित नहीं किया जा सकता। ● भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 47 के अनुसार बिना वारंट गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी को अपराध का पूरा विवरण या गिरफ्तारी के अन्य आधार बताने होंगे। ● नीलाबती बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य (1993) में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर आर्थिक प्रतिकर लोक विधि में उपलब्ध उपचार है। ● अनुच्छेद 22(1) और (2) के अधिकार नागरिकों के साथ-साथ गैर-नागरिकों को भी उपलब्ध हैं।

विश्लेषण (ANALYSIS)	1. **निर्णय अवैधता की कीमत अभियुक्त से हटाकर एजेंसी पर डालता है** — पहले अवैध गिरफ्तारी का उपचार केवल रिहाई था, और एजेंसियाँ अक्सर तुरंत दोबारा गिरफ्तार करके इसका जवाब देती थीं; यानी स्वतंत्रता उतनी ही देर टिकती थी जितनी देर न्यायालय से बाहर निकलने में लगती थी। वरिष्ठ अधिकारी का पृष्ठांकन, नया जाँच अधिकारी, विभागीय जाँच और सेवा-पुस्तिका में प्रविष्टि अनिवार्य करके न्यायालय ने उल्लंघन की कीमत अभियोजन के बजाय अधिकारी और विभाग पर डाल दी है। यह संस्थाओं पर लगाया गया दंड है, और केवल अधिकारों की घोषणा की तुलना में इससे पुलिस के व्यवहार में बदलाव की संभावना अधिक है। विरोधी मत यह है कि इससे तात्कालिक मामलों में देरी हो सकती है, पर मजिस्ट्रेट को एक सप्ताह में निर्णय करना है, जो असंवैधानिक हिरासत की कीमत की तुलना में छोटी देरी है। 2. **"यह ज़मानत नहीं है" कहने से अपराध के प्रति न्यायालयों का दृष्टिकोण बदलेगा** — पीएमएलए और यूएपीए जैसे कठोर कानून दोहरी शर्तों (twin conditions) और उपधारणाओं के कारण ज़मानत को बेहद कठिन बना देते हैं। यदि अनुच्छेद 22(1) के उल्लंघन पर रिहाई को ज़मानत माना जाता, तो ये शर्तें लागू होतीं और संवैधानिक अधिकार ठीक वहीं बेअसर हो जाता जहाँ उसकी सबसे अधिक ज़रूरत है। इसे असंवैधानिक हिरासत से मुक्ति कहकर न्यायालय ने इस उपचार को ज़मानत के वैधानिक ढाँचे से बाहर रख दिया है। इसीलिए पंजाब सरकार का गंभीर आरोपों वाला तर्क विफल रहा: अपराध की गंभीरता यह तय करती है कि ज़मानत मिले या नहीं, यह नहीं कि संविधान का पालन हुआ या नहीं। 3. **न्यायालय ने पूर्ण रोक के बजाय न्यायिक छँटनी चुनी, और यह तर्कसंगत है** — दोबारा गिरफ्तारी पर पूर्ण रोक से इस मामले के पॉक्सो अपराध जैसे गंभीर अपराधों के अभियुक्त किसी अधिकारी की गलती के कारण छूट जाते, और पीड़ित को कुछ न मिलता। दोबारा गिरफ्तारी की खुली छूट अनुच्छेद 22(1) को अर्थहीन बना देती। पूर्व न्यायिक अनुमति की शर्त इस दुविधा का सामान्य संवैधानिक समाधान है, वारंट जैसी, और यह निर्णय को पीठ के शब्दों में "उसी प्राधिकारी से दूर रखती है जिसने" अधिकार का उल्लंघन किया था। असली परीक्षा यह होगी कि पहले से बोझ से दबे मजिस्ट्रेट इन आवेदनों की गंभीरता से जाँच करते हैं या इन्हें यंत्रवत पास कर देते हैं। 4. **छह वर्षों की उलट-पलट बताती है कि अधिकारों पर निर्णयों को परिणाम भी स्पष्ट करने चाहिए** — पंकज बंसल से लेकर राम किशोर अरोड़ा द्वारा उसे कमज़ोर करने, फिर प्रबीर पुरकायस्थ और मिहिर राजेश शाह तक, एक्सप्रेस का यह विवरण दिखाता है कि कोई अधिकार सिद्धांत रूप में स्वीकार होकर भी व्यवहार में कैसे अनदेखा रह जाता है। पहले के हर निर्णय ने बताया कि पुलिस को क्या करना चाहिए, पर यह खुला छोड़ दिया कि ऐसा न करने पर क्या होगा। सोमवार का निर्णय यह रिक्ति भरता है, और प्रतिकर देने का आदेश उच्च न्यायालयों को कार्रवाई का कारण देता है। आपराधिक प्रक्रिया में अधिकार तभी काम करते हैं जब उल्लंघन से राज्य को ऐसी कीमत चुकानी पड़े जिससे वह बचना चाहे। 5. **भाषा और साक्षरता इस निर्णय का अपरखा पक्ष है** — यह शर्त कि आधार लिखित रूप में और गिरफ्तार व्यक्ति की समझ में आने वाली भाषा में दिए जाएँ, सबसे अधिक गरीब और कम पढ़े-लिखे लोगों के लिए मायने रखती है, जो विचाराधीन बंदियों में बहुसंख्यक हैं। किसी प्रवासी मज़दूर को अंग्रेज़ी में लिखा काग़ज़ थमा देना नियम का रूप तो पूरा करता है, पर उसका उद्देश्य विफल कर देता है। यदि इस अधिकार को वास्तविक बनाना है तो ज़िला पुलिस को अनूदित प्रारूप और थानों में विधिक सहायता वकीलों की मौजूदगी चाहिए होगी। अन्यथा यह निर्णय मुख्यतः उन्हीं की रक्षा करेगा जिनके पास पहले से वकील हैं, और भारतीय आपराधिक न्याय पहले से इसी ढर्रे से पीड़ित है।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	"प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय औपचारिकताएँ नहीं, बल्कि स्वतंत्रता का सार हैं।" गिरफ्तारी के आधार और पुनर्गिरफ्तारी पर सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णय के आलोक में संविधान के अनुच्छेद 22(1) के दायरे का परीक्षण कीजिए। ऐसे निर्णय पुलिस व्यवस्था में जवाबदेही को किस सीमा तक मज़बूत करते हैं, और उन्हें प्रभावी बनाने के लिए कौन-से प्रशासनिक सुधार आवश्यक हैं? (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. **भूमिका** — 21 सितंबर के निर्णय से शुरुआत कीजिए: लिखित आधार के बिना गिरफ्तारी असंवैधानिक है, रिहाई ज़मानत नहीं है, और हर पुनर्गिरफ्तारी (re-arrest) के लिए मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति चाहिए। अनुच्छेद 22(1) को एक पंक्ति में उद्धृत कीजिए। 2. **मुख्य भाग — संवैधानिक दायरा** — खंड (1) और (2), खंड (3) के अपवाद, और यह तथ्य समझाइए कि यह अधिकार सभी व्यक्तियों और सभी कानूनों पर लागू होता है। दो वाक्यों में न्यायिक विकास दिखाइए: जोगिंदर कुमार और डी.के. बसु, फिर पंकज बंसल, प्रबीर पुरकायस्थ और मिहिर राजेश शाह। 3. **मुख्य भाग — जवाबदेही के तंत्र** — दिखाइए कि नए निर्देश कीमत एजेंसी पर कैसे डालते हैं: वरिष्ठ का पृष्ठांकन, जाँच अधिकारी का बदलना, विभागीय जाँच, सेवा-पुस्तिका में प्रविष्टि,

	मजिस्ट्रेट के लिए एक सप्ताह की समय-सीमा, और रुदल साह तथा नीलाबती बेहरा की परंपरा में अनिवार्य प्रतिकर। यह प्रति-तर्क दीजिए कि गंभीर मामलों में पुलिस को देरी झेलनी पड़ सकती है, और उसका उत्तर दीजिए। 4. **मुख्य भाग — प्रशासनिक सुधार** — बीएनएसएस के अंतर्गत गिरफ्तारी-आधार के मानक बहुभाषी प्रपत्र, थानों में विधिक सहायता वकील, सीसीटीवी और डिजिटल गिरफ्तारी ज्ञापन, पुनर्गिरफ्तारी आवेदनों पर मजिस्ट्रेटों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल, और जाँच को कानून-व्यवस्था से अलग करने वाले प्रकाश सिंह निर्देशों को लागू करने का सुझाव दीजिए। 5. **निष्कर्ष** — निष्कर्ष दीजिए कि स्वतंत्रता की रक्षा घोषणाओं से कम और परिणामों से अधिक होती है, और यह निर्णय तभी सफल होगा जब थाने और मजिस्ट्रेट न्यायालय इसका पालन करने के लिए सक्षम बनाए जाएँ।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	**प्रश्न 1. पुलिस अधीक्षक के रूप में आपको पता चलता है कि यौन अपराध के एक मामले में मजिस्ट्रेट ने अभियुक्त को इसलिए रिहा कर दिया क्योंकि जाँच अधिकारी ने गिरफ्तारी के लिखित आधार नहीं दिए थे। पीड़ित का परिवार क्रोधित है। आप क्या करेंगे?** ***दृष्टिकोण (Approach):*** मैं परिवार को साफ़ बताऊँगा कि रिहाई हमारी चूक के कारण हुई है, मामले के गुण-दोष पर कोई निष्कर्ष नहीं है, और उन्हें सुरक्षा तथा एक नए विधिक रास्ते का आश्वासन दूँगा। मैं मामला दूसरे अधिकारी को सौंपूँगा, इस चूक की विभागीय जाँच का आदेश दूँगा और मजिस्ट्रेट के समक्ष पुनर्गिरफ्तारी के लिए सकारण आवेदन का पृष्ठांकन करूँगा, जैसा सर्वोच्च न्यायालय अब अपेक्षा करता है। ज़िला स्तर पर मैं द्विभाषी लिखित-आधार प्रारूप के साथ एक स्थायी आदेश जारी करूँगा और हर थाने में इसके पालन की जाँच करूँगा। व्यवस्था को सुधारना भविष्य के पीड़ितों की भी उतनी ही रक्षा करता है जितनी भविष्य के अभियुक्तों की। **प्रश्न 2. साक्षात्कार बोर्ड पूछता है: क्या प्रक्रिया पर न्यायपालिका का ज़ोर अपराधियों को बच निकलने में मदद करता है?** ***दृष्टिकोण (Approach):*** प्रक्रिया हर किसी की रक्षा करती है, उस निर्दोष की भी जिसे गलती से पकड़ लिया गया हो, और भारत में गिरफ्तार होने वाले अधिकांश लोग गरीब हैं और उनके पास वकील नहीं होते। न्यायालय ने गंभीर मामलों में पुनर्गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगाई है; उसने केवल यह कहा है कि मजिस्ट्रेट इसकी जाँच करे, जो एक छोटा बोझ है। जहाँ अपराधी बचते हैं, वहाँ कारण प्रायः कमज़ोर जाँच होती है, अधिकारों का सम्मान नहीं। जो पुलिस बल नियमित रूप से प्रक्रिया का पालन करता है, उसके मामले भी विचारण में टिकते हैं। **प्रश्न 3. आप मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं। पुलिस पुनर्गिरफ्तारी का आवेदन देती है जिसमें केवल इतना लिखा है कि अपराध गंभीर है। आप इससे कैसे निपटेंगे?** ***दृष्टिकोण (Approach):*** निर्णय यह अपेक्षा करता है कि पहली बार आधार न देने के सद्भावपूर्ण कारण बताए जाएँ, केवल यह कथन नहीं कि अपराध गंभीर है। मैं वरिष्ठ अधिकारी का पृष्ठांकन, मामला दूसरे अधिकारी को सौंपे जाने की पुष्टि और अभियुक्त को पहले ही दिए जा चुके लिखित आधार माँगूँगा। मैं अभियुक्त को संक्षेप में सुनूँगा, एक सप्ताह की सीमा में निर्णय करूँगा और दोनों ही स्थितियों में कारण दर्ज करूँगा। यंत्रवत अनुमति देना उस सुरक्षा उपाय का उद्देश्य ही विफल कर देगी जिसे न्यायालय ने मेरे हाथों में सौंपा है।

1.2 केंद्र का प्रस्ताव: अनुच्छेद 371K के ज़रिए लद्दाख को विधायी और वित्तीय शक्तियों वाला प्रत्यक्ष निर्वाचित निकाय

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली / लेह। द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार केंद्र ने संविधान में एक नया उपबंध, अनुच्छेद 371K, जोड़ने का प्रस्ताव रखा है, ताकि बिना विधानमंडल वाले संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख को विशेष संवैधानिक सुरक्षा उपाय मिल सकें। यह प्रस्ताव गृह मंत्रालय और लेह तथा कारगिल ज़िलों का प्रतिनिधित्व करने वाले एपेक्स बॉडी, लेह (ABL) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) के प्रतिनिधियों के बीच बनी "सैद्धांतिक सहमति" के बाद आया है। सहमति यह है कि संघ राज्यक्षेत्र के स्तर पर एक प्रत्यक्ष निर्वाचित निकाय बने, जिसके पास विधायी, कार्यपालिका, बजट, नियोजन और वित्तीय शक्तियाँ हों। गृह मंत्रालय के अनुसार इस निकाय के पास भूमि, संस्कृति और भाषा, वन, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों पर, तथा अनुच्छेद 240 के अंतर्गत संघ राज्यक्षेत्र के लिए आरक्षित अन्य विषयों पर विधायी शक्तियाँ होंगी; अनुच्छेद 240 राष्ट्रपति को कुछ संघ राज्यक्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की शक्ति देता है। अख़बार के व्याख्यात्मक लेख में बताया गया है कि लद्दाख के नेता कानून-व्यवस्था पर भी नियंत्रण चाहते हैं। यह अनुच्छेद 371H का ठीक उलटा है, जिसके अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल पर कानून-व्यवस्था का विशेष उत्तरदायित्व है। लद्दाख जिस भूमि-संरक्षण की माँग कर रहा है, वह अनुच्छेद 371A (नागालैंड) और 371G (मिज़ोरम) से मिलता है, जिनके अंतर्गत भूमि और रूढ़िगत प्रथाओं पर संसद के कुछ कानून तब तक लागू नहीं होते जब तक राज्य विधानसभा सहमति न दे। 1950 के मूल अनुच्छेद 371 ने भाग ख राज्यों (Part B States), यानी पूर्व रियासतों, की सरकारों को दस वर्ष के लिए राष्ट्रपति के सामान्य नियंत्रण में रखा था। 1956 के सातवें संशोधन और राज्य पुनर्गठन अधिनियम ने यह वर्गीकरण समाप्त कर दिया, और संसद ने इस अनुच्छेद की जगह महाराष्ट्र और गुजरात, विशेषकर विदर्भ, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र और कच्छ के लिए नया अनुच्छेद रखा। बाद में और खंड जुड़े: 1960 के 16-सूत्री समझौते के बाद नागालैंड के लिए 371A, असम के लिए 371B (22वाँ संशोधन, 1969), मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 371C, 1973 के छह-सूत्री फ़ॉर्मूले के बाद आंध्र प्रदेश के लिए 371D, 1975 में सिक्किम के लिए 371F, 1986 के मिज़ो शांति समझौते के बाद मिज़ोरम के लिए

371G, अरुणाचल प्रदेश के लिए 371H, गोवा के लिए 371I और हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र के लिए 371J (2012)। अख़बार का तर्क है कि 371K की शक्ति उसके पाठ पर निर्भर करेगी। यदि यह केवल एक निर्वाचित निकाय बनाकर विषयों की सूची दे देता है, तो निराशा हो सकती है, जैसा मणिपुर की पहाड़ी जनजातियाँ 371C के बारे में कहती हैं। यदि यह निकाय को भूमि, संसाधनों, भर्ती और प्रशासन पर नियंत्रण देता है, और कानून-व्यवस्था तथा नौकरशाही को निर्वाचित कार्यपालिका के अधीन रखता है, तो लद्दाख के शासन-प्रमुख जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री से भी अधिक शक्तिशाली होंगे। पाठ्यक्रम से जुड़ाव : संघवाद और क्षेत्रों के लिए विशेष उपबंध।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 लद्दाख को बिना विधानमंडल वाला संघ राज्यक्षेत्र बनाता है → लेह और कारगिल की पहाड़ी परिषदों का प्रभाव घटता है और भूमि, रोज़गार तथा संस्कृति को लेकर आशंकाएँ बढ़ती हैं → एबीएल और केडीए संवैधानिक सुरक्षा उपायों के लिए गृह मंत्रालय से वार्ता करते हैं → केंद्र संघ राज्यक्षेत्र स्तर के निर्वाचित निकाय पर सैद्धांतिक सहमति पर पहुँचता है → अनुच्छेद 371K जोड़ने का प्रस्ताव, जिसकी विषय-वस्तु तय करेगी कि लद्दाख को कितनी स्वायत्तता मिलेगी

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. **अनुच्छेद 371 एक दर्जा नहीं, बल्कि ज़रूरत के अनुसार गढ़ी गई व्यवस्थाओं का परिवार है** — संविधान का भाग XXI, जिसका शीर्षक "अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध" है, अनुच्छेद 371 से 371J तक समेटे हुए है। अनुच्छेद 371(2) राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि वह महाराष्ट्र या गुजरात के राज्यपाल को अलग विकास बोर्डों के लिए विशेष उत्तरदायित्व सौंपे। अनुच्छेद 371A और 371G कहते हैं कि धार्मिक या सामाजिक प्रथाओं, रूढ़िजन्य विधि, रूढ़िजन्य विधि के अनुसार दीवानी और फ़ौजदारी न्याय प्रशासन, या भूमि के स्वामित्व और अंतरण से जुड़ा संसद का कोई अधिनियम नागालैंड या मिज़ोरम पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक राज्य विधानसभा संकल्प द्वारा ऐसा तय न करे। अनुच्छेद 371D आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लोक नियोजन और शिक्षा में समान अवसरों की व्यवस्था करता है, और अनुच्छेद 371J विकास बोर्ड तथा स्थानीय आरक्षण के माध्यम से हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र के लिए यही करता है।

2. **संघ राज्यक्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति करते हैं ; विधानमंडल वहीं हैं जहाँ संसद ने बनाए** — अनुच्छेद 239 के अंतर्गत हर संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति एक प्रशासक के माध्यम से करते हैं। अनुच्छेद 239A संसद को पुदुचेरी के लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद बनाने की शक्ति देता है, और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 ने इसे जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र पर लागू किया। 69वें संशोधन, 1991 द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 239AA दिल्ली को विधानसभा देता है, पर पुलिस, लोक व्यवस्था और भूमि उसकी शक्ति से बाहर रखे गए हैं। अनुच्छेद 240 राष्ट्रपति को कुछ संघ राज्यक्षेत्रों की शांति, प्रगति और सुशासन के लिए विनियम बनाने देता है, और ऐसे विनियमों का बल संसद के अधिनियम के बराबर होता है।

3. **जनजातीय स्वायत्तता का दूसरा मॉडल छठी अनुसूची है** — अनुच्छेद 244(2) और 275(1) के अंतर्गत छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम के जनजातीय क्षेत्रों का शासन स्वायत्त ज़िला परिषदों (Autonomous District Councils) के माध्यम से चलाती है। हर परिषद में अधिकतम 30 सदस्य होते हैं, जिनमें चार से अधिक राज्यपाल द्वारा मनोनीत नहीं होते और शेष निर्वाचित होते हैं। ये परिषदें भूमि, वन, उत्तराधिकार, विवाह और सामाजिक रीति-रिवाज़ों पर कानून बना सकती हैं, ग्राम न्यायालय चला सकती हैं और कुछ कर वसूल सकती हैं। छठी अनुसूची किसी राज्य के भीतर परिषदें बनाती है, जबकि 371K पूरे संघ राज्यक्षेत्र पर एक ही निर्वाचित निकाय रखेगा ; इसीलिए इंडियन एक्सप्रेस का व्याख्यात्मक लेख कहता है कि लद्दाख का मामला किसी मौजूदा मॉडल में "ठीक से नहीं बैठता"।

4. **371K जोड़ने के लिए विशेष बहुमत चाहिए, राज्यों का अनुसमर्थन नहीं** — अनुच्छेद 368(2) के अंतर्गत संशोधन को संसद के प्रत्येक सदन में कुल सदस्यता के बहुमत और उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से पारित होना होता है। आधे राज्य विधानमंडलों का अनुसमर्थन केवल परंतुक में गिनाए गए विषयों के लिए चाहिए, जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन, सातवीं अनुसूची की सूचियाँ, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व और स्वयं अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 371 और उसके उप-अनुच्छेद इस सूची में नहीं हैं ; इसीलिए नागालैंड, सिक्किम और मिज़ोरम को उनके उपबंध 13वें (1962), 36वें (1975) और 53वें (1986) जैसे साधारण विशेष-बहुमत वाले संशोधनों से मिले।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

1. **विशेष उपबंध और असममित संघवाद जीएस-2 के बार-बार आने वाले विषय हैं** — पाठ्यक्रम संघ और राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व और संघीय ढाँचे से जुड़े मुद्दे माँगता है। यूपीएससी ने कुछ राज्यों के विशेष उपबंधों, छठी अनुसूची और संघ राज्यक्षेत्रों की संवैधानिक स्थिति पर प्रश्न पूछे हैं। जम्मू-कश्मीर के 2019 के पुनर्गठन ने संघ राज्यक्षेत्रों वाले प्रश्नों को फिर से सामयिक बना दिया है।

2. **प्रारंभिक परीक्षा को अनुच्छेदों का राज्यों से मिलान पसंद है** — आम प्रश्न पूछता है कि कौन-सा अनुच्छेद किस राज्य से जुड़ा है या उसे किस संशोधन ने जोड़ा, और प्राय: 371A और 371G या 371C और 371H जैसे मिलते-जुलते विकल्प देकर भ्रम पैदा करता है। इन्हें प्रकार के अनुसार याद कीजिए : रूढ़िजन्य विधि और भूमि (371A, 371G), पहाड़ी क्षेत्र समितियाँ (371B, 371C),

	क्षेत्रीय समता (371, 371D, 371J), एकीकरण (371F), और राज्यपाल की विशेष भूमिका (371H)।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● 13वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1962 द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 371A कहता है कि नागाओं की धार्मिक या सामाजिक प्रथाओं, रूढ़िजन्य विधि तथा भूमि के स्वामित्व और अंतरण पर संसद के अधिनियम नागालैंड पर तब तक लागू नहीं होंगे जब तक राज्य विधानसभा संकल्प द्वारा ऐसा तय न करे। ● 53वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1986 द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 371G मिज़ोरम को धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं, रूढ़िजन्य विधि और भूमि के संबंध में नागालैंड जैसे ही संरक्षण देता है। ● अनुच्छेद 371H अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल को राज्य में कानून-व्यवस्था के संबंध में विशेष उत्तरदायित्व देता है। ● अनुच्छेद 371F को 36वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1975 द्वारा तब जोड़ा गया जब सिक्किम भारतीय संघ का राज्य बना। ● मूल अनुच्छेद 371 ने भाग ख राज्यों की सरकारों को राष्ट्रपति के सामान्य नियंत्रण में रखा था, और सातवें संविधान संशोधन अधिनियम, 1956 के बाद इसे बदल दिया गया। ● अनुच्छेद 240 के अंतर्गत राष्ट्रपति निर्दिष्ट संघ राज्यक्षेत्रों की शांति, प्रगति और सुशासन के लिए विनियम बना सकते हैं, और ऐसे विनियम उस राज्यक्षेत्र पर लागू संसद के किसी अधिनियम का निरसन या संशोधन कर सकते हैं। ● अनुच्छेद 371 से 371J संविधान के भाग XXI में आते हैं, जो अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों से संबंधित है।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. **371 का रास्ता केंद्र का स्वायत्तता को 'हाँ' और राज्य के दर्जे को 'ना' कहने का तरीका है** — विधायी और वित्तीय शक्तियों वाला निर्वाचित निकाय 2019 से चली आ रही मूल शिकायत का उत्तर देता है कि बिना विधानमंडल वाला संघ राज्यक्षेत्र बनते ही लद्दाख की आवाज़ छिन गई। पर इसे अनुच्छेद 371 के अंतर्गत रखने से लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र ही बना रहता है, और चीन तथा पाकिस्तान दोनों से लगे इस संवेदनशील सीमा क्षेत्र पर अंतिम नियंत्रण केंद्र के पास रहता है। यह एक राजनीतिक समझौता है, और मुख्य प्रश्न यह है कि यह सीढ़ी का पहला पायदान है या स्थायी विकल्प। एबीएल और केडीए इसे पहले कदम के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, पर जिस निकाय को उपराज्यपाल दरकिनार कर सकें, उसे नए नाम वाली पुरानी पहाड़ी परिषद ही माना जाएगा। 2. **असली फ़ैसला कानून-व्यवस्था के प्रश्न पर होगा** — एक्सप्रेस ठीक ही बताता है कि लद्दाख 371H का उलटा चाहता है, जो कानून-व्यवस्था राज्यपाल को सौंपता है। किसी भी संघ राज्यक्षेत्र का विधानमंडल, यहाँ तक कि दिल्ली का भी, पुलिस पर नियंत्रण नहीं रखता, और लद्दाख को यह देना एक ऐसा संघ राज्यक्षेत्र बना देगा जो अन्यत्र राज्य-स्तरीय विधानमंडल से भी अधिक शक्तिशाली हो। केंद्र की सुरक्षा संबंधी चिंता वास्तविक है: लद्दाख अग्रिम मोर्चे का क्षेत्र है और यहाँ पुलिस व्यवस्था सीमा प्रबंधन से जुड़ी है। व्यावहारिक बीच का रास्ता यह होगा कि निर्वाचित निकाय को स्थानीय पुलिस व्यवस्था और भर्ती में भूमिका मिले, जबकि सीमा बल और खुफ़िया तंत्र केंद्र के पास रहें। 3. **विधायी सूचियों से अधिक महत्व भूमि-संरक्षण का है** — लद्दाख के आंदोलन के पीछे डर यह है कि बाहरी लोगों को ज़मीन ख़रीदने, खनन और बड़े पैमाने के पर्यटन की छूट मिलने से इसकी जनसांख्यिकी और नाज़ुक पारिस्थितिकी बदल जाएगी। 371A जैसा खंड, जिसके अंतर्गत संसद के भूमि कानून स्थानीय निकाय की सहमति के बिना लागू न हों, इस डर का सीधा उत्तर होगा और बाद की सरकारों के लिए इसे कमज़ोर करना कठिन होगा। इसके विपरीत, विधायी विषयों की सूची को संसद दरकिनार कर सकती है, क्योंकि संघ राज्यक्षेत्र का कोई संरक्षित क्षेत्र नहीं होता। भूमि वाले खंड का प्रारूप ही तय करेगा कि 371K नागालैंड के संरक्षण जैसा बनेगा या मणिपुर की निराशा जैसा। 4. **लेह और कारगिल को एक साथ साध लेना अपने आप में उपलब्धि है** — लेह और कारगिल में धार्मिक बहुसंख्यक अलग-अलग हैं और दोनों की माँगें हमेशा एक जैसी नहीं रहीं: लेह लंबे समय से संघ राज्यक्षेत्र का दर्जा चाहता था, जबकि कारगिल कश्मीर से अलग होने को लेकर आशंकित था। एबीएल और केडीए का मिलकर वार्ता करना और साझा सहमति तक पहुँचना दिखाता है कि जब संस्थाएँ एक मंच देती हैं तो क्षेत्रीय पहचान धार्मिक भिन्नता को पाट सकती है। संघ राज्यक्षेत्र स्तर के एकल निर्वाचित निकाय को दोनों ज़िलों के बीच संसाधनों का न्यायपूर्ण बँटवारा करना होगा, और इसके लिए बारी-बारी की व्यवस्था या संतुलित आवंटन फ़ॉर्मूला चाहिए हो सकता है। इसमें विफलता लद्दाख के भीतर वही शिकायत फिर पैदा कर देगी जो लद्दाख को जम्मू-कश्मीर के भीतर थी।

	5. विरोधी मत : अधिक विशेष उपबंध एकरूप संवैधानिक व्यवस्था को कमज़ोर करते हैं — आलोचकों का तर्क है कि हर नया 371 खंड एक ऐसी पैबंदकारी व्यवस्था को बढ़ाता है जिसमें भूमि और नौकरियों के नियम क्षेत्र-दर-क्षेत्र अलग हैं, और अनुच्छेद 370 हटाने को ऐसे ही अपवाद समाप्त करने के नाम पर उचित ठहराया गया था। इसका उत्तर यह है कि अनुच्छेद 371 और अनुच्छेद 370 स्वरूप में भिन्न हैं: 371 के खंड पूर्ण संवैधानिक एकीकरण के भीतर काम करते हैं और संसद उनमें संशोधन कर सकती है। संविधान ने विविध क्षेत्रों को जोड़े रखने के लिए सदा असममिति का सहारा लिया है, और पूर्वोत्तर दिखाता है कि ज़रूरत के अनुसार गढ़े गए उपबंधों ने संघर्ष घटाया। एकरूपता और एकता एक ही चीज़ नहीं हैं।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	"अनुच्छेद 371 दर्शाता है कि भारतीय संविधान असममिति को एकीकरण के लिए ख़तरा नहीं, बल्कि उसका साधन मानता है।" मौजूदा विशेष उपबंधों और लद्दाख के लिए प्रस्तावित अनुच्छेद 371K के संदर्भ में चर्चा कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	**1. भूमिका** — प्रस्ताव बताइए: गृह मंत्रालय तथा एबीएल और केडीए के बीच लद्दाख के लिए संघ राज्यक्षेत्र स्तर के प्रत्यक्ष निर्वाचित निकाय पर सैद्धांतिक सहमति, जिसके पास विधायी, कार्यपालिका और वित्तीय शक्तियाँ होंगी और जिसे नए अनुच्छेद 371K का संरक्षण मिलेगा। **2. मुख्य भाग — अनुच्छेद 371 का विकास** — 1950 में भाग ख राज्यों पर संक्रमणकालीन नियंत्रण से लेकर 1956 के बाद महाराष्ट्र और गुजरात के उपबंध तक, और फिर 371A से 371J तक की यात्रा दिखाइए। इन्हें उद्देश्य के अनुसार समूहों में रखिए: रूढ़िजन्य विधि और भूमि, पहाड़ी क्षेत्र समितियाँ, क्षेत्रीय समता, एकीकरण और राज्यपाल की विशेष भूमिका, हर एक का एक उदाहरण देते हुए। **3. मुख्य भाग — 371K कैसे भिन्न है** — समझाइए कि यह बिना विधानमंडल वाले संघ राज्यक्षेत्र के लिए ऐसा पहला उपबंध होगा, जो अनुच्छेद 239 और 240 के साथ-साथ चलेगा। इसकी तुलना छठी अनुसूची से, भूमि के मामले में 371A और 371G से, और कानून-व्यवस्था के मामले में 371H से कीजिए, जिसका उलटा लद्दाख चाहता है। **4. मुख्य भाग — चिंताएँ और सुरक्षा उपाय** — सीमा क्षेत्र की सुरक्षा, विषयों की खोखली सूची का ख़तरा (मणिपुर में 371C का अनुभव), लेह और कारगिल के बीच संतुलन, और पारिस्थितिक संरक्षण पर चर्चा कीजिए। मज़बूत भूमि खंड, पूर्वानुमेय अनुदान के साथ राजकोषीय हस्तांतरण, और पुलिस कार्यों के स्पष्ट बँटवारे का सुझाव दीजिए। **5. निष्कर्ष** — निष्कर्ष दीजिए कि असममित व्यवस्थाओं ने भिन्नताओं को समायोजित करके भारत को जोड़े रखा है, और 371K तभी सफल होगा जब इसमें लिखी शक्तियाँ वास्तविक और संरक्षित हों।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	**प्रश्न 1. आप लद्दाख प्रशासन में मुख्य सचिव के समकक्ष पद पर हैं। 371K के अंतर्गत एक निर्वाचित निकाय बनने वाला है। आप सबसे पहले क्या तैयारी करेंगे?** ***दृष्टिकोण (Approach):*** सबसे पहले मैं हर विभाग और कार्य का उन विषयों से मिलान करूँगा जिनके हस्तांतरित होने की संभावना है, ताकि कर्मचारी, बजट और फ़ाइलें पहले ही दिन बिना भ्रम के स्थानांतरित हो सकें। मैं पारदर्शी भू-अभिलेख और वन तथा सामुदायिक भूमि का रजिस्टर तैयार करूँगा, क्योंकि भूमि सबसे विवादित विषय होगा। मैं निर्वाचित कार्यपालिका और उपराज्यपाल के संबंधों पर कार्य-संचालन नियमों (business rules) का प्रारूप भी बनाऊँगा, ताकि विवाद सार्वजनिक टकराव के बजाय प्रक्रिया से सुलझें। सुचारु हस्तांतरण किसी भी भाषण से अधिक तेज़ी से नई व्यवस्था में भरोसा जगाता है। **प्रश्न 2. साक्षात्कार बोर्ड पूछता है: क्या सीमावर्ती संघ राज्यक्षेत्र में कानून-व्यवस्था किसी निर्वाचित निकाय को सौंपी जानी चाहिए?** ***दृष्टिकोण (Approach):*** यातायात, महिलाओं के विरुद्ध अपराध और सामुदायिक पुलिस व्यवस्था जैसी स्थानीय पुलिसिंग को सुरक्षित रूप से निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रति जवाबदेह बनाया जा सकता है, और यह जवाबदेही भरोसा बढ़ाती है। सीमा सुरक्षा, प्रति-खुफ़िया और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल संघ के पास ही रहने चाहिए, क्योंकि उनका संबंध राष्ट्रीय रक्षा से है। संयुक्त समन्वय समिति के साथ इस तरह का बँटवारा 'सब या कुछ नहीं' वाले हस्तांतरण से अधिक व्यावहारिक है। दिल्ली का अनुभव बताता है कि पुलिस शक्तियों का अस्पष्ट बँटवारा लगातार टकराव पैदा करता है। **प्रश्न 3. कारगिल के उपायुक्त के रूप में आप सुनते हैं कि लोगों को डर है कि नए निकाय पर लेह का वर्चस्व रहेगा। आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे?** ***दृष्टिकोण (Approach):*** मैं इस चिंता को गंभीरता से लूँगा, क्योंकि वर्चस्व की यही धारणा लद्दाख के अपने आंदोलन की ईंधन रही है। मैं यह सुनिश्चित करूँगा कि पाठ अंतिम होने से पहले

कारगिल की माँगें, जिनमें सीटों का बँटवारा और विकास निधि का आवंटन शामिल है, दर्ज होकर उचित माध्यम से गृह मंत्रालय तक पहुँचें। मैं खुली बैठकें करके बताऊँगा कि अब तक क्या ज्ञात है और अफ़वाहों का खंडन करूँगा। प्रारूप बनने के चरण में निष्पक्ष प्रक्रिया निकाय के काम शुरू करने के बाद अविश्वास को रोकती है।

1.3 द हिंदू का संपादकीय: पश्चिम बंगाल एसआईआर की निपटाई गई अपीलों में 93% मामलों में गलत तरीके से हटाए गए मतदाता बहाल

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली / कोलकाता। "Presumed ineligible" (पहले से अपात्र मान लिए गए) शीर्षक वाले संपादकीय में द हिंदू का तर्क है कि भारत निर्वाचन आयोग (ECI) को निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision, SIR) में "पहले नाम काटो, बाद में जाँचो" वाली पद्धति बंद करनी चाहिए। एसआईआर मतदाता सूची को घर-घर जाकर नए सिरे से तैयार करने की प्रक्रिया है, जिसमें मतदाताओं को गणना प्रपत्र (enumeration form) और माँगे जाने पर दस्तावेज़ जमा करने होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में दायर निर्वाचन आयोग के प्रति-शपथपत्र का हवाला देते हुए अख़बार बताता है कि सितंबर 2026 की शुरुआत तक पश्चिम बंगाल में एसआईआर अपीलीय अधिकरणों के सामने दायर 38 लाख से अधिक अपीलों में से केवल 1,22,000 से कुछ अधिक का निपटारा हुआ था, यानी निपटान दर 3.2%। इनमें से 1,13,943 मतदाताओं को फिर से नामावली में जोड़ा गया, यानी समावेशन दर लगभग 93%। इससे पहले दावे और आपत्तियों के चरण में सत्यापन के लिए तैनात न्यायिक अधिकारियों ने "तार्किक विसंगतियों" (logical discrepancies) के लिए चिह्नित 60 लाख मतदाताओं में से 27 लाख को अपात्र माना था, और इनमें से 22 लाख से अधिक ने अपील की है। संपादकीय 38 लाख और 22 लाख के आँकड़ों का आपसी मेल नहीं बैठाता। अख़बार का तर्क है कि यदि ये दरें बनी रहीं, तो 27 लाख में से अधिकांश को कभी अपात्र घोषित ही नहीं किया जाना चाहिए था, और "पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले बड़े पैमाने पर मताधिकार छीना गया"; नगरपालिका चुनाव निकट हैं, इसलिए आयोग को अपीलों का निपटारा तेज़ करना होगा। दिल्ली के तीसरे चरण के एसआईआर पर द हिंदू के विश्लेषण में पाया गया कि 70 में से 24 निर्वाचन क्षेत्रों की मसौदा नामावली में उतने मतदाता भी दर्ज नहीं हैं जितनों ने फ़रवरी 2025 के विधानसभा चुनाव में मतदान किया था। "मैपिंग" (mapping), यानी हर मतदाता को 2000 के दशक की शुरुआत की नामावलियों से जोड़ने की प्रक्रिया ने दिल्ली के 13.79 लाख मतदाताओं को नोटिस के दायरे में ला दिया है, और 19.33 लाख अन्य अपरिभाषित आधारों पर "तार्किक विसंगतियों" के लिए चिह्नित हैं। अख़बार कहता है कि पात्रता सिद्ध करने का भार मतदाता पर डाल दिया गया है, और बिहार एसआईआर में कड़ा हस्तक्षेप करने वाला न्यायालय तब से उदार रुख़ अपनाए हुए है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी आर.एस. गोपालन के अनुसार सोमवार को प्रकाशित ओडिशा की अंतिम नामावली में 3,16,32,754 मतदाता हैं, जो 17 जुलाई के 3,33,99,591 से 17,66,837 कम हैं। मसौदे से हटाए गए नामों में 8,32,544 मृत, 8,08,205 स्थानांतरित और 1,58,118 दोहरी प्रविष्टियाँ थीं। द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार नागालैंड में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी आवा लोरिन ने बताया कि 9.33% मतदाताओं को 2005 की नामावली से नहीं जोड़ा जा सका और 27.31% में मैपिंग संबंधी विसंगतियाँ दिखीं, कुल मिलाकर 36.64%, और लगभग पाँच लाख मतदाताओं को नोटिस मिलने की संभावना है। पाठ्यक्रम से जुड़ाव: चुनाव सुधार और मताधिकार।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

निर्वाचन आयोग विशेष गहन पुनरीक्षण का आदेश देता है, जिसमें नई गणना और 2000 के दशक की शुरुआत की नामावलियों से जुड़ाव अनिवार्य है → मैपिंग की कमियाँ और "तार्किक विसंगतियाँ" लाखों मतदाताओं को चिह्नित कर देती हैं → अपीलें सुने जाने से पहले ही सत्यापन अधिकारी बहुतों को अपात्र घोषित कर देते हैं → पश्चिम बंगाल के अपीलीय अधिकरण जिन मामलों का निर्णय करते हैं उनमें लगभग 93% को बहाल करते हैं, पर निर्णय केवल 3.2% का हो पाता है → सर्वोच्च न्यायालय में दिल्ली और बंगाल की याचिकाओं की सुनवाई के बीच द हिंदू आयोग से नाम काटने से पहले जाँच करने की माँग करता है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. **संविधान मताधिकार को सार्वभौमिक और नामावली को निर्वाचन आयोग का दायित्व बनाता है** — अनुच्छेद 324 निर्वाचक नामावली तैयार करने और चुनाव कराने का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित करता है। अनुच्छेद 325 हर निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक साधारण निर्वाचक नामावली का उपबंध करता है और केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या इनमें से किसी के आधार पर किसी को इससे बाहर करने पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 326 के अनुसार चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे, और 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का हर नागरिक, जो अन्यथा निरर्हित न हो, पंजीकृत होने का हक़दार है। 61वें संशोधन, 1988 ने मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की।

2. **नामावली में कौन रहेगा, यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 तय करता है** — लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (RP Act) की धारा 16 उस व्यक्ति को पंजीकरण के लिए निरर्हित करती है जो नागरिक न हो, जिसे सक्षम न्यायालय ने विकृतचित्त घोषित किया हो, या जो भ्रष्ट आचरण संबंधी किसी कानून के अंतर्गत निरर्हित हो। धारा 19 के अनुसार व्यक्ति अर्हता तिथि पर 18 वर्ष का हो और उस निर्वाचन क्षेत्र का सामान्य तौर पर निवासी हो, और धारा 20 सामान्य निवास (ordinary residence) को स्पष्ट करती है। धारा 21 नामावली तैयार करने और पुनरीक्षण का उपबंध करती है, और धारा 21(3) निर्वाचन आयोग को किसी भी समय, लेखबद्ध कारणों से, विशेष पुनरीक्षण का निर्देश देने की शक्ति देती है। धारा 22 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रविष्टियाँ सुधारने या हटाने देती है, पर केवल संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद, और धारा 24 अपील का उपबंध करती है।

3. **प्रपत्र और अर्हता तिथियाँ रोज़मर्रा के पुनरीक्षण की मशीनरी हैं** — निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण

	नियम, 1960 के अंतर्गत नाम जोड़ने के लिए प्रपत्र 6, किसी प्रविष्टि पर आपत्ति या उसे हटाने के लिए प्रपत्र 7, और सुधार या स्थानांतरण के लिए प्रपत्र 8 का उपयोग होता है। निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम, 2021 ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 14 में संशोधन कर एक वर्ष में चार अर्हता तिथियाँ तय कीं — 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर — ताकि युवा मतदाताओं को पूरा एक वर्ष प्रतीक्षा न करनी पड़े। धारा 13B के अंतर्गत नियुक्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी प्रायः राजस्व अधिकारी होता है, और बूथ स्तरीय अधिकारी (BLO) क्षेत्र-स्तर का कर्मचारी होता है। 4. **न्यायालय लंबे समय से नाम हटाने से पहले सुनवाई पर ज़ोर देते रहे हैं** — लाल बाबू हुसैन बनाम निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (1995) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जिस व्यक्ति का नाम नामावली में है, उसे केवल नागरिक न होने के संदेह पर, नोटिस और निष्पक्ष जाँच के बिना, हटाया नहीं जा सकता, और प्रविष्टि का अपना महत्व है। मोहिंदर सिंह गिल बनाम मुख्य निर्वाचन आयुक्त (1978) में न्यायालय ने अनुच्छेद 324 को शक्ति का भंडार कहा, पर ऐसा भंडार जिसका प्रयोग निष्पक्ष रूप से और विधि के अनुरूप होना चाहिए। इन्हीं निर्णयों के कारण संपादकीय की मुख्य शिकायत क्रम को लेकर है: सत्यापन नाम हटाने से पहले होना चाहिए, बाद में नहीं।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. **चुनाव सुधार जीएस-2 का स्थायी विषय है** — पाठ्यक्रम में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और संवैधानिक निकायों की शक्तियों तथा कार्यों का स्पष्ट उल्लेख है। यूपीएससी ने निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता और चुनाव सुधार पर प्रश्न पूछे हैं, और एसआईआर की विशाल संख्याएँ समावेशन, प्रशासनिक क्षमता और न्यायिक निगरानी पर प्रश्नों के लिए ठोस उदाहरण देती हैं। 2. **संपादकीय कार्ड तथ्य ही नहीं, तर्क गढ़ना भी सिखाता है** — द हिंदू का संपादकीय साक्ष्य-आधारित आलोचना का नमूना है: यह निर्वाचन आयोग के अपने शपथपत्र के आँकड़ों का उपयोग करता है। मुख्य परीक्षा के जो उत्तर निपटान दर और समावेशन दर उद्धृत करके उनसे निष्कर्ष निकालते हैं, वे उन उत्तरों से अधिक अंक पाते हैं जो केवल इतना कहते हैं कि बहिष्करण बुरा है।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	• अनुच्छेद 324 संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनावों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने और चुनाव कराने का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित करता है। • अनुच्छेद 325 के अनुसार कोई भी व्यक्ति केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या इनमें से किसी के आधार पर निर्वाचक नामावली में शामिल होने के लिए अपात्र नहीं होगा। • अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव का उपबंध करता है; 61वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1988 ने मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की। • लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21(3) के अंतर्गत निर्वाचन आयोग लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से किसी भी समय निर्वाचक नामावली के विशेष पुनरीक्षण का निर्देश दे सकता है। • लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 16 भारत का नागरिक न होने वाले व्यक्ति को निर्वाचक नामावली में पंजीकरण के लिए निरर्हित करती है। • निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम, 2021 ने मतदाताओं के पंजीकरण के लिए एक वर्ष में चार अर्हता तिथियाँ तय कीं — 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर। • निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के अंतर्गत निर्वाचक नामावली में नाम जोड़ने के लिए प्रपत्र 6 और नाम शामिल करने पर आपत्ति या नाम हटाने के लिए प्रपत्र 7 का उपयोग होता है।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. **93% की उलट-दर पहले निर्णय का लेखा-परीक्षण है, निष्पक्ष व्यवस्था का प्रमाण नहीं** — जब दस में से नौ अपीलें बहाली पर समाप्त हों, तो अपीलीय अधिकरण कभी-कभार की गलतियाँ नहीं सुधार रहा होता; वह यह उजागर कर रहा होता है कि मूल निर्णय-प्रक्रिया ही अविश्वसनीय थी। किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था में इतनी ऊँची उलट-दर पहले स्तर की प्रक्रिया की समीक्षा का कारण बनती। आयोग तर्क दे सकता है कि शुरू में निपटाए गए मामले आसान थे और कठिन मामलों की सुनवाई के साथ यह दर घटेगी। यह संभव है, पर इससे यही तर्क और मज़बूत होता है कि जब तक इतनी गलतियों के कारण पता न चलें, नाम हटाना रोका जाए। 2. **असली मताधिकार-हरण निपटान दर में छिपा है** — जिस अपील का निर्णय चुनाव के बाद हो, वह उस चुनाव के लिए कोई अधिकार नहीं है। केवल 3.2% अपीलें निपटने के कारण पश्चिम बंगाल में गलत तरीके से हटाए गए अधिकांश मतदाता विधानसभा चुनाव में वोट नहीं डाल सके, और बहुत-से नगरपालिका चुनाव से भी वंचित रह सकते हैं। मतदान समयबद्ध अधिकार है: दिसंबर में बहाल हुआ नाम वसंत में छूटा वोट नहीं लौटाता। इसलिए आयोग को या तो कहीं

	अधिक अधिकरण चाहिए या ऐसा नियम कि अपील के निर्णय तक विवादित नाम नामावली में बने रहें। **3. पुरानी नामावलियों से मैपिंग काग़ज़ी कमी को पात्रता का प्रश्न बना देती है** — दिल्ली और नागालैंड दिखाते हैं कि हर मतदाता को 2000 के दशक की शुरुआत की नामावलियों से जोड़ना उन लोगों को दंडित करता है जो उन वर्षों में घर बदल चुके, विवाह करके चले गए, काम के लिए पलायन कर गए या छूट गए थे। यह समूह असमान रूप से गरीब, महिला और प्रवासी है, और नागालैंड में दूरदराज़ का। नागालैंड का 36.64% बिना मैपिंग या विसंगति वाला आँकड़ा दिखाता है कि यह बेमेल पुराने अभिलेखों की कमज़ोरी दर्शाता है, मतदाताओं की अपात्रता नहीं। मैपिंग विफल होने पर क्षेत्र-भ्रमण होना चाहिए, न कि ऐसा नोटिस जो नागरिक से अपना अस्तित्व सिद्ध करने को कहे। **4. विरोधी मत : साफ़-सुथरी नामावली भी मत की रक्षा करती है** — ओडिशा के आँकड़े दिखाते हैं कि एसआईआर वास्तविक त्रुटियाँ भी हटाता है : आठ लाख से अधिक मृत मतदाता और डेढ़ लाख से अधिक दोहरी प्रविष्टियाँ। फूली हुई नामावलियाँ प्रतिरूपण (impersonation) को आसान बनाती हैं और परिणामों पर भरोसा घटाती हैं, और अनुच्छेद 324 के अंतर्गत इन्हें सुधारना आयोग का कर्तव्य है। द हिंदू का तर्क पुनरीक्षण के विरुद्ध नहीं, बल्कि उसके क्रम और भार के विरुद्ध है। क्षेत्र-सत्यापन और मृत्यु अभिलेखों से नामावली को मृत और दोहरी प्रविष्टियों से मुक्त किया जा सकता है, बिना हर जीवित मतदाता से पात्रता सिद्ध कराए। **5. जब अधिकार समयबद्ध हो, तो न्यायिक संयम की कीमत चुकानी पड़ती है** — संपादकीय बिहार में शुरुआती हस्तक्षेप के बाद सर्वोच्च न्यायालय के उदार रुख़ की आलोचना करता है। न्यायालय प्रायः चल रही चुनावी प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप से बचते हैं, इस सिद्धांत पर कि चुनाव रुकने नहीं चाहिए। पर जब प्रक्रिया ही बहिष्करण का स्रोत हो, तो न्यायालय की देरी बहिष्करण के पक्ष में लिया गया निर्णय बन जाती है। कोई सीमित अंतरिम निर्देश, जैसे सुनवाई से पहले कोई अंतिम विलोपन नहीं, आयोग के क्षेत्राधिकार का सम्मान करते हुए भी मताधिकार की रक्षा करेगा।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	"मत देने का अधिकार उतना ही सुरक्षित है जितनी सुरक्षित निर्वाचक नामावली में बने रहने की प्रक्रिया है।" अपीलों और विलोपन के हालिया आँकड़ों के आलोक में निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। सटीक नामावली और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के बीच सामंजस्य बिठाने वाले सुरक्षा उपाय सुझाइए। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	**1. भूमिका** — द हिंदू द्वारा बताए गए निर्वाचन आयोग के शपथपत्र के आँकड़े उद्धृत कीजिए : पश्चिम बंगाल में 38 लाख से अधिक अपीलों में से केवल 1.22 लाख से कुछ अधिक का निर्णय हुआ, और उनमें से लगभग 93% में मतदाता बहाल हुए। प्रश्न को क्रम और सबूत के भार के प्रश्न के रूप में प्रस्तुत कीजिए। **2. मुख्य भाग — संवैधानिक और विधिक ढाँचा** — अनुच्छेद 324, 325 और 326, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 16, 19, 21 और 22, और लाल बाबू हुसैन (1995) का हवाला देते हुए नाम हटाने से पहले सुनवाई की अनिवार्यता समझाइए। **3. मुख्य भाग — 'पहले हटाओ' की समस्या** — बंगाल के अपीलीय आँकड़े, दिल्ली के वे 24 निर्वाचन क्षेत्र जहाँ 2025 के मतदाताओं से कम निर्वाचक दर्ज हैं और 33 लाख नोटिस, तथा नागालैंड का 36.64% मैपिंग अंतर प्रयोग कीजिए। समझाइए कि प्रवासी, महिलाएँ और दूरदराज़ के जनजातीय मतदाता सबसे अधिक प्रभावित क्यों होते हैं। **4. मुख्य भाग — पुनरीक्षण का पक्ष और सुरक्षा उपाय** — ओडिशा में मृत और दोहरी प्रविष्टियाँ हटाए जाने को स्वीकार कीजिए। सुझाव दीजिए : अपील तक विवादित नाम नामावली में बने रहें, अधिकरणों के लिए निश्चित समय-सीमा, नोटिस से पहले बीएलओ द्वारा क्षेत्र-सत्यापन, मृत्यु पंजीकरण आँकड़ों का उपयोग, विलोपन के कारणों का प्रकाशन, और उलट-दरों का स्वतंत्र लेखा-परीक्षण। **5. निष्कर्ष** — निष्कर्ष दीजिए कि "कोई पात्र मतदाता न छूटे" का लक्ष्य स्वयं सबूत के भार में झलकना चाहिए, क्योंकि अभिलेख और मशीनरी नागरिक के नहीं, राज्य के पास हैं।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	**प्रश्न 1. आप निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी हैं। आपकी टीम ने 40,000 मतदाताओं को "तार्किक विसंगतियों" के लिए चिह्नित किया है, पर आपके पास दो सप्ताह हैं। आप क्या करेंगे ?** ***दृष्टिकोण (Approach):*** धारा 22 की अपेक्षा के अनुसार मैं सुनवाई के बिना किसी का नाम नहीं हटाऊँगा। मैं सूची को विसंगति के प्रकार के अनुसार छाँटूँगा, वर्तनी के अंतर जैसे स्पष्ट लिपिकीय मामलों को कार्यालय में जाँच के बाद एक साथ निपटा दूँगा, और शेष के लिए बीएलओ को क्षेत्र-भ्रमण पर भेजूँगा। मैं सप्ताहांत में हर वार्ड में शिविर-सुनवाई करूँगा और कोई भी उचित दस्तावेज़ स्वीकार करूँगा। समय कम पड़ा तो मैं ऐसी नामावली अंतिम करने के

बजाय, जिसका बचाव मैं न कर सकूँ, मुख्य निर्वाचन अधिकारी से समय-वृद्धि माँगूँगा।

प्रश्न 2. साक्षात्कार बोर्ड पूछता है : क्या नागरिक से यह सिद्ध करने को कहना उचित है कि वह नामावली में रहने का हक़दार है ?

दृष्टिकोण (Approach): नागरिक से प्रपत्र भरने और कोई सामान्य दस्तावेज़ दिखाने की अपेक्षा उचित है, पर जन्म, मृत्यु और निवास के अभिलेख राज्य के पास हैं और उसे पहले उनका उपयोग करना चाहिए। पूरा भार मतदाता पर डालने से कमज़ोर काग़ज़ात वाले लोग, जो प्रायः गरीब होते हैं, नुकसान में रहते हैं। उचित तरीका यह है कि नागरिक से प्रमाण माँगने से पहले राज्य संदेह का कारण दिखाए। बंगाल में 93% बहाली दर बताती है कि ऐसे कारण प्रायः थे ही नहीं।

प्रश्न 3. मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में आप अपीलीय स्तर पर 93% उलट-दर देखते हैं। आप क्या बदलेंगे ?

दृष्टिकोण (Approach): मैं इसे पहले चरण की विफलता मानूँगा और पलटे गए निर्णयों की नमूना-समीक्षा का आदेश दूँगा, ताकि साझा त्रुटियाँ पहचानी जा सकें। मैं "तार्किक विसंगति" के लिए स्पष्ट लिखित मानदंड जारी करूँगा, जिन्हें संपादकीय अपरिभाषित बताता है, और अधिकारियों को उन पर प्रशिक्षण दूँगा। मैं और अपीलीय पीठें जोड़ूँगा तथा हर सप्ताह निपटान के आँकड़े प्रकाशित करूँगा। त्रुटियों के बारे में पारदर्शिता प्रक्रिया के बचाव की तुलना में कहीं तेज़ी से भरोसा लौटाएगी।

1.4 सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र के मेथनॉल रंजक नियमों को अनुपातहीन मानकर रद्द किया, ज़हरीली शराब रोकने के दिशानिर्देश जारी किए

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। द हिंदू के व्याख्यात्मक लेख के अनुसार 18 सितंबर को न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन सहित एक पीठ ने महाराष्ट्र विष नियम, 1972 (Maharashtra Poisons Rules) के नियम 18A और 18B को रद्द कर दिया। मेथनॉल या मिथाइल अल्कोहल अत्यंत विषैला पदार्थ है, जिसका फ़ॉर्मैल्डिहाइड, पैराफ़ॉर्मैल्डिहाइड, पेंट, रेज़िन और अन्य रसायनों के लिए औद्योगिक कच्चे माल के रूप में व्यापक उपयोग होता है; अवैध शराब में मिलाए जाने पर यह जान ले लेता है या अंधा कर देता है। 1991 में मुंबई की ज़हरीली शराब त्रासदी में लगभग 93 लोगों की मृत्यु के बाद, तत्कालीन अपर पुलिस महानिदेशक पी.आर. पार्थसारथी की अध्यक्षता वाली समिति की सिफ़ारिश पर, महाराष्ट्र ने कड़े नियंत्रण लागू किए। 2011 में उसने नियम 18A और 18B जोड़े। नियम 18A(1) के अनुसार विक्रेता को मेथनॉल बेचने से पहले ख़रीदार के फ़ॉर्म A लाइसेंस की जाँच करनी थी; नियम 18A(2) के अनुसार औषधि-निर्माताओं के अलावा अन्य को बेचे जाने वाले मेथनॉल को "विकृत" (denatured) करना था, यानी उसमें एक रंजक (colourant) और एक कड़वाहट लाने वाला पदार्थ (bitterant) मिलाना था; और नियम 18B के अनुसार फ़ॉर्म A लाइसेंस के बिना कब्ज़े पर माल ज़ब्त किया जा सकता था। निर्माताओं का तर्क था कि रंग मिलाने से उनके उत्पाद पेंट और दवा उद्योग के ख़रीदारों के लिए अस्वीकार्य हो जाएँगे और मिलावटी पदार्थ उत्प्रेरकों (catalysts) को प्रभावित कर सकते हैं। राज्य का तर्क था कि मेथनॉल को दिखने योग्य और कड़वा बनाने से शराब में उसका दुरुपयोग रुकेगा। न्यायालय ने माना कि विष अधिनियम, 1919 (Poisons Act) राज्यों को विषों के कब्ज़े और बिक्री के विनियमन की शक्ति देता है, पर इन नियमों को अनुच्छेद 14 और 19(1)(g) का उल्लंघन माना। के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2017) की आनुपातिकता कसौटी (proportionality test) लागू करते हुए उसने पाया कि मौतें रोकना वैध उद्देश्य है, पर ये नियम न तो उपयुक्त थे और न आवश्यक। लाइसेंस की जाँच से यह पता नहीं चलता कि ख़रीदार मेथनॉल का उपयोग कैसे करेगा, और राज्य यह नहीं दिखा सका कि मिलावटी पदार्थ इसके विचलन (diversion) को रोकेंगे। न्यायालय ने कहा, "पूर्ण अनुपालन की सबसे अच्छी स्थिति में भी यह उप-नियम उस दुरुपयोग को नहीं रोक सकता जिसे रोकना इसका लक्ष्य है," और जोड़ा कि यह "एक बुराई को संबोधित तो करता है, पर वास्तव में उसका निवारण नहीं करता, जबकि उद्योगों पर निरंतर बोझ डालता है।" न्यायालय के अनुसार नियम 18B फ़ॉर्म B परमिट के अंतर्गत वैध कब्ज़े से टकरा सकता था। इसके बाद न्यायालय ने दिशानिर्देश जारी किए: राज्य मद्यनिषेध, आबकारी, पुलिस, परिवहन, उद्योग और स्वास्थ्य विभागों का गैर-सरकारी संगठनों के साथ समन्वय करें; सीमाओं और अवैध परिवहन की जाँच करें; अवैध शराब बनाने के ठिकानों की पहचान करें; मेथनॉल लाइसेंस केवल सत्यापन के बाद दें और उनकी नियमित समीक्षा करें; औद्योगिक उपयोगकर्ताओं से अतिरिक्त मेथनॉल लौटवाएँ और भंडार का अभिलेख रखवाएँ; और मेथनॉल को आबकारी की निगरानी में समर्पित, सीलबंद टैंकरों में ले जाया जाए। न्यायालय ने अधिक नशामुक्ति केंद्रों की भी माँग की। पाठ्यक्रम से जुड़ाव : मौलिक अधिकार, विनियमन और सार्वजनिक स्वास्थ्य।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

मेथनॉल सस्ता है, औद्योगिक है, और अवैध शराब में मिलाए जाने पर घातक है → 1991 की मुंबई ज़हरीली शराब त्रासदी में लगभग 93 लोग मरते हैं → महाराष्ट्र 2011 में अपने विष नियमों में संशोधन कर लाइसेंस-जाँच और रंजक-कड़वाहट मिलाकर विकृतीकरण अनिवार्य करता है → निर्माता वैध उद्योग पर पड़ने वाले बोझ को चुनौती देते हैं → सर्वोच्च न्यायालय को ज़हरीली शराब रोकने से कोई सिद्ध संबंध नहीं मिलता; वह 18 सितंबर को नियम रद्द करता है और उनकी जगह आपूर्ति-शृंखला संबंधी दिशानिर्देश देता है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. **मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंधों की कसौटी अब आनुपातिकता है** — के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2017) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध को वैधता, वैध उद्देश्य और आनुपातिकता की शर्तें पूरी करनी होंगी, यानी उपाय और उद्देश्य के बीच तार्किक संबंध हो और उपाय आवश्यक हो। इससे पहले मॉडर्न डेंटल कॉलेज बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2016) में न्यायालय ने चार-चरणीय आनुपातिकता कसौटी अपनाई थी : वैध लक्ष्य, उपयुक्त

	साधन, कोई कम प्रतिबंधात्मक विकल्प न होना, और लाभ तथा हानि के बीच उचित संतुलन। मेथनॉल निर्णय में नियम उपयुक्तता और आवश्यकता के चरणों पर विफल हुए। राज्य को यह साक्ष्य देना होगा कि उसका उपाय कारगर है, केवल यह नहीं कि उसका उद्देश्य अच्छा है। 2. **अनुच्छेद 14 असमान वर्गीकरण के साथ-साथ मनमानेपन को भी निषिद्ध करता है** — अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण की गारंटी देता है। ई.पी. रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य (1974) और मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) के बाद से न्यायालय मानता आया है कि मनमानापन अपने आप में समता का विलोम है। शायरा बानो बनाम भारत संघ (2017) में उसने कहा कि स्पष्ट रूप से मनमाना होने पर विधायन को भी रद्द किया जा सकता है। महाराष्ट्र विष नियम जैसा अधीनस्थ विधान (subordinate legislation) ऐसी समीक्षा के लिए और अधिक खुला है, क्योंकि उसे अपने मूल अधिनियम की सीमा में भी रहना होता है। 3. **अनुच्छेद 19(1)(g) व्यापार की रक्षा करता है, अनुच्छेद 19(6) के युक्तियुक्त निर्बंधनों के अधीन** — अनुच्छेद 19(1)(g) नागरिकों को कोई भी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 19(6) राज्य को आम जनता के हित में युक्तियुक्त निर्बंधन लगाने, और वृत्तिक योग्यताएँ निर्धारित करने या स्वयं कोई व्यापार चलाने की अनुमति देता है। कोई निर्बंधन तभी युक्तियुक्त है जब उसका अपने उद्देश्य से निकट संबंध हो और वह अत्यधिक न हो। न्यायालय ने पाया कि मेथनॉल का विकृतीकरण अवैध शराब रोकने के उद्देश्य से इस "युक्तियुक्त और निकट संबंध" (reasonable and proximate nexus) की कसौटी पर विफल रहा। 4. **शराब और औद्योगिक अल्कोहल राज्य सूची में हैं, और अनुच्छेद 47 नीति का लक्ष्य तय करता है** — राज्य सूची की प्रविष्टि 8 मादक लिकर, उसके उत्पादन, विनिर्माण, कब्ज़े, परिवहन, क्रय और विक्रय को समेटती है, और प्रविष्टि 51 मानव उपभोग के लिए ऐल्कोहॉली लिकर पर उत्पाद-शुल्क को। उत्तर प्रदेश राज्य बनाम ललता प्रसाद वैश्य (2024) में नौ न्यायाधीशों की पीठ ने बहुमत से माना कि "मादक लिकर" में औद्योगिक अल्कोहल भी शामिल है, और सिंथेटिक्स एंड केमिकल्स (1990) को पलटते हुए इसके विनियमन की राज्यों की शक्ति की पुष्टि की। राज्य के नीति निदेशक तत्वों में शामिल अनुच्छेद 47 राज्य को सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधारने और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक पेयों तथा औषधियों के, औषधीय प्रयोजनों को छोड़कर, सेवन पर प्रतिषेध लाने का निर्देश देता है।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. **जीएस-2 पूछता है कि अधिकारों और राज्य-शक्ति के बीच संतुलन कैसे बनता है** — युक्तियुक्त निर्बंधन, प्रत्यायोजित विधान का न्यायिक पुनर्विलोकन और आनुपातिकता का सिद्धांत जीएस-2 और विधि वैकल्पिक विषय में अक्सर आते हैं। यह मामला अच्छा उदाहरण है, क्योंकि उद्देश्य, यानी मौतें रोकना, अत्यंत प्रबल है, फिर भी न्यायालय ने यह साक्ष्य माँगा कि नियम कारगर है। 2. **ज़हरीली शराब की त्रासदियाँ शासन और जीएस-4 का बार-बार आने वाला मामला हैं** — नकली शराब से मौतें मद्यनिषेध वाले और बिना मद्यनिषेध वाले, दोनों प्रकार के राज्यों में होती रहती हैं। ये प्रवर्तन, अंतर-विभागीय समन्वय और मद्यनिषेध नीति की नैतिकता के प्रश्न उठाती हैं, जो सभी जीएस-2 के शासन और जीएस-4 की केस स्टडी के अनुकूल हैं।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● अनुच्छेद 19(1)(g) सभी नागरिकों को कोई भी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार देता है, जो अनुच्छेद 19(6) के अंतर्गत युक्तियुक्त निर्बंधनों के अधीन है। ● राज्य के नीति निदेशक तत्वों में शामिल अनुच्छेद 47 राज्य को निर्देश देता है कि वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक पेयों और औषधियों के, औषधीय प्रयोजनों को छोड़कर, उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करे। ● सातवीं अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्टि 8 मादक लिकर, जिसमें उसका उत्पादन, विनिर्माण, कब्ज़ा, परिवहन, क्रय और विक्रय शामिल है, से संबंधित है। ● उत्तर प्रदेश राज्य बनाम ललता प्रसाद वैश्य (2024) में सर्वोच्च न्यायालय की नौ न्यायाधीशों की पीठ ने माना कि राज्य मादक लिकर वाली प्रविष्टि के अंतर्गत औद्योगिक अल्कोहल का विनियमन कर सकते हैं। ● विष अधिनियम, 1919 राज्य सरकारों को विषों के कब्ज़े और बिक्री का विनियमन करने वाले नियम बनाने की शक्ति देता है। ● आनुपातिकता की कसौटी के अनुसार किसी अधिकार पर प्रतिबंध का उद्देश्य वैध हो, वह उसे प्राप्त करने के लिए उपयुक्त हो, न्यूनतम प्रतिबंधात्मक साधन के रूप में आवश्यक हो, और उचित संतुलन बनाए। ● शरीर में मेथनॉल का चयापचय होकर फ़ॉर्मेल्डिहाइड और फ़ॉर्मिक अम्ल बनते हैं, जो चयापचयी अम्लरक्तता (metabolic acidosis) और दृक् तंत्रिका (optic nerve) को क्षति पहुँचाते हैं।

विश्लेषण (ANALYSIS)

1. **न्यायालय ने राज्य से अपने नियम की कारगरता सिद्ध करने को कहा, यह स्वस्थ मानक है** — वर्षों तक न्यायालय सुरक्षा संबंधी विनियमों को तब तक मान लेते थे जब तक उनका उद्देश्य अच्छा लगता था। यह पूछकर कि क्या विकृतीकरण वास्तव में ज़हरीली शराब रोकता है, न्यायालय ने साक्ष्य-आधारित समीक्षा की, और महाराष्ट्र यह नहीं दिखा सका कि रंग और कड़वाहट किसी को रोकते हैं। अवैध शराब बनाने वाले चोरी किया हुआ या विचलित मेथनॉल इस्तेमाल करते हैं, और देसी शराब का गहरा रंग मिलाए गए रंग को छिपा सकता है। जो नियम हर ईमानदार उपयोगकर्ता पर बोझ डाले और अपराधी को अछूता छोड़ दे, वह दक्षता और निष्पक्षता, दोनों पर विफल है।

2. **निर्णय लड़ाई को उत्पाद से हटाकर आपूर्ति-शृंखला पर ले जाता है** — दिशानिर्देश बताते हैं कि असली रिसाव कहाँ होता है: परिवहन में, अतिरिक्त भंडार में और अनियमित भंडारण में। सीलबंद समर्पित टैंकर, आबकारी की निगरानी, अप्रयुक्त मेथनॉल की वापसी और भंडार अभिलेख विचलन को निशाना बनाते हैं, जहाँ से मेथनॉल वैध अर्थव्यवस्था से बाहर निकलता है। यह बेहतर रचना है, क्योंकि यह लागत को जोखिम वाले बिंदुओं पर केंद्रित करती है। इसकी कमज़ोरी यह है कि ऐसे नियंत्रणों के लिए सक्षम आबकारी विभाग चाहिए, जो कई राज्यों के पास नहीं हैं।

3. **विरोधी मत : अन्यत्र विकृतीकरण सामान्य प्रथा है** — विकृत अल्कोहल (denatured alcohol), जिसमें कोई योजक एथनॉल को पीने योग्य नहीं रहने देता, औद्योगिक अल्कोहल के लिए व्यापक रूप से प्रचलित है, और महाराष्ट्र तर्क दे सकता था कि उसने बस यही तर्क मेथनॉल तक बढ़ाया। पर एथनॉल पिया जाता है, इसलिए उसे अपेय बनाना सीधे दुरुपयोग को रोकता है, जबकि मेथनॉल पहले से ही विषैला है और उसे वे अपराधी मिलाते हैं जिन्हें उसके स्वाद की परवाह नहीं। इसलिए यह सादृश्य तथ्यों पर टिकता नहीं। न्यायालय ने विनियमन को अस्वीकार नहीं किया; उसने ऐसे विनियमन को अस्वीकार किया जो अपने लक्ष्य पर सटीक नहीं बैठता था।

4. **ज़हरीली शराब माँग-पक्ष की समस्या है, जिसे केवल रसायनों के नियम हल नहीं कर सकते** — गरीब पीने वाले अवैध शराब इसलिए ख़रीदते हैं क्योंकि वह वैध शराब से सस्ती होती है, प्रायः ऊँचे उत्पाद-शुल्क या मद्यनिषेध के कारण। नशामुक्ति और परामर्श केंद्रों की न्यायालय की माँग यह स्वीकार करती है कि माँग मायने रखती है। जो राज्य राजस्व के लिए शराब पर कर तेज़ी से बढ़ाते हैं या प्रवर्तन क्षमता के बिना मद्यनिषेध लागू करते हैं, वे वही बाज़ार बना देते हैं जिसे ज़हरीली शराब भरती है। किसी भी गंभीर नीति को वैध और अवैध शराब के बीच कीमत के अंतर पर ध्यान देना होगा, जिसे ये दिशानिर्देश नहीं छूते।

5. **औद्योगिक उपयोगकर्ता भी अधिकार-धारक हैं, और निर्णय यह स्पष्ट कहता है** — पेंट, रेज़िन और दवा कंपनियाँ विनिर्माण आधार का हिस्सा हैं, और जो नियम उनके कच्चे माल को बेकार बना दे, वह रोज़गार और निर्यात को प्रभावित करता है। निर्णय पुष्टि करता है कि अनुच्छेद 19(1)(g) कोई कमतर अधिकार नहीं जिसे सुरक्षा के नाम पर यूँ ही छोड़ा जा सके। यह व्यापार सुगमता (ease of doing business) के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी त्रासदी के बाद बनाए गए अधीनस्थ नियम प्रायः अपनी उपयोगिता से अधिक समय तक चलते रहते हैं। जिस आवधिक समीक्षा की सिफ़ारिश न्यायालय लाइसेंसों के लिए करता है, वह स्वयं नियमों पर भी लागू होनी चाहिए।

संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)

"वैध उद्देश्य किसी अनुपयुक्त साधन को नहीं बचा सकता।" महाराष्ट्र के मेथनॉल नियमों पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में भारत में आर्थिक विनियमन पर आनुपातिकता के सिद्धांत के प्रयोग की चर्चा कीजिए। ज़हरीली शराब की त्रासदियों के विरुद्ध एक प्रभावी रणनीति में क्या-क्या शामिल होना चाहिए? (15 अंक, 250 शब्द)

मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)

1. **भूमिका** — निर्णय बताइए: 18 सितंबर को महाराष्ट्र विष नियम, 1972 के नियम 18A और 18B को अनुच्छेद 14 और 19(1)(g) का उल्लंघन मानकर रद्द किया गया, क्योंकि रंजक-कड़वाहट और लाइसेंस संबंधी नियम ज़हरीली शराब को नहीं रोकते थे।

2. **मुख्य भाग — सिद्धांत** — मॉडर्न डेंटल कॉलेज (2016) और पुट्टस्वामी (2017) की आनुपातिकता कसौटी, अनुच्छेद 19(6) और अनुच्छेद 14 के अंतर्गत मनमानेपन के निषेध का सिद्धांत समझाइए। दिखाइए कि नियम उपयुक्तता और आवश्यकता के चरणों पर कैसे विफल हुए।

3. **मुख्य भाग — विनियमन और संघीय शक्ति** — समझाइए कि राज्यों को विष अधिनियम, 1919 और राज्य सूची की प्रविष्टि 8 के अंतर्गत शक्ति है, जिसकी औद्योगिक अल्कोहल के लिए पुष्टि ललता प्रसाद वैश्य (2024) में हुई, और अनुच्छेद 47 नीति का मार्गदर्शन करता है। विवाद शक्ति का नहीं, नियम की रचना का था।

4. **मुख्य भाग — प्रभावी रणनीति** — न्यायालय के दिशानिर्देशों का उपयोग कीजिए: अंतर-विभागीय समन्वय, लाइसेंस का सत्यापन और समीक्षा, भंडार अभिलेख और अतिरिक्त की

	वापसी, आबकारी निगरानी में सीलबंद टैंकर, सीमा-जाँच और नशामुक्ति केंद्र। कीमत के अंतर पर माँग-पक्ष का बिंदु और ज़िला अस्पतालों में प्रतिविष (antidote) के साथ त्वरित चिकित्सा प्रतिक्रिया जोड़िए। **5. निष्कर्ष** — निष्कर्ष दीजिए कि अच्छा विनियमन हानि के बिंदु को निशाना बनाता है और साक्ष्य पर आधारित होता है, और यह निर्णय जीवन तथा वैध आजीविका, दोनों की रक्षा करता है।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	**प्रश्न 1. आप ज़िलाधिकारी हैं और ज़हरीली शराब की एक त्रासदी में बारह लोगों की मृत्यु हो गई है। आपके पहले 48 घंटे कैसे होंगे?** ***दृष्टिकोण (Approach):*** सबसे पहले मैं जानें बचाऊँगा: सभी अस्पतालों को सतर्क करूँगा, प्रतिविष और डायलिसिस की व्यवस्था करूँगा, और लक्षणों की सार्वजनिक घोषणा करूँगा ताकि जिन्होंने भी यह शराब पी हो वे सामने आएँ। मैं स्रोत पर छापों का आदेश दूँगा, आपूर्ति सील करूँगा और पता लगाऊँगा कि मेथनॉल कहाँ से आया, क्योंकि न्यायालय के दिशानिर्देश औद्योगिक उपयोगकर्ताओं से विचलन की ओर संकेत करते हैं। मैं एक नियंत्रण कक्ष के माध्यम से आबकारी, पुलिस और स्वास्थ्य विभागों का समन्वय करूँगा और परिवारों के लिए राहत की घोषणा करूँगा। शिकायतों की अनदेखी करने वाले स्थानीय अधिकारियों की जवाबदेही एक त्वरित जाँच के बाद तय होनी चाहिए। **प्रश्न 2. आबकारी आयुक्त के रूप में आप उद्योग को नुकसान पहुँचाए बिना सर्वोच्च न्यायालय के मेथनॉल दिशानिर्देश कैसे लागू करेंगे?** ***दृष्टिकोण (Approach):*** मैं हर मेथनॉल लाइसेंसधारी का डिजिटल रजिस्टर बनाऊँगा, जिसमें भंडार और खपत का मासिक विवरण और समर्पित टैंकरों की जीपीएस ट्रैकिंग हो। आकस्मिक लेखा-परीक्षण उन उपयोगकर्ताओं पर केंद्रित होंगे जिनकी खपत उनके उत्पादन से मेल नहीं खाती। मैं अतिरिक्त मेथनॉल की वापसी की व्यवस्था बनाऊँगा और नियमों का पालन करने वाली फ़र्मों के लिए लाइसेंस नवीनीकरण सरल करूँगा। उद्योग पूर्वानुमेय और लक्षित नियंत्रण स्वीकार करता है; वह उन व्यापक नियमों का विरोध करता है जो उसके उत्पादों को बेकार बना दें। **प्रश्न 3. साक्षात्कार बोर्ड पूछता है: क्या किसी त्रासदी के बाद सरकार को जल्दी नियम बनाने चाहिए?** ***दृष्टिकोण (Approach):*** त्रासदी के बाद सरकार को तेज़ी से प्रतिक्रिया देनी ही चाहिए, पर साक्ष्य के बिना जल्दबाज़ी में बने नियम निर्दोषों पर बोझ डाल सकते हैं और दोषियों तक नहीं पहुँचते, जैसा मेथनॉल मामला दिखाता है। बेहतर तरीका यह है कि मौजूदा कानून के अंतर्गत तुरंत प्रवर्तन हो, और उसके बाद परामर्श तथा विफलता की समीक्षा करके नियम बनाए जाएँ। नियमों में समीक्षा खंड होना चाहिए ताकि परिणामों पर उनकी परख हो सके। जनाक्रोश कार्रवाई का कारण है, सोच-विचार छोड़ने का नहीं।

1.5 कर्नाटक उच्च न्यायालय ने केपीएससी घोटाले की नए सिरे से एसआईटी जाँच का आदेश दिया, लोक सेवा आयोग को 'संवैधानिक प्रहरी' कहा

समाचार (THE NEWS) बेंगलुरु। द इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू के अनुसार सोमवार, 21 सितंबर को कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना ने निर्देश दिया कि पुलिस महानिदेशक आलोक कुमार की अध्यक्षता में एक विशेष जाँच दल (SIT) कर्नाटक लोक सेवा आयोग (KPSC) की भर्ती में कथित अनियमितताओं की "नए सिरे से" (de novo), यानी शुरुआत से, जाँच करे। मामला पशु चिकित्सा अधिकारियों के 400 पदों की भर्ती से जुड़ा है, और निलंबित केपीएससी अध्यक्ष शिवशंकरप्पा एस. साहुकार अभियुक्तों में से एक हैं। सीबीआई को जाँच सौंपने से इनकार करते हुए न्यायालय ने कहा: "मैं सीआईडी या स्थानीय पुलिस के हाथों जाँच की अनुमति देना उचित नहीं समझता। मैं इस बात से भी सहमत नहीं हूँ कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को जाँच सौंपना ही एकमात्र उपलब्ध रास्ता है। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए मैं एक विशेष जाँच दल गठित करना उचित समझता हूँ।" चार अन्य आईपीएस अधिकारियों वाले इस एसआईटी को 100 दिनों में जाँच पूरी करनी है और हर 30 दिन पर प्रगति रिपोर्ट देनी है; सीआईडी और स्थानीय पुलिस को सारी सामग्री सौंपनी होगी। एसआईटी को प्रवर्तन निदेशालय (ED) के साथ भी सहयोग करना है, जिसने ईसीआईआर (ECIR) दर्ज की है, जो धन-शोधन कानून के अंतर्गत ईडी का मामला-अभिलेख है। याचिकाओं में पशु चिकित्सक डॉ. एस. मंजुनाथ की याचिका और भाजपा विधायक बसनगौड़ा पाटिल यतनाल की वह याचिका शामिल थी जिसमें श्री साहुकार की पुत्री की औद्योगिक विस्तार अधिकारी के रूप में कथित रूप से जाली आय प्रमाणपत्र के आधार पर हुई नियुक्ति की सीबीआई जाँच माँगी गई थी; इसके अलावा एक छात्र संघ और अभ्यर्थियों की याचिकाएँ भी थीं। मामला केपीएससी की अपनी शिकायत से विधान सौध पुलिस के पास शुरू हुआ और फिर सीआईडी को गया, जिसे याचिकाकर्ताओं ने "दिखावा" (eyewash) कहा। न्यायालय ने कहा कि लोक सेवा आयोग केवल भर्ती एजेंसी नहीं, बल्कि "लोक नियोजन के प्रवेश-द्वार पर खड़ा संवैधानिक प्रहरी" है, और जब अंकों में हेराफेरी हो, उत्तर-पुस्तिकाओं या ओएमआर शीटों से छेड़छाड़ हो, या चयन ख़रीदे जाएँ, तो "यह स्वयं संविधान के साथ धोखा है"। न्यायालय ने चेताया कि अन्यथा अनुच्छेद 14 और 16 के अंतर्गत अवसर की समता की गारंटी "काग़ज़ पर लिखा खोखला वादा" बनकर रह जाएगी। एक्सप्रेस की 19 सितंबर की पड़ताल में बताया गया था कि श्री साहुकार को 2019 में भाजपा ने चुना था और 2023 के बाद कांग्रेस सरकार ने उन्हें बचाया; उसने जिन कथित अनियमितताओं की सूची दी उनमें रोके गए अंक, शीर्ष अंक पाने वालों से माँगी गई

रिश्वत, साक्षात्कार पैनलों में हेरफेर, बदले गए सारणीकरण अभिलेख, छेड़छाड़ की गई उत्तर-पुस्तिकाएँ और लीक हुए प्रश्नपत्र शामिल हैं। पाठ्यक्रम से जुड़ाव : संवैधानिक निकाय और लोक भर्ती की शुचिता।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

2019 में नियुक्त केपीएससी अध्यक्ष सरकार बदलने के बाद भी पद पर बने रहते हैं → अभ्यर्थी रोके गए अंकों, छेड़छाड़ की गई शीटों, धांधली वाले साक्षात्कारों और लीक प्रश्नपत्रों के आरोप लगाते हैं → केपीएससी की अपनी शिकायत स्थानीय पुलिस और फिर सीआईडी के पास जाती है, जिसे याचिकाकर्ता दिखावा कहते हैं → छात्र, अभ्यर्थी और एक विधायक सीबीआई जाँच माँगते हैं → उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अंतर्गत 100 दिनों की समय-सीमा वाली, न्यायालय की निगरानी में नए सिरे से एसआईटी जाँच का आदेश देता है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. **लोक सेवा आयोग संरक्षित कार्यकाल वाले संवैधानिक निकाय हैं** — अनुच्छेद 315 संघ और प्रत्येक राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का उपबंध करता है, और संबंधित राज्यों के संकल्प पारित करने पर संसदीय कानून द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की अनुमति देता है। अनुच्छेद 316 के अंतर्गत राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, और कम-से-कम आधे सदस्य ऐसे होने चाहिए जो भारत सरकार या किसी राज्य के अधीन दस वर्ष तक पद पर रहे हों। सदस्य छह वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, पद पर रहता है, जबकि संघ लोक सेवा आयोग के लिए आयु-सीमा 65 वर्ष है। अनुच्छेद 322 आयोग के व्यय को राज्य की संचित निधि पर भारित करता है, इसलिए उन पर विधानमंडल में मतदान नहीं होता।

2. **राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को केवल राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय की जाँच के बाद, हटा सकते हैं** — अनुच्छेद 317(1) के अंतर्गत राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य को कदाचार के आधार पर केवल राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है, और वह भी तब जब निर्देश (reference) मिलने पर सर्वोच्च न्यायालय जाँच करके यह प्रतिवेदन दे कि उसे हटाया जाना चाहिए। अनुच्छेद 317(2) के अंतर्गत ऐसा निर्देश लंबित रहने तक राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को निलंबित कर सकते हैं। अनुच्छेद 317(3) राष्ट्रपति को दिवालियापन, पद के बाहर सवेतन नियोजन, या मन अथवा शरीर की अशक्तता के आधार पर हटाने की अनुमति देता है। यह रचना आयोग को राजनीतिक दबाव से बचाती है, पर साथ ही किसी दाग़ी प्रमुख को हटाना धीमा भी बना देती है।

3. **अनुच्छेद 16 और उच्च न्यायालय की रिट शक्ति इस मामले के विधिक औज़ार हैं** — अनुच्छेद 16(1) सभी नागरिकों को लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समता की गारंटी देता है, और यह अनुच्छेद 14 का ही विशिष्ट प्रयोग है। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए "और किसी अन्य प्रयोजन के लिए" रिट जारी करने की शक्ति देता है, जो इसे सर्वोच्च न्यायालय की अनुच्छेद 32 वाली शक्ति से व्यापक बनाता है। पश्चिम बंगाल राज्य बनाम कमेटी फ़ॉर प्रोटेक्शन ऑफ़ डेमोक्रेटिक राइट्स (2010) में एक संविधान पीठ ने कहा कि संवैधानिक न्यायालय असाधारण मामलों में जाँच सीबीआई को स्थानांतरित कर सकते हैं, पर चेताया कि इस शक्ति का प्रयोग संयम से होना चाहिए।

4. **भर्ती धोखाधड़ी के लिए अब एक समर्पित केंद्रीय कानून है, और धन-शोधन के सूत्र ईडी को ले आते हैं** — सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 [Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act] संघ लोक सेवा आयोग, एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्डों, बैंकिंग भर्ती निकायों और एनटीए जैसे निकायों की परीक्षाओं पर लागू होता है, जिसमें तीन से पाँच वर्ष की सज़ा और ₹10 लाख तक का जुर्माना है, तथा संगठित अपराध के लिए और कड़ी सज़ा है। राज्य लोक सेवा आयोगों की परीक्षाएँ राज्य कानूनों से संचालित होती हैं। ईडी की प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ECIR) धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत एक आंतरिक दस्तावेज़ है, और सर्वोच्च न्यायालय ने विजय मदनलाल चौधरी बनाम भारत संघ (2022) में कहा कि यह एफ़आईआर के समकक्ष नहीं है।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

1. **जीएस-2 में संवैधानिक निकायों और उनकी कार्यप्रणाली का स्पष्ट उल्लेख है** — यूपीएससी ने संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों की संवैधानिक स्थिति तथा उनकी स्वतंत्रता के सामने चुनौतियों पर प्रश्न पूछे हैं। राज्यों में बार-बार होने वाले भर्ती घोटाले इस विषय के उत्तर को सामयिक उदाहरण देते हैं, और कर्नाटक का निर्णय उद्धृत करने योग्य भाषा देता है।

2. **प्रश्नपत्र लीक और भर्ती धोखाधड़ी युवाओं और शासन, दोनों का मुद्दा हैं** — अनुचित साधनों पर 2024 का केंद्रीय कानून बड़ी परीक्षाओं में लीक के बाद आया, और कई राज्यों के अपने कानून हैं। लोक भर्ती की शुचिता से जुड़े प्रश्न जीएस-2 के शासन, जीएस-4 की सत्यनिष्ठा और निबंध प्रश्नपत्र को जोड़ते हैं।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)

- अनुच्छेद 316 के अंतर्गत राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं और वे छह वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, पद धारण

	करते हैं। ● अनुच्छेद 317 के अंतर्गत राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को कदाचार के आधार पर केवल राष्ट्रपति ही, निर्देश पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जाँच के बाद, हटा सकते हैं। ● अनुच्छेद 317(2) राज्यपाल को सर्वोच्च न्यायालय को भेजा गया निर्देश लंबित रहने तक राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को निलंबित करने की अनुमति देता है। ● अनुच्छेद 322 के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग का व्यय राज्य की संचित निधि पर भारित होता है। ● अनुच्छेद 323(2) के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग राज्यपाल को वार्षिक प्रतिवेदन देता है, जिसे उन मामलों पर ज्ञापन के साथ राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाता है जिनमें आयोग की सलाह स्वीकार नहीं की गई। ● अनुच्छेद 16(1) सभी नागरिकों को राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में अवसर की समता की गारंटी देता है। ● सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 संघ लोक सेवा आयोग, एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्डों और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी जैसे निकायों की परीक्षाओं पर लागू होता है।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. **न्यायालय ने ऐसा बीच का रास्ता चुना जो जवाबदेही को राज्य के भीतर ही रखता है** — सीबीआई को मना करना और साथ ही सीआईडी को हटाना एक नपा-तुला चुनाव है। सीबीआई को सौंपने पर जाँच शुरू होने में महीनों लगते और संघीय टकराव बढ़ता, जबकि सीआईडी याचिकाकर्ताओं की नज़र में विश्वसनीयता खो चुकी थी। 100 दिनों की समय-सीमा और मासिक रिपोर्ट वाला, न्यायालय की निगरानी में काम करने वाला राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों का एसआईटी स्थानीय जानकारी और न्यायिक निगरानी को जोड़ता है। जोखिम यह है कि राज्य के अधिकारी अब भी उसी राजनीतिक तंत्र का दबाव महसूस कर सकते हैं; इसीलिए न्यायालय को हर महीने रिपोर्ट देना इस आदेश का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। 2. **कार्यकाल का संवैधानिक संरक्षण कदाचार की ढाल बन गया** — अनुच्छेद 317 इसलिए बना था कि लोक सेवा आयोग के सदस्य सरकार को नाराज़ करने के कारण न हटाए जाएँ। एक्सप्रेस की यह रिपोर्ट कि प्रतिद्वंद्वी दलों की दो सरकारों के दौरान चेतावनी के संकेतों के बावजूद अध्यक्ष पद पर बने रहे, उस संरक्षण का दूसरा पहलू दिखाती है: किसी भी सरकार को हटाने की धीमी प्रक्रिया शुरू करने में रुचि नहीं थी। समाधान कार्यकाल को कमज़ोर करना नहीं, बल्कि नियुक्ति को मज़बूत करना है, यानी पारदर्शी मानदंड और चयन से पहले छानबीन, क्योंकि हटाना तो जानबूझकर कठिन रखा गया है। जो राज्य राजनीतिक निष्ठा के आधार पर आयोग-प्रमुख नियुक्त करते हैं, वे समस्या को शुरुआत में ही आयात कर लेते हैं। 3. **धोखाधड़ी को संविधान के साथ धोखा कहने से उपचार का मानक ऊँचा होता है** — भर्ती में कदाचार को केवल परीक्षा की अनियमितता नहीं, बल्कि अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन मानकर न्यायालय ने संकेत दिया है कि दाग़ी चयनों को केवल इसलिए नहीं बचाया जा सकता कि कुछ अभ्यर्थी निर्दोष थे। यह तब महत्वपूर्ण होगा जब न्यायालय तय करेगा कि पूरी भर्ती रद्द की जाए या नहीं। विरोधी मत यह है कि सब कुछ रद्द करना उन ईमानदार अभ्यर्थियों को दंडित करता है जो सेवा दे चुके हैं। न्यायालयों ने प्रायः जहाँ संभव हुआ, दाग़ी और बेदाग़ को अलग किया है और पूरी प्रक्रिया केवल तब रद्द की है जब धोखाधड़ी व्यवस्थागत हो और उसे अलग न किया जा सके। 4. **भर्ती की शुचिता शिक्षित युवाओं के लिए आर्थिक मुद्दा है** — वर्षों से तैयारी कर रहे युवा के लिए राज्य की धांधली वाली भर्ती समय, पैसा और भरोसा, सब नष्ट कर देती है और प्रतिभा को लोक सेवा से दूर धकेलती है। जब सरकारी नौकरियाँ बिकती हैं, तो कीमत बिना जान-पहचान वाले गरीब अभ्यर्थी चुकाते हैं, और वह सामाजिक गतिशीलता उलट जाती है जो लोक नियोजन से मिलनी थी। कर्नाटक का मामला, जिसमें शीर्ष अंक पाने वालों से कथित रूप से रिश्वत माँगी गई, दिखाता है कि कैसे योग्यता ही निशाना बन जाती है। राज्य का दाँव केवल 400 पदों पर न्याय का नहीं, बल्कि भविष्य की हर परीक्षा की विश्वसनीयता का है।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	"लोक सेवा आयोग लोक नियोजन के प्रवेश-द्वार पर खड़े संवैधानिक प्रहरी हैं।" हाल के भर्ती घोटालों के आलोक में राज्य लोक सेवा आयोगों के संवैधानिक सुरक्षा उपायों का परीक्षण कीजिए और उनकी शुचिता सुनिश्चित करने के लिए सुधार सुझाइए। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. **भूमिका** — कर्नाटक उच्च न्यायालय के 21 सितंबर के आदेश से शुरुआत कीजिए, जिसने पशु चिकित्सा अधिकारी के 400 पदों से जुड़े केपीएससी घोटाले की डीजीपी आलोक कुमार के अधीन नए सिरे से एसआईटी जाँच का गठन किया, और लोक सेवा आयोग को संवैधानिक प्रहरी बताया।

	2. **मुख्य भाग — संवैधानिक रचना** — अनुच्छेद 315 से 323 समझाइए: राज्यपाल द्वारा नियुक्ति, निश्चित कार्यकाल, सर्वोच्च न्यायालय की जाँच के बाद केवल राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाना, संचित निधि पर भारित व्यय, अनुच्छेद 319 के अंतर्गत आगे नियोजन पर रोक, और अनुच्छेद 323 के अंतर्गत वार्षिक प्रतिवेदन। 3. **मुख्य भाग — सुरक्षा उपाय क्यों विफल हुए** — रिपोर्ट किए गए ढेर का उपयोग कीजिए: 2019 में राजनीतिक नियुक्ति, चेतावनी संकेतों के बावजूद पद पर बने रहना, रोके गए अंक, छेड़छाड़ की गई शीटें, साक्षात्कार पैनलों में हेरफेर और लीक। दिखाइए कि नियुक्ति की छानबीन के बिना कार्यकाल-संरक्षण कैसे कदाचार को ढाल दे सकता है। 4. **मुख्य भाग — सुधार** — सुझाव दीजिए: आयोग की नियुक्तियों के लिए पारदर्शी खोज समिति, ऑडिट ट्रेल के साथ पूर्णतः डिजिटल मूल्यांकन, साक्षात्कार के भारांक में कमी, स्वतंत्र सतर्कता प्रकोष्ठ, 2024 के केंद्रीय अधिनियम जैसे अनुचित साधनों पर राज्य कानून, और अनुच्छेद 317 के निर्देशों का समयबद्ध निपटारा। 5. **निष्कर्ष** — निष्कर्ष दीजिए कि अनुच्छेद 16 के अंतर्गत अवसर की समता उतनी ही मज़बूत है जितनी परीक्षा कराने वाली संस्था, और एक बार खोया भरोसा लौटने में वर्षों लगते हैं।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	**प्रश्न 1. घोटाले के बाद आपको एक राज्य लोक सेवा आयोग का नया सचिव नियुक्त किया गया है। आपके पहले सुधार क्या होंगे?** ***दृष्टिकोण (Approach):*** सबसे पहले मैं मूल्यांकन की पूरी कड़ी सुरक्षित करूँगा: उत्तर-पुस्तिकाओं की डिजिटल स्कैनिंग, कूटबद्ध मूल्यांकन, और अंकों में हर बदलाव का ऑडिट लॉग। मैं अंक और उत्तर-कुंजियाँ शीघ्र प्रकाशित करूँगा ताकि अभ्यर्थी उन्हें जाँच सकें, और साक्षात्कार के विवेकाधीन अंक घटाऊँगा। मैं पूर्ण आयोग को रिपोर्ट करने वाला एक आंतरिक सतर्कता प्रकोष्ठ बनाऊँगा। दिखाई देने वाली पारदर्शिता अभ्यर्थियों को यह बताने का सबसे तेज़ तरीका है कि प्रक्रिया पर फिर भरोसा किया जा सकता है। **प्रश्न 2. साक्षात्कार बोर्ड पूछता है: क्या सभी दाग़ी भर्तियाँ रद्द कर दी जानी चाहिए, भले ही कुछ अभ्यर्थी ईमानदार रहे हों?** ***दृष्टिकोण (Approach):*** यह इस पर निर्भर करता है कि दाग़ी को बेदाग़ से अलग किया जा सकता है या नहीं। जहाँ धोखाधड़ी सीमित और पहचानने योग्य हो, वहाँ केवल दाग़ी चयन रद्द होने चाहिए, क्योंकि ईमानदार अभ्यर्थियों को दंडित करना भी अन्याय है। जहाँ यह व्यवस्थागत हो, जैसे प्रश्नपत्र लीक या पूरे सारणीकरण में बदलाव, वहाँ पूरी प्रक्रिया अपनी वैधता खो देती है और उसे दोबारा कराना होगा। निर्णय जाँच के निष्कर्षों पर आधारित होना चाहिए, जनाक्रोश पर नहीं। **प्रश्न 3. एसआईटी के सदस्य के रूप में आप पर 100 दिनों में जाँच पूरी करने का दबाव है। आप जाँच की योजना कैसे बनाएँगे?** ***दृष्टिकोण (Approach):*** सबसे पहले मैं सीआईडी की सारी सामग्री अपने कब्ज़े में लेकर उसकी सूची बनाऊँगा ताकि कुछ भी छूटे नहीं, फिर सबसे अधिक दस्तावेज़ी सूत्रों, जैसे सारणीकरण अभिलेख और ओएमआर शीटें, को जल्दी फ़ॉरेंसिक परीक्षण के लिए चुनूँगा। मैं शिकायत करने वाले अभ्यर्थियों और मूल्यांकनकर्ताओं के बयान दर्ज करूँगा, और धन के लेन-देन पर ईडी से समन्वय करूँगा। न्यायालय को दी जाने वाली मासिक रिपोर्ट प्रगति और बाधाओं को ईमानदारी से बताएगी। समय-सीमा से ध्यान केंद्रित होना चाहिए, जल्दबाज़ी में आरोप-पत्र नहीं बनना चाहिए।

2. अर्थव्यवस्था (Economy)

आज की हर ख़बर का सार एक ही है: भारत कुछ पाना चाहता है, उसकी क़ीमत चुका रहा है, और तय कर रहा है कि यह क़ीमत ठीक है या नहीं। एक व्यापारिक साझेदार के निवेश-वादे के बदले भारत अपना बाज़ार खोल रहा है; बड़े विदेशी मुद्रा भंडार (foreign exchange reserves) के बदले वह बंध्यीकरण (sterilisation) की लागत और विनिमय दर का जोखिम उठा रहा है; ब्रांड और बौद्धिक संपदा पर भारतीय स्वामित्व के लिए राजकोषीय प्रोत्साहन दे रहा है; और अर्थव्यवस्था की सच्ची तस्वीर के लिए सांख्यिकीय संशोधन स्वीकार कर रहा है। तमिलनाडु का हिसाब यह सबक साफ़ शब्दों में रखता है: कोई भी महत्वाकांक्षा उतनी ही ठोस होती है जितनी उसके पीछे की बचत, पूँजी की कार्यकुशलता और राजकोषीय अनुशासन।

2.1 भारत–न्यूज़ीलैंड मुक्त व्यापार समझौता 20 अक्टूबर से लागू, सभी भारतीय निर्यातों को शून्य शुल्क

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार, 21 सितंबर को न्यूज़ीलैंड के व्यापार एवं निवेश मंत्री टॉड मैक्ले (Todd McClay) के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में घोषणा की कि भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता (Free Trade Agreement — FTA) 20 अक्टूबर, 2026 से लागू हो जाएगा। द इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार इस समझौते पर 27 अप्रैल को नई दिल्ली में हस्ताक्षर हुए थे और न्यूज़ीलैंड की संसद ने 16 सितंबर को इसे लागू करने वाला क़ानून 93 के मुक़ाबले 29 मतों से पारित किया। मुक्त व्यापार समझौता ऐसी संधि है जिसके तहत दो देश एक-दूसरे की अधिकांश वस्तुओं पर सीमा शुल्क घटाते या ख़त्म करते हैं; इसमें प्रायः सेवाओं, निवेश और लोगों की आवाजाही के नियम भी होते हैं। पहले ही दिन से सभी टैरिफ़ लाइनों पर सभी भारतीय निर्यातों को न्यूज़ीलैंड में शून्य शुल्क पर प्रवेश मिलेगा; अभी न्यूज़ीलैंड भारतीय सिरेमिक, वाहनों और वाहन-पुर्ज़ों पर अधिकतम 10% तक शुल्क लगाता है। न्यूज़ीलैंड को शुरुआत में भारत को होने वाले अपने 57% निर्यात पर शुल्क-मुक्त पहुँच मिलेगी, जो पूरी तरह लागू होने पर 82% हो जाएगी; मूल्य के हिसाब से उसके 95% निर्यात पर शुल्क ख़त्म या कम होंगे। भारत ने डेयरी और संवेदनशील कृषि उत्पादों — मटर, प्याज़, चना, बादाम, कृत्रिम शहद, मक्का और चीनी — को रियायतों से बाहर रखा है। गोयल ने कहा, "डेयरी हम किसी के लिए नहीं खोलते।" सेब, कीवी फल और मनुका शहद को टैरिफ़ दर कोटा (tariff rate quota — एक निश्चित मात्रा कम शुल्क पर, उससे ऊपर सामान्य शुल्क) के ज़रिए नपी-तुली पहुँच दी गई है, जिसके साथ न्यूनतम आयात मूल्य और मौसमी अवधि की शर्तें जुड़ी हैं। कड़े उद्गम नियम तीसरे देशों के उस माल को लाभ से वंचित रखेंगे जो न्यूज़ीलैंड के रास्ते भेजा जाए, और शुल्क कटौती के बाद 14 वर्ष तक एक द्विपक्षीय रक्षोपाय तंत्र लागू रहेगा। न्यूज़ीलैंड ने 15 वर्षों में भारत में 20 अरब डॉलर तक के निवेश को सुगम बनाने की प्रतिबद्धता जताई है। भारतीय पेशेवरों को किसी भी समय 5,000 अस्थायी रोज़गार प्रवेश वीज़ा (Temporary Employment Entry visa) का कोटा मिलेगा, जिसमें तीन वर्ष तक रुकने की अनुमति होगी, साथ ही पढ़ाई के बाद काम करने के रास्ते भी बढ़ाए गए हैं। लक्ष्य चार-पाँच वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं के द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर लगभग ₹35,000 करोड़ तक पहुँचाने का है। आधार-आँकड़े पर अख़बार एकमत नहीं हैं: द हिंदू 2024-25 में द्विपक्षीय व्यापार 1.3 अरब डॉलर बताता है, जबकि द इकोनॉमिक टाइम्स वित्त वर्ष 2025 में लगभग 2.4 अरब डॉलर। लागू होने की तारीख़ विजयादशमी के दिन पड़ रही है। गोयल ने यह भी कहा कि भारत रूसी तेल पर शुल्क से जुड़े अमेरिका के नए क़ानून का अध्ययन कर रहा है और चिली के साथ समझौते पर "अच्छी ख़बर" की उम्मीद है। पाठ्यक्रम से जुड़ाव: GS3 में व्यापार और उदारीकरण के प्रभाव, तथा GS2 में द्विपक्षीय समझौते।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

आयात की बाढ़ और डेयरी प्रतिस्पर्धा के डर से भारत 2019 में RCEP से बाहर निकलता है → अंतर्निहित रक्षोपायों वाले द्विपक्षीय समझौतों की ओर मुड़ता है → लगभग नौ महीनों में न्यूज़ीलैंड से बातचीत पूरी, डेयरी बाहर और निवेश व वीज़ा शामिल → 27 अप्रैल को हस्ताक्षर, 16 सितंबर को न्यूज़ीलैंड की संसद से क़ानून पारित → बढ़ते वैश्विक शुल्कों के बीच 20 अक्टूबर से लागू

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. **WTO क़ानून में FTA सर्वाधिक अनुगृहीत राष्ट्र के सिद्धांत का अपवाद भर है** — प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौते (General Agreement on Tariffs and Trade — GATT) का अनुच्छेद I हर WTO सदस्य पर यह दायित्व डालता है कि वह किसी एक सदस्य को दी गई शुल्क रियायत सभी सदस्यों को दे; यही सर्वाधिक अनुगृहीत राष्ट्र (most-favoured-nation — MFN) का सिद्धांत है। GATT का अनुच्छेद XXIV सीमा शुल्क संघों और मुक्त व्यापार क्षेत्रों को इसका अपवाद मानता है, बशर्ते पक्षकारों के बीच "लगभग समस्त व्यापार" पर शुल्क उचित अवधि में ख़त्म कर दिए जाएँ। सेवाओं के लिए यही प्रावधान सेवा व्यापार पर सामान्य समझौते (GATS) के अनुच्छेद V में है। इसी कारण FTA को व्यापार के बड़े हिस्से को समेटना पड़ता है; वह कुछ गिने-चुने उत्पादों का छोटा सौदा नहीं हो सकता।

2. **उद्गम नियम तय करते हैं कि कौन-सा माल सचमुच साझेदार देश में "बना" है** — उद्गम नियम (rule of origin) वे शर्तें तय करता है — स्थानीय मूल्यवर्धन का न्यूनतम हिस्सा या टैरिफ़ वर्गीकरण में बदलाव — जिन्हें पूरा करके ही कोई उत्पाद FTA की कम दर का दावा कर सकता है। इसके बिना कोई तीसरा देश मामूली प्रसंस्करण के साथ अपना माल FTA साझेदार के रास्ते भेज सकता है; इसे व्यापार विचलन (trade deflection) कहते हैं। भारत ने सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत अधिसूचित सीमा शुल्क (व्यापार समझौतों के अंतर्गत उद्गम नियमों का प्रशासन) नियम, 2020 — यानी CAROTAR — के ज़रिए प्रवर्तन कड़ा किया है। हाल की हर वार्ता में कड़े उद्गम नियम भारत की एक आम माँग रहे हैं।

3. **टैरिफ़ दर कोटा और रक्षोपाय व्यापार समझौते के सुरक्षा-वाल्व हैं** — टैरिफ़ दर कोटा किसी उत्पाद की एक तय मात्रा को कम या शून्य शुल्क पर आने देता है, जबकि उससे अधिक आयात पर सामान्य शुल्क लगता है। द्विपक्षीय रक्षोपाय तंत्र (bilateral safeguard mechanism) किसी

	देश को यह छूट देता है कि यदि समझौते के तहत आयात अचानक बढ़ें और घरेलू उत्पादकों को गंभीर क्षति पहुँचाएँ या उसका ख़तरा पैदा करें, तो वह अस्थायी रूप से रियायती शुल्क निलंबित कर दे या बढ़ा दे। भारत में रक्षोपाय जाँच वाणिज्य मंत्रालय के अधीन व्यापार उपचार महानिदेशालय (Directorate General of Trade Remedies) करता है। इन साधनों से कोई देश बाज़ार खोलते हुए भी राजनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के लिए ब्रेक अपने हाथ में रखता है। 4. **RCEP से निकलने के बाद भारत के व्यापार समझौते नए साँचे पर चल रहे हैं** — चीन के साथ व्यापार घाटे और पर्याप्त रक्षोपायों के अभाव की चिंता जताते हुए भारत नवंबर 2019 में क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (Regional Comprehensive Economic Partnership — RCEP) की वार्ताओं से हट गया था; न्यूज़ीलैंड RCEP का सदस्य है। तब से भारत ने भारत-UAE व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (2022), भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौता (2022) और भारत-EFTA व्यापार एवं आर्थिक भागीदारी समझौता (2024 में हस्ताक्षरित) किए हैं; इनमें अंतिम के साथ निवेश प्रतिबद्धता जुड़ी है। हर समझौते में डेयरी को बाहर रखा गया है। पेशेवरों की आवाजाही GATS के मोड 4 — प्राकृतिक व्यक्तियों की अस्थायी उपस्थिति — के अंतर्गत आती है।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. **GS3 पाठ्यक्रम उदारीकरण और व्यापार के प्रभावों पर प्रश्न पूछता है** — FTA पर प्रश्न पूछ चुके हैं कि FTA साझेदारों के साथ भारत का व्यापार घाटा क्यों बढ़ा, और RCEP छोड़कर भारत ने क्या पाया या खोया। न्यूज़ीलैंड समझौता "नई पीढ़ी" के FTA का साफ़ उदाहरण है: छोटा साझेदार, संवेदनशील क्षेत्र सुरक्षित, और निवेश व आवाजाही समझौते में लिखित। 2. **प्रारंभिक परीक्षा व्यापार समझौतों की शब्दावली परखती है** — UPSC सर्वाधिक अनुगृहीत राष्ट्र (MFN) सिद्धांत, मुक्त व्यापार समझौते और अधिमान्य व्यापार समझौते के अंतर, तथा RCEP व अन्य गुटों की सदस्यता पर पूछ चुका है। टैरिफ़ दर कोटा, उद्गम नियम और रक्षोपाय अगला स्वाभाविक विषय हैं, और यह ख़बर तीनों को एक वास्तविक उदाहरण से समझाती है। 3. **GS2 व्यापार को भारत की हिंद-प्रशांत कूटनीति से जोड़ता है** — न्यूज़ीलैंड एक प्रशांत लोकतंत्र है और RCEP तथा ट्रांस-पैसिफ़िक भागीदारी हेतु व्यापक एवं प्रगतिशील समझौते (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership — CPTPP) का सदस्य है। प्रशांत क्षेत्र में भारत की सक्रियता पर उत्तर लिखते समय यह समझौता इस बात का प्रमाण है कि भारत बड़े क्षेत्रीय गुटों के बजाय द्विपक्षीय व्यापार ढाँचे को तरजीह देता है।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौते (GATT) का अनुच्छेद XXIV मुक्त व्यापार क्षेत्रों और सीमा शुल्क संघों को सर्वाधिक अनुगृहीत राष्ट्र के दायित्व के अपवाद के रूप में अनुमति देता है, बशर्ते पक्षकारों के बीच लगभग समस्त व्यापार पर शुल्क समाप्त कर दिए जाएँ। ● टैरिफ़ दर कोटा किसी उत्पाद की निर्धारित मात्रा के आयात पर कम शुल्क की अनुमति देता है, जबकि कोटे से अधिक मात्रा पर ऊँचा शुल्क लगता है। ● उद्गम नियम यह तय करते हैं कि कोई वस्तु FTA साझेदार देश में उत्पन्न मानी जाएगी या नहीं और इसलिए रियायती शुल्क की पात्र है या नहीं; भारत में इसके प्रक्रियात्मक नियम सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत बनाए गए CAROTAR, 2020 हैं। ● FTA में द्विपक्षीय रक्षोपाय तंत्र किसी पक्षकार को तब अस्थायी रूप से रियायती शुल्क बढ़ाने या निलंबित करने की अनुमति देता है जब समझौते के तहत आयात में अचानक वृद्धि से घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हो या उसका ख़तरा हो। ● भारत नवंबर 2019 में क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) की वार्ताओं से हट गया था; न्यूज़ीलैंड RCEP का सदस्य है। ● सेवाएँ प्रदान करने के लिए पेशेवरों की अस्थायी आवाजाही को WTO के सेवा व्यापार पर सामान्य समझौते (GATS) के अंतर्गत मोड 4 में रखा गया है। ● भारत में रक्षोपाय जाँच सहित व्यापार उपचार संबंधी जाँचें वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन व्यापार उपचार महानिदेशालय करता है।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. **भारत ने वे शुल्क छोड़े जिनकी उसे ख़ास ज़रूरत नहीं थी, और वही क्षेत्र बचाया जो असल में मायने रखता था** — भारतीय माल पर न्यूज़ीलैंड के शुल्क पहले से ही कम थे, अधिकतम 10% तक, इसलिए पहले दिन से शून्य शुल्क की पहुँच उतनी बड़ी नहीं जितनी सुनाई देती है। न्यूज़ीलैंड को सबसे ज़्यादा डेयरी चाहिए थी, और भारत ने उससे साफ़ मना कर दिया। इसलिए असली लेन-देन यह है कि कीवी फल, सेब, लकड़ी और ऊन के लिए भारतीय बाज़ार खुला, और बदले में निवेश का वादा और वीज़ा मिले। एक बड़े आयातक देश के लिए यह समझदारी भरा सौदा है, पर इसका अर्थ यह भी है कि '100% निर्यात शुल्क-मुक्त' वाली सुर्ख़ी अपने दम पर भारत के निर्यात आँकड़ों को ज़्यादा नहीं बढ़ाएगी।

2. **20 अरब डॉलर सुगम बनाने का वादा है, ख़रीद का पक्का आदेश नहीं** — अख़बार सावधानी से लिखते हैं कि न्यूज़ीलैंड ने 15 वर्षों में 20 अरब डॉलर तक के निवेश को 'सुगम बनाने' की प्रतिबद्धता जताई है। कोई सरकार निजी और पेंशन-फ़ंड की पूँजी को आदेश नहीं दे सकती, इसलिए यह आँकड़ा इस पर टिका है कि भारतीय परियोजनाएँ कितना प्रतिफल देती हैं। शुल्क कटौती को निवेश लक्ष्यों से जोड़ने का साँचा EFTA समझौते ने बनाया था, और इस मॉडल की विश्वसनीयता घोषणाओं से नहीं, वास्तविक निवेश-प्रवाह से आँकी जाएगी। दूसरा पक्ष यह है कि नरम वादा भी अनुवर्ती कार्रवाई को संस्थागत बना देता है, क्योंकि लक्ष्य चूकने पर वह दोनों सरकारों के बीच समीक्षा का विषय बन जाता है।

3. **श्रम से जुड़ा प्रावधान ही भारतीय परिवारों को सीधे छूता है** — किसी भी समय 5,000 अस्थायी रोज़गार प्रवेश वीज़ा का कोटा, तीन वर्ष तक रुकने की अनुमति और पढ़ाई के बाद काम के रास्ते युवा भारतीयों के लिए अधिकांश टैरिफ़ लाइनों से ज़्यादा अहम हैं। अमीर देशों के साथ वार्ताओं में आवाजाही भारत की सबसे कठिन माँग रही है, क्योंकि वे वस्तुओं पर ही बात करना पसंद करते हैं। संधि में संख्या के साथ कोटा लिखवा लेना एक मिसाल है जिसका हवाला भारत बड़े साझेदारों से बात करते समय दे सकता है। इसकी सीमा पैमाना है: भारतीय माँग के सामने 5,000 बहुत कम है, इसलिए यह प्रावधान दरवाज़ा थोड़ा-सा खोलता है, श्रम बाज़ार नहीं खोलता।

4. **व्यापार के आधार-आँकड़े पर विवाद बताता है कि लक्ष्यों के लिए साफ़ आँकड़े क्यों ज़रूरी हैं** — द हिंदू 2024-25 में द्विपक्षीय व्यापार 1.3 अरब डॉलर बताता है और द इकोनॉमिक टाइम्स वित्त वर्ष 2025 में लगभग 2.4 अरब डॉलर; यह अंतर संभवत: केवल वस्तुओं बनाम वस्तुएँ और सेवाएँ दोनों का है, यद्यपि अख़बार यह स्पष्ट नहीं करते। व्यापार को दोगुना कर 'लगभग ₹35,000 करोड़' करने का लक्ष्य तभी सार्थक है जब आधार तय हो। जब किसी संधि की सफलता एक अस्पष्ट संख्या से मापी जाए, तो हर पक्ष जीत का दावा कर सकता है। बेहतर कसौटी वाणिज्य मंत्रालय की FTA उपयोग दर (FTA utilisation) की रिपोर्ट है — यानी कितने निर्यातक वास्तव में रियायत का दावा करते हैं — और ऐतिहासिक रूप से भारत में FTA का उपयोग कम रहा है।

5. **शुल्कों से भरी दुनिया में छोटे और तेज़ समझौते भारत का जवाब हैं** — मैक्ले ने इस समझौते को बढ़ते शुल्कों की पृष्ठभूमि में रखा, और उसी प्रेस वार्ता में बात अमेरिका के उस क़ानून पर आई जो रूसी तेल ख़रीदने वालों पर 100% तक शुल्क की अनुमति देता है। भारत अमेरिकी नीति को नियंत्रित नहीं कर सकता, पर चिली, कनाडा और अन्य देशों के साथ त्वरित समझौतों से अपने बाज़ारों में विविधता ला सकता है। भारतीय मानकों पर नौ महीने की वार्ता तेज़ मानी जाएगी। जोखिम बिखराव का है: अलग-अलग उद्गम नियमों वाले कई छोटे समझौते निर्यातकों की अनुपालन लागत बढ़ाते हैं, इसीलिए सीमा शुल्क का उद्गम ढाँचा और निर्यातकों में जागरूकता हस्ताक्षरों जितनी ही अहम है।

संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)

"भारत के हाल के मुक्त व्यापार समझौते संवेदनशील क्षेत्रों को सुरक्षित रखते हुए शुल्क रियायतों के बदले निवेश और आवाजाही संबंधी प्रतिबद्धताएँ हासिल करते हैं।" भारत–न्यूज़ीलैंड मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में इस कथन का परीक्षण कीजिए। बढ़ते संरक्षणवाद के माहौल में ऐसे समझौते भारत के व्यापार के विविधीकरण में कहाँ तक सहायक हो सकते हैं? (15 अंक, 250 शब्द)

मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)

1. **परिचय** — बताइए कि 27 अप्रैल को हस्ताक्षरित भारत–न्यूज़ीलैंड FTA 20 अक्टूबर, 2026 से लागू हो रहा है, जिसमें सभी भारतीय निर्यातों पर शून्य शुल्क, 15 वर्षों में 20 अरब डॉलर के निवेश को सुगम बनाने का वादा है और डेयरी को बाहर रखा गया है।

2. **मुख्य भाग — नया साँचा** — नए साँचे के तीन हिस्से समझाइए: टैरिफ़ दर कोटा, न्यूनतम आयात मूल्य और 14 वर्ष के रक्षोपाय के साथ शुल्क रियायतें; EFTA मॉडल पर निवेश प्रतिबद्धताएँ; और 5,000 अस्थायी रोज़गार प्रवेश वीज़ा के ज़रिए मोड 4 आवाजाही। इसकी तुलना 2019 में RCEP से बाहर निकलने से कीजिए।

3. **मुख्य भाग — सीमाएँ** — बताइए कि न्यूज़ीलैंड के शुल्क पहले से कम थे, निवेश के वादे दायित्व नहीं बल्कि सुगमता के हैं, आवाजाही का कोटा छोटा है, और भारत में FTA का उपयोग ऐतिहासिक रूप से कम रहा है। व्यापार के आधार-आँकड़े के विवाद को आँकड़ों की समस्या के रूप में उल्लेखित कीजिए।

4. **मुख्य भाग — विविधीकरण का मूल्य** — रूसी तेल ख़रीदने वालों पर शुल्क की अनुमति देने वाले अमेरिकी क़ानून और चिली व कनाडा के साथ लंबित समझौतों से जोड़िए। तर्क दीजिए कि कई छोटे समझौते जोखिम बाँटते हैं पर अनुपालन लागत बढ़ाते हैं, इसलिए उद्गम नियमों का मज़बूत प्रशासन और निर्यातकों तक पहुँच ज़रूरी है।

5. **निष्कर्ष** — निष्कर्ष दीजिए कि ऐसे FTA का मूल्य टैरिफ़ लाइनों में कम और निवेश व लोगों के लिए बनने वाले टिकाऊ नियमों में अधिक है, और सफलता को उपयोग दर तथा वास्तविक

	पूँजी-प्रवाह से मापा जाना चाहिए।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	**प्रश्न 1. आप वाणिज्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं। हिमाचल प्रदेश के सेब उत्पादकों को डर है कि FTA से उनके दाम गिरेंगे। आप क्या करेंगे?** ***दृष्टिकोण (Approach):*** मैं समझाऊँगा कि न्यूज़ीलैंड के सेब केवल टैरिफ़ दर कोटा के ज़रिए न्यूनतम आयात मूल्य और मौसमी अवधि की शर्तों के साथ आएँगे, इसलिए फ़सल के मौसम में आयात घरेलू दामों को नहीं गिरा पाएगा। मैं राज्य सरकार के साथ आयात की मात्रा और क़ीमतों की मासिक निगरानी का वचन दूँगा। यदि आयात में उछाल से क्षति होती है तो द्विपक्षीय रक्षोपाय तंत्र हमें कार्रवाई की छूट देता है, और उत्पादक संघों को पता होना चाहिए कि व्यापार उपचार महानिदेशालय के सामने याचिका कैसे दी जाती है। आँकड़ों के साथ पारदर्शिता ही सबसे अच्छा भरोसा है। **प्रश्न 2. किसी निर्यात क्लस्टर के ज़िलाधिकारी के रूप में आप छोटे निर्यातकों को FTA का वास्तविक लाभ उठाने में कैसे मदद करेंगे?** ***दृष्टिकोण (Approach):*** अधिकांश छोटे निर्यातक FTA का लाभ इसलिए नहीं लेते क्योंकि वे उद्गम नियम और प्रमाणपत्र नहीं समझते। मैं ज़िला निर्यात संवर्धन समिति, निर्यात संवर्धन परिषदों और प्रमाणन एजेंसियों के साथ शिविर लगाकर समझाऊँगा कि उद्गम प्रमाणपत्र कैसे लिया जाता है। मैं क्लस्टर के उन उत्पादों की पहचान करूँगा जिन पर पहले न्यूज़ीलैंड में शुल्क लगता था, और निर्यातकों को ख़रीदारों से जोड़ूँगा। सफलता का पैमाना जारी हुए प्रमाणपत्रों की संख्या है, हुई बैठकों की संख्या नहीं। **प्रश्न 3. साक्षात्कार बोर्ड पूछता है: क्या भारत को किसी व्यापार समझौते में कभी अपना डेयरी क्षेत्र खोलना चाहिए?** ***दृष्टिकोण (Approach):*** डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से करोड़ों छोटे और भूमिहीन परिवारों को सहारा देती है, जिनमें बहुत-सी महिलाएँ हैं, इसलिए इसे खोलना व्यापार का नहीं, आजीविका का प्रश्न है। अत्यंत कुशल और सब्सिडी-प्राप्त निर्यातकों के लिए इसे खोलने से उत्पादकता सुधरने से पहले ही किसान को मिलने वाले दाम गिर सकते हैं। साथ ही, स्थायी संरक्षण से ढिलाई पनप सकती है, और भारत स्वयं कुछ उत्पादों में डेयरी निर्यातक है। एक तर्कसंगत रुख़ यह है कि तरल दूध और बुनियादी उत्पाद संरक्षित रहें, और घरेलू उत्पादकता बढ़ने पर कोटा के तहत विशिष्ट उच्च-मूल्य उत्पादों पर बातचीत की जाए।

2.2 RBI की स्वैप खिड़की से 143.6 अरब डॉलर आए, 133 अरब डॉलर FCNR(B) जमा से; लेख ने लागत पर सवाल उठाया

समाचार (THE NEWS) मुंबई। द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा सोमवार, 21 सितंबर को जारी आँकड़े दिखाते हैं कि उसकी विशेष अमेरिकी डॉलर-रुपया स्वैप सुविधा के तहत 18 सितंबर तक बैंकों ने 143.596 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा अंतर्वाह दर्ज किया। इसमें विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) यानी FCNR(B) जमा — वे जमाएँ जो अनिवासी भारतीय (NRI) भारतीय बैंकों में रुपये के बजाय विदेशी मुद्रा में रखते हैं — 132.98 अरब डॉलर, विदेशी विदेशी-मुद्रा उधार (Overseas Foreign Currency Borrowings — OFCB) 5.32 अरब डॉलर और बाह्य वाणिज्यिक उधार (External Commercial Borrowings — ECB), यानी भारतीय संस्थाओं द्वारा विदेश से लिए गए ऋण, 5.296 अरब डॉलर रहे। 2 सितंबर के पिछले अद्यतन में FCNR(B) जमा लगभग 127 अरब डॉलर दिखाए गए थे। यह सुविधा 8 जून को शुरू हुई थी; बैंक तीन से पाँच वर्ष की नई FCNR(B) जमाएँ जुटाकर वे डॉलर रियायती दर पर RBI के साथ स्वैप कर सकते थे, जिससे उनकी हेजिंग लागत घटी। यहाँ स्वैप का अर्थ है कि बैंक आज RBI को डॉलर बेचता है और परिपक्वता पर उन्हें तय दर पर वापस ख़रीदने का समझौता करता है। rbi.org.in से प्राप्त RBI की 2 सितंबर की अपनी प्रेस विज्ञप्ति पुष्टि करती है कि FCNR(B) खिड़की 31 अगस्त को बंद हो गई, जबकि ECB और OFCB खिड़कियाँ 31 दिसंबर, 2026 तक खुली रहेंगी। द इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार बैंकों ने खिड़की के अंतिम 10 दिनों में उससे ज़्यादा जुटाया जितना पहले 74 दिनों में 65.4 अरब डॉलर जुटाया गया था, और कुल राशि 2013 की ऐसी ही योजना में जुटाए गए 26 अरब डॉलर से पाँच गुना से अधिक है। IDFC फ़र्स्ट बैंक की गौरा सेनगुप्ता का अनुमान है कि दिसंबर तक कुल अंतर्वाह 160 अरब डॉलर तक पहुँचेगा, जबकि एमके ग्लोबल की माधवी अरोड़ा ने कहा कि बढ़ती वैश्विक बॉन्ड प्रतिफल दरें ECB को कम आकर्षक बना रही हैं। द हिंदू के अनुसार S&P ने आगाह किया कि यह उछाल दोबारा आने की संभावना नहीं है। ET के एक लेख में इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान की राजेश्वरी सेनगुप्ता लिखती हैं कि विदेशी मुद्रा भंडार 5 जून को योजना शुरू होते समय 682 अरब डॉलर था, जो 4 सितंबर को 785 अरब डॉलर हो गया, और मई में जो रुपया ₹100 प्रति डॉलर की ओर बढ़ता दिख रहा था, वह ₹94-96 पर स्थिर हो गया। लेकिन स्वैप ने ₹10 लाख करोड़ से अधिक की रुपया तरलता प्रणाली में डाल दी; लगभग 7% पर ₹10 लाख करोड़ की 10-वर्षीय प्रतिभूतियाँ बेचकर इसे सोखने की लागत लगभग ₹70,000 करोड़ प्रति वर्ष होगी, और स्वैप उलटने पर विनिमय दर का जोखिम RBI उठाएगा। पाठ्यक्रम से जुड़ाव: GS3 में बाह्य क्षेत्र, मौद्रिक नीति और मुद्रा आपूर्ति।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

मई में रुपया ₹100 प्रति डॉलर की ओर फिसलता है → RBI 8 जून को रियायती स्वैप खिड़की खोलता है ताकि बैंक बिना हेजिंग लागत के डॉलर जुटा सकें → 31 अगस्त को खिड़की बंद होने से पहले NRI लगभग 133 अरब डॉलर FCNR(B) खातों में जमा करते हैं

→ भंडार 785 अरब डॉलर तक पहुँचता है और रुपया ₹94-96 पर सँभलता है, पर ₹10 लाख करोड़ से अधिक की रुपया तरलता प्रणाली में भर जाती है → अब RBI को इसके बंध्यीकरण की क़ीमत चुकानी है और स्वैप परिपक्व होने तक विनिमय जोखिम उठाना है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)	1. **FCNR(B), NRE और NRO खाते मुद्रा, प्रत्यावर्तन और विनिमय जोखिम में अलग हैं** — विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA), 1999 और RBI विनियमों के तहत NRI मुख्यत: तीन प्रकार की जमाएँ रख सकते हैं। FCNR(B) खाते एक से पाँच वर्ष की सावधि जमाएँ हैं जो मुक्त रूप से परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में रखी जाती हैं, और इनमें विनिमय दर का जोखिम जमाकर्ता पर नहीं, बैंक पर होता है। अनिवासी बाह्य (Non-Resident External — NRE) खाते रुपये में होते हैं, पूरी तरह प्रत्यावर्तनीय होते हैं, और विनिमय जोखिम जमाकर्ता उठाता है। अनिवासी साधारण (Non-Resident Ordinary — NRO) खातों में भारत में अर्जित आय रखी जाती है, ये रुपये में होते हैं, और इनसे प्रत्यावर्तन की एक सीमा तय है। 2. **RBI जो भी डॉलर ख़रीदता है, उससे रुपये बनते हैं जिन्हें या तो सोखना पड़ता है या सहना पड़ता है** — जब RBI विदेशी मुद्रा ख़रीदता है तो वह रुपये में भुगतान करता है, जिससे बैंकों के आरक्षित कोष और मुद्रा आपूर्ति बढ़ती है। यदि RBI नहीं चाहता कि यह अतिरिक्त तरलता ब्याज दरों को नीतिगत दर से नीचे धकेले और मुद्रास्फीति भड़काए, तो वह इस अंतर्वाह का बंध्यीकरण करता है — यानी सरकारी प्रतिभूतियों की खुले बाज़ार में बिक्री, 2022 में शुरू की गई स्थायी जमा सुविधा (Standing Deposit Facility), परिवर्ती दर रिवर्स रेपो नीलामी, या RBI अधिनियम, 1934 की धारा 42 के तहत नक़द आरक्षित अनुपात (CRR) बढ़ाकर रुपये वापस खींचता है। 2004 की बाज़ार स्थिरीकरण योजना (Market Stabilisation Scheme) ने सरकार को इसी उद्देश्य से विशेष प्रतिभूतियाँ जारी करने की अनुमति दी थी। हर साधन लागत किसी न किसी पर डालता है: RBI पर, सरकार पर या बैंकों पर। 3. **असंभव त्रिकोण बताता है कि केंद्रीय बैंक एक साथ क्या-क्या नहीं कर सकता** — असंभव त्रिकोण (impossible trinity) या त्रिदुविधा का सिद्धांत कहता है कि कोई देश एक साथ स्थिर विनिमय दर, पूँजी की मुक्त आवाजाही और स्वतंत्र मौद्रिक नीति नहीं रख सकता; वह केवल दो चुन सकता है। भारत आंशिक रूप से खुले पूँजी प्रवाह के साथ प्रबंधित तिरती विनिमय दर (managed float) अपनाता है, इसलिए मुद्रा बाज़ार में बड़े हस्तक्षेप का असर घरेलू तरलता और ब्याज दरों पर पड़ता ही है। स्वैप खिड़की पूँजी अंतर्वाह के ज़रिए रुपये को स्थिर करने की कोशिश है, और बंध्यीकरण मौद्रिक नीति की स्वतंत्रता बचाने की कोशिश। लेख वास्तव में यही पूछ रहा है कि इस मेल की क़ीमत क्या है। 4. **2013 की FCNR(B) खिड़की इसकी मिसाल है** — सितंबर 2013 में, अमेरिकी फ़ेडरल रिज़र्व के बॉन्ड ख़रीद धीमी करने के संकेत से उपजे 'टेपर टैंट्रम' (taper tantrum) के बाद रुपया तेज़ी से गिरा, और RBI ने नई FCNR(B) जमाओं और बैंकों के विदेशी उधार के लिए रियायती स्वैप खिड़की खोली। इस खिड़की ने रुपये को स्थिर करने और भंडार फिर से भरने में मदद की। 2016 में जब वे जमाएँ परिपक्व हुईं, तो RBI ने बहिर्वाह को सहजता से सँभाल लिया। 2026 की योजना कहीं बड़ी है, इसीलिए तीन से पाँच वर्ष आगे की इसकी परिपक्वता-रूपरेखा अब अहम हो गई है।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. **GS3 पूँजी प्रवाह और रुपये पर प्रश्न पूछता है** — पाठ्यक्रम में संसाधनों का संग्रहण, मौद्रिक नीति और बाह्य क्षेत्र शामिल हैं। मुख्य परीक्षा में रुपये के अवमूल्यन के कारणों, विदेशी मुद्रा भंडार की पर्याप्तता और NRI जमाओं की भूमिका पर प्रश्न आए हैं। यह योजना आँकड़ों सहित एक जीवंत उदाहरण देती है। 2. **प्रारंभिक परीक्षा को NRI खातों के प्रकार और RBI के तरलता साधनों का अंतर बहुत प्रिय है** — UPSC NRE और FCNR जमाओं की विशेषताओं, RBI द्वारा डॉलर ख़रीदने या बेचने के प्रभावों, बंध्यीकरण और स्थायी जमा सुविधा पर पूछ चुका है। FCNR(B) की यह ख़बर इन सबको एक ही तंत्र में पिरो देती है जिसे विद्यार्थी आसानी से याद रख सकता है। 3. **लेख का दृष्टिकोण वही है जिससे UPSC ट्रेड-ऑफ़ वाले प्रश्न गढ़ता है** — जो उत्तर 'योजना सफल रही' से आगे बढ़कर पूछता है 'किस क़ीमत पर, और यह क़ीमत किसने चुकाई', वह समालोचनात्मक मूल्यांकन के प्रति परीक्षक की पसंद को दर्शाता है। बंध्यीकरण की लागत और सरकार को मिलने वाला RBI का लाभांश राजकोषीय-मौद्रिक अंत:क्रिया पर GS3 के प्रश्नों के लिए उपयुक्त सामग्री है।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) यानी FCNR(B) जमाएँ एक से पाँच वर्ष के लिए मुक्त रूप से परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में रखी जाती हैं, और इन पर विनिमय दर का जोखिम बैंक उठाता है। ● अनिवासी बाह्य (NRE) खाते भारतीय रुपये में रखे जाते हैं और पूरी तरह प्रत्यावर्तनीय होते हैं, जबकि अनिवासी साधारण (NRO) खातों से प्रत्यावर्तन एक सीमा के अधीन है। ● बंध्यीकरण का अर्थ है केंद्रीय बैंक द्वारा अपनी विदेशी मुद्रा ख़रीद से पैदा हुई घरेलू

	तरलता को खुले बाज़ार में बिक्री, स्थायी जमा सुविधा या नक़द आरक्षित अनुपात जैसे साधनों से वापस खींचना। ● नक़द आरक्षित अनुपात RBI द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 के तहत निर्धारित किया जाता है, और CRR के रूप में रखी राशि पर बैंकों को कोई ब्याज नहीं मिलता। ● असंभव त्रिकोण के अनुसार कोई देश एक साथ स्थिर विनिमय दर, पूँजी की मुक्त गतिशीलता और स्वतंत्र मौद्रिक नीति नहीं बनाए रख सकता। ● 2004 में शुरू की गई बाज़ार स्थिरीकरण योजना सरकार को ऐसी प्रतिभूतियाँ जारी करने की अनुमति देती है जिनकी प्राप्तियाँ पूँजी अंतर्वाह से उपजी अतिरिक्त तरलता सोखने के लिए RBI के पास रखी जाती हैं। ● विदेशी मुद्रा के ख़रीद-बिक्री स्वैप में RBI किसी बैंक से अभी डॉलर ख़रीदता है और भविष्य की किसी तारीख़ को पहले से तय दर पर उन्हें वापस बेचने का समझौता करता है।
विश्लेषण (ANALYSIS)	**1. योजना को जुटाए गए डॉलरों से मापना परिणाम नहीं, केवल आगत को मापना है** — राजेश्वरी सेनगुप्ता का मूल तर्क यह है कि 133 अरब डॉलर लाभ के साथ-साथ लागत भी है, क्योंकि हर डॉलर एक देनदारी है जिसे ब्याज सहित चुकाना होगा। 682 अरब डॉलर का भंडार भुगतान संतुलन के घाटे की भरपाई के लिए पहले ही पर्याप्त से अधिक था, इसलिए अतिरिक्त 100 अरब डॉलर का सीमांत मूल्य मामूली है। दावा किया गया लाभ स्थिर रुपया है, पर ऐसी अर्थव्यवस्था के लिए, जिसके निर्यातक सस्ती चीनी प्रतिस्पर्धा झेल रहे हैं, ₹100 के बजाय ₹95 का रुपया ज़रूरी नहीं कि बेहतर हो। दूसरा पक्ष यह है कि विनिमय दर को लेकर घबराहट स्वयं अस्थिरता फैला सकती है, और मई में विश्वसनीय बचाव ने शायद ऐसी स्व-पूर्ण भगदड़ रोक दी जिसकी लागत किसी भी बंध्यीकरण बिल से बड़ी होती। **2. ₹70,000 करोड़ का बंध्यीकरण बिल किसी न किसी को चुकाना ही होगा** — यदि RBI प्रतिभूतियाँ बेचता है तो उसकी आय घटती है और सरकार को मिलने वाला लाभांश भी, जिससे बजट कमज़ोर होता है। यदि सरकार विशेष प्रतिभूतियाँ जारी करती है तो लागत सीधे राजकोषीय घाटे में जुड़ती है। यदि RBI नक़द आरक्षित अनुपात बढ़ाता है तो वे बैंक भी दंडित होते हैं जिन्हें एक डॉलर नहीं मिला, और NRI को 6-7% ब्याज दे रहे बैंकों को वहाँ रखी राशि पर कुछ नहीं मिलता। कोई भी विकल्प बिना लागत का नहीं है, और इनमें से चुनाव असल में यह चुनाव है कि रुपये की स्थिरता की क़ीमत कौन चुकाए। ईमानदार समायोजन यह है कि विदेश में निवेशित अतिरिक्त भंडार पर RBI ब्याज कमाता है, जो लेख के अनुसार शुद्ध लागत को घटाता तो है, पर ख़त्म नहीं करता। **3. RBI ने आज की मुद्रा समस्या को कल की समस्या में बदल दिया है** — तीन से पाँच वर्ष में जमाएँ परिपक्व होने पर स्वैप तय दर पर उलटने होंगे। यदि तब तक रुपया गिरकर ₹105 हो जाता है, तो लेख के हिसाब से विशाल आधार पर प्रति डॉलर ₹10 का घाटा होगा। इन जमाओं में एक साथ परिपक्व होने (bunching) का जोखिम भी है: यदि NRI नवीनीकरण न करें तो लगभग एक ही समय परिपक्व होने वाली बड़ी राशि रुपये पर दबाव का नया दौर खड़ा कर सकती है। 2013 का अनुभव इसलिए सँभल गया क्योंकि राशि आज की तुलना में बहुत छोटी थी; RBI को निकास की योजना वर्षों पहले से बनानी होगी, संभवतः वायदा ख़रीद (forward purchases) के ज़रिए। **4. समय तो ख़रीदा गया, पर उसका उपयोग भुगतान संतुलन सुधारने में नहीं हुआ** — महँगी पूँजी का सबसे मज़बूत औचित्य यह है कि वह संरचनात्मक सुधार के लिए समय ख़रीदती है — अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, गहरे इक्विटी अंतर्वाह, निर्यात प्रतिस्पर्धा। लेख बताता है कि ऐसा कोई क़दम घोषित नहीं हुआ है, और पश्चिम एशिया में युद्ध तेज़ होने के साथ रुपया फिर गिरने लगा है। उधार के डॉलर, निर्यात या दीर्घकालिक निवेश से कमाए गए डॉलरों का विकल्प नहीं हो सकते। उत्पादन का पूँजी कारक तभी मज़बूत होता है जब अंतर्वाह उत्पादक निवेश में लगें, न कि भंडार में पड़े रहें। **5. अंतिम दिनों का उछाल दिखाता है कि NRI पूँजी क़ीमत के प्रति कितनी संवेदनशील है** — बैंकों ने अंतिम 10 दिनों में पहले 74 दिनों के 65.4 अरब डॉलर से अधिक जुटाया, जिससे लगता है कि जमाकर्ता और बैंक भारत के प्रति दीर्घकालिक प्रतिबद्धता नहीं जता रहे थे, बल्कि रियायत ख़त्म होने से पहले उसका अंतरपणन (arbitrage) कर रहे थे। S&P की चेतावनी कि यह उछाल दोहराया नहीं जाएगा, और अब ऊँचे वैश्विक प्रतिफल के चलते ECB को हतोत्साहित करने की चर्चा — दोनों एक ही ओर इशारा करते हैं। इस तरह के प्रोत्साहनों पर टिकी नीति को यह मानकर चलना चाहिए कि पैसा चलायमान है और प्रोत्साहन ख़त्म होते ही चला जाएगा।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	"उधार के अंतर्वाह से बना विदेशी मुद्रा भंडार ऐसा सुरक्षा-कवच है जिसके साथ बिल भी जुड़ा है।" बंध्यीकरण की लागत और विनिमय दर जोखिम के आलोक में RBI की 2026 की FCNR(B) स्वैप खिड़की का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इसकी परिपक्वता के प्रबंधन की रणनीति क्या होनी

	चाहिए ? (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	**1. परिचय** — तथ्य दीजिए : 8 जून को स्वैप सुविधा शुरू, 31 अगस्त को FCNR(B) खिड़की बंद, 18 सितंबर तक कुल 143.6 अरब डॉलर का अंतर्वाह दर्ज, जिसमें FCNR(B) जमा लगभग 133 अरब डॉलर, और भंडार 682 अरब डॉलर से बढ़कर 785 अरब डॉलर। **2. मुख्य भाग — लाभ** — ₹100 के क़रीब पहुँचने के बाद रुपये का ₹94-96 पर स्थिर होना, ऊँचे ऋण-जमा अनुपात वाले बैंकों के लिए स्थिर मध्यम-अवधि की निधि, और पश्चिम एशिया युद्ध के दौरान मज़बूत भंडार का मनोवैज्ञानिक मूल्य समझाइए। **3. मुख्य भाग — लागत** — ₹10 लाख करोड़ से अधिक का बंध्यीकरण, ₹70,000 करोड़ की सांकेतिक वार्षिक लागत, इसे बाँटने के तीन तरीक़े (RBI, सरकार, और CRR के ज़रिए बैंक), और परिपक्वता पर विनिमय दर जोखिम समझाइए। लागत क्यों पैदा होती है, यह असंभव त्रिकोण से स्पष्ट कीजिए। **4. मुख्य भाग — परिपक्वता का प्रबंधन** — चरणबद्ध वायदा ख़रीद, जमाओं के नवीनीकरण को प्रोत्साहन, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और निर्यात संवर्धन से मज़बूत भुगतान संतुलन, और RBI की स्वैप बही का पारदर्शी प्रकटीकरण सुझाइए ताकि बाज़ार अचंभित न हों। **5. निष्कर्ष** — निष्कर्ष दीजिए कि योजना एक प्रभावी आपात साधन थी, पर इसकी असली परीक्षा यह होगी कि जमाएँ देय होने से पहले ख़रीदे गए समय का उपयोग बाह्य क्षेत्र को मज़बूत करने में होता है या नहीं।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	**प्रश्न 1. आप आर्थिक कार्य विभाग में हैं। RBI संकेत देता है कि बंध्यीकरण लागत के कारण उसका लाभांश घटेगा। आप योजना कैसे बनाएँगे ?** ***दृष्टिकोण (Approach):*** मैं पहले RBI से बंध्यीकरण लागत और अतिरिक्त भंडार पर होने वाली आय के अनुमानों का दायरा माँगूँगा, ताकि शुद्ध आँकड़ा स्पष्ट हो। पिछले वर्ष का आँकड़ा मानकर बाद में कमी झेलने के बजाय मैं संशोधित अनुमानों में कम लाभांश पहले से शामिल करूँगा। यदि सरकार से विशेष प्रतिभूतियों के ज़रिए लागत साझा करने को कहा जाए, तो मैं इसे राजकोषीय घाटे के लक्ष्य के सामने तौलूँगा और बजट दस्तावेज़ों में यह विकल्प स्पष्ट करूँगा। मूल बात यह है कि लागत को दो बैलेंस शीटों में छिपाने के बजाय खुलकर स्वीकार किया जाए। **प्रश्न 2. किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के ट्रेज़री प्रमुख के रूप में, क्या आप अब ऊँचे वैश्विक प्रतिफल के बावजूद स्वैप खिड़की के तहत ECB जुटाते रहेंगे ?** ***दृष्टिकोण (Approach):*** मैं रियायत सहित ECB की कुल लागत की तुलना घरेलू निधि विकल्पों से और बैंक की विदेशी मुद्रा की वास्तविक ज़रूरत से करूँगा। यदि ऋण केवल लक्ष्य पूरा करने के लिए लिया जा रहा है, इसलिए नहीं कि बैंक को धन चाहिए, तो वह बिना किसी उपयोग के एक देनदारी जोड़ता है। मैं इस जोखिम पर भी विचार करूँगा कि RBI ऐसे उधार को अनौपचारिक रूप से हतोत्साहित कर सकता है। बैंक की बैलेंस शीट का मार्गदर्शन लक्ष्य के पीछे भागना नहीं, विवेक होना चाहिए। **प्रश्न 3. साक्षात्कार बोर्ड पूछता है : क्या मज़बूत रुपया भारत के लिए अच्छा है ?** ***दृष्टिकोण (Approach):*** स्थिर रुपया अच्छा है क्योंकि वह आयातकों, उधारकर्ताओं और निवेशकों के लिए अनिश्चितता घटाता है। मज़बूत रुपया अलग बात है : वह आयात सस्ता करता है और मुद्रास्फीति नियंत्रण में मदद करता है, पर निर्यातकों और आयात से प्रतिस्पर्धा करने वाले घरेलू उत्पादकों को नुक़सान पहुँचाता है। सही लक्ष्य ऐसी विनिमय दर है जो बुनियादी आर्थिक स्थितियों को दर्शाए और बिना घबराहट के घटे-बढ़े। किसी ख़ास स्तर का भारी क़ीमत पर बचाव बोझ बन सकता है, जैसा FCNR(B) योजना पर बहस दिखाती है।

2.3 MoSPI की स्रोत एवं पद्धति रिपोर्ट: नई GDP शृंखला में विनिर्माण की 30 में से 28 श्रेणियों में दोहरा अपस्फीतीकरण

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने सोमवार, 21 सितंबर को 'राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के संकलन के स्रोत एवं पद्धतियाँ' (Sources and Methods for Compilation of National Accounts Statistics) जारी की ; यह फ़रवरी में शुरू हुई उस नई GDP शृंखला की विस्तृत नियमावली है जिसमें 2011-12 की जगह 2022-23 को आधार वर्ष बनाया गया है। द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार नई शृंखला विनिर्माण क्षेत्र की 30 में से 28 श्रेणियों में 'दोहरा अपस्फीतीकरण' (double deflation) अपनाती है, और शेष दो श्रेणियों — मांस, मछली, फल, सब्ज़ियों, तेल व वसा का प्रसंस्करण और परिरक्षण ; तथा औषधियाँ, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पाद — तक इसे ले जाने का काम जारी है, जहाँ आयातित आगतों का ऊँचा हिस्सा आगतों को वस्तु-स्तरीय उत्पादक मूल्य सूचकांकों (Producer Price Indices) से जोड़ना "चुनौतीपूर्ण" बनाता है। सकल मूल्य वर्धन (Gross Value Added — GVA) उत्पादन के मूल्य में से आगतों का मूल्य घटाकर मिलता है। क़ीमतों के बदलाव का असर हटाकर वास्तविक GVA निकालने के लिए दोहरा अपस्फीतीकरण उत्पादन और आगत को उनके अपने-अपने मूल्य सूचकांकों से अलग-अलग समायोजित करता है ; एकल

अपस्फीतीकरण दोनों को एक ही सूचकांक से विभाजित करता है। पहले MoSPI दोहरा अपस्फीतीकरण केवल कृषि और खनन एवं उत्खनन के लिए अपनाता था, बाक़ी जगह थोक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों पर निर्भर रहता था — यह भारतीय आँकड़ों की सबसे बड़ी आलोचनाओं में से एक थी, क्योंकि आगत और उत्पादन की क़ीमतें अक्सर अलग-अलग दर से बदलती हैं। यह दस्तावेज़ शृंखला आने के सात महीने बाद आया है, जो अब तक का सबसे कम अंतराल है; पहले ऐसी नियमावलियों में तीन वर्ष तक लगते थे। इसमें कोई नया आँकड़ा नहीं है; यह राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी सलाहकार समिति की उप-समितियों की फ़रवरी में प्रकाशित तीन रिपोर्टों को एक जगह लाता है। द इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार शृंखला कंपनियों की फ़ाइलिंग, सीमित देयता भागीदारी (LLP) के अभिलेखों, GST आँकड़ों और श्रम सर्वेक्षणों का अधिक उपयोग करती है, और परिवार तथा अनिगमित क्षेत्र का आकलन सीधे अनिगमित क्षेत्र उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण (Annual Survey of Unincorporated Sector Enterprises — ASUSE) और आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (Periodic Labour Force Survey — PLFS) से करती है। द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार अनौपचारिक क्षेत्र के प्रतिनिधि माने जाने वाले 'परिवार' क्षेत्र का नाममात्र GVA 2022-23 के लिए ₹2.9 लाख करोड़, यानी 2.7%, घटाया गया है; इसमें सबसे बड़ा योगदान निर्माण क्षेत्र का है, जहाँ परिवारों का हिस्सा 79% से घटकर 59% रह गया; व्यापार और मरम्मत, होटल और रेस्तराँ, तथा सड़क परिवहन अब अधिक अनौपचारिक दिखते हैं। पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग का तर्क है कि अप्रैल-जून 2025 का नाममात्र GDP ₹86 लाख करोड़ से घटाकर ₹80 लाख करोड़ इसलिए किया गया ताकि अप्रैल-जून 2026 की 7.8% वृद्धि "बेहतर दिखे"; MoSPI का कहना है कि संशोधन राष्ट्रीय लेखा प्रणाली 2008 (System of National Accounts 2008) और IMF की त्रैमासिक राष्ट्रीय लेखा नियमावली के अनुसार होते हैं। पाठ्यक्रम से जुड़ाव: GS3 में संवृद्धि और उसका मापन।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

2011-12 शृंखला की एकल अपस्फीतीकरण और अनौपचारिक क्षेत्र के कमज़ोर आँकड़ों के लिए आलोचना होती है → MoSPI राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी सलाहकार समिति के तहत उप-समितियाँ बनाता है → फ़रवरी में 2022-23 आधार वर्ष वाली नई शृंखला आती है, जो पिछले नाममात्र GDP को घटा देती है → आलोचक कहते हैं कि संशोधन अप्रैल-जून 2026 की 7.8% वृद्धि को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाता है → MoSPI सात महीने में पूरी स्रोत एवं पद्धति नियमावली प्रकाशित करता है, जिसमें विनिर्माण की 30 में से 28 श्रेणियों में दोहरा अपस्फीतीकरण और छोटा परिवार क्षेत्र दिखता है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. **GVA और GDP उत्पादों पर करों और सब्सिडी से जुड़े हैं** — आधारभूत क़ीमतों पर सकल मूल्य वर्धन उत्पादकों द्वारा सृजित मूल्य मापता है: उत्पादन में से मध्यवर्ती उपभोग घटाकर। बाज़ार क़ीमतों पर GDP = आधारभूत क़ीमतों पर GVA + उत्पादों पर कर – उत्पादों पर सब्सिडी। नाममात्र आँकड़े चालू क़ीमतों पर होते हैं; वास्तविक आँकड़े आधार वर्ष की स्थिर क़ीमतों पर होते हैं, जो मूल्य सूचकांकों से अपस्फीतीकरण करके निकाले जाते हैं। 2015 में 2011-12 शृंखला आने के बाद से भारत क्षेत्रवार वृद्धि के लिए GVA और मुख्य आँकड़े के लिए GDP का उपयोग करता है।

2. **बदलती अर्थव्यवस्था को पकड़ने के लिए आधार वर्ष बदला जाता है** — आधार वर्ष वह संदर्भ वर्ष है जिसकी क़ीमतों और संरचना से स्थिर क़ीमतों पर अनुमान निकाले जाते हैं। भारत के राष्ट्रीय लेखे कई आधारों से गुज़रे हैं, जिनमें 2004-05 और 2011-12 शामिल हैं, और अब 2022-23, क्योंकि पुराने भार नए उद्योगों और उपभोग के नए ढर्रों को ग़लत दर्शाते हैं। आधार संशोधन के साथ नए आँकड़ा स्रोत भी जुड़ते हैं, इसीलिए GDP के पिछले स्तर बदल जाते हैं। राष्ट्रीय लेखे MoSPI के अधीन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (National Statistical Office — NSO) तैयार करता है, जो 2019 में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय के विलय से बना।

3. **जब क़ीमतें अलग-अलग दिशा में चलें, तो एकल और दोहरा अपस्फीतीकरण अलग उत्तर देते हैं** — एकल अपस्फीतीकरण में नाममात्र GVA को एक ही मूल्य सूचकांक से, प्रायः उत्पादन मूल्य सूचकांक से, विभाजित किया जाता है। दोहरे अपस्फीतीकरण में उत्पादन को उत्पादन क़ीमतों से और आगतों को आगत क़ीमतों से अपस्फीत किया जाता है, और दोनों का अंतर वास्तविक GVA होता है। जब आगत क़ीमतें, जैसे तेल की, उत्पादन क़ीमतों से तेज़ी से गिरती हैं, तो एकल अपस्फीतीकरण वास्तविक वृद्धि को बढ़ा-चढ़ाकर दिखा सकता है, और इसका उलटा भी हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र की राष्ट्रीय लेखा प्रणाली 2008 दोहरे अपस्फीतीकरण को पसंदीदा पद्धति मानती है।

4. **अनौपचारिक क्षेत्र फ़ाइलिंग से नहीं, सर्वेक्षणों से मापा जाता है** — राष्ट्रीय लेखों में परिवार क्षेत्र में छोटी दुकानें, कार्यशालाएँ और स्वरोज़गार कर्मी जैसे अनिगमित उद्यम शामिल हैं, और यही अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधि माना जाता है। चूँकि ये इकाइयाँ कंपनी खाते दाख़िल नहीं करतीं, इसलिए इनके उत्पादन का अनुमान अनिगमित क्षेत्र उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण और आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण जैसे सर्वेक्षणों से लगाया जाता है; दोनों राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है। भारतीय लेखों में संस्थागत क्षेत्र हैं: सार्वजनिक क्षेत्र, निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र और परिवार क्षेत्र।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

1. **GS3 में संवृद्धि और उसके मापन का स्पष्ट उल्लेख है** — मुख्य परीक्षा में 2015 के संशोधन के बाद भारत के GDP आँकड़ों पर विवाद और आधिकारिक सांख्यिकी की विश्वसनीयता पर प्रश्न आए हैं। 2022-23 शृंखला, उसकी पद्धतियों और उसके आलोचकों पर प्रश्न की प्रबल संभावना है, और यह दस्तावेज़ उत्तर का तथ्यात्मक आधार देता है।

	2. प्रारंभिक परीक्षा राष्ट्रीय लेखों की परिभाषाएँ पूछती है — UPSC नियमित रूप से GDP और GVA, साधन लागत और बाज़ार क़ीमत, नाममात्र और वास्तविक का अंतर, तथा आँकड़े तैयार करने वाली संस्थाओं पर प्रश्न पूछता है। दोहरा अपस्फीतीकरण और आधार वर्ष कथन-आधारित प्रश्नों के स्वाभाविक विषय हैं। **3. आँकड़ों की विश्वसनीयता नैतिकता और शासन का विषय भी है** — सांख्यिकी तंत्र की स्वतंत्रता और पारदर्शिता का मुद्दा सर्वेक्षणों के देर से जारी होने और 2019 में NSO के गठन के संदर्भ में उठ चुका है। पद्धतियों को शीघ्र प्रकाशित करना शासन में एक सुधार है जिसका उल्लेख उत्तर में किया जा सकता है।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● बाज़ार क़ीमतों पर GDP, आधारभूत क़ीमतों पर सकल मूल्य वर्धन में उत्पादों पर कर जोड़ने और उत्पादों पर सब्सिडी घटाने के बराबर होता है। ● दोहरे अपस्फीतीकरण में वास्तविक सकल मूल्य वर्धन निकालने के लिए किसी क्षेत्र के उत्पादन और मध्यवर्ती आगतों को उनके अपने-अपने मूल्य सूचकांकों से अलग-अलग अपस्फीत किया जाता है। ● भारत की नई राष्ट्रीय लेखा शृंखला 2011-12 के पुराने आधार वर्ष की जगह 2022-23 को आधार वर्ष मानती है। ● राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का गठन 2019 में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय के विलय से हुआ। ● अनिगमित क्षेत्र उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण और आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किए जाते हैं। ● राष्ट्रीय लेखा प्रणाली 2008 संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग द्वारा अपनाया गया राष्ट्रीय लेखों का अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकीय मानक है। ● भारत के राष्ट्रीय लेखों में अनिगमित उद्यमों सहित परिवार क्षेत्र को अनौपचारिक क्षेत्र के प्रतिनिधि (proxy) के रूप में उपयोग किया जाता है।
विश्लेषण (ANALYSIS)	**1. दोहरा अपस्फीतीकरण पुरानी शृंखला की सबसे गंभीर तकनीकी आलोचना का जवाब है** — 2011-12 शृंखला पर आरोप था कि विनिर्माण की वृद्धि आंशिक रूप से इसलिए मज़बूत दिखी क्योंकि आगत क़ीमतें, विशेषकर जिंसों की, गिरीं जबकि उत्पादन को उसी सूचकांक से अपस्फीत किया गया। विनिर्माण की 30 में से 28 श्रेणियों को दोहरे अपस्फीतीकरण पर लाने से यह पूर्वाग्रह जड़ से हटता है। दो अपवाद, खाद्य प्रसंस्करण और औषधियाँ, आयात पर बहुत निर्भर हैं, और आयात के लिए अलग मूल्य सूचकांक चाहिए, जो भारत के पास अभी वस्तु-स्तर पर नहीं हैं। यह वास्तविक सुधार है, पर इससे नई शृंखला पुरानी से कम तुलनीय भी हो जाती है, इसलिए दोनों शृंखलाओं के बीच वृद्धि की किसी भी तुलना में सावधानी चाहिए। **2. छोटा अनौपचारिक क्षेत्र एक निष्कर्ष है, अपने-आप में दोष नहीं** — 2022-23 के लिए परिवार क्षेत्र का GVA ₹2.9 लाख करोड़ घटाना ऐसा लगता है मानो अनौपचारिक अर्थव्यवस्था को छोटा कर दिया गया हो। पर यह बदलाव मुख्यतः निर्माण क्षेत्र से आया है, जहाँ प्रत्यक्ष सर्वेक्षण और कॉर्पोरेट आँकड़े दिखाते हैं कि पहले के अनुमान से अधिक गतिविधि औपचारिक है। साथ ही व्यापार, होटल और सड़क परिवहन पहले के अनुमानों से अधिक अनौपचारिक पाए गए हैं। बदलाव की दिशा से ज़्यादा यह मायने रखता है कि वह प्रत्यक्ष मापन पर टिका है या नहीं; ASUSE और PLFS कॉर्पोरेट संकेतकों से बहिर्वेशन (extrapolation) की पुरानी पद्धति से बेहतर आधार हैं। **3. गर्ग की आलोचना पद्धति पर नहीं, संशोधन पर है** — सुभाष गर्ग का तर्क गणितीय है: यदि पिछले वर्ष का त्रैमासिक GDP ₹86 लाख करोड़ से घटाकर ₹80 लाख करोड़ किया जाए, तो इस वर्ष का स्तर न बदलने पर भी वृद्धि दर बढ़ जाती है। MoSPI का यह उत्तर कि संशोधन व्यवस्थित हैं और SNA 2008 तथा IMF नियमावली के अनुसार होते हैं, सिद्धांततः सही है, पर समय के सवाल का जवाब नहीं देता। ऐसे संदेह दूर करने का रास्ता पूरी पिछली शृंखला (back-series) और पुराने व नए अनुमानों के बीच मिलान प्रकाशित करना है। सात महीने में नियमावली प्रकाशित करना उस दिशा में एक क़दम है, पर आँकड़ों के उपयोगकर्ता इस बात से आँकेंगे कि पिछली शृंखला आती है या नहीं। **4. प्रकटीकरण की गति स्वयं विश्वसनीयता की पूँजी है** — पहले नियमावलियों में तीन वर्ष तक लगते थे, और उस बीच संदेह पनपते रहते थे। सात महीने में पद्धतियाँ जारी करना, और यह बताना कि इसमें कोई नया आँकड़ा नहीं है, स्वतंत्र अर्थशास्त्रियों को अनुमान दोहराकर जाँचने का अवसर देता है। सांख्यिकीय विश्वसनीयता एक सार्वजनिक वस्तु है: निवेशक, वित्त आयोग और RBI सभी इस पर निर्भर हैं। दूसरा पक्ष यह है कि इकाई-स्तरीय आँकड़ों के बिना पद्धतियाँ

	भी संदेह की गुंजाइश छोड़ती हैं, क्योंकि बाहरी लोग गणनाएँ जाँच नहीं सकते। 5. **श्रम और उद्यम का बेहतर मापन ही असली लाभ है** — श्रम आगत के लिए PLFS और छोटे उद्यमों के लिए ASUSE के उपयोग का अर्थ है कि राष्ट्रीय लेखे अब स्वरोज़गार कर्मी और छोटी दुकान को अधिक सीधे देखते हैं। इससे उत्पादन के श्रम और उद्यमिता कारकों से जुड़ी नीति को मदद मिलती है, क्योंकि सूक्ष्म उद्यमों की योजनाओं को उनके उत्पादन की सटीक गिनती चाहिए। यह होटल और परिवहन में अनौपचारिकता का आकार भी उजागर करता है — ऐसे क्षेत्र जहाँ नीति मानकर चल रही थी कि औपचारिकीकरण वास्तविकता से तेज़ी से हो रहा है।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	"बेहतर पद्धतियाँ अधिक सटीक आँकड़े तो दे सकती हैं, फिर भी भरोसा कम हो सकता है।" 2022-23 आधार वर्ष वाली भारत की नई GDP शृंखला और दोहरे अपस्फीतीकरण के उपयोग के संदर्भ में चर्चा कीजिए। आधिकारिक सांख्यिकी की विश्वसनीयता मज़बूत करने के लिए कौन-से क़दम उठाए जा सकते हैं? (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. **परिचय** — बताइए कि 2022-23 आधार वर्ष वाली नई GDP शृंखला फ़रवरी में आई और 21 सितंबर को जारी MoSPI का स्रोत एवं पद्धति दस्तावेज़ विनिर्माण की 30 में से 28 श्रेणियों में दोहरा अपस्फीतीकरण दिखाता है। 2. **मुख्य भाग — पद्धतिगत लाभ** — एक सरल उदाहरण से एकल और दोहरे अपस्फीतीकरण का अंतर, परिवार क्षेत्र के लिए ASUSE और PLFS का उपयोग, तथा SNA 2008 के अनुरूप कंपनी फ़ाइलिंग और GST आँकड़ों का अधिक उपयोग समझाइए। 3. **मुख्य भाग — भरोसे पर विवाद क्यों** — पिछले नाममात्र GDP के नीचे की ओर संशोधन, अप्रैल-जून 2025 के लिए सुभाष गर्ग द्वारा उद्धृत ₹86 लाख करोड़ से ₹80 लाख करोड़ का उदाहरण, 7.8% वृद्धि के आँकड़े पर उसका असर, और परिवार क्षेत्र के GVA में ₹2.9 लाख करोड़ की कमी समझाइए। 4. **मुख्य भाग — विश्वसनीयता को मज़बूत करना** — पिछली शृंखला और मिलान तालिकाओं का प्रकाशन, शोधकर्ताओं के लिए इकाई-स्तरीय आँकड़ों तक पहुँच, एक वैधानिक और स्वतंत्र सांख्यिकी आयोग, पूर्वानुमेय प्रकाशन कैलेंडर और स्पष्ट संशोधन टिप्पणियाँ सुझाइए। 5. **निष्कर्ष** — निष्कर्ष दीजिए कि आँकड़ों पर भरोसा तब बनता है जब उनकी पद्धतियाँ खुली और संशोधन पूर्वानुमेय हों, और नियमावली के शीघ्र प्रकाशन के बाद पूरी पिछली शृंखला के आँकड़े आने चाहिए।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	**प्रश्न 1. आप MoSPI के अधिकारी हैं। एक पूर्व वरिष्ठ नौकरशाह सार्वजनिक रूप से आरोप लगाते हैं कि वृद्धि को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाने के लिए संशोधन किए गए। आप कैसे जवाब देंगे?** ***दृष्टिकोण (Approach):*** मैं खंडन के बजाय आँकड़ों से जवाब दूँगा। संबंधित तिमाही के लिए पुराने और नए अनुमानों का मिलान प्रकाशित करूँगा, बताऊँगा कि किन आँकड़ा स्रोतों से संशोधन हुआ, और वह संशोधन नीति दिखाऊँगा जो सभी तिमाहियों पर लागू होती है। मैं स्वतंत्र अर्थशास्त्रियों को पद्धति दस्तावेज़ जाँचने के लिए आमंत्रित करूँगा। सांख्यिकी एजेंसी अपने निष्कर्षों का बचाव करके नहीं, अपना काम दिखाकर भरोसा कमाती है। **प्रश्न 2. किसी राज्य के अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशक के रूप में, नई पद्धतियाँ आपके GSDP अनुमानों को कैसे प्रभावित करेंगी?** ***दृष्टिकोण (Approach):*** तुलनीय बने रहने के लिए राज्य के अनुमानों को राष्ट्रीय पद्धतियों का पालन करना होगा, इसलिए मैं अपने अपस्फीतीकरण और परिवार क्षेत्र के अनुमानों को नई नियमावली के अनुरूप करूँगा। विश्वसनीय अनुमानों के लिए राज्य-स्तर पर ASUSE और PLFS के प्रतिदर्श पर्याप्त बड़े होने चाहिए, जिसके लिए अतिरिक्त राज्य प्रतिदर्श लेने पड़ सकते हैं। मैं राज्य सरकार को समझाऊँगा कि वृद्धि के आँकड़े प्रदर्शन के कारण नहीं, पद्धति के कारण बदल सकते हैं, ताकि आँकड़ों का राजनीतिक दुरुपयोग न हो। **प्रश्न 3. साक्षात्कार बोर्ड पूछता है: क्या सांख्यिकी तंत्र को क़ानून द्वारा स्वतंत्र बनाया जाना चाहिए?** ***दृष्टिकोण (Approach):*** इसके पक्ष में मज़बूत तर्क है, क्योंकि आँकड़ों से उसी सरकार का मूल्यांकन होता है जो उन्हें तैयार करती है। निश्चित कार्यकाल, प्रकाशित प्रकाशन कैलेंडर और पूर्व अनुमति के बिना प्रकाशन की शक्ति वाला वैधानिक आयोग विश्वसनीयता की रक्षा करेगा। प्रतिवाद यह है कि सांख्यिकी तंत्र को सरकारी संसाधनों और मंत्रालयों के सहयोग की ज़रूरत होती है। संतुलन यह है कि पद्धति और प्रकाशन में स्वतंत्रता हो, और जवाबदेही कार्यपालिका के बजाय संसद के प्रति हो।

2.4 नथिंग अपने CMF ब्रांड को भारतीय बहुमत वाली कंपनी के रूप में अलग करेगी, ₹62,500 करोड़ की मोबाइल योजना भारतीय ब्रांडों को पुरस्कृत करती है

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। द इंडियन एक्सप्रेस और द इकोनॉमिक टाइम्स ने सोमवार, 21 सितंबर को बताया कि लंदन स्थित स्मार्टफ़ोन निर्माता नथिंग (Nothing) के सह-संस्थापक और CEO कार्ल पेई (Carl Pei) ने एक खुले पत्र और X पर एक पोस्ट में कहा है कि कंपनी अपने CMF उप-ब्रांड को एक स्वतंत्र कंपनी के रूप में अलग करेगी, जो भारत में निगमित होगी, जिसका मुख्यालय भारत में होगा, जिसमें बहुमत हिस्सेदारी भारतीय शेयरधारकों की होगी, और जिसकी अपनी टीम तथा अनुसंधान एवं विकास (Research and Development — R&D) देश में ही होगा। स्पिन-ऑफ़ (spin-off) का अर्थ है किसी कंपनी का अपनी एक इकाई को अलग करके स्वतंत्र कंपनी बना देना। नथिंग इसमें हिस्सेदारी रखेगी और शेयरधारक व साझेदार बनी रहेगी, तथा इंजीनियरिंग विशेषज्ञता, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, आपूर्तिकर्ताओं से संबंध और वैश्विक ब्रांड ढाँचा उपलब्ध कराएगी। ET के अनुसार पेई ने कहा, "CMF अब लंदन स्थित कंपनी के भीतर एक उत्पाद शृंखला नहीं रहेगा, बल्कि एक स्वतंत्र इकाई बनेगा, जो भारत में निगमित, भारत से नियंत्रित और भारतीय शेयरधारकों के बहुमत स्वामित्व वाली होगी।" CMF नथिंग के सस्ते उप-ब्रांड के रूप में शुरू हुआ था और 2025 में भारत में कंपनी की वृद्धि का मुख्य आधार बना, जब यह उप-ब्रांड भारत आ गया और अनुबंध निर्माता ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स (Optiemus Electronics) के साथ 10 करोड़ डॉलर (100 मिलियन डॉलर) का संयुक्त उद्यम बनाया। नई कंपनी का लक्ष्य हर साल 10 करोड़ फ़ोन बनाना और बेचना है। यह घोषणा सरकार द्वारा ₹62,500 करोड़ की नई मोबाइल फ़ोन विनिर्माण योजना की अधिसूचना के बाद आई है, जिसके द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार दो खंड हैं — एक मोबाइल फ़ोन विनिर्माण के लिए और एक भारतीय ब्रांडों के लिए। भारतीय ब्रांड खंड में पात्र कंपनियों को पात्र बिक्री पर 5% प्रोत्साहन, भारतीय डिज़ाइन और R&D से जुड़ा अतिरिक्त 3%, और प्रमुख पुर्ज़ों व उप-असेंबलियों की घरेलू ख़रीद के लिए 1.5% तक और मिल सकता है। भारतीय ब्रांड माने जाने के लिए कंपनी का भारत में निगमित होना, उसकी बौद्धिक संपदा (Intellectual Property — IP) और ट्रेडमार्क भारत में होना, प्रबंधन का नियंत्रण भारतीय नागरिकों के पास होना, 51% से अधिक शेयर भारतीय नागरिकों के पास होना, और भारत में अपनी R&D व डिज़ाइन क्षमता होना ज़रूरी है। IE के अनुसार भारत देश में बिकने वाले लगभग सभी मोबाइल फ़ोन बनाता है और मात्रा के हिसाब से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता है, पर उसके सफल घरेलू ब्रांड गिने-चुने हैं। पेई ने कहा कि भारत में बिकने वाले 99% फ़ोन भारत में बनते हैं, पर "अधिकांश मूल IP अब भी विदेश में है।" उन्होंने औद्योगिक डिज़ाइन, कैमरा प्रणाली, ऑपरेटिंग सिस्टम, एंटीना, और डिस्प्ले, चिपसेट व कैमरा मॉड्यूल की सह-इंजीनियरिंग को "असली R&D" बताया। पाठ्यक्रम से जुड़ाव : GS3 में औद्योगिक नीति और उद्योग पर उदारीकरण के प्रभाव।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (PLI) और पहले की योजनाएँ भारत को मात्रा के हिसाब से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फ़ोन निर्माता बनाती हैं → पर मूल्य विदेश में ही रहता है, क्योंकि डिज़ाइन और IP विदेशी ब्रांडों के हैं → सरकार ₹62,500 करोड़ की योजना अधिसूचित करती है, जिसमें भारतीय स्वामित्व वाले ब्रांड, भारतीय IP और R&D को पुरस्कृत करने वाला अलग खंड है → विदेशी ब्रांड पात्रता के लिए अपना ढाँचा बदलते हैं, शुरुआत नथिंग द्वारा CMF को भारतीय बहुमत वाली कंपनी बनाने से → अब कसौटी यह है कि R&D और IP वास्तव में भारत आते हैं या नहीं

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. **उत्पादन से जुड़ा प्रोत्साहन इकाई लगाने के लिए नहीं, उत्पादन के लिए भुगतान करता है** — उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (Production Linked Incentive — PLI) योजना किसी फ़र्म को निवेश पर अग्रिम सब्सिडी देने के बजाय आधार वर्ष से ऊपर भारत में बनी वस्तुओं की बढ़ी हुई बिक्री का एक प्रतिशत देती है। पहली PLI योजना, मोबाइल फ़ोन सहित बड़े पैमाने के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए, अप्रैल 2020 में अधिसूचित हुई और बाद में 14 क्षेत्रों तक बढ़ाई गई। चूँकि प्रोत्साहन बिक्री के पीछे चलता है, सरकार तभी भुगतान करती है जब उत्पादन होता है। इसकी ज्ञात सीमा यह है कि जब तक शर्तें कुछ और न कहें, यह घरेलू मूल्यवर्धन के बजाय असेंबली की मात्रा को पुरस्कृत करती है।

2. **औद्योगिक गहराई का पैमाना असेंबली नहीं, मूल्यवर्धन है** — घरेलू मूल्यवर्धन (domestic value addition) किसी उत्पाद के मूल्य का वह हिस्सा है जो देश के भीतर — डिज़ाइन, पुर्ज़ों, सॉफ़्टवेयर और ब्रांडिंग के ज़रिए — सृजित होता है, न कि आयातित पुर्ज़ों को यहाँ जोड़कर। औद्योगिक अर्थशास्त्र का 'स्माइल कर्व' (smile curve) दिखाता है कि सबसे अधिक मूल्य उत्पादन के दोनों सिरों पर है — एक छोर पर R&D और डिज़ाइन, दूसरे पर ब्रांड और विपणन — जबकि बीच की असेंबली सबसे कम कमाती है। कोई देश अपने यहाँ बिकने वाला हर फ़ोन बना सकता है और फिर भी मूल्य का छोटा हिस्सा ही पा सकता है, यदि IP और ब्रांड दूसरों के हों।

3. **'भारतीय ब्रांड' की कसौटी का निशाना बौद्धिक संपदा का स्वामित्व है** — बौद्धिक संपदा में पेटेंट, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिज़ाइन और कॉपीराइट आते हैं। भारत में ये पेटेंट अधिनियम, 1970, व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999, डिज़ाइन अधिनियम, 2000 और कॉपीराइट अधिनियम, 1957 से शासित हैं, और पेटेंट, डिज़ाइन एवं व्यापार चिह्न महानियंत्रक का कार्यालय इनका प्रशासन करता है। IP कहाँ पंजीकृत है और किसके स्वामित्व में है, इसी से तय होता है कि लाइसेंस आय और मुनाफ़े का बड़ा हिस्सा कहाँ दर्ज होगा; इसीलिए IP और ट्रेडमार्क भारत में रखने की शर्त वाली योजना मूल्य-प्राप्ति के मूल तक जाती है।

4. **विदेशी स्वामित्व के नियम तय करते हैं कि भारतीय किसे माना जाए** — भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और सरकार की समेकित FDI नीति से विनियमित होता है। 2020 का प्रेस नोट 3 भारत से स्थल सीमा साझा करने वाले किसी देश की संस्था से होने वाले हर निवेश के लिए पूर्व सरकारी अनुमति अनिवार्य करता है। इसलिए 51% से अधिक शेयर भारतीय नागरिकों के पास और प्रबंधन नियंत्रण भारतीय हाथों में होने की

	शर्त भारतीय ब्रांड को कारख़ाने के स्थान से नहीं, स्वामित्व और नियंत्रण से परिभाषित करती है।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. **GS3 औद्योगिक नीति और मेक इन इंडिया पर प्रश्न पूछता है** — मुख्य परीक्षा में PLI योजनाओं की प्रभावशीलता और इस पर प्रश्न आए हैं कि क्या भारत असेंबली से आगे बढ़कर विनिर्माण की गहराई तक पहुँच सकता है। भारतीय IP और डिज़ाइन को पुरस्कृत करने वाली योजना ऐसे उत्तरों के लिए एक स्पष्ट नया घटनाक्रम है। 2. **उत्पादन के कारक के रूप में उद्यमिता पर कम ध्यान दिया जाता है** — अधिकांश उत्तर औद्योगिक नीति को पूँजी और श्रम का प्रश्न मानते हैं। यह ख़बर उद्यमिता और IP स्वामित्व के बारे में है — जोखिम कौन उठाता है, ब्रांड किसका है — और मूल्य-प्राप्ति पर अधिक परिपक्व उत्तर लिखने का अवसर देती है। 3. **प्रारंभिक परीक्षा योजना की संरचना और IP क़ानून परखती है** — UPSC PLI के क्षेत्रों, IP से जुड़े क़ानूनों और मूल्यवर्धन की अवधारणा पर पूछ चुका है। इस योजना में भारतीय ब्रांड की कसौटियाँ कथन-आधारित प्रश्नों के लिए उपयुक्त हैं।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	• उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना निवेश की राशि के बजाय आधार वर्ष से ऊपर घरेलू रूप से निर्मित वस्तुओं की बढ़ी हुई बिक्री पर प्रोत्साहन देती है। • 2020 में अधिसूचित पहली PLI योजना में मोबाइल फ़ोन सहित बड़े पैमाने का इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण शामिल था। • भारत में ट्रेडमार्क व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 से और औद्योगिक डिज़ाइन डिज़ाइन अधिनियम, 2000 से शासित होते हैं। • 2020 का प्रेस नोट 3 भारत से स्थल सीमा साझा करने वाले देशों की संस्थाओं से आने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए पूर्व सरकारी अनुमति अनिवार्य करता है। • घरेलू मूल्यवर्धन से आशय किसी उत्पाद के मूल्य के उस हिस्से से है जो देश के भीतर सृजित होता है, आयातित पुर्ज़ों के मूल्य से भिन्न। • भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के तहत विनियमित होता है।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. **योजना सवाल को 'फ़ोन कहाँ बनते हैं' से 'फ़ोन किसके हैं' पर ले आती है** — पहली PLI अपने पैमाने पर सफल रही : भारत अपने यहाँ बिकने वाला लगभग हर फ़ोन असेंबल करता है और मात्रा के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा निर्माता है। पर डिज़ाइन, सॉफ़्टवेयर और ब्रांड का मुनाफ़ा फिर भी विदेश गया, इसलिए प्रोत्साहन का भुगतान मुख्यत: असेंबली के लिए हुआ। नया भारतीय ब्रांड खंड, भारतीय डिज़ाइन और R&D के लिए अतिरिक्त 3% के साथ, ठीक उसी के लिए भुगतान करता है जिसे स्माइल कर्व मूल्यवान बताता है। यह औद्योगिक नीति का श्रम कारक से उद्यमिता कारक की ओर बढ़ना है। 2. **नथिंग का क़दम दिखाता है कि योजना काम कर रही है, और यह भी कि उसका दुरुपयोग हो सकता है** — अधिसूचना के कुछ ही दिनों में एक विदेशी ब्रांड ने अपनी सस्ती शृंखला को भारतीय बहुमत वाली कंपनी में बदल दिया है। यही अपेक्षित प्रतिक्रिया है। पर साझेदारी का मॉडल — जिसमें नथिंग इंजीनियरिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम और आपूर्ति शृंखला देगी — का अर्थ है कि मूल IP का बड़ा हिस्सा मूल कंपनी के पास ही रह सकता है। यदि भारतीय इकाई विदेश से तकनीक का लाइसेंस लेती है, तो वह काग़ज़ पर पात्र हो सकती है जबकि मूल्य रॉयल्टी के रूप में बाहर जाता रहे। IP वास्तव में कहाँ सृजित होता है, इसका सत्यापन ही तय करेगा कि यह रूपांतरण है या केवल नया ठप्पा। 3. **भारतीय स्वामित्व के नियम चीनी ब्रांडों को भी इसी पुनर्गठन की ओर खींच सकते हैं** — भारत में सबसे बड़े फ़ोन ब्रांड विदेशी हैं, उनमें से कई चीनी, और प्रेस नोट 3 पहले ही चीनी निवेश को सीमित करता है। 51% भारतीय शेयरधारिता की शर्त ऐसे ब्रांडों को भारतीय साझेदारों के साथ भारतीय नियंत्रण वाली इकाइयाँ बनाने का रास्ता देती है। इससे घरेलू फ़र्में मज़बूत हो सकती हैं, पर नाममात्र की भारतीय मुखौटा कंपनियाँ भी बन सकती हैं। प्रबंधन नियंत्रण और IP के स्थान की कड़ी जाँच अनिवार्य है; दूसरा पक्ष यह है कि बहुत कड़ी कसौटी उन्हीं फ़र्मों को बाहर कर देगी जिनके पास वह तकनीक है जिसकी भारत को ज़रूरत है। 4. **पैमाना प्रोत्साहन का तर्क भी है और जाल भी** — पेई का भारत के पक्ष में तर्क पैमाना है : हर साल 10 करोड़ फ़ोन बेचना CMF को आपूर्ति शृंखलाओं को आकार देने और पुर्ज़ा निर्माताओं को भारत लाने की ताक़त देगा। चीनी ब्रांडों ने अपने पारितंत्र इसी तरह बनाए। पर वैश्विक स्मार्टफ़ोन बाज़ार परिपक्व हैं और कुछ बड़े ब्रांडों के प्रभुत्व में हैं, इसलिए किसी नए ब्रांड के लिए इतनी मात्रा तक पहुँचना कठिन हो सकता है। बिक्री से जुड़े प्रोत्साहन विजेताओं को पुरस्कृत करते हैं, पर विजेता उत्पाद नहीं बना सकते ; वह इंजीनियरिंग प्रतिभा की गुणवत्ता पर

	निर्भर है, और यहीं भारत का श्रम कारक निर्णायक बन जाता है। 5. **राजकोषीय लागत के लिए निकास योजना चाहिए** — बिक्री पर 5% जमा 3% जमा 1.5% तक का प्रोत्साहन उदार है, और ₹62,500 करोड़ एक बड़ी प्रतिबद्धता है। इसका सार्वजनिक औचित्य इस तर्क पर टिका है कि यह स्थायी क्षमता बनाती है, इसलिए योजना समयबद्ध होनी चाहिए और मापने योग्य लक्ष्यों से जुड़ी होनी चाहिए: दाख़िल पेटेंट, R&D में लगे कर्मी, हासिल घरेलू सामग्री। यदि प्रोत्साहन स्थायी हो गया, तो वह उत्प्रेरक से बदलकर ऐसी सब्सिडी बन जाएगा जिस पर यह क्षेत्र निर्भर हो जाए।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	"भारत मोबाइल फ़ोन का अग्रणी असेंबलर तो बन गया है, पर अभी वैश्विक फ़ोन ब्रांडों का निर्माता नहीं बना है।" इस संदर्भ में परीक्षण कीजिए कि औद्योगिक प्रोत्साहनों की संरचना मूल्यवर्धन को R&D, डिज़ाइन और बौद्धिक संपदा की ओर कैसे मोड़ सकती है। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. **परिचय** — उल्लेख कीजिए कि भारत देश में बिकने वाले लगभग सभी फ़ोन बनाता है और मात्रा के हिसाब से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, पर अधिकांश IP विदेश में है; ₹62,500 करोड़ की नई मोबाइल फ़ोन विनिर्माण योजना का हवाला दीजिए। 2. **मुख्य भाग — असेंबली पर्याप्त क्यों नहीं** — स्माइल कर्व और घरेलू मूल्यवर्धन समझाइए, और बताइए कि 2020 की मूल PLI ने मात्रा को क्यों पुरस्कृत किया। इसे श्रम-प्रधान असेंबली और उद्यमिता-प्रधान डिज़ाइन के अंतर से जोड़िए। 3. **मुख्य भाग — नई संरचना** — भारतीय ब्रांड खंड समझाइए: पात्र बिक्री पर 5%, भारतीय डिज़ाइन और R&D से जुड़ा 3%, घरेलू ख़रीद के लिए 1.5% तक, और कसौटियाँ — भारत में निगमन, IP और ट्रेडमार्क भारत में, भारतीय प्रबंधन नियंत्रण और 51% से अधिक भारतीय शेयरधारिता। उदाहरण के रूप में CMF स्पिन-ऑफ़ का प्रयोग कीजिए। 4. **मुख्य भाग — जोखिम और सुरक्षा उपाय** — नया ठप्पा लगाने, रॉयल्टी के बहिर्वाह, चीनी ब्रांडों की मुखौटा कंपनियों और राजकोषीय लागत पर चर्चा कीजिए। IP सृजन का सत्यापन, समयबद्ध प्रोत्साहन, R&D के पड़ाव और विश्वविद्यालय-उद्योग संबंध सुझाइए। 5. **निष्कर्ष** — निष्कर्ष दीजिए कि भारत का अगला औद्योगिक क़दम जो वह बनाता है उसका स्वामी बनना है, और प्रोत्साहन तभी सफल होंगे जब वे ठप्पों के बजाय क्षमता से जुड़े हों।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	**प्रश्न 1. आप इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव हैं। एक ब्रांड 'भारतीय ब्रांड' के रूप में आवेदन करता है, पर अपना ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी विदेशी मूल कंपनी से लाइसेंस पर लेता है। आप इसका आकलन कैसे करेंगे?** ***दृष्टिकोण (Approach):*** मैं औपचारिक कसौटियाँ जाँचूँगा — निगमन, शेयरधारिता, प्रबंधन नियंत्रण, भारत में IP और ट्रेडमार्क पंजीकरण — और फिर सार: उत्पाद विकसित करने वाले इंजीनियर कहाँ काम करते हैं और नए पेटेंट किसके हैं। लाइसेंस पर लिया गया ऑपरेटिंग सिस्टम किसी फ़र्म को अयोग्य ठहराए, यह ज़रूरी नहीं, क्योंकि कई ब्रांड लाइसेंसी सॉफ़्टवेयर इस्तेमाल करते हैं; पर भारतीय डिज़ाइन और R&D के लिए अतिरिक्त 3% केवल भारतीय डिज़ाइन के प्रमाण पर ही दिया जाना चाहिए। मैं स्व-घोषणा पर निर्भर रहने के बजाय स्वतंत्र तकनीकी ऑडिट की व्यवस्था करूँगा। **प्रश्न 2. किसी इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर के ज़िलाधिकारी के रूप में आप स्थानीय फ़र्मों को लाभ दिलाने में कैसे मदद करेंगे?** ***दृष्टिकोण (Approach):*** मैं ज़िले के पुर्ज़ा आपूर्तिकर्ताओं का मानचित्रण करूँगा और उन्हें उन ब्रांड-स्वामियों से जोड़ूँगा जिनके पास अब घरेलू ख़रीद का प्रोत्साहन है। भूमि, बिजली और अनुमतियों के लिए राज्य की औद्योगिक एजेंसी के साथ, और डिज़ाइन व परीक्षण के कौशल पाठ्यक्रमों के लिए स्थानीय इंजीनियरिंग कॉलेजों के साथ काम करूँगा। कारख़ानों में कार्यस्थल सुरक्षा और श्रम स्थितियों पर भी नज़र रखूँगा, क्योंकि उत्पादन बढ़ने पर इन पर अक्सर दबाव आता है। लक्ष्य ज़िले को केवल असेंबली श्रम का नहीं, पुर्ज़ों और कौशल का आपूर्तिकर्ता बनाना है। **प्रश्न 3. साक्षात्कार बोर्ड पूछता है: क्या राज्य का यह तय करना उचित है कि कौन-सी कंपनियाँ 'भारतीय' मानी जाएँ?** ***दृष्टिकोण (Approach):*** सरकारें सार्वजनिक धन की पात्रता नियमित रूप से परिभाषित करती हैं, और भारतीय क्षमता बनाने के लिए बनी योजना को यह परिभाषित करना ही होगा कि उसका अर्थ क्या है। ख़तरा ऐसे संरक्षणवाद का है जो कमज़ोर फ़र्मों को आश्रय दे या तकनीक वाले विदेशी साझेदारों को बाहर कर दे। सबसे अच्छी परिभाषाएँ केवल शेयरधारकों की राष्ट्रीयता पर नहीं, गतिविधि पर — R&D, IP सृजन, घरेलू ख़रीद — केंद्रित होती हैं। सभी फ़र्मों पर समान रूप से लागू स्पष्ट, वस्तुनिष्ठ कसौटियाँ ऐसी योजना को निष्पक्ष रखती हैं।

2.5 रंगराजन और षण्मुगम: तमिलनाडु के 1.5 ट्रिलियन डॉलर लक्ष्य के लिए 12.2% वास्तविक वृद्धि चाहिए; 2038-39 अधिक संभावित

समाचार (THE NEWS) तमिलनाडु। द हिंदू में प्रकाशित एक लेख में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्व अध्यक्ष और RBI के पूर्व गवर्नर सी. रंगराजन तथा मद्रास स्कूल ऑफ़ इकोनॉमिक्स के पूर्व निदेशक के.आर. षण्मुगम ने मुख्यमंत्री सी. जोसेफ़ विजय के उस लक्ष्य का हिसाब जाँचा है, जिसकी घोषणा 11 जून, 2026 को नीति आयोग की बैठक में की गई थी — 2035-36 तक तमिलनाडु को 1.5 ट्रिलियन डॉलर (1,500 अरब डॉलर) की अर्थव्यवस्था बनाना। तमिलनाडु का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (Gross State Domestic Product — GSDP), जो GDP का राज्य-स्तरीय समकक्ष है, 2025-26 में ₹35.29 लाख करोड़ था। 10 वर्षों में 1.5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँचने के लिए इसे 4.9 गुना बढ़कर 2035-36 तक ₹172.56 लाख करोड़ होना होगा, यह मानते हुए कि डॉलर रुपये के मुक़ाबले हर साल 2% मज़बूत होकर ₹115.38 हो जाएगा। इसके लिए 17.2% नाममात्र वृद्धि चाहिए, और 5% मुद्रास्फीति के साथ एक दशक तक हर साल 12.2% वास्तविक वृद्धि। तमिलनाडु की वास्तविक वृद्धि केवल तीन वर्षों में 12% से ऊपर रही है: 2005-06 में 13.96%, 2006-07 में 15.21% और 2010-11 में 13.12%। 17.2% नाममात्र वृद्धि पर प्रति व्यक्ति आय 4,808 डॉलर से बढ़कर 19,157 डॉलर हो जाएगी, जो उस 16,383 डॉलर से ऊपर है जिसे लेखक विश्व बैंक की सीमाओं के बहिर्वेशन से विकसित देश का मानक आँकते हैं। 15% नाममात्र (10% वास्तविक) वृद्धि पर लक्ष्य 2037-38 में और विकसित दर्जा 2036-37 में हासिल होगा। राज्य 2005-06 से 2011-12 के बीच वास्तविक रूप से 10.3% वार्षिक दर से बढ़ा, जबकि भारत 8.2% से; 2012-13 से 2018-19 के बीच यह घटकर 6.98% (भारत 6.96%) रह गया, और 2021-22 से 2025-26 के बीच सुधरकर 9.1% (भारत 8.1%) हो गया; इस गति से, 14.1% नाममात्र वृद्धि के साथ, लक्ष्य 2038-39 में पूरा होगा। 2030 तक एक ट्रिलियन डॉलर का पुराना लक्ष्य परिदृश्य के अनुसार 2033-34 या 2034-35 में पूरा होगा। 10% वास्तविक वृद्धि बनाए रखने के लिए GSDP के 40% की निवेश दर चाहिए, यह मानते हुए कि वृद्धिशील पूँजी-उत्पाद अनुपात (Incremental Capital Output Ratio — ICOR), यानी उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई के लिए ज़रूरी पूँजी की इकाइयाँ, 4 है; और इसके लिए स्वयं पूँजी के बेहतर उपयोग की ज़रूरत है। 14% नाममात्र वृद्धि के साथ 3% से कम राजकोषीय घाटा ऋण-GSDP अनुपात को लगभग 23% पर स्थिर कर देगा। लेखकों का निष्कर्ष है कि सबसे संभावित रास्ता 14% नाममात्र वृद्धि का है, जिससे 1.5 ट्रिलियन डॉलर 2038-39 तक पहुँचेगा। पाठ्यक्रम से जुड़ाव: GS3 में संवृद्धि, निवेश और राजकोषीय संघवाद।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

2005-12 में तमिलनाडु भारत से तेज़ बढ़ता है, 2012-19 में राष्ट्रीय औसत तक धीमा पड़ता है, 2021 के बाद 9.1% पर लौटता है → जून 2026 में नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री 2035-36 के लिए 1.5 ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य रखते हैं → हिसाब बताता है कि इसके लिए 10 वर्ष तक 12.2% वास्तविक वृद्धि चाहिए, जो पहले केवल तीन बार हुई → यथार्थवादी 9-10% वास्तविक वृद्धि के लिए 4 के ICOR पर 40% निवेश दर और राजकोषीय अनुशासन चाहिए → सबसे संभावित तारीख़ 2038-39 बनती है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. **ICOR एक ही अनुपात में निवेश को वृद्धि से जोड़ता है** — वृद्धिशील पूँजी-उत्पाद अनुपात वह अतिरिक्त पूँजी है जो उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई के लिए चाहिए। हैरोड–डोमर मॉडल (Harrod–Domar model) में वृद्धि दर = निवेश दर ÷ ICOR; इसलिए 4 के ICOR पर उत्पादन के 40% की निवेश दर 10% वृद्धि देती है। कम ICOR का अर्थ है पूँजी का अधिक कुशल उपयोग। यह मॉडल भारत की आरंभिक पंचवर्षीय योजनाओं का आधार था और आज भी यह जाँचने की त्वरित कसौटी है कि कोई वृद्धि लक्ष्य बचत और निवेश से मेल खाता है या नहीं।

2. **नाममात्र और वास्तविक वृद्धि को मुद्रास्फीति अलग करती है, और डॉलर लक्ष्यों को विनिमय दर** — नाममात्र वृद्धि चालू क़ीमतों पर उत्पादन में बदलाव मापती है; वास्तविक वृद्धि मुद्रास्फीति का असर हटा देती है। डॉलर में बताया गया लक्ष्य विनिमय दर पर भी निर्भर करता है, इसलिए रुपये का अवमूल्यन उसी डॉलर आँकड़े तक पहुँचने के लिए ज़रूरी रुपया वृद्धि बढ़ा देता है। इसीलिए लेखक 5% मुद्रास्फीति और डॉलर की 2% वार्षिक मज़बूती की अपनी मान्यताएँ स्पष्ट रूप से बताते हैं। डॉलर में बताया गया कोई भी लक्ष्य वास्तव में तीन लक्ष्य है: वास्तविक वृद्धि, मुद्रास्फीति और विनिमय दर।

3. **राज्यों का उधार संविधान और राजकोषीय नियमों से बँधा है** — संविधान का अनुच्छेद 293 राज्यों के उधार को शासित करता है; अनुच्छेद 293(3) के तहत जिस राज्य पर केंद्र का ऋण बकाया है, उसे नया ऋण लेने के लिए केंद्र की सहमति चाहिए। वित्त आयोगों ने सामान्यतः राज्यों के लिए GSDP के 3% की राजकोषीय घाटा सीमा की सिफ़ारिश की है, और राज्यों ने अपने राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (FRBM) क़ानून बनाए हैं। ऋण-GSDP अनुपात तब स्थिर होता है जब घाटे की तुलना में नाममात्र वृद्धि पर्याप्त ऊँची हो; इसीलिए लेखक 14% नाममात्र वृद्धि को 3% से कम घाटे के साथ जोड़ते हैं।

4. **विकसित दर्जा प्रति व्यक्ति आय की सीमाओं से मापा जाता है** — विश्व बैंक एटलस पद्धति से अमेरिकी डॉलर में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं को निम्न, निम्न-मध्यम, उच्च-मध्यम और उच्च आय समूहों में बाँटता है, और हर जुलाई में सीमाएँ संशोधित करता है। 'उच्च आय' को आम तौर पर विकसित देश का संकेतक माना जाता है। विकसित भारत 2047 स्वतंत्रता की शताब्दी तक भारत को विकसित देश बनाने का राष्ट्रीय लक्ष्य है। लेखक पिछली प्रवृत्तियों के आधार पर सीमा को आगे बढ़ाकर 2035-36 के लिए लगभग 16,383 डॉलर की सीमा आँकते हैं।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. **GS3 संवृद्धि, निवेश और समावेशी विकास पर प्रश्न पूछता है** — बचत-निवेश अंतराल, भारतीय वृद्धि में पूँजी की कार्यकुशलता, और विकसित अर्थव्यवस्था बनने के लिए क्या चाहिए — इन पर प्रश्न आए हैं। इस लेख का ICOR वाला हिसाब ऐसे उत्तरों के लिए एक सटीक औज़ार है। 2. **प्रतिस्पर्धी संघवाद GS2 का स्थापित विषय है** — राज्यों का अपने-अपने ट्रिलियन डॉलर लक्ष्य तय करना नीति आयोग द्वारा बढ़ावा दिए गए प्रतिस्पर्धी संघवाद को दर्शाता है। विकसित भारत 2047 में राज्यों की भूमिका पर उत्तरों में तमिलनाडु को महत्वाकांक्षा और बाधा — दोनों के उदाहरण के रूप में रखा जा सकता है। 3. **प्रारंभिक परीक्षा बुनियादी समष्टि अवधारणाएँ पूछती है** — ICOR, नाममात्र बनाम वास्तविक वृद्धि, GSDP और राजकोषीय घाटा प्रारंभिक परीक्षा की पारंपरिक अवधारणाएँ हैं। परीक्षक अक्सर यह परखता है कि ऊँचे ICOR का अर्थ पूँजी का अधिक कुशल उपयोग है या कम।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	• वृद्धिशील पूँजी-उत्पाद अनुपात उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई के लिए आवश्यक अतिरिक्त पूँजी को मापता है; कम ICOR पूँजी के अधिक कुशल उपयोग को दर्शाता है। • हैरोड–डोमर मॉडल में उत्पादन की वृद्धि दर निवेश दर को वृद्धिशील पूँजी-उत्पाद अनुपात से विभाजित करने के बराबर होती है। • संविधान के अनुच्छेद 293(3) के तहत जिस राज्य पर भारत सरकार का ऋण बकाया है, उसे नया ऋण लेने के लिए केंद्र की सहमति चाहिए। • सकल राज्य घरेलू उत्पाद किसी निश्चित अवधि में किसी राज्य की भौगोलिक सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। • विश्व बैंक एटलस पद्धति से परिकलित प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर देशों को आय समूहों में वर्गीकृत करता है। • वास्तविक वृद्धि लगभग नाममात्र वृद्धि में से मुद्रास्फीति की दर घटाने के बराबर होती है।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. **लक्ष्य महत्वाकांक्षा पर नहीं, हिसाब पर विफल होता है** — लेखक यह नहीं कहते कि तमिलनाडु तेज़ी से नहीं बढ़ सकता; वे दिखाते हैं कि 10 वर्ष तक 12.2% वास्तविक वृद्धि का उसके इतिहास में कोई उदाहरण नहीं है, जहाँ ऐसी दरें केवल तीन अलग-अलग वर्षों में दिखीं। जिस लक्ष्य के लिए लगातार रिकॉर्ड प्रदर्शन चाहिए, वह विफलता की राजनीतिक कहानी की ज़मीन तैयार करता है। 14% नाममात्र वृद्धि पर 2038-39 का लक्ष्य भी महत्वाकांक्षी है, और अधिक विश्वसनीय है। विश्वसनीय लक्ष्य निवेशकों की अपेक्षाओं को स्थिर करते हैं; अविश्वसनीय लक्ष्यों को बाज़ार नज़रअंदाज़ कर देते हैं और वे नारे बनकर रह जाते हैं। 2. **बाधा इरादे की नहीं, पूँजी की है** — 40% की निवेश दर भारतीय मानकों पर भी बहुत ऊँची है, और इसे घरेलू बचत, शेष भारत से आने वाले प्रवाह और विदेशी निवेश से पूरा करना होगा। इससे उत्पादन का पूँजी कारक केंद्र में आ जाता है। इसका अर्थ यह भी है कि तमिलनाडु उसी निवेश के लिए दूसरे राज्यों से प्रतिस्पर्धा करता है, इसीलिए लेखक निवेश-अनुकूल माहौल पर ज़ोर देते हैं। अकेली बड़ी परियोजनाएँ, चाहे कितनी भी चर्चित हों, अपने दम पर GSDP के 40% तक नहीं पहुँचतीं। 3. **कार्यकुशलता वृद्धि का सस्ता रास्ता है** — यदि ICOR को 4 से घटाकर, मान लीजिए, 3.5 किया जा सके, तो उतनी ही वृद्धि के लिए कम निवेश चाहिए। यह भरोसेमंद बिजली, तेज़ अनुमतियों, अच्छी लॉजिस्टिक्स और कुशल श्रम पर निर्भर है, जो राज्य के अपने नियंत्रण में हैं। तमिलनाडु का बड़ा विनिर्माण आधार और शिक्षित कार्यबल उसे यहाँ बढ़त देते हैं। दूसरा पक्ष यह है कि अर्थव्यवस्थाएँ जब सेमीकंडक्टर और भारी उद्योग जैसे पूँजी-प्रधान क्षेत्रों की ओर बढ़ती हैं तो पूँजी की कार्यकुशलता घटती है, इसलिए ICOR घटने के बजाय बढ़ भी सकता है। 4. **राजकोषीय अनुशासन वह शर्त है जिसे लक्ष्य छोड़ नहीं सकता** — लेखक 14% नाममात्र वृद्धि को 3% से कम घाटे से जोड़ते हैं ताकि ऋण GSDP के लगभग 23% पर स्थिर हो। जो राज्य उधार लेकर ख़र्च के सहारे लक्ष्य तक पहुँचना चाहे, उसका ऋण और ब्याज बोझ बढ़ेगा, और यह उसी पूँजीगत व्यय को बाहर धकेल देगा जिसकी उसे ज़रूरत है। कल्याणकारी प्रतिबद्धताएँ भी उसी बजट के लिए होड़ करती हैं। ट्रिलियन डॉलर लक्ष्य वाले हर राज्य के लिए सबक यह है कि वृद्धि लक्ष्य और राजकोषीय नियम साथ-साथ तय होने चाहिए। 5. **विकसित दर्जा एक खिसकता लक्ष्य है और एक संकीर्ण परिभाषा भी** — विकसित देश का प्रति व्यक्ति मानक हर साल बढ़ता है, इसलिए 2036-37 या 2037-38 में उस तक पहुँचना इस पर निर्भर है कि तब तक सीमा कहाँ होगी। इससे भी अहम यह है कि प्रति व्यक्ति औसत चेन्नई और दक्षिणी व पश्चिमी ज़िलों के बीच, या औपचारिक और अनौपचारिक कामगारों के बीच वितरण के बारे में कुछ नहीं बताता। हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी के लिए मुख्य बात यह है कि डॉलर में आय का आँकड़ा विकास का आवश्यक पर पर्याप्त पैमाना नहीं है; मानव विकास और असमानता के

	पैमाने तस्वीर पूरी करते हैं।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	"कोई भी वृद्धि लक्ष्य उतना ही विश्वसनीय होता है जितना उसके पीछे का निवेश, पूँजी की कार्यकुशलता और राजकोषीय अनुशासन।" तमिलनाडु के 1.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य के संदर्भ में इस कथन का मूल्यांकन कीजिए। विकसित भारत 2047 को प्राप्त करने में राज्यों की क्या भूमिका होनी चाहिए? (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. **परिचय** — 11 जून, 2026 को नीति आयोग की बैठक में घोषित लक्ष्य और 2025-26 में ₹35.29 लाख करोड़ का GSDP बताइए, और यह कि 2035-36 तक 1.5 ट्रिलियन डॉलर पहुँचने के लिए 10 वर्ष तक 12.2% वास्तविक वृद्धि चाहिए। 2. **मुख्य भाग — हिसाब** — नाममात्र और वास्तविक वृद्धि तथा विनिमय दर की मान्यता समझाइए, 12% से ऊपर केवल तीन वर्षों का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बताइए, और वे वैकल्पिक परिदृश्य दीजिए जिनमें लक्ष्य 2037-38 या 2038-39 में पूरा होता है। 3. **मुख्य भाग — आवश्यकताएँ** — 10% वृद्धि के लिए 4 का ICOR और 40% निवेश दर, वित्तपोषण के स्रोत, 3% से कम राजकोषीय घाटा और लगभग 23% का ऋण-GSDP अनुपात समझाइए, और बताइए कि ICOR घटाने के लिए राज्य क्या कर सकता है। 4. **मुख्य भाग — राज्यों की भूमिका** — प्रतिस्पर्धी संघवाद, भूमि, श्रम प्रशासन, बिजली और शहरी अवसंरचना पर राज्यों के नियंत्रण, और राजकोषीय उत्तरदायित्व की ज़रूरत पर चर्चा कीजिए; राज्यों के उधार पर अनुच्छेद 293 की सीमाओं का हवाला दीजिए। 5. **निष्कर्ष** — निष्कर्ष दीजिए कि राज्य विकसित भारत के इंजन हैं, पर लक्ष्य पारदर्शी हिसाब पर आधारित होने चाहिए और उन्हें वितरण तथा मानव विकास से भी मापा जाना चाहिए।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	**प्रश्न 1. आप तमिलनाडु के वित्त सचिव हैं। मुख्यमंत्री 2035-36 तक 1.5 ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य पाने की योजना चाहते हैं। आप क्या सलाह देंगे?** ***दृष्टिकोण (Approach):*** मैं ईमानदारी से हिसाब सामने रखूँगा: लक्ष्य के लिए एक दशक तक लगातार 12.2% वास्तविक वृद्धि चाहिए, जो राज्य ने कभी हासिल नहीं की। मैं निवेश दर बढ़ाने और ICOR घटाने पर आधारित योजना प्रस्तावित करूँगा, जिसमें हर साल के पड़ाव हों, और ऐसा राजकोषीय मार्ग जो घाटे को 3% से नीचे रखे। मैं सुझाव दूँगा कि सार्वजनिक लक्ष्य को एक प्रक्षेप-पथ के रूप में रखा जाए, जिसमें 2038-39 यथार्थवादी तारीख़ हो, ताकि सरकार का मूल्यांकन ऐसी तारीख़ पर नहीं जिस पर उसका नियंत्रण नहीं, बल्कि प्रगति पर हो। **प्रश्न 2. किसी औद्योगिक ज़िले के ज़िलाधिकारी के रूप में आप राज्य की निवेश दर बढ़ाने में कैसे योगदान देंगे?** ***दृष्टिकोण (Approach):*** मैं उन बातों पर ध्यान दूँगा जो ज़मीन पर निवेश को धीमा करती हैं: भू-अभिलेख, भूमि-उपयोग परिवर्तन की अनुमतियाँ, बिजली-पानी के कनेक्शन और निरीक्षण में देरी। मैं समय-सीमा वाला एकल-खिड़की प्रकोष्ठ बनाऊँगा और उसका प्रदर्शन प्रकाशित करूँगा। निवेशकों को जिन कुशल कामगारों की ज़रूरत है, उनकी आपूर्ति के लिए प्रशिक्षण संस्थानों के साथ भी काम करूँगा। कई परियोजनाओं में देरी की छोटी-छोटी कटौती ICOR को कुछ बड़ी घोषणाओं की तुलना में अधिक भरोसेमंद ढंग से घटाती है। **प्रश्न 3. साक्षात्कार बोर्ड पूछता है: ट्रिलियन डॉलर लक्ष्य उपयोगी हैं या केवल नारे?** ***दृष्टिकोण (Approach):*** लक्ष्य प्रशासन को सक्रिय कर सकते हैं और निवेशकों को महत्वाकांक्षा का संकेत दे सकते हैं, और एक स्पष्ट संख्या ध्यान केंद्रित करती है। वे नारे तब बन जाते हैं जब उन्हें उन तक पहुँचने के लिए ज़रूरी निवेश, कार्यकुशलता और राजकोषीय शर्तों से नहीं जोड़ा जाता। रंगराजन–षण्मुगम विश्लेषण दिखाता है कि लक्ष्य को उपयोगी कैसे बनाया जाए: मान्यताएँ स्पष्ट करें, ज़रूरी वृद्धि दिखाएँ और उसे इतिहास की कसौटी पर परखें। उपयोगी लक्ष्य वह भी मापता है जो नागरिकों के लिए मायने रखता है, जैसे रोज़गार और आय, न कि केवल अर्थव्यवस्था का आकार।

3. कृषि एवं खाद्य (Agriculture & Food)

आज की कृषि खबरें सुरक्षा के बारे में हैं — और इस बारे में कि यह सुरक्षा कितनी पतली हो सकती है। महाराष्ट्र सूखा घोषित करने की जल्दी में है ताकि राहत का पैसा पहुँच सके, पर जिन नियमों का उसे पालन करना है वे धीमी और निश्चित आपदाओं के लिए बने थे। जिन उर्वरक कारख़ानों को रबी मौसम के लिए भंडार जुटाना चाहिए था, वे लगातार छठे महीने कम उत्पादन कर रहे हैं, क्योंकि जिस गैस और गंधक पर वे चलते हैं वह दूर के एक युद्ध में फँसी है। और न्यूज़ीलैंड के साथ व्यापार समझौता दिखाता है कि किसानों के लिए भारत की सबसे भरोसेमंद सुरक्षा अब भी वही है जिस पर वह सीमा पर मोलभाव करता है। किसान मौसम का जोखिम, आदान (input) का जोखिम और बाज़ार का जोखिम एक साथ उठाता है; नीति की परख इसी से होती है कि वह इस बोझ का कितना हिस्सा उसके कंधों से उतारती है।

3.1 83 तालुकों में 20 दिन से बारिश नहीं, महाराष्ट्र 100% सूखा घोषित करने की तैयारी में

समाचार (THE NEWS) मुंबई। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र के सहकारिता मंत्री बाबासाहेब पाटिल ने सोमवार, 21 सितंबर को कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति सरकार जल्द ही राज्य में "100% सूखा" घोषित करेगी। उन्होंने कहा, "अपने पूरे जीवन में मैंने इतना भीषण सूखा नहीं देखा।" उनके अनुसार सोयाबीन, कपास और गन्ना समेत सभी फ़सलें प्रभावित हुई हैं, और घोषणा सितंबर के अंत तक "राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष के मानदंडों के आधार पर" होने की उम्मीद है। अखबार "100% सूखा" की परिभाषा नहीं देता; इसका आशय आंशिक निष्कर्ष के बजाय प्रभावित क्षेत्रों को पूरी तरह शामिल करने वाली घोषणा लगता है, पर पाठक इसे मंत्री का अपना शब्द ही मानें। यह बयान इसलिए अहम है कि पहली बार किसी मंत्री ने ऐसी घोषणा की बात की है; अब तक सरकार का आधिकारिक रुख यही था कि फ़सल-क्षति सर्वेक्षण और ज़मीनी सत्यापन 5 अक्टूबर के बाद होंगे। राज्य कृषि विभाग के अनुसार 20 ज़िलों के कम से कम 83 तालुकों (उप-ज़िलों) में 20 दिन से ज़्यादा समय से बारिश नहीं हुई है, और अमरावती, सोलापुर और लातूर समेत कम से कम छह ज़िलों में वर्षा में 40–50% की कमी है। धाराशिव ज़िले के नायचाकुर जैसे गाँवों में पानी के टैंकर चलने लगे हैं। सरकार ने विद्यार्थियों की फ़ीस माफ़ी, बिजली बिल माफ़ी और टैंकर तैनाती जैसी राहत घोषित की है। राज्य मृदा एवं जल संरक्षण विभाग का 16 सितंबर का परिपत्र ज़िलों को निर्देश देता है कि वे टैंकरों को पहला उपाय मानने के बजाय मौजूदा जल स्रोतों को पुनर्जीवित करें और गाँवों में आपूर्ति नेटवर्क बनाएँ; भूजल सर्वेक्षण एवं विकास एजेंसी (GSDA) पेयजल की कमी वाले गाँवों की पहचान कर अक्टूबर तक सूची ज़िला कलेक्टर कार्यालयों को भेजेगी। कलेक्टरों को अक्टूबर–दिसंबर की योजना 15 नवंबर तक, जनवरी–मार्च 2027 की 20 दिसंबर तक और अप्रैल–जून 2027 की 20 जनवरी तक जमा करनी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य केंद्रीय सहायता का इंतज़ार नहीं करेगा और फ़सल-हानि का औपचारिक आकलन "नियमों के अनुसार" 5 अक्टूबर के बाद होगा, जिसके बाद राज्य केंद्र से मदद माँगेगा। PTI के हवाले से द हिंदू की एक अलग संक्षिप्त खबर के अनुसार वेस्ट इंडिया शुगर मिल्स एसोसिएशन (WISMA) को आशंका है कि वर्षा की कमी के कारण आगामी पेराई सत्र में महाराष्ट्र का चीनी उत्पादन लगभग 20% घट जाएगा। पाठ्यक्रम से जुड़ाव: सूखा प्रबंधन, आपदा वित्त और वर्षा-आधारित कृषि।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

20 ज़िलों के 83 तालुकों में 20 दिन से ज़्यादा मानसून का अंतराल → सोयाबीन, कपास और गन्ना मुरझाते हैं, लातूर और सोलापुर जैसे ज़िलों में वर्षा की कमी 40–50% तक → टैंकर चलने लगते हैं, राज्य फ़ीस और बिजली बिल माफ़ी की घोषणा करता है → मंत्री सितंबर के अंत तक 100% सूखे की घोषणा का वादा करते हैं, जबकि फ़सल-हानि का औपचारिक सर्वे 5 अक्टूबर के बाद → घोषणा से SDRF राहत और केंद्र को NDRF ज्ञापन का रास्ता खुलता है, साथ ही चीनी उत्पादन में लगभग 20% गिरावट का अनुमान

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. **सूखा राज्य घोषित करता है, दो-स्तरीय कसौटी के ज़रिए** — सूखा प्रबंधन नियमावली (Manual for Drought Management, 2020 में अद्यतन) के प्रकाशित पाठ के अनुसार पहला संकेतक (trigger) अनिवार्य वर्षा संकेतक है — वर्षा में विचलन, मानकीकृत वर्षण सूचकांक (SPI) या शुष्क अवधि। दूसरा संकेतक प्रभाव संकेतकों का उपयोग करता है: कृषि (जैसे बुआई क्षेत्र), सुदूर संवेदन (NDVI जैसे वनस्पति सूचकांक), मृदा नमी और जल-विज्ञान (जलाशय, भूजल, नदी-प्रवाह)। चुने गए तीन प्रभाव संकेतकों में से कम से कम दो 'गंभीर' और एक 'मध्यम' हो तो सूखा 'गंभीर' माना जाता है, और कम से कम दो 'मध्यम' हों तो 'मध्यम'। इसके बाद नियमावली प्रभावित गाँवों में से यादृच्छिक रूप से चुने गए 10% गाँवों में ज़मीनी सत्यापन (ground truthing) अनिवार्य करती है; 33% या अधिक फ़सल-हानि घोषणा का आधार बनती है, और 50% से अधिक हानि गंभीर सूखे के निष्कर्ष का।

2. **नियमावली समय-सीमाएँ और केंद्रीय सहायता का रास्ता तय करती है** — प्राप्त पाठ के अनुसार नियमावली कहती है कि ख़रीफ़ का सूखा 31 अक्टूबर तक और रबी का सूखा 31 मार्च तक घोषित हो जाना चाहिए। घोषणा के बाद राज्य एक सप्ताह के भीतर राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष से सहायता के लिए ज्ञापन भेजता है, और कृषि एवं किसान कल्याण विभाग स्थिति के आकलन के लिए अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (Inter-Ministerial Central Team) भेजता है। अधिकांश आपदाएँ गृह मंत्रालय देखता है, पर सूखा धीमी गति से आने वाली और फ़सल-चक्र से बँधी आपदा है, इसलिए केंद्र में इसका प्रबंधन कृषि मंत्रालय करता है।

3. **SDRF और NDRF आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत बने सांविधिक कोष हैं** — आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 46 राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष (NDRF) और धारा 48 राज्य आपदा मोचन कोष (SDRF) का प्रावधान करती है। पंद्रहवें वित्त आयोग की रूपरेखा के अनुसार सामान्य श्रेणी के राज्यों के SDRF में केंद्र 75% और पूर्वोत्तर तथा हिमालयी राज्यों के लिए

	90% योगदान देता है। सूखा सहायता-योग्य अधिसूचित आपदाओं में से एक है, और NDRF केवल गंभीर प्रकृति की आपदाओं में SDRF का पूरक बनता है। राहत केंद्र द्वारा जारी सहायता मानदंडों के अनुसार दी जाती है, पूरे नुकसान के मुआवज़े के रूप में नहीं। 4. **किसान को मुआवज़ा नहीं, आदान सब्सिडी मिलती है** — इस कार्ड के लिए प्राप्त एक राज्य सरकार की प्रति में प्रकाशित 2022-23 से 2025-26 के SDRF/NDRF मानदंड 33% से अधिक फ़सल-हानि पर कृषि आदान सब्सिडी का प्रावधान करते हैं : वर्षा-आधारित क्षेत्रों में ₹8,500 प्रति हेक्टेयर, सुनिश्चित सिंचाई वाले क्षेत्रों में ₹17,000 प्रति हेक्टेयर और बारहमासी फ़सलों के लिए ₹22,500 प्रति हेक्टेयर, अधिकतम 2 हेक्टेयर प्रति किसान। यही मानदंड मृत्यु पर ₹4 लाख अनुग्रह राशि देते हैं। आदान सब्सिडी का मक़सद किसान को अगली फ़सल बोने में मदद देना है, इसीलिए यह खोई हुई उपज के मूल्य से बहुत कम होती है।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. **सूखा और आपदा प्रबंधन GS3 में नाम से दर्ज हैं** — GS3 पाठ्यक्रम में आपदा और आपदा प्रबंधन के साथ प्रमुख फ़सलें, फ़सल-प्रतिरूप और सिंचाई भी शामिल हैं। मुख्य परीक्षा में सूखा-रोधी उपायों, जल प्रबंधन और वर्षा-आधारित कृषि की संवेदनशीलता पर बार-बार प्रश्न आए हैं, और वर्षा की कमी, भूजल योजना और राहत की समय-रेखा वाला एक जीवंत उदाहरण उत्तर को ढाँचा और प्रमाण दोनों देता है। 2. **प्रारंभिक परीक्षा कोषों और अधिनियम को परखती है** — NDRF किस धारा में बना, SDRF में योगदान कौन देता है, सूखा किस मंत्रालय के ज़िम्मे है और 33% फ़सल-हानि की सीमा का क्या अर्थ है — इन पर कथन-आधारित प्रश्न आम हैं। ख़रीफ़ और रबी घोषणाओं के लिए नियमावली की समय-सीमाएँ कम स्पष्ट पर उचित निशाना हैं। 3. **एल नीनो वाले वर्षों में सूखा एक अनुमानित परीक्षा-विषय बन जाता है** — एल नीनो पर पिछले सप्ताह कार्ड आ चुका है, और दक्कन में विफल होता मानसून उसी जलवायु कहानी का देसी चेहरा है। परीक्षक ऐसे प्रश्न पसंद करते हैं जो किसी वैश्विक जलवायु कारक को राज्य-स्तरीय प्रशासनिक प्रतिक्रिया से जोड़ें, और यह मामला उस जुड़ाव का सीधा आधार देता है।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 46 के तहत और राज्य आपदा मोचन कोष धारा 48 के तहत गठित है। ● केंद्र में सूखा प्रबंधन की ज़िम्मेदारी कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की है, गृह मंत्रालय की नहीं। ● सूखा प्रबंधन नियमावली पहले संकेतक के रूप में अनिवार्य वर्षा संकेतक और दूसरे संकेतक के रूप में कृषि, सुदूर संवेदन, मृदा नमी और जल-विज्ञान संबंधी प्रभाव संकेतकों का उपयोग करती है। ● सूखा नियमावली घोषणा से पहले प्रभावित गाँवों में से यादृच्छिक रूप से चुने गए 10% गाँवों में ज़मीनी सत्यापन अनिवार्य करती है। ● SDRF/NDRF मानदंडों के तहत 33% से अधिक फ़सल-हानि होने पर कृषि आदान सब्सिडी देय है, जिसकी सीमा प्रति किसान 2 हेक्टेयर है। ● सूखा नियमावली के अनुसार ख़रीफ़ का सूखा 31 अक्टूबर तक घोषित किया जाना चाहिए। ● तालुका ज़िले का एक प्रशासनिक उपखंड है, जिसका उपयोग महाराष्ट्र जैसे राज्यों में राजस्व और विकास प्रशासन के लिए होता है।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. **मंत्री नियमों से आगे निकल गए हैं, और इससे कानूनी समस्या खड़ी होती है** — सूखा नियमावली घोषणा से पहले ज़मीनी सत्यापन और फ़सल-हानि का निष्कर्ष माँगती है, और स्वयं मुख्यमंत्री कहते हैं कि औपचारिक आकलन नियमों के अनुसार 5 अक्टूबर के बाद होगा। केवल राजनीतिक आश्वासन पर सितंबर के अंत तक की गई घोषणा इस प्रक्रिया से मेल नहीं खाएगी, और केंद्रीय दल की जाँच के समय राज्य के NDRF ज्ञापन को कमज़ोर कर सकती है। ज़्यादा टिकाऊ रास्ता यह है कि वर्षा और प्रभाव संकेतकों के आधार पर जल्दी घोषणा की जाए और ज़मीनी सत्यापन तेज़ी से पूरा किया जाए, ताकि रफ़्तार और प्रक्रिया दोनों सधें। 2. **प्रतिक्रिया का सबसे अच्छा हिस्सा माफ़ियाँ नहीं, जल परिपत्र है** — फ़ीस माफ़ी और बिजली बिल माफ़ी दिखती भी हैं और लोकप्रिय भी हैं, पर अगले छह महीने के जल संकट में इनसे ख़ास मदद नहीं मिलती। 16 सितंबर का परिपत्र, जो कलेक्टरों से मौजूदा स्रोतों को पुनर्जीवित करने और GSDA के आँकड़ों के साथ जून 2027 तक तिमाही-दर-तिमाही योजना बनाने को कहता है, सूखे को एक बार की राहत-बाँट नहीं, बल्कि लंबी घटना मानता है। वह साफ़ तौर पर टैंकरों को पहला उपाय मानने से भी रोकता है — यह इस बात की चुपचाप स्वीकारोक्ति है कि टैंकर आपूर्ति अक्सर महँगी, कमज़ोर निगरानी वाली और रिसाव-प्रवण रही है।

	3. **आदान सब्सिडी के मानदंड सबसे ज़्यादा जोखिम झेलने वाले किसानों की भरपाई कम करते हैं** — मानदंडों के तहत वर्षा-आधारित क्षेत्र का किसान 2 हेक्टेयर तक ₹8,500 प्रति हेक्टेयर पाता है, जबकि सोयाबीन या कपास की खेती की लागत इससे कई गुना है। मानदंड अगली बुआई के लिए धन देने के लिए बने हैं, आय की भरपाई के लिए नहीं, और बाक़ी कमी फ़सल बीमा को पूरी करनी है। पर जहाँ बीमा का दायरा पतला हो और दावे धीमे निपटें, वहाँ यह अंतर किसान पर पड़ता है; यही कारण है कि मराठवाड़ा और विदर्भ में सूखे के बाद अक्सर कर्ज़ का संकट आता है। 4. **गन्ने की प्यास सूखे को और गहरा करती है और चीनी अर्थव्यवस्था को भी चोट पहुँचाती है** — महाराष्ट्र के चीनी उत्पादन में लगभग 20% गिरावट का WISMA का अनुमान दिखाता है कि यह सूखा केवल किसान का नहीं, उद्योग का भी संकट है, जो मिलों, सहकारी संस्थाओं और एथनॉल मिश्रण को प्रभावित करता है। गन्ना सबसे ज़्यादा पानी पीने वाली फ़सलों में है, और राज्य के जल-संकट वाले क्षेत्रों में इसके बड़े रकबे की लंबे समय से आलोचना होती रही है। प्रतिपक्ष यह है कि सुनिश्चित उचित एवं लाभकारी मूल्य (FRP) के कारण बहुत से किसानों के लिए गन्ना सबसे भरोसेमंद आय वाली फ़सल है। सूखे का साल ही ड्रिप सिंचाई और फ़सल विविधीकरण पर ज़ोर देने का सही समय है, जब मौजूदा प्रतिरूप की कीमत सबसे साफ़ दिखती है। 5. **केंद्र का इंतज़ार न करना अच्छी राजनीति भी है और अच्छा प्रशासन भी** — मुख्यमंत्री का केंद्रीय सहायता का इंतज़ार न करने का वादा सिद्धांततः सही है, क्योंकि SDRF बना ही इसलिए है कि राज्य पहले कदम उठा सकें। NDRF के तहत केंद्रीय सहायता ज्ञापन और केंद्रीय दल के दौरे के बाद ही आती है, जिसमें हफ़्ते लगते हैं। असली कसौटी यह होगी कि SDRF में पर्याप्त अव्ययित शेष है या नहीं, और राहत रबी बुआई के फ़ैसले से पहले किसानों तक पहुँचती है या नहीं, क्योंकि आदान सब्सिडी उसी समय वास्तव में काम की होती है।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	"भारत में सूखा नियम से घोषित होता है, पर मौसम से भुगता जाता है।" महाराष्ट्र की वर्तमान शुष्क अवधि के संदर्भ में आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 और सूखा प्रबंधन नियमावली के तहत सूखे की घोषणा और राहत की प्रक्रिया का परीक्षण कीजिए तथा सूखे से निपटने की व्यवस्था को अधिक तेज़ और किसान-केंद्रित बनाने के लिए सुधार सुझाइए। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. **भूमिका** — तथ्य रखें: 20 ज़िलों के कम से कम 83 तालुकों में 20 दिन से ज़्यादा बारिश नहीं, अमरावती, सोलापुर और लातूर जैसे ज़िलों में 40–50% कमी, धाराशिव में टैंकर, और सितंबर के अंत तक '100% सूखे' की घोषणा का वादा। 2. **मुख्य भाग — प्रक्रिया** — नियमावली के दो संकेतक, गंभीर और मध्यम श्रेणियाँ, 10% ज़मीनी सत्यापन और 33% हानि की सीमा; ख़रीफ़ घोषणा के लिए 31 अक्टूबर की समय-सीमा; धारा 48 और 46 के तहत SDRF और NDRF; ज्ञापन और अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल; तथा आदान सब्सिडी के मानदंड समझाएँ। 3. **मुख्य भाग — कमियाँ** — राजनीतिक जल्दबाज़ी और प्रक्रिया के क्रम के बीच खिंचाव, खेती की लागत के मुकाबले आदान सब्सिडी का छोटा आकार, बीमा दावों की सुस्ती, टैंकरों पर निर्भरता, और चीनी उत्पादन में अनुमानित 20% गिरावट से झलकता पानी-खपाऊ फ़सल-प्रतिरूप — इन्हें रेखांकित करें। 4. **मुख्य भाग — सुधार** — त्वरित डिजिटल ज़मीनी सत्यापन के साथ उपग्रह और मृदा-नमी आधारित शीघ्र घोषणा, रबी बुआई से पहले आदान सब्सिडी का प्रत्यक्ष हस्तांतरण, फ़सल बीमा दावों से एकीकरण, 16 सितंबर के परिपत्र की तर्ज़ पर तिमाही-वार पेयजल योजनाएँ, और सूखे क्षेत्रों में ड्रिप सिंचाई तथा गन्ने से हटकर फ़सल विविधीकरण के लिए प्रोत्साहन सुझाएँ। 5. **निष्कर्ष** — निष्कर्ष दें कि सूखा प्रबंधन को नुकसान के बाद की राहत से आगे बढ़कर नुकसान से पहले के जोखिम प्रबंधन की ओर जाना होगा, क्योंकि गर्म होती जलवायु में शुष्क अवधियाँ ज़्यादा बार आएँगी और मानसून कम क्षमाशील होगा।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	**प्रश्न 1. आप धाराशिव के कलेक्टर हैं। टैंकर पहले से चल रहे हैं और राज्य ने 15 नवंबर तक जल योजना माँगी है। आपके पहले कदम क्या होंगे?** ***दृष्टिकोण (Approach):*** मैं कमी वाले गाँवों की GSDA सूची जितनी जल्दी हो सके मँगवाऊँगा और प्रखंड अधिकारियों तथा ग्राम पंचायतों से उसका सत्यापन कराऊँगा। टैंकर मंज़ूर करने से पहले हर गाँव में मौजूदा स्रोतों — कुएँ, बोरवेल और छोटे तालाब, जिनकी मरम्मत या गाद-सफ़ाई हो सके — की जाँच कराऊँगा। जहाँ टैंकर ज़रूरी हों, वहाँ GPS ट्रैकिंग लगवाऊँगा और मार्ग तथा समय-सारिणी सार्वजनिक करूँगा ताकि ग्रामीण छूटे फेरों की शिकायत कर सकें, और जहाँ पशुधन ख़तरे में हो वहाँ पशु शिविरों और चारे को प्राथमिकता दूँगा। **प्रश्न 2. कृषि आयुक्त के रूप में आप सटीकता से समझौता किए बिना फ़सल-हानि का आकलन**

जल्दी कैसे कराएँगे ?

दृष्टिकोण (Approach): मैं सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्रों की पहचान के लिए उपग्रह वनस्पति सूचकांकों और मृदा-नमी आँकड़ों को मिलाकर उपयोग करूँगा, और नियमावली के अनुसार इन्हीं के आधार पर ज़मीनी सत्यापन के गाँव चुनूँगा। मोबाइल ऐप वाले क्षेत्रीय दल जियोटैग की गई तस्वीरें और फ़सल-कटाई प्रयोग के आँकड़े दर्ज कर उसी दिन अपलोड कर सकते हैं। गाँव-वार नतीजों के पारदर्शी प्रकाशन से विवाद घटेंगे और रबी बुआई से पहले आदान सब्सिडी सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जा सकेगी।

प्रश्न 3. साक्षात्कार बोर्ड पूछता है : क्या सरकारों को औपचारिक आकलन पूरा होने से पहले सूखे की घोषणा करनी चाहिए ?

दृष्टिकोण (Approach): सरकार को जल्दी संकेत देना चाहिए कि वह संकट को पहचानती है, क्योंकि देरी भरोसे को चोट पहुँचाती है और किसान बुआई तथा उधार के फ़ैसले उसी समय ले रहे होते हैं। लेकिन औपचारिक घोषणा नियमावली की कसौटियों पर टिकी होनी चाहिए, क्योंकि उससे सार्वजनिक व्यय और केंद्र पर दावा शुरू होता है। सही तरीक़ा यह है कि SDRF के तहत राहत तुरंत शुरू हो और औपचारिक प्रक्रिया तेज़ी से पूरी हो, ताकि संवेदना और जवाबदेही साथ-साथ चलें।

3.2 अगस्त में उर्वरक उत्पादन 12.4% सिकुड़ा, लगातार छठी गिरावट; गैस और गंधक की कमी का असर

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार सोमवार, 21 सितंबर को जारी कोर क्षेत्र के आँकड़ों में उर्वरक उत्पादन लगातार छठे महीने सिकुड़ा : अगस्त में यह पिछले साल की तुलना में 12.4% घटा, जबकि जुलाई में गिरावट 8% थी। कोर क्षेत्र बुनियादी उद्योगों का वह समूह है जिसके संयुक्त उत्पादन पर हर महीने नज़र रखी जाती है — अब इसमें नौ उद्योग हैं : कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफ़ाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट, बिजली और नया जुड़ा लौह अयस्क। एक्सप्रेस के अनुसार ये आँकड़े उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) जारी करता है। कोर क्षेत्र की कुल वृद्धि अगस्त में घटकर तीन महीने के निचले स्तर 4.8% पर आ गई, जो जुलाई में 5% और अगस्त 2025 में 6.2% थी। अगस्त का आँकड़ा 2011-12 की जगह 2022-23 को आधार वर्ष मानने वाले संशोधित सूचकांक के तहत तीसरी रिलीज़ है। बैंक ऑफ़ बड़ौदा के मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनवीस ने उर्वरक उत्पादन में गिरावट का कारण बुआई सीज़न की सुस्ती और बढ़े आयात को बताया। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के मुख्य अर्थशास्त्री देवेंद्र पंत ने कहा कि "पश्चिम एशिया संघर्ष छिड़ने के बाद आपूर्ति-पक्ष की समस्याएँ, यानी गैस आपूर्ति में कमी और ऊँची ऊर्जा लागत, उर्वरक उत्पादन पर बुरा असर डाल रही हैं"। अगस्त में प्राकृतिक गैस उत्पादन 4.9%, कोयला 3.8% और कच्चा तेल 3.6% घटा, जबकि सीमेंट 12.5% और बिजली 11.6% बढ़ी। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) में कोर क्षेत्र का भार 40.27% है। द इंडियन एक्सप्रेस का आज का संपादकीय बताता है कि उर्वरक क्यों संवेदनशील हैं। रिफ़ाइनरियों और गैस संयंत्रों से प्राप्त गंधक (sulphur) को सल्फ़्यूरिक अम्ल में बदला जाता है, जो रॉक फ़ॉस्फ़ेट को पानी में घुलनशील सिंगल सुपर फ़ॉस्फ़ेट, डाई-अमोनियम फ़ॉस्फ़ेट (DAP) और फ़ॉस्फ़ोरस वाले अन्य मिश्रित उर्वरकों में बदलने के लिए ज़रूरी है। सामान्य दिनों में भारत जो गंधक $200 या उससे कम प्रति टन पर आयात करता था, वह अब $1,000 और उससे ऊपर का है, क्योंकि रूस और फ़ारस की खाड़ी में ऊर्जा अवसंरचना पर हमलों से शोधन क्षमता ठप हो गई है। संपादकीय के अनुसार भारत घरेलू यूरिया उत्पादन के लिए पर्याप्त यूरिया और द्रवीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) आयात करने में सफल रहा है, पर फ़ॉस्फ़ेटिक और मिश्रित उर्वरकों का आयात और घरेलू विनिर्माण "गंभीर रूप से बाधित" हुआ है। द इकोनॉमिक टाइम्स का एक लेख जोड़ता है कि गैस-से-यूरिया उर्वरक स्प्रेड पहले ही सामान्य से पाँच से दस गुना हैं और आगे बढ़ सकते हैं, जिससे भारत का सब्सिडी बिल बढ़ेगा। पाठ्यक्रम से जुड़ाव : कृषि आदान, सब्सिडी और ऊर्जा सुरक्षा। गंधक की कीमतों में उछाल पर 21 सितंबर को कार्ड आ चुका है ; नया घटनाक्रम उत्पादन के आँकड़े हैं।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

पश्चिम एशिया संघर्ष और रूस व खाड़ी की ऊर्जा अवसंरचना पर हमले शोधन क्षमता ठप करते हैं → गंधक लगभग $200 से बढ़कर $1,000 प्रति टन से ऊपर, गैस आपूर्ति तंग और LNG स्प्रेड सामान्य से 5–10 गुना → फ़ॉस्फ़ेटिक और मिश्रित उर्वरकों का विनिर्माण बाधित, आयात बढ़ता है → उर्वरक उत्पादन लगातार छठे महीने गिरता है, अगस्त में 12.4% → रबी बुआई नज़दीक, DAP की उपलब्धता और सब्सिडी बिल पर दबाव

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. **प्रमुख उद्योगों का सूचकांक उद्योग का मासिक अग्रणी संकेतक है** — प्रमुख उद्योगों का सूचकांक (Index of Core Industries) उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग का आर्थिक सलाहकार कार्यालय तैयार करता है और संदर्भ माह के लगभग एक महीने बाद, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक से पहले, जारी करता है। द इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार इसका आधार वर्ष 2011-12 से बदलकर 2022-23 कर दिया गया है और लौह अयस्क जोड़े जाने से अब इसमें नौ उद्योग हैं। IIP में प्रमुख उद्योगों का कुल भार 40.27% है, इसलिए इनमें सुस्ती आमतौर पर कमज़ोर औद्योगिक वृद्धि का पूर्व-संकेत होती है।
2. **यूरिया और फ़ॉस्फ़ेटिक उर्वरकों पर सब्सिडी की दो अलग व्यवस्थाएँ हैं** — यूरिया सांविधिक रूप से नियंत्रित अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) पर बिकता है, और सरकार निर्माताओं को लागत और उस मूल्य के अंतर का भुगतान करती है ; इसलिए गैस की लागत बढ़ने पर खेत पर कीमत नहीं, सब्सिडी बढ़ती है। DAP जैसे फ़ॉस्फ़ेटिक और पोटाश उर्वरक 1 अप्रैल 2010 से

	पोषक-तत्व आधारित सब्सिडी (Nutrient Based Subsidy) योजना के तहत हैं, जिसमें प्रति किलोग्राम पोषक-तत्व एक निश्चित सब्सिडी मिलती है और खुदरा कीमतें सिद्धांततः खुली रहती हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय का उर्वरक विभाग दोनों का प्रशासन करता है, और उर्वरकों का नियमन आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जारी उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 से होता है। 3. **यूरिया का कच्चा माल प्राकृतिक गैस है, फ़ॉस्फ़ेट की कुंजी गंधक** — यूरिया प्राकृतिक गैस से बनी अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया कराकर बनता है, इसलिए गैस ईंधन भी है और कच्चा माल भी। फ़ॉस्फ़ेटिक उर्वरकों के लिए फ़ॉस्फ़ोरिक अम्ल चाहिए, जो रॉक फ़ॉस्फ़ेट को सल्फ़्यूरिक अम्ल से उपचारित कर बनता है; इसीलिए रिफ़ाइनरी के उप-उत्पाद गंधक की कीमत इतनी मायने रखती है। भारत अपना अधिकांश रॉक फ़ॉस्फ़ेट और फ़ॉस्फ़ोरिक अम्ल तथा DAP का बड़ा हिस्सा आयात करता है, जिससे फ़ॉस्फ़ेटिक आपूर्ति यूरिया की तुलना में आयात पर ज़्यादा निर्भर है। 4. **DAP की रबी माँग अक्टूबर–नवंबर में चरम पर होती है** — रबी की मुख्य फ़सलें — गेहूँ, सरसों और चना — अक्टूबर से दिसंबर के बीच बोई जाती हैं, और फ़ॉस्फ़ोरस की आधार खुराक (basal dose) के रूप में DAP आमतौर पर बुआई के समय डाला जाता है। इसलिए अक्टूबर में DAP भंडार की कोई भी कमी सीधे बुआई के फ़ैसलों को प्रभावित करती है। DAP न मिलने पर किसान अक्सर सिंगल सुपर फ़ॉस्फ़ेट या मिश्रित उर्वरकों पर चले जाते हैं या कम फ़ॉस्फ़ोरस डालते हैं, जिसका असर उपज और मृदा पोषक-संतुलन पर पड़ता है।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. **कृषि आदान और सब्सिडी GS3 में नाम से दर्ज हैं** — GS3 पाठ्यक्रम में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कृषि सब्सिडी तथा आदानों के सार्वजनिक वितरण और आपूर्ति से जुड़े मुद्दे शामिल हैं। उर्वरक सब्सिडी केंद्र की सबसे बड़ी सब्सिडी मदों में है, और मुख्य परीक्षा में पोषक-तत्वों के असंतुलित उपयोग और उर्वरक मूल्य-निर्धारण के सुधार पर प्रश्न आ चुके हैं। 2. **प्रारंभिक परीक्षा योजनाओं और सूचकांक पर पूछती है, मासिक वृद्धि पर नहीं** — पोषक-तत्व आधारित सब्सिडी योजना, यूरिया और DAP के मूल्य-निर्धारण का अंतर, नीम-लेपित यूरिया, प्रमुख उद्योगों का सूचकांक और उसे कौन-सा निकाय तैयार करता है — इन पर प्रश्नों की अपेक्षा करें। अगस्त की गिरावट का आँकड़ा स्वयं परीक्षा-योग्य नहीं है। 3. **इस खबर में ऊर्जा सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा आपस में मिलती हैं** — एक्सप्रेस संपादकीय का यह तर्क कि मौजूदा संकट कच्चे तेल का नहीं, रिफ़ाइनरियों और गंधक का है, अभ्यर्थियों को ऊर्जा सुरक्षा पर एक नया कोण देता है। जो मुख्य परीक्षा उत्तर यह दिखा सके कि पश्चिम एशिया का युद्ध गंधक की कीमत के रास्ते पंजाब के गेहूँ के खेत तक कैसे पहुँचता है, वह ठीक वही अंतर्संबंध हैं जिसकी परीक्षक तलाश करते हैं।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● प्रमुख उद्योगों का सूचकांक उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग का आर्थिक सलाहकार कार्यालय तैयार और जारी करता है। ● फ़ॉस्फ़ेटिक और पोटाश उर्वरकों के लिए पोषक-तत्व आधारित सब्सिडी योजना 1 अप्रैल 2010 से लागू है; यूरिया इससे बाहर है और सांविधिक रूप से तय अधिकतम खुदरा मूल्य पर बिकता है। ● उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जारी किया गया है। ● भारत में अमोनिया, और इसलिए यूरिया उत्पादन, का मुख्य कच्चा माल प्राकृतिक गैस है। ● सल्फ़्यूरिक अम्ल का उपयोग रॉक फ़ॉस्फ़ेट को फ़ॉस्फ़ोरिक अम्ल और सिंगल सुपर फ़ॉस्फ़ेट तथा DAP जैसे पानी में घुलनशील फ़ॉस्फ़ेटिक उर्वरकों में बदलने के लिए होता है। ● डाई-अमोनियम फ़ॉस्फ़ेट में 18% नाइट्रोजन और 46% फ़ॉस्फ़ोरस पेंटॉक्साइड होता है।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. **छह महीने की लगातार गिरावट माँग की सुस्ती नहीं, आपूर्ति की समस्या है** — श्री सबनवीस बुआई सीज़न की सुस्ती और बढ़े आयात की ओर इशारा करते हैं, जिसका अर्थ होगा कि माँग बस विदेश से पूरी हो रही है। लेकिन उत्पादन में लगातार छह महीने की गिरावट, जो 8% से गहराकर 12.4% हो गई और गैस व गंधक संकट के साथ-साथ चली, श्री पंत की आपूर्ति-पक्ष वाली व्याख्या से बेहतर मेल खाती है। अगर समस्या केवल मौसमी माँग की होती, तो रबी सीज़न पास आते-आते उत्पादन गिरता न रहता। दोनों मत आंशिक रूप से सही हो सकते हैं: घरेलू संयंत्र लागत से पिस रहे हैं, और आयात ऊँची कीमत पर अंतर का कुछ हिस्सा भर रहा है। 2. **यूरिया को सब्सिडी की रूपरेखा बचाती है; DAP को नहीं** — चूँकि यूरिया का खुदरा मूल्य तय

	है और लागत बढ़ने का बोझ सरकार उठाती है, इसलिए किसान गैस के झटके से बचे रहते हैं, और संपादकीय के अनुसार यूरिया और LNG का आयात पर्याप्त रहा है। DAP पर प्रति पोषक-तत्व निश्चित सब्सिडी है, इसलिए जब गंधक और फ़ॉस्फ़ोरिक अम्ल की लागत बढ़ती है तो या तो कंपनियाँ घाटा उठाती हैं, या सरकार सब्सिडी बढ़ाती है, या आपूर्ति सिकुड़ती है। यही विषमता बताती है कि कमी सबसे पहले फ़ॉस्फ़ेटिक खंड में क्यों दिखती है, और यह किसानों को सस्ते नाइट्रोजन के अति-उपयोग की ओर भी धकेलती है, जिससे पोषक-तत्व असंतुलन और बिगड़ता है। 3. **सब्सिडी बिल बढ़ेगा, और राजकोषीय विकल्प राजनीतिक है** — अगर गैस-से-यूरिया स्प्रेड, जैसा इकोनॉमिक टाइम्स का लेख कहता है, सामान्य से पाँच से दस गुना हैं, तो यूरिया की कीमतें जस की तस रखने की लागत तेज़ी से बढ़ती है। सरकार सब्सिडी बढ़ा सकती है, दूसरे खर्च घटा सकती है, या लागत का कुछ हिस्सा आगे बढ़ा सकती है; व्यवहार में बुआई सीज़न से पहले या उसके दौरान खेत पर कीमतें बढ़ाने की संभावना कम है। प्रतिपक्ष यह है कि यह संकट अस्थायी है और खाद्य उत्पादन की रक्षा के लिए यह राजकोषीय कीमत चुकाने लायक है; अगर संघर्ष जल्दी ख़त्म हो जाए तो यह रुख उचित है। 4. **संकट घरेलू विकल्पों का पक्ष मज़बूत करता है, पर वे धीमे हैं** — नैनो उर्वरक, जैविक खाद, घरेलू गंधक और फ़ॉस्फ़ेट स्रोतों का बेहतर उपयोग, और सटीक प्रयोग समय के साथ आयात-निर्भरता घटा सकते हैं। पर इनमें से कोई भी इस रबी सीज़न में आधार खुराक वाले DAP की जगह नहीं ले सकता। सबक यह है कि फ़ॉस्फ़ोरिक अम्ल जैसे प्रमुख कच्चे माल के सामरिक भंडार बनाए जाएँ और अगले झटके से पहले आपूर्ति अनुबंधों में विविधता लाई जाए, क्योंकि 140 करोड़ लोगों का पेट भरने वाले देश के लिए उर्वरक उतना ही सामरिक है जितना कच्चा तेल। 5. **महाराष्ट्र का सूखा और उर्वरक की तंगी एक-दूसरे का असर बढ़ाते हैं** — जिन किसानों की ख़रीफ़ फ़सल सूखे में चली गई, वे कम नकदी के साथ रबी सीज़न में उतरते हैं और अब उन्हें दुर्लभ या महँगे फ़ॉस्फ़ेटिक उर्वरक का सामना करना है। कमज़ोर ग्रामीण आय और तंग आदान मिलकर प्रभावित क्षेत्रों में रबी रकबा या उपज घटा सकते हैं। जो नीति सूखा राहत और उर्वरक आपूर्ति को अलग-अलग विभागों की समस्या मानेगी, वह इस परस्पर प्रभाव को नहीं पकड़ पाएगी; समय पर आदान सब्सिडी और सूखा-प्रभावित ज़िलों को DAP का प्राथमिकता आवंटन दोनों समस्याओं का हल करेगा।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	"भारत की उर्वरक सुरक्षा उसकी ऊर्जा सुरक्षा पर निर्भर है।" उर्वरक उत्पादन में जारी गिरावट और गंधक तथा गैस की वैश्विक कमी के आलोक में भारत के उर्वरक क्षेत्र की कमज़ोरियों का परीक्षण कीजिए तथा रबी सीज़न और उसके आगे आपूर्ति सुरक्षित करने के उपाय सुझाइए। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. **भूमिका** — आँकड़ों से शुरुआत करें: अगस्त में उर्वरक उत्पादन पिछले साल से 12.4% कम, लगातार छठी मासिक गिरावट, उस पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच जिसने गंधक को $1,000 प्रति टन से ऊपर पहुँचा दिया है और गैस आपूर्ति तंग कर दी है। 2. **मुख्य भाग — क्षेत्र संवेदनशील क्यों है** — यूरिया के कच्चे माल के रूप में गैस और फ़ॉस्फ़ेटिक उर्वरकों के प्रमुख आदान के रूप में गंधक; रॉक फ़ॉस्फ़ेट, फ़ॉस्फ़ोरिक अम्ल और DAP के लिए आयात-निर्भरता; तथा यूरिया (तय MRP) और DAP (पोषक-तत्व आधारित सब्सिडी) की अलग-अलग सब्सिडी व्यवस्थाएँ समझाएँ। 3. **मुख्य भाग — परिणाम** — रबी बुआई से पहले DAP की उपलब्धता पर दबाव, किसानों द्वारा यूरिया के अति-उपयोग से पोषक-तत्व असंतुलन, बढ़ता सब्सिडी बिल, और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में सूखे के साथ मिलकर बढ़ता असर — इन पर चर्चा करें। 4. **मुख्य भाग — उपाय** — कच्चे माल के सामरिक भंडार, दीर्घकालिक आपूर्ति समझौते और विदेशों में संयुक्त उद्यम, NBS दरों का पुनर्निर्धारण, कमी वाले और सूखा-प्रभावित ज़िलों को प्राथमिकता आवंटन, SSP और घरेलू गंधक-प्राप्ति को बढ़ावा, मृदा-परीक्षण आधारित प्रयोग, और नैनो तथा जैविक विकल्पों को धीरे-धीरे अपनाना सुझाएँ। 5. **निष्कर्ष** — निष्कर्ष दें कि उर्वरक को सामरिक अवसंरचना माना जाए और उसकी योजना कच्चे तेल के भंडार जितनी गंभीरता से बने, क्योंकि खाद्य सुरक्षा इसी पर टिकी है।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	**प्रश्न 1. आप रबी बुआई से पहले एक ज़िले में कृषि संयुक्त निदेशक हैं और DAP का भंडार कम है। आप क्या करेंगे?** ***दृष्टिकोण (Approach):*** मैं उर्वरक निगरानी प्रणाली के ज़रिए सभी खुदरा विक्रेताओं और सहकारी समितियों से रोज़ का भंडार डेटा लूँगा और प्रखंड-वार उपलब्धता सार्वजनिक करूँगा, ताकि किसानों को एक दुकान से दूसरी दुकान न भटकना पड़े। जमाख़ोरी, कालाबाज़ारी और DAP

के साथ दूसरे उत्पाद ज़बरदस्ती थोपने (forced tagging) को रोकने के लिए निरीक्षण कराऊँगा। साथ ही यूरिया के साथ सिंगल सुपर फ़ॉस्फ़ेट जैसे विकल्पों और मृदा-परीक्षण आधारित खुराक पर अभियान चलाऊँगा, ताकि किसान फ़ॉस्फ़ोरस पूरी तरह न छोड़ दें।

प्रश्न 2. उर्वरक विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में क्या आप सीज़न के बीच में पोषक-तत्व आधारित सब्सिडी की दरें बढ़ाएँगे?

दृष्टिकोण (Approach): अगर कच्चे माल की लागत तेज़ी से बढ़ी है और आपूर्ति गिर रही है, तो कंपनियों को आयात और उत्पादन जारी रखने के लिए सीज़न के बीच संशोधन ज़रूरी हो सकता है। मैं संशोधन को लागत के पारदर्शी आँकड़ों पर आधारित करूँगा और उसे समयबद्ध रखूँगा, ताकि कीमतें नरम पड़ने पर उसकी समीक्षा हो। इसका विकल्प — बुआई सीज़न में DAP का दुर्लभ हो जाना — अतिरिक्त सब्सिडी की तुलना में खोए उत्पादन और किसानों की तकलीफ़ के रूप में कहीं ज़्यादा महँगा पड़ेगा।

प्रश्न 3. साक्षात्कार बोर्ड पूछता है: क्या अति-उपयोग और सब्सिडी बिल घटाने के लिए यूरिया की कीमतें बढ़ाई जानी चाहिए?

दृष्टिकोण (Approach): सिद्धांततः यूरिया की बहुत कम कीमत अति-उपयोग को बढ़ावा देती है और मृदा स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाती है, इसलिए इसका युक्तिकरण वांछनीय है। लेकिन सूखे और आदान की कमी वाले साल में कीमतें बढ़ाना किसानों को उनके सबसे कमज़ोर क्षण में चोट पहुँचाएगा और उत्पादन घटा सकता है। बेहतर रास्ता यह है कि किसानों को प्रत्यक्ष आय सहायता के साथ धीरे-धीरे पोषक-तत्व आधारित मूल्य-निर्धारण की ओर बढ़ा जाए, जिसकी घोषणा बहुत पहले हो और जिसे किसी सामान्य वर्ष में लागू किया जाए।

3.3 भारत–न्यूज़ीलैंड FTA 20 अक्टूबर से लागू: डेयरी बाहर, सेब, कीवी और शहद कोटे की बाड़ में

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और न्यूज़ीलैंड के व्यापार मंत्री टॉड मैक्ले ने सोमवार, 21 सितंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए घोषणा की कि 27 अप्रैल को नई दिल्ली में हस्ताक्षरित भारत-न्यूज़ीलैंड मुक्त व्यापार समझौता (FTA) 20 अक्टूबर, विजयादशमी से लागू होगा। ET के अनुसार न्यूज़ीलैंड की संसद ने 16 सितंबर को 29 के मुकाबले 93 मतों से इसका सक्षम कानून पारित किया। दोनों पक्षों का लक्ष्य "अगले चार से पाँच वर्षों" में वस्तुओं और सेवाओं के द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर लगभग ₹35,000 करोड़ तक पहुँचाना है। श्री गोयल ने कहा कि भारत ने अपने संवेदनशील क्षेत्रों को रियायतों से बाहर रखा है — डेयरी और प्याज़, बादाम, चना, मटर, कृत्रिम शहद, मक्का और चीनी समेत कृषि उपज। उन्होंने कहा, "डेयरी हम किसी के लिए नहीं खोलते।" वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार न्यूज़ीलैंड के सेब, कीवीफ्रूट और मनुका शहद के लिए न्यूनतम आयात मूल्य और मौसमी आयात खिड़कियों के साथ प्रशुल्क-दर कोटा (tariff rate quota, TRQ) के ज़रिए "संतुलित बाज़ार पहुँच" की व्यवस्था की गई है, और घरेलू किसानों के लिए सुरक्षा उपाय भी रखे गए हैं। TRQ का अर्थ है कि एक तय मात्रा कम या शून्य शुल्क पर आ सकती है, जबकि उससे ऊपर का आयात सामान्य, ऊँचा शुल्क चुकाता है; न्यूनतम आयात मूल्य वह निचली सीमा है जिससे कम कीमत पर आयात की अनुमति नहीं; और मौसमी खिड़की केवल उन महीनों में आयात की अनुमति देती है जब भारतीय उपज बाज़ार में नहीं होती। ET के ग्राफ़िक के अनुसार कीवीफ्रूट को न्यूज़ीलैंड के मौजूदा निर्यात से लगभग चार गुना कोटे के भीतर शुल्क-मुक्त पहुँच मिली है, और मनुका शहद पर शुल्क पाँच साल में 66% से घटाकर 16.5% किया जाएगा। ग्राफ़िक में 14 साल का द्विपक्षीय सुरक्षा तंत्र, न्यूज़ीलैंड के रास्ते भेजे जाने वाले तीसरे देशों के माल के ख़िलाफ़ कड़े उत्पत्ति के नियम, और तीन साल तक के प्रवास वाले 5,000 अस्थायी रोज़गार प्रवेश वीज़ा भी दर्ज हैं। भारतीय वस्तुएँ पहले दिन से सभी टैरिफ़ लाइनों पर न्यूज़ीलैंड में शुल्क-मुक्त प्रवेश करेंगी। न्यूज़ीलैंड को शुरुआत में अपने 57% निर्यात के लिए शुल्क-मुक्त पहुँच मिलेगी, जो पूरी तरह चरणबद्ध लागू होने पर 82% हो जाएगी, और मूल्य के हिसाब से उसके 95% निर्यात पर शुल्क समाप्त या कम होंगे; हालाँकि ET का एक अन्य ग्राफ़िक पहले दिन की शुल्क-मुक्त पहुँच 54.11% बताता है। न्यूज़ीलैंड ने 15 वर्षों में भारत में $20 अरब के निवेश को सुगम बनाने की प्रतिबद्धता जताई है; श्री गोयल ने तकनीकी सहयोग के लिए कीवी खेती और मधुमक्खी पालन (apiculture) का उल्लेख किया। द हिंदू के अनुसार 2024-25 में द्विपक्षीय व्यापार $1.3 अरब था, जबकि ET के अनुसार FY25 में लगभग $2.4 अरब; अखबार इस अंतर की व्याख्या नहीं करते। पाठ्यक्रम से जुड़ाव: व्यापार समझौते, WTO और कृषि संरक्षण।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

2019 में भारत RCEP से बाहर, ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड से डेयरी व कृषि आयात की आशंका → ऑस्ट्रेलिया की तरह डेयरी को बाहर रखने वाले द्विपक्षीय FTA की ओर रुख → न्यूज़ीलैंड के साथ वार्ता पूरी, 27 अप्रैल को हस्ताक्षर और 16 सितंबर को न्यूज़ीलैंड की संसद से अनुसमर्थन → भारत डेयरी, प्याज़, चना और चीनी बाहर रखता है और सेब, कीवीफ्रूट व मनुका शहद को केवल कोटा, मूल्य-सीमा और मौसमी खिड़कियों के ज़रिए प्रवेश देता है → समझौता 20 अक्टूबर से लागू

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. **WTO का कृषि पर समझौता तीन स्तंभों पर टिका है** — 1995 में WTO के साथ लागू हुआ कृषि पर समझौता (Agreement on Agriculture) बाज़ार पहुँच, घरेलू समर्थन और निर्यात प्रतिस्पर्धा को अनुशासित करता है। बाज़ार पहुँच के तहत गैर-टैरिफ़ बाधाओं को टैरिफ़ में बदला गया (tariffication), और सदस्यों को कम शुल्क पर न्यूनतम स्तर के आयात की गारंटी के लिए प्रशुल्क-दर कोटा अपनाने की अनुमति मिली। कई कृषि उत्पादों पर भारत की बाध्य (bound) टैरिफ़ दरें ऊँची हैं, जिससे उसे संवेदनशील उत्पादों की रक्षा की गुंजाइश मिलती है। GATT के अनुच्छेद XXIV के तहत मुक्त व्यापार समझौते को पक्षकारों के बीच लगभग पूरे व्यापार को

	शामिल करना होता है, इसीलिए संवेदनशील सूचियों पर बहुत सावधानी से मोलभाव होता है। 2. **प्रशुल्क-दर कोटा, न्यूनतम आयात मूल्य और सुरक्षा उपाय संतुलित खुलेपन के औज़ार हैं** — प्रशुल्क-दर कोटा एक तय मात्रा पर कम कोटा-अंतर्गत शुल्क और उससे ऊपर ऊँचा कोटा-बाह्य शुल्क लगाता है। न्यूनतम आयात मूल्य तय निचली सीमा से सस्ते आयात को रोकता है और घरेलू उत्पादकों को बहुत सस्ती आपूर्ति से बचाता है। FTA में द्विपक्षीय सुरक्षा तंत्र किसी पक्ष को यह छूट देता है कि अगर समझौते के तहत आयात में उछाल से किसी घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हो या उसका ख़तरा हो, तो वह अस्थायी रूप से शुल्क फिर बढ़ा सके। उत्पत्ति के नियम (rules of origin) तय करते हैं कि रियायती शुल्क का पात्र बनने के लिए किसी माल का कितना प्रसंस्करण साझेदार देश में होना चाहिए। 3. **डेयरी भारत का सबसे संरक्षित क्षेत्र है, क्योंकि उस पर निर्भर लोग कौन हैं** — भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक है, और यह स्थान 1970 में वर्गीज़ कुरियन के नेतृत्व में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन फ़्लड के सहकारी मॉडल पर बना है। इस क्षेत्र में छोटे और सीमांत किसानों और भूमिहीन परिवारों का, जिनमें बहुत-सी महिलाएँ हैं, दबदबा है; उनके लिए दूध रोज़ की नकद आय है। भारत नवंबर 2019 में क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) से बाहर आ गया, और उसकी चिंताओं में न्यूज़ीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से डेयरी आयात का ख़तरा भी था; 2022 के भारत–ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते में भी डेयरी को बाहर रखा गया। 4. **भारत में मुक्त व्यापार समझौतों पर वाणिज्य मंत्रालय वार्ता करता है और कार्यपालिका हस्ताक्षर करती है** — भारत के व्यापार समझौतों पर वाणिज्य विभाग वार्ता करता है और केंद्रीय मंत्रिमंडल उन्हें मंज़ूरी देता है; संसद की स्वीकृति संवैधानिक रूप से आवश्यक नहीं है, क्योंकि संधि करना अनुच्छेद 73 के तहत प्रयुक्त कार्यपालिका शक्ति है, जो अनुच्छेद 253 के तहत संधियों पर कानून बनाने की संसद की शक्ति के अधीन है। इसके विपरीत, न्यूज़ीलैंड को समझौता लागू करने के लिए कानून बनाना पड़ा। भारत के हाल के समझौतों में संयुक्त अरब अमीरात (2022), ऑस्ट्रेलिया (2022), EFTA देशों (2024) और यूनाइटेड किंगडम के साथ हुए समझौते शामिल हैं।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. **द्विपक्षीय व्यापार समझौते GS2 और GS3 दोनों के पसंदीदा विषय हैं** — GS2 में भारत के हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय और क्षेत्रीय समझौते हैं, और GS3 में अर्थव्यवस्था पर उदारीकरण के प्रभाव। प्रश्नों में पूछा गया है कि भारत RCEP से क्यों निकला और FTA घरेलू क्षेत्रों को कैसे प्रभावित करते हैं; जो उत्तर न्यूज़ीलैंड समझौते की विशिष्ट संरक्षण-रूपरेखा का हवाला देता है, वह सामान्य बातें करने वाले उत्तर से ज़्यादा मज़बूत होता है। 2. **प्रारंभिक परीक्षा व्यापार की शब्दावली और WTO की संरचना परखती है** — प्रशुल्क-दर कोटा, न्यूनतम आयात मूल्य, उत्पत्ति के नियम, सुरक्षा उपाय, बाध्य टैरिफ़ और कृषि पर समझौते के तीन स्तंभ जैसे शब्द मानक हैं। भारत के FTA वाले देशों की सूची और RCEP की सदस्यता भी नियमित निशाने हैं। 3. **व्यापार में कृषि संरक्षण साक्षात्कार का बार-बार लौटने वाला विषय है** — साक्षात्कार बोर्ड अक्सर पूछते हैं कि क्या भारत कृषि में ज़रूरत से ज़्यादा संरक्षणवादी है। न्यूज़ीलैंड समझौता एक बीच का रास्ता दिखाता है — उन फलों और शहद के लिए दरवाज़ा खोलना जिनका भारत पर्याप्त मात्रा में या उस मौसम में उत्पादन नहीं करता, और डेयरी की रक्षा करना — जिसका अभ्यर्थी हवाला दे सकता है।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● 1995 से लागू WTO का कृषि पर समझौता तीन स्तंभों पर टिका है : बाज़ार पहुँच, घरेलू समर्थन और निर्यात प्रतिस्पर्धा। ● प्रशुल्क-दर कोटा आयात की एक निर्दिष्ट मात्रा को कम टैरिफ़ पर आने देता है, और उससे अधिक मात्रा पर ऊँचा टैरिफ़ लगता है। ● उत्पत्ति के नियम तय करते हैं कि कोई माल साझेदार देश में उत्पन्न माना जाएगा या नहीं, और इसलिए व्यापार समझौते के तहत अधिमानी टैरिफ़ का पात्र होगा या नहीं। ● भारत नवंबर 2019 में क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी की वार्ताओं से अलग हो गया। ● 1970 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन फ़्लड ने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक बनाया। ● GATT का अनुच्छेद XXIV सर्वाधिक-अनुग्रहित राष्ट्र (MFN) व्यवहार के अपवाद के रूप में मुक्त व्यापार क्षेत्रों की अनुमति देता है, बशर्ते वे पक्षकारों के बीच लगभग पूरे व्यापार को शामिल करें।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. **भारत ने एक साँचा पक्का कर लिया है : ऊँचे मूल्य वाला ख़ास बाज़ार खोलो, आम उपभोग वाला बाज़ार बंद रखो** — सेब, कीवीफ़्रूट और मनुका शहद ऊँचे मूल्य वाले उत्पाद हैं, जिनकी

	खपत मुख्यत: शहरी, ऊँची आय वाले परिवार करते हैं, और भारत की अपनी आपूर्ति या तो मौसमी है या सीमित। इन्हें कोटा, मूल्य-सीमा और मौसमी खिड़कियों के ज़रिए खोलने से उपभोक्ताओं को फ़ायदा मिलता है और फ़सल के समय भारतीय उत्पादकों को नुकसान नहीं होता। इसके उलट डेयरी, प्याज़, चना और चीनी आम उपभोग के उत्पाद हैं, जिनके करोड़ों छोटे उत्पादक हैं, और ये बाहर रहते हैं। यही साँचा ऑस्ट्रेलिया के साथ अपनाया गया था, और कृषि निर्यातक देशों के लिए यह भारत की मानक पेशकश बनने की संभावना है। 2. **न्यूनतम आयात मूल्य और मौसमी खिड़की हिमाचल और कश्मीर के सेब उत्पादकों की रक्षा करते हैं** — न्यूज़ीलैंड में सेब का मौसम दक्षिणी गोलार्ध की शरद ऋतु में आता है, जो हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में भारत की अपनी फ़सल के समय से मेल नहीं खाता। मौसमी खिड़की आयात की अनुमति केवल उन महीनों में देती है जब भारतीय सेब कम होते हैं या शीत भंडार से निकलते हैं। न्यूनतम आयात मूल्य सस्ते फलों की डंपिंग रोकता है। फिर भी उत्पादक संगठन कोटे की मात्रा पर नज़र रखेंगे, क्योंकि शीत भंडार में रखे भारतीय सेब उन्हीं बेमौसम महीनों में प्रतिस्पर्धा करते हैं। 3. **भारत के लाभ ज़्यादातर वस्तुओं में नहीं, सेवाओं और निवेश में हैं** — न्यूज़ीलैंड एक छोटा बाज़ार है, और $1.3 अरब से $2.4 अरब के बीच का द्विपक्षीय व्यापार मामूली है। भारतीय वस्तुओं के लिए शुल्क-मुक्त पहुँच मुख्यत: इंजीनियरिंग सामान, वाहनों और दवाओं के लिए मायने रखती है, जिन पर पहले से ही कम शुल्क लगता है। बड़े लाभ 5,000 अस्थायी रोज़गार वीज़ा, अध्ययन के बाद काम के रास्ते, और $20 अरब के निवेश को सुगम बनाने की प्रतिबद्धता हैं; इस प्रतिबद्धता को गारंटीशुदा प्रवाह नहीं, बल्कि सुगमता का लक्ष्य समझा जाना चाहिए। 4. **कृषि सहयोग बाज़ार पहुँच से ज़्यादा अहम साबित हो सकता है** — श्री गोयल का कीवी खेती और मधुमक्खी पालन का उल्लेख बाग़ प्रबंधन, डेयरी आनुवंशिकी और शहद की गुणवत्ता में न्यूज़ीलैंड की तकनीकी ताक़त की ओर इशारा करता है। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में भारत का कीवीफ़्रूट उत्पादन और राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन के तहत उसका मधुमक्खी पालन क्षेत्र तकनीकी साझेदारियों से लाभ उठा सकते हैं। प्रतिपक्ष यह है कि ऐसे सहयोग प्रावधान अक्सर कमज़ोर ढंग से लागू होते हैं, और बिना वित्तपोषित कार्यक्रमों के वे काग़ज़ी वादे बनकर रह जाते हैं। 5. **डेयरी को बाहर रखना आजीविका बचाता है, पर लंबे समय में इसकी कीमत है** — डेयरी को बाहर रखने से आज छोटे उत्पादक सुरक्षित रहते हैं, पर इससे यह क्षेत्र उस प्रतिस्पर्धा से भी बच जाता है जो उत्पादकता बढ़ा सकती थी; न्यूज़ीलैंड की तुलना में प्रति पशु उत्पादकता अब भी कम है। भारत की रणनीति किसी भी खुलेपन से पहले नस्ल-सुधार और सहकारी संस्थाओं के ज़रिए उत्पादकता बढ़ाने पर टिकी है। जोखिम यह है कि संरक्षण उन उत्पादकता-लाभों के बिना स्थायी बन जाए जो उसे उचित ठहराते; कसौटी यह है कि अगले दशक में यह अंतर घटता है या नहीं।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	भारत के हाल के व्यापार समझौते कुछ कृषि बाज़ार खोलते हैं, जबकि डेयरी और मुख्य फ़सलों को संरक्षित रखते हैं। भारत–न्यूज़ीलैंड मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में बाज़ार पहुँच और किसान संरक्षण के बीच संतुलन साधने के लिए अपनाए गए साधनों का परीक्षण कीजिए तथा आकलन कीजिए कि क्या यह दृष्टिकोण भारत के दीर्घकालिक कृषि हितों की पूर्ति करता है। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. **भूमिका** — तथ्य रखें: 27 अप्रैल को हस्ताक्षरित समझौता 20 अक्टूबर से लागू होगा; भारत ने डेयरी, प्याज़, चना, मटर, बादाम, कृत्रिम शहद, मक्का और चीनी को बाहर रखा है, और सेब, कीवीफ़्रूट तथा मनुका शहद को न्यूनतम आयात मूल्य और मौसमी खिड़कियों वाले TRQ के ज़रिए खोला है। 2. **मुख्य भाग — साधन** — प्रशुल्क-दर कोटा, न्यूनतम आयात मूल्य, मौसमी खिड़कियाँ, 14 साल का द्विपक्षीय सुरक्षा तंत्र और कड़े उत्पत्ति के नियम समझाएँ, और इन्हें WTO के कृषि पर समझौते तथा GATT के अनुच्छेद XXIV से जोड़ें। 3. **मुख्य भाग — यह संतुलन क्यों** — छोटे, भूमिहीन और महिला उत्पादकों के लिए डेयरी का महत्व, 2019 में RCEP से निकास, 2022 की ऑस्ट्रेलिया वाली नज़ीर, और ऐसे ऊँचे मूल्य वाले ख़ास बाज़ार खोलने का तर्क जो मौसम में भारतीय उपज से प्रतिस्पर्धा नहीं करते — इन पर चर्चा करें। 4. **मुख्य भाग — आकलन** — उपभोक्ता लाभ, कीवी और मधुमक्खी पालन में तकनीकी सहयोग, और सेवा तथा निवेश संबंधी प्रतिबद्धताओं को एक पलड़े में, और दूसरे पलड़े में इस जोखिम को रखें कि स्थायी संरक्षण डेयरी और बाग़वानी में उत्पादकता सुधार को टाल देगा। 5. **निष्कर्ष** — निष्कर्ष दें कि संतुलित खुलापन एक ठोस अंतरिम रणनीति है, बशर्ते संरक्षण को उत्पादकता बढ़ाने के समय के रूप में इस्तेमाल किया जाए, उसके विकल्प के रूप में नहीं।

प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)

प्रश्न 1. हिमाचल प्रदेश के बाग़वानी निदेशक के रूप में, सेब उत्पादक न्यूज़ीलैंड समझौते से डरे हुए हैं। आप उनसे क्या कहेंगे और क्या करेंगे?

दृष्टिकोण (Approach): मैं समझाऊँगा कि न्यूज़ीलैंड के सेब केवल कोटे के भीतर, न्यूनतम आयात मूल्य से ऊपर और एक मौसमी खिड़की में ही आ सकते हैं, इसलिए वे ताज़ी फ़सल से प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे। मैं वाणिज्य मंत्रालय से कोटे की मात्रा और निगरानी के आँकड़े साझा करने को कहूँगा, और ऐसे किसी भी उछाल की सूचना देने का तंत्र बनाऊँगा जो सुरक्षा उपाय को उचित ठहरा सके। साथ ही मैं शीत भंडारण, ग्रेडिंग और सघन बाग़ों में निवेश पर ज़ोर दूँगा, ताकि हमारे उत्पादक गुणवत्ता के बल पर प्रतिस्पर्धा करें।

प्रश्न 2. आप एक व्यापार वार्ताकार हैं। न्यूज़ीलैंड भविष्य की समीक्षा में डेयरी का छोटा-सा कोटा भी माँगता है। आप कैसे जवाब देंगे?

दृष्टिकोण (Approach): मैं दोहराऊँगा कि डेयरी करोड़ों छोटे उत्पादकों की आजीविका का क्षेत्र है और भारत ने इसे किसी भी साझेदार के लिए नहीं खोला है। इसकी जगह मैं डेयरी आनुवंशिकी, पशु स्वास्थ्य और प्रसंस्करण तकनीक में सहयोग की संभावना तलाशूँगा, जिससे बिना आयात के न्यूज़ीलैंड की कंपनियों को लाभ हो। भारत के रुख में कोई भी बदलाव करने से पहले भविष्य की किसी भी चर्चा के लिए विस्तृत प्रभाव अध्ययन और सहकारी संस्थाओं तथा राज्यों से परामर्श ज़रूरी होगा।

प्रश्न 3. साक्षात्कार बोर्ड पूछता है: क्या भारत कृषि में ज़रूरत से ज़्यादा संरक्षणवादी है?

दृष्टिकोण (Approach): भारत उन कृषि क्षेत्रों की रक्षा करता है जहाँ छोटे उत्पादक बड़ी संख्या में और असुरक्षित हैं, जैसे डेयरी और मुख्य फ़सलें; जिस देश में कृषि कार्यबल के बड़े हिस्से को रोज़गार देती है, वहाँ यह बचाव-योग्य विकल्प है। उसने उन ख़ास बाज़ारों को खोला भी है जहाँ घरेलू आपूर्ति सीमित है, जैसा न्यूज़ीलैंड समझौता दिखाता है। उचित आलोचना संरक्षण की नहीं, बल्कि उत्पादकता बढ़ाने की समयबद्ध योजना के अभाव की है, ताकि प्रतिस्पर्धा-क्षमता सुधरने के साथ संरक्षण धीरे-धीरे घटाया जा सके।

4. अंतरराष्ट्रीय संबंध (International Relations)

इस खंड की हर खबर उन नियमों की है जो कागज पर तो मौजूद हैं, पर जिन्हें लागू करवाने को कोई तैयार नहीं। समुद्री विधि जहाजों को पारगमन का ऐसा अधिकार देती है जिसे ईरान मानता नहीं और हूती अनदेखा करते हैं; संयुक्त राष्ट्र चार्टर के आत्मरक्षा के अधिकार का दावा पाकिस्तान अफगानिस्तान के विरुद्ध कर रहा है और अफगानिस्तान पाकिस्तान के विरुद्ध; सऊदी अरब–पाकिस्तान–तुर्किये समझौता सामूहिक रक्षा का वादा करता है, पर किसी सदस्य ने उसका अनुसमर्थन नहीं किया; और मध्यम शक्तियों का एक नया गठबंधन सुरक्षा परिषद के बाहर रहकर संयुक्त राष्ट्र को सुधारना चाहता है। भारत, जो ऐसे समुद्री मार्गों पर निर्भर है जिन पर उसका नियंत्रण नहीं और ऐसे संयुक्त राष्ट्र पर जिसे वह अभी सुधार नहीं सकता, उसके लिए सबक यह है कि नियम तभी बचते हैं जब कोई उन्हें बचाए रखने की कीमत चुकाए।

4.1 होर्मुज़ बंद, बाब-अल-मंदेब हाथ से निकला; द हिंदू के लेख में मलक्का–सिंगापुर जैसे सहयोग तंत्र का सुझाव

समाचार (THE NEWS) फारस की खाड़ी और लाल सागर। द इकोनॉमिक टाइम्स का संपादकीय "ऑयल्स सी लेन्स गेट टफर टु नेविगेट" (Oil's Sea Lanes Get Tougher to Navigate) कहता है कि यमन के हूती बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य — यमन और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बीच लाल सागर का संकरा मुहाना — पर अपना नियंत्रण कस रहे हैं, जबकि होर्मुज़ जलडमरूमध्य की ईरानी नाकेबंदी जारी है; इस तरह पश्चिम एशिया के तेल तक पहुंचने के दोनों रास्ते, फारस की खाड़ी से और लाल सागर से, अवरुद्ध हो गए हैं। जलडमरूमध्य (strait) दो बड़े जल निकायों को जोड़ने वाला संकरा प्राकृतिक समुद्री मार्ग है; जब इसे बंद करने से जहाजों को कहीं लंबे रास्ते अपनाने पड़ें, तो यह अवरोध बिंदु (chokepoint) बन जाता है। ET के अनुसार भारत अपना लगभग चार-पांचवां तेल रूस और पश्चिम एशिया से खरीदता है। इराक, सऊदी अरब और UAE फारस की खाड़ी के रास्ते भारत को तेल भेजते हैं, जबकि रूसी खेपें लाल सागर से आती हैं, जिसे हूती रोक नहीं रहे। लाल सागर से बचने वाले एशिया-जाने वाले टैंकरों को अफ्रीका का चक्कर लगाना पड़ता है, जिसमें चार सप्ताह अतिरिक्त लगते हैं। ET के एक लेख में अतीश टंखा लिखते हैं कि 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने से पहले होर्मुज़ से प्रतिदिन लगभग 2 करोड़ बैरल (20 million bpd) तेल गुजरता था, और बंदी के बाद मुश्किल से 20 लाख बैरल प्रतिदिन निकल पा रहा था; उनके अनुसार हाल में जो थोड़ा-सा कच्चा तेल निकला, उसने टोल चुकाया, और हूतियों ने सऊदी रिफाइनरियों पर बमबारी की है तथा सऊदी अरब की पूर्व-पश्चिम पाइपलाइन, जिसे पेट्रोलाइन (Petroline) कहा जाता है, को ठप कर दिया है। द इंडियन एक्सप्रेस ने दुबई से रॉयटर्स के हवाले से बताया कि बाब-अल-मंदेब गंवाने के बाद यमन की सरकारी सेनाएं रक्षात्मक मुद्रा में हैं। द हिंदू में एम. कल्याणरमन मलक्का और सिंगापुर जलडमरूमध्य को एक मॉडल के रूप में पेश करते हैं। 1971 में मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर ने मिलकर इस धारणा को चुनौती दी थी कि ये जलडमरूमध्य 'अंतरराष्ट्रीय' हैं; इंडोनेशिया और मलेशिया ने जब 12 समुद्री मील के प्रादेशिक समुद्र का दावा किया, तो दोनों क्षेत्र बीच में आकर मिल गए। तब ब्रिटेन ने 'पारगमन मार्ग' (transit passage) की अवधारणा रखी — "निरंतर और शीघ्र" (continuous and expeditious) गुजरने का अधिकार, जो युद्धपोतों पर भी लागू होता है — और 2007 में तीनों तटवर्ती देशों ने एक सहयोग तंत्र (Cooperative Mechanism) बनाया, जिसमें स्वैच्छिक योगदान से चलने वाला नौवहन सहायता कोष (Aids to Navigation Fund) है; ये योगदान "टोल के बराबर नहीं हैं"। ईरान ने समुद्री विधि पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNCLOS) का अनुसमर्थन नहीं किया है, और 1993 में उसने एक कानून पारित किया जिसके तहत विदेशी युद्धपोतों को उसकी अनुमति लेनी होती है। ईरान और ओमान होर्मुज़ को फिर से खोलने के एक ढांचे पर कथित रूप से सहमत हुए हैं, पर जलडमरूमध्य अभी खुला नहीं है और अमेरिका ने इस व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया है। पाठ्यक्रम से जुड़ाव: सामान्य अध्ययन-2, अन्य देशों की नीतियों का भारत के हितों पर प्रभाव; और सामान्य अध्ययन-3, ऊर्जा सुरक्षा।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

28 फरवरी को पश्चिम एशिया युद्ध शुरू होता है → ईरान अपने 1993 के कानून और UNCLOS का अनुसमर्थन न करने का सहारा लेकर होर्मुज़ की नाकेबंदी करता है → यमन में हूती आगे बढ़ते हैं, सऊदी रिफाइनरियों और पेट्रोलाइन पर हमला करते हैं, और यमन की सरकारी सेनाएं बाब-अल-मंदेब गंवा देती हैं → भारत तक आने वाले खाड़ी और लाल सागर, दोनों मार्ग अवरुद्ध होते हैं और एशिया-जाने वाले टैंकर अफ्रीका का चक्कर लगाते हैं → ईरान–ओमान ढांचा अमेरिकी स्वीकृति के बिना अटक जाता है, और द हिंदू का एक लेख मलक्का–सिंगापुर सहयोग तंत्र को नमूने के रूप में सुझाता है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. **UNCLOS गुजरने के अधिकारों की एक सीढ़ी बनाता है, और जलडमरूमध्य वाली व्यवस्था सबसे मजबूत है** — समुद्री विधि पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UN Convention on the Law of the Sea), जो 1982 में अपनाया गया और 1994 से लागू है, अनुच्छेद 3 के तहत तटीय राज्य को 12 समुद्री मील तक प्रादेशिक समुद्र का दावा करने देता है। प्रादेशिक समुद्र में विदेशी जहाजों को केवल निर्दोष मार्ग (innocent passage) का अधिकार है, जो तटीय राज्य की शांति, सुव्यवस्था या सुरक्षा के प्रतिकूल नहीं होना चाहिए, और अनुच्छेद 25(3) तटीय राज्य को सुरक्षा कारणों से निर्दिष्ट क्षेत्रों में इसे अस्थायी रूप से निलंबित करने की अनुमति देता है। अनुच्छेद 20 के तहत निर्दोष मार्ग पर पनडुब्बियों को सतह पर चलना और अपना ध्वज दिखाना होता है। अंतरराष्ट्रीय नौवहन के लिए प्रयुक्त जलडमरूमध्यों में भाग III (अनुच्छेद 37 से 44) पारगमन मार्ग का अधिकार देता है, जो युद्धपोतों और पनडुब्बियों सहित जहाजों और विमानों पर लागू होता है, और अनुच्छेद 44 कहता है कि इसे निलंबित नहीं किया जा सकता। भारत ने 1995 में UNCLOS का अनुसमर्थन किया।

2. **मलक्का मॉडल का कानूनी आधार UNCLOS का अनुच्छेद 43 है** — अनुच्छेद 43 कहता है कि उपयोगकर्ता राज्यों और जलडमरूमध्य से लगे राज्यों को नौवहन व सुरक्षा सहायक साधनों की स्थापना और रखरखाव तथा जहाजों से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम के लिए समझौते के जरिए सहयोग करना चाहिए। मलक्का और सिंगापुर जलडमरूमध्य में 2007 का सहयोग तंत्र इस

अनुच्छेद को व्यवहार में उतारने वाली पहली व्यवस्था थी, जिसमें एक सहयोग मंच (Cooperation Forum), एक परियोजना समन्वय समिति (Project Coordination Committee) और एक नौवहन सहायता कोष है। इसकी रचना का मूल सिद्धांत यह है कि तटवर्ती राज्य अपनी संप्रभुता बनाए रखें और गुजरने का शुल्क न लें, जबकि उपयोगकर्ता सुरक्षा की लागत साझा करें। इससे अलग, अनुच्छेद 26 प्रादेशिक समुद्र में विदेशी जहाजों पर केवल दी गई विशिष्ट सेवाओं के लिए शुल्क की अनुमति देता है, मात्र गुजरने के लिए नहीं।

3. **पश्चिम एशिया के तेल के दोनों निकास द्वारों पर दो अवरोध बिंदु हैं** — होर्मुज़ जलडमरूमध्य ईरान और ओमान के मुसंदम प्रायद्वीप के बीच स्थित है और फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी तथा अरब सागर से जोड़ता है। बाब-अल-मंदेब अरब की ओर यमन और अफ्रीका की ओर जिबूती व इरिट्रिया के बीच स्थित है, और लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है; स्वेज नहर के साथ मिलकर यह हिंद महासागर और यूरोप के बीच सबसे छोटा मार्ग बनाता है। मलक्का जलडमरूमध्य मलय प्रायद्वीप और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच स्थित है और अंडमान सागर को सिंगापुर जलडमरूमध्य तथा दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है। इंडोनेशिया जैसे द्वीपसमूही राज्यों (archipelagic states) के लिए UNCLOS के भाग IV में एक अलग व्यवस्था है — द्वीपसमूही समुद्री मार्ग पारगमन (archipelagic sea lanes passage)।

4. **आपूर्ति के झटके से बचाव के भारत के साधन अपनी बनावट से ही सीमित हैं** — भारत के सामरिक पेट्रोलियम भंडार पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्व्स लिमिटेड ने विशाखापत्तनम, मंगलुरु और पादुर में भूमिगत चट्टानी गुफाओं में बनाए हैं, जिनकी संयुक्त क्षमता 53.3 लाख टन (5.33 million tonnes) है। ये देश की खपत के कुछ ही दिनों के बराबर हैं, इसलिए भारत का असली बचाव आपूर्तिकर्ताओं और मार्गों का विविधीकरण है। भारतीय नौसेना 2019 से ऑपरेशन संकल्प चला रही है, जिसके तहत खाड़ी क्षेत्र में भारतीय ध्वज वाले व्यापारिक जहाजों को सुरक्षा दी जाती है, और गुरुग्राम स्थित सूचना संलयन केंद्र-हिंद महासागर क्षेत्र (IFC-IOR) साझेदार नौसेनाओं के साथ समुद्री यातायात की जानकारी साझा करता है।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

1. **अवरोध बिंदु और समुद्री विधि प्रारंभिक परीक्षा में बार-बार आते हैं** — UPSC ने जलडमरूमध्यों और उनसे जुड़ने वाले जल निकायों पर मानचित्र-आधारित प्रश्न बार-बार पूछे हैं, और समुद्री क्षेत्रों — प्रादेशिक समुद्र, सन्निहित क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र — पर भी। निर्दोष मार्ग और पारगमन मार्ग का अंतर, और यह कि युद्धपोत किस व्यवस्था के दायरे में आते हैं, ठीक उसी तरह का वैचारिक कथन है जिसे परीक्षक परखना पसंद करते हैं।

2. **मुख्य परीक्षा ऊर्जा सुरक्षा और भारत के सामरिक क्षेत्र के रूप में हिंद महासागर पर प्रश्न पूछती है** — सामान्य अध्ययन-2 के पाठ्यक्रम में "विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों व राजनीति का भारत के हितों पर प्रभाव" और प्रवासी भारतीय शामिल हैं, और सामान्य अध्ययन-3 में ऊर्जा सहित बुनियादी ढांचा तथा सीमावर्ती क्षेत्रों और समुद्र में सुरक्षा चुनौतियां आती हैं। पश्चिम एशिया की अस्थिरता, समुद्री संचार मार्गों की सुरक्षा और भारत की समुद्री कूटनीति पर कई वर्षों में प्रश्न आए हैं, और मौजूदा संकट इन सबके लिए एक जीवंत उदाहरण देता है।

3. **पहले तेल को कीमत की खबर माना गया; यह मार्गों की खबर है** — रूसी तेल के खरीदारों के विरुद्ध अमेरिकी टैरिफ कानून पर 21 सितंबर को चर्चा हो चुकी है, इसलिए उसे यहां दोहराया नहीं गया है। नया घटनाक्रम पश्चिम एशिया के दोनों निकास द्वारों का एक साथ बंद होना और होर्मुज़ के लिए एक ठोस कानूनी प्रस्ताव है। जो उत्तर कीमत से मार्ग और मार्ग से कानून तक जाता है, वह गहराई दिखाता है।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)

- UNCLOS के अनुच्छेद 3 के तहत प्रत्येक राज्य को आधार रेखाओं से मापी गई अधिकतम 12 समुद्री मील की सीमा तक अपने प्रादेशिक समुद्र की चौड़ाई निर्धारित करने का अधिकार है।
- UNCLOS के भाग III में दिया गया अंतरराष्ट्रीय नौवहन के लिए प्रयुक्त जलडमरूमध्यों से पारगमन मार्ग का अधिकार युद्धपोतों सहित सभी जहाजों और विमानों पर लागू होता है, और अनुच्छेद 44 के तहत इसे निलंबित नहीं किया जा सकता।
- UNCLOS के अनुच्छेद 25(3) के तहत तटीय राज्य अपनी सुरक्षा के लिए अनिवार्य होने पर निर्दिष्ट क्षेत्रों में प्रादेशिक समुद्र में निर्दोष मार्ग के अधिकार को अस्थायी रूप से निलंबित कर सकता है।
- UNCLOS का अनुच्छेद 43 नौवहन व सुरक्षा सहायक साधनों की स्थापना और जहाजों से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम के लिए उपयोगकर्ता राज्यों और जलडमरूमध्य से लगे राज्यों के बीच सहयोग का प्रावधान करता है।
- होर्मुज़ जलडमरूमध्य फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है, जबकि बाब-अल-मंदेब लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है।

	● मलक्का जलडमरूमध्य मलय प्रायद्वीप को इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप से अलग करता है और अंडमान सागर को सिंगापुर जलडमरूमध्य से जोड़ता है। ● विशाखापत्तनम, मंगलुरु और पादुर स्थित भारत के सामरिक पेट्रोलियम भंडारों का प्रबंधन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्व्स लिमिटेड करती है।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. **मलक्का की तुलना तकनीकी रूप से सटीक है, पर राजनीतिक रूप से उलटी** — कल्याणरमन सही हैं कि भूगोल मेल खाता है : दोनों ही जगह दो प्रादेशिक समुद्र बीच में मिल जाते हैं और खुले समुद्र का कोई गलियारा नहीं बचता। लेकिन मलक्का का सौदा तब हुआ था जब UNCLOS पर खुद बातचीत चल रही थी, और इंडोनेशिया पारगमन मार्ग को स्वीकार करने के बदले अपने द्वीपसमूही जल की मान्यता हासिल कर सकता था। आज ईरान के सामने ऐसा कोई सौदा नहीं है, क्योंकि संधि पहले ही लिखी जा चुकी है। इससे भी बुनियादी बात यह है कि मलक्का के तटवर्ती देशों की चिंता जहाजों के फंसने और तेल रिसाव की थी ; ईरान की चिंता हमले की है। प्रकाशस्तंभों और जलसर्वेक्षण के लिए बना कोष पहली चिंता का जवाब है, दूसरी का नहीं। यह मॉडल समझौते की मशीनरी तो दे सकता है, पर उसका राजनीतिक मर्म नहीं। 2. **असली विवाद टोल का है, और मलक्का मॉडल बना ही इससे बचने के लिए है** — टंखा बताते हैं कि हाल में होर्मुज़ से जो थोड़ा-सा कच्चा तेल निकला, वह टोल चुकाकर निकला। टोल गुजरने के अधिकार को अनुमति में बदल देता है, और पारगमन मार्ग की अवधारणा ठीक इसी को रोकने के लिए गढ़ी गई थी ; UNCLOS का अनुच्छेद 26 केवल दी गई सेवाओं के लिए शुल्क की अनुमति देता है, गुजरने के लिए नहीं। मलक्का कोष इन दोनों विचारों को अलग करके यह समस्या सुलझाता है : उपयोगकर्ता सुरक्षा सेवाओं के लिए स्वेच्छा से भुगतान करते हैं, और गुजरने के अधिकार के लिए कोई भुगतान नहीं करता। ईरान को ऐसी ही किसी समिति में जगह देने से उसे औपचारिक भूमिका और कुछ वैधता मिल जाएगी, और उपयोगकर्ता राज्यों को टोल चुकाने का अपमान भी नहीं झेलना पड़ेगा। विपरीत मत गंभीर है : बलपूर्वक जलडमरूमध्य बंद करने वाले राज्य को उसके प्रबंधन में भूमिका देकर पुरस्कृत करना दूसरी जगहों पर भी यही तरीका अपनाने को प्रोत्साहित कर सकता है। 3. **ईरान और अमेरिका दोनों UNCLOS से बाहर हैं, जिससे ठीक उसी जलडमरूमध्य पर कानून कमजोर पड़ता है जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है** — ईरान ने UNCLOS पर हस्ताक्षर तो किए हैं, पर अनुसमर्थन नहीं किया, और उसका तर्क है कि पारगमन मार्ग एक संधि-अधिकार है जो केवल पक्षकारों को मिलता है ; इसी कारण उसका 1993 का कानून युद्धपोतों से अनुमति मांगता है। अमेरिका भी UNCLOS में शामिल नहीं हुआ है, पर वह पारगमन मार्ग को सब पर बाध्यकारी प्रथागत अंतरराष्ट्रीय विधि मानता है। इस तरह होर्मुज़ के दोनों मुख्य विरोधी अपनी सुविधा से कानून का हवाला देते हैं। 1995 से पक्षकार भारत के लिए सिद्धांतनिष्ठ रुख वही है जो वह दक्षिण चीन सागर में अपनाता है : UNCLOS के तहत सबके लिए नौवहन की स्वतंत्रता। इस बिंदु पर सुसंगत रहना एक कूटनीतिक पूंजी है, जिसे भारत को तेल की अल्पकालिक खेपों के सौदों पर खर्च नहीं करना चाहिए। 4. **भारत दोनों मार्गों पर और आयात-निर्यात दोनों मोर्चों पर असुरक्षित है** — ET संपादकीय का सबसे धारदार तर्क यह है कि इस व्यवधान की मार भारत पर ज्यादातर देशों से अधिक पड़ती है, क्योंकि उसका लगभग सारा कच्चा तेल आयात और परिष्कृत उत्पादों का निर्यात समुद्र के रास्ते होता है। खाड़ी का कच्चा तेल होर्मुज़ से आता है ; यूरोप को परिष्कृत उत्पादों का निर्यात, जो यूरोपीय संघ द्वारा रूसी कच्चे तेल से बने उत्पादों पर प्रतिबंध के बाद फिर बढ़ा था, लाल सागर से जाता है। रूसी कच्चा तेल, जो स्वाभाविक विकल्प है, अमेरिकी टैरिफ की धमकी का सामना कर रहा है। इसलिए भारत का विविधीकरण आपूर्तिकर्ताओं का हुआ है, मार्गों का नहीं, और मौजूदा संकट दिखाता है कि दूसरा भी पहले जितना ही महत्वपूर्ण है। 53.3 लाख टन का भंडार महीनों का नहीं, कुछ दिनों का ही सहारा देता है। 5. **भारत उपयोगकर्ता राज्यों को एक मंच पर ला सकता है, पर उनका गारंटर नहीं बन सकता** — भारत दोनों जलडमरूमध्यों के सबसे बड़े उपयोगकर्ताओं में से है, चाबहार के जरिए ईरान से और ओमान से उसके कामकाजी संबंध हैं, और वह 2019 से अपने व्यापारिक जहाजों को सुरक्षा दे रहा है। इससे उसे अनुच्छेद 43 के मॉडल पर होर्मुज़ के लिए उपयोगकर्ता राज्यों के सहयोग तंत्र की वकालत करने का आधार मिलता है, कतर के साथ, जिसके बारे में द हिंदू का लेख कहता है कि वह यह विचार पहले ही रख चुका है। भारत यह नहीं कर सकता कि अमेरिका से वह व्यवस्था मनवा ले जिसे वह ठुकरा चुका है, या ईरान से उसकी सुरक्षा मांगें छुड़वा दे। यथार्थवादी भूमिका यह है कि इस विचार को जीवित और तैयार रखा जाए, उस दिन के लिए जब युद्धविराम इसे उपयोगी बना दे।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	"कानून जहाजों को अंतरराष्ट्रीय जलडमरूमध्यों से गुजरने का अधिकार देता है ; वे उसका उपयोग कर पाएंगे या नहीं, यह शक्ति तय करती है।" होर्मुज़ जलडमरूमध्य की बंदी और बाब-अल-मंदेब पर हूतियों की बढ़त के आलोक में अंतरराष्ट्रीय नौवहन के लिए प्रयुक्त जलडमरूमध्यों संबंधी

	UNCLOS व्यवस्था की पर्याप्तता का परीक्षण कीजिए। भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा की रक्षा और एक सहयोगी समाधान को कैसे बढ़ावा दे सकता है? (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. **भूमिका** — इस तथ्य से शुरुआत कीजिए कि पश्चिम एशिया के तेल के दोनों निकास द्वार, होर्मुज़ और बाब-अल-मंदेब, एक साथ बाधित हैं, और भारत अपना लगभग चार-पांचवां तेल रूस और पश्चिम एशिया से खरीदता है, जिसका लगभग सारा हिस्सा समुद्र के रास्ते आता है। 2. **मुख्य भाग — विधिक व्यवस्था और उसकी खामियां** — 12 समुद्री मील का प्रादेशिक समुद्र, निर्दोष मार्ग और अनुच्छेद 25(3) के तहत उसका निलंबन, तथा भाग III के तहत पारगमन मार्ग, जिसे निलंबित नहीं किया जा सकता — इन्हें समझाइए। बताइए कि ईरान ने UNCLOS का अनुसमर्थन नहीं किया है और उसका 1993 का कानून युद्धपोतों से अनुमति मांगता है, तथा अमेरिका भी संधि से बाहर है, इसलिए प्रवर्तन प्रक्रिया पर नहीं, शक्ति पर निर्भर है। 3. **मुख्य भाग — मलक्का-सिंगापुर मॉडल** — मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर के 1971 के संयुक्त रुख, पारगमन मार्ग वाले समझौते, और अनुच्छेद 43 के तहत 2007 के सहयोग तंत्र तथा उसके नौवहन सहायता कोष का वर्णन कीजिए, जो टोल के बराबर नहीं है। होर्मुज़ के लिए इसकी सीमाएं बताइए: वहां मूल मुद्दा नौवहन सुरक्षा नहीं, ईरान की सुरक्षा है। 4. **मुख्य भाग — भारत के विकल्प** — आपूर्तिकर्ताओं के विविधीकरण के साथ मार्गों का विविधीकरण, बड़े सामरिक भंडार, ऑपरेशन संकल्प के तहत नौसैनिक सुरक्षा, ईरान और ओमान के साथ कूटनीति, और होर्मुज़ के लिए उपयोगकर्ता राज्यों के सहयोग तंत्र का समर्थन सुझाइए, और साथ ही UNCLOS के तहत नौवहन की स्वतंत्रता को एक सुसंगत सिद्धांत के रूप में थामे रहने पर जोर दीजिए। 5. **निष्कर्ष** — निष्कर्ष दीजिए कि समुद्र में नियम-आधारित व्यवस्था तभी बचती है जब तटवर्ती और उपयोगकर्ता, दोनों तरह के राज्यों को उससे लाभ हो, और एक बड़े उपयोगकर्ता तथा UNCLOS के पक्षकार के रूप में भारत का हित टोल चुकाने में नहीं, ऐसे सौदे गढ़ने में है।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	**प्रश्न 1. आप पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव हैं। होर्मुज़ और लाल सागर दोनों बाधित हैं और रिफाइनरियां अगले महीने कमी की चेतावनी दे रही हैं। आपके पहले तीन निर्णय क्या होंगे?** ***दृष्टिकोण (Approach):*** पहला, मैं सार्वजनिक क्षेत्र की रिफाइनरियों से हर खेप का ब्योरा लूंगा — क्या समुद्र में है, किसका अनुबंध हुआ है और वह किस मार्ग से आ रहा है — ताकि कमी का अनुमान नहीं, माप हो। दूसरा, मैं सामरिक भंडारों से तेल निकालने की योजना तैयार करूंगा, जिसमें परिवहन, खेती और बिजली के लिए ईंधन देने वाली रिफाइनरियों को प्राथमिकता मिलेगी, और घबराहट में खरीदारी रोकने के लिए इसकी स्पष्ट घोषणा करूंगा। तीसरा, मैं विदेश मंत्रालय के साथ उन आपूर्तिकर्ताओं से खेपें मंगाने पर काम करूंगा जिनके मार्ग खुले हैं, और नौवहन महानिदेशालय के साथ बीमा कवर पर। आपूर्ति को लेकर पारदर्शिता अपने-आप में जमाखोरी के विरुद्ध एक औजार है। **प्रश्न 2. आप नौवहन महानिदेशक हैं। विदेशी ध्वज वाले जहाजों पर काम करने वाले भारतीय नाविक पूछ रहे हैं कि क्या उन्हें खाड़ी में जाना ही होगा। आप क्या जवाब देंगे?** ***दृष्टिकोण (Approach):*** नाविकों की सुरक्षा किसी भी खेप की समय-सारणी से पहले आती है। मैं उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों को चिह्नित करते हुए परामर्श (advisory) जारी करूंगा; शिपिंग कंपनियों और मैनिंग एजेंसियों के लिए यह अनिवार्य करूंगा कि वे चालक दल को जोखिम के बारे में, और जहां अनुबंध अनुमति दें वहां बिना दंड के युद्ध जैसे क्षेत्र में जाने से मना करने के उनके अधिकार के बारे में बताएं; और यह सुनिश्चित करूंगा कि युद्ध-जोखिम बीमा और मुआवजे की व्यवस्था हो। मैं नौसेना और क्षेत्र के भारतीय मिशनों के साथ चौबीसों घंटे की हेल्पलाइन चलाऊंगा। बहुत-से भारतीय नाविक विदेशी जहाजों पर काम करते हैं, इसलिए ध्वज राज्यों और नियोक्ताओं के साथ समन्वय अनिवार्य है। **प्रश्न 3. साक्षात्कार बोर्ड पूछता है: अगर ईरान शुल्क के बदले भारतीय टैंकरों को सुरक्षित रास्ता देने की पेशकश करे, तो क्या भारत को भुगतान करना चाहिए?** ***दृष्टिकोण (Approach):*** भुगतान करने से थोड़े समय के लिए भारतीय रिफाइनरियों तक तेल पहुंच जाएगा, पर इसका अर्थ यह स्वीकार करना होगा कि अंतरराष्ट्रीय विधि के तहत गुजरने का अधिकार बेचा जा सकता है, जिससे दक्षिण चीन सागर समेत दूसरी जगहों पर नौवहन की स्वतंत्रता को लेकर भारत का अपना पक्ष कमजोर होगा। इससे भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंधों का जोखिम भी आ सकता है। बेहतर रास्ता यह है कि ईरान और ओमान के साथ व्यापक कूटनीति के हिस्से के रूप में सुरक्षित मार्ग पर बातचीत की जाए, और मलक्का मॉडल पर सुरक्षा सेवाओं के लिए एक सहयोगी कोष का समर्थन किया जाए, जहां उपयोगकर्ता अनुमति के लिए नहीं, सेवाओं के लिए योगदान करते हैं। व्यवस्था अच्छी तरह गढ़ी जाए, तो सिद्धांत और खेप में से किसी एक को चुनने की जरूरत नहीं पड़ती।

4.2 पाकिस्तान ने कुनार और पक्तिका पर हमले किए, डूरंड रेखा पर तीन महीने की अपेक्षाकृत शांति टूटी

समाचार (THE NEWS) काबुल, इस्लामाबाद और नई दिल्ली। पाकिस्तान ने सोमवार, 21 सितंबर की सुबह डूरंड रेखा — ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच 1893 की वह सीमा जिसे अफगानिस्तान ने कभी औपचारिक रूप से स्वीकार नहीं किया — के पार अफगानिस्तान के भीतर नए हमले किए। द इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार कम से कम तीन लोग मारे गए और छह घायल हुए; कुनार प्रांत में हुए ये हमले 29 जून के बाद अफगानिस्तान के भीतर पाकिस्तान के पहले ज्ञात हवाई हमले थे, और पाकिस्तान ने 28 आतंकियों को मारने का दावा किया। द इंडियन एक्सप्रेस ने रॉयटर्स के हवाले से बताया कि 28 आतंकियों का आंकड़ा पाकिस्तान के सूचना मंत्रालय ने दिया, जबकि उसकी सेना ने कोई टिप्पणी नहीं की; एक पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारी ने पक्तिका और कुनार प्रांतों का नाम लिया; और अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन (UNAMA) ने तीन नागरिकों — एक पुरुष, एक महिला और एक बच्ची — की मौत की पुष्टि की। द हिंदू ने अफगानिस्तान के पतन से AFP के हवाले से इस्लामाबाद का यह दावा छापा कि उसने "खुफिया सूचना पर आधारित जमीनी अभियान" में "आतंकी अड्डों" को निशाना बनाया; यानी अखबार पाकिस्तानी कार्रवाई का अलग-अलग वर्णन करते हैं: ET और IE में हवाई हमले, जबकि द हिंदू में उद्धृत पाकिस्तान के अपने बयान में जमीनी अभियान। तालिबान सरकार ने यह दावा खारिज किया, "उचित जवाब" की चेतावनी दी, और उसके विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कार्यवाहक राजदूत (chargé d'affaires) — राजदूत की अनुपस्थिति में दूतावास का प्रभारी राजनयिक — को तलब कर विरोध दर्ज कराया। ET जोड़ता है कि UNAMA ने जून में पाकिस्तानी हमलों में 28 नागरिकों की मौत और 49 के घायल होने का दस्तावेजीकरण किया था, और 1 अप्रैल से 30 जून के बीच पाकिस्तान के सीमा-पार हमलों से 399 नागरिक हताहत हुए — 57 मारे गए और 342 घायल हुए। IE के अनुसार संघर्ष फरवरी में तेज हुआ और साल की पहली छमाही में सैकड़ों लोग मारे गए। शनिवार को तालिबान प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अल अरबिया इंग्लिश से कहा कि अफगानिस्तान "करारा जवाब" देगा, और जोड़ा: "अगर पाकिस्तान अफगान भूमि की पवित्रता का उल्लंघन करने के लिए अनुच्छेद 51 का सहारा लेता है, तो अफगानिस्तान को अपने देश की रक्षा का अधिकार है।" ET के एक लेख में इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व अधिकारी अविनाश मोहनानी बताते हैं कि 18 सितंबर को तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) से अलग हुए गुट इत्तेहादुल मुजाहिदीन पाकिस्तान ने कोहाट पुलिस लाइंस पर फिदायीन हमला किया, जिसमें 16 पुलिसकर्मियों सहित लगभग 23 लोग मारे गए, और यह भी कि तुर्किये के खुफिया प्रमुख तथा कतर के एक सुरक्षा अधिकारी की मध्यस्थता, अप्रैल में उरुमची में चीन के प्रयास की तरह, सफल नहीं हुई। ये हमले ऐसे समय हुए जब इसी सप्ताह संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक हो रही है। पाठ्यक्रम से जुड़ाव: सामान्य अध्ययन-2, भारत और उसका पड़ोस।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

अगस्त 2021 में काबुल में तालिबान की सत्ता में वापसी → खैबर पख्तूनख्वा में TTP के हमले बढ़ते हैं और इस्लामाबाद काबुल पर उन्हें पनाह देने का आरोप लगाता है → फरवरी 2026 से संघर्ष तेज होता है और UNAMA अप्रैल से जून के बीच पाकिस्तानी हमलों से 399 नागरिक हताहत दर्ज करता है → 18 सितंबर को TTP का एक अलग हुआ गुट कोहाट में लगभग 23 लोगों को मार देता है → 21 सितंबर को पाकिस्तान कुनार और पक्तिका पर हमले करता है और तालिबान अनुच्छेद 51 का हवाला देकर जवाब की धमकी देता है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. **डूरंड रेखा एक औपनिवेशिक सीमा है जिसे काबुल ने कभी स्वीकार नहीं किया** — यह रेखा 1893 में ब्रिटिश भारत के विदेश सचिव सर मॉर्टिमर डूरंड और अफगानिस्तान के अमीर अब्दुर रहमान खान के बीच हुए समझौते के तहत खींची गई थी, और लगभग 2,600 किमी लंबी है। यह दोनों ओर बसे पश्तून कबीलों को बांटती है, इसीलिए तालिबान समेत अफगानिस्तान की लगातार सरकारों ने इसे अंतरराष्ट्रीय सीमा मानने से इनकार किया है। पाकिस्तान इसे 1947 में ब्रिटिश भारत से विरासत में मिली, तय हो चुकी सीमा मानता है। बाड़बंदी, शरणार्थियों और सीमा-पार उग्रवाद को लेकर आज के हर झगड़े की जड़ में इसकी स्थिति पर यही विवाद है।

2. **अनुच्छेद 51 का दावा दोनों पक्ष करते हैं, और गैर-राज्य कर्ताओं का प्रश्न अनसुलझा है** — संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 51 सशस्त्र हमला होने पर व्यक्तिगत या सामूहिक आत्मरक्षा के अंतर्निहित अधिकार को तब तक सुरक्षित रखता है जब तक सुरक्षा परिषद आवश्यक उपाय न कर ले, और ऐसे कदमों की सूचना परिषद को तुरंत देना अनिवार्य करता है। इसकी पारंपरिक व्याख्या राज्यों द्वारा किए गए हमलों पर लागू होती है। कुछ राज्यों का तर्क है कि यह किसी दूसरे राज्य की भूमि पर गैर-राज्य समूहों के विरुद्ध भी बल-प्रयोग की अनुमति देता है, अगर वह राज्य उन्हें रोकने को "अनिच्छुक या असमर्थ" (unwilling or unable) हो; कई अन्य राज्य इसे खारिज करते हैं। TTP ठिकानों पर हमलों के लिए पाकिस्तान का औचित्य और तालिबान का जवाबी दावा, दोनों इसी विवादित व्याख्या पर टिके हैं।

3. **TTP अफगान तालिबान से अलग है, पर उससे जुड़ा हुआ है** — तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का गठन 2007 में पाकिस्तानी राज्य से लड़ने वाले पाकिस्तानी उग्रवादी गुटों के एक छत्र संगठन के रूप में हुआ था, जिसका मुख्य आधार पूर्व कबायली इलाके हैं जो अब खैबर पख्तूनख्वा में मिला दिए गए हैं। इसकी विचारधारा और पुराने नेटवर्क अफगान तालिबान से साझा हैं, इसीलिए पाकिस्तान को उम्मीद थी कि 2021 के बाद काबुल की मित्र सरकार इस पर लगाम लगाएगी। हुआ उलटा: TTP को और जगह मिल गई, और तालिबान यह मानने से इनकार करते हैं कि पाकिस्तान का उग्रवाद पाकिस्तान की आंतरिक समस्या के सिवा कुछ और है।

4. **अफगानिस्तान में भारत की हिस्सेदारी विकास पर टिकी है, सैन्य उपस्थिति पर नहीं** — भारत ने काबुल में अफगान संसद भवन, हेरात में अफगान–भारत मैत्री बांध (सलमा बांध) और

	अफगानिस्तान को ईरान से जोड़ने वाली ज़रंज–देलाराम सड़क बनाई है, और गेहूं तथा सहायता भेजने के लिए ईरान के चाबहार बंदरगाह का उपयोग किया है। भारत चीन–पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) का विरोध करता है, क्योंकि यह गिलगित-बाल्टिस्तान से होकर गुजरता है, जिसे भारत पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला अपना क्षेत्र मानता है। UNAMA का गठन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 2002 में किया था, और यह नागरिक हताहतों तथा मानवाधिकारों पर रिपोर्ट देता है।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. **भारत और उसका पड़ोस मुख्य परीक्षा का स्थायी विषय है** — सामान्य अध्ययन-2 के पाठ्यक्रम में "भारत एवं इसके पड़ोसी — संबंध" और "भारत के हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह" शामिल हैं। UPSC तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान में भारत के हितों और इस क्षेत्र से उपजने वाले आतंकवाद पर प्रश्न पूछ चुका है। पाकिस्तान–अफगानिस्तान संघर्ष यह परखता है कि अभ्यर्थी ऐसे झगड़े में भारत के हित देख पाता है या नहीं, जिसमें भारत पक्षकार नहीं है। 2. **प्रारंभिक परीक्षा स्थानों और सीमाओं को पसंद करती है** — नामित रेखाएं — डूरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, रेडक्लिफ रेखा — और वे किन प्रांतों या देशों को अलग करती हैं, यह प्रारंभिक परीक्षा का नियमित विषय है। कुनार और पक्तिका की सीमा पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा से लगती है, और वाखान गलियारा अफगानिस्तान को चीन से जोड़ता है; ऐसे मानचित्र-तथ्य व्यक्तियों से ज्यादा पूछे जाते हैं। 3. **बल-प्रयोग से जुड़ी अंतरराष्ट्रीय विधि का महत्व बढ़ रहा है** — कई संघर्ष एक साथ चलने के कारण अनुच्छेद 2(4) के तहत संयुक्त राष्ट्र चार्टर के बल-प्रयोग निषेध और अनुच्छेद 51 के आत्मरक्षा अपवाद पर प्रश्न अधिक प्रासंगिक हो गए हैं। मौजूदा मामला इसका साफ उदाहरण है कि दोनों पक्ष एक ही अनुच्छेद का हवाला दे रहे हैं।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● डूरंड रेखा का सीमांकन 1893 में ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच सर मॉर्टिमर डूरंड और अमीर अब्दुर रहमान खान के बीच हुए समझौते के तहत किया गया था। ● संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 51 सशस्त्र हमला होने पर व्यक्तिगत या सामूहिक आत्मरक्षा के अंतर्निहित अधिकार को तब तक मान्यता देता है जब तक सुरक्षा परिषद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए आवश्यक उपाय न कर ले। ● संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 2(4) सदस्यों से अपेक्षा करता है कि वे किसी भी राज्य की क्षेत्रीय अखंडता या राजनीतिक स्वतंत्रता के विरुद्ध बल-प्रयोग या उसकी धमकी से बचें। ● अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन (UNAMA) की स्थापना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 2002 में की थी। ● तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) का गठन 2007 में पाकिस्तानी राज्य के विरोधी उग्रवादी गुटों के एक छत्र संगठन के रूप में हुआ था। ● भारत चीन–पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का विरोध करता है क्योंकि यह गिलगित-बाल्टिस्तान से होकर गुजरता है, जिस पर भारत अपना दावा करता है। ● भारत की सहायता से हेरात प्रांत में बने सलमा बांध का आधिकारिक नाम अफगान–भारत मैत्री बांध है।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. **पाकिस्तान उसी दैत्य से लड़ रहा है जिसे पालने में उसने मदद की, और हवाई हमलों से यह लड़ाई कोई पक्ष नहीं जीत सकता** — दो दशकों तक पाकिस्तान का सुरक्षा प्रतिष्ठान काबुल की तालिबान सरकार को भारत के विरुद्ध "सामरिक गहराई" (strategic depth) मानता रहा। मौजूदा संघर्ष उस दांव की विफलता है: मित्र काबुल ने TTP पर लगाम नहीं लगाई, और तालिबान डूरंड रेखा को ऐसी सीमा मानने से इनकार करते हैं जिसकी निगरानी उन्हें करनी हो। हवाई हमले दंड दे सकते हैं, पर वे ऐसी सरकार को झुका नहीं सकते जिसे इस्लामाबाद की अवज्ञा से घरेलू वैधता मिलती हो। कोहाट हमला, जिसके एक दिन बाद TTP ने छह सैनिकों को मार डाला, बताता है कि ये हमले उस हिंसा को कम नहीं कर रहे जिसे रोकने के लिए वे किए जाते हैं। 2. **तथ्यों पर विवाद अपने-आप में कानून पर विवाद है** — पाकिस्तान 28 आतंकियों के मारे जाने और "आतंकी अड्डों" के विरुद्ध "जमीनी अभियान" की बात करता है; तालिबान और UNAMA एक बच्ची सहित तीन नागरिकों की बात करते हैं। ये केवल परस्पर विरोधी आंकड़े नहीं हैं: अंतरराष्ट्रीय मानवीय विधि के तहत बल-प्रयोग की वैधता लड़ाकों और नागरिकों के बीच विभेद पर निर्भर करती है, और अनुच्छेद 51 के तहत इस पर कि जिस सशस्त्र हमले का जवाब दिया जा रहा है, वह हुआ भी है या नहीं। इसलिए अप्रैल से जून के बीच 399 नागरिक हताहतों की UNAMA की स्वतंत्र गणना इस पूरी खबर का सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा है, क्योंकि यही एकमात्र आंकड़ा है जो संघर्ष के किसी पक्ष ने नहीं दिया।

	3. भारत के लिए पाकिस्तान का पश्चिमी मोर्चे पर उलझना जश्न मनाने लायक लाभ नहीं है — पाकिस्तान की दो-मोर्चे वाली समस्या को भारत के लिए राहत मान लेना आसान है। पर मोहनानी का अपना विवरण उलटी दिशा में जाता है: जो सेना सुरक्षा का काम पूर्व अफगान सैनिकों के "लश्करों" को सौंप रही हो और खैबर पख्तूनख्वा तथा बलूचिस्तान पर नियंत्रण खो रही हो, वह इस क्षेत्र को अधिक नहीं, कम अनुमान-योग्य बनाती है। अस्थिरता हथियारबंद लोग, शरणार्थी और हथियारों के बाजार पैदा करती है जो सीमाओं का सम्मान नहीं करते, और कमजोर पाकिस्तानी राज्य घरेलू समर्थन जुटाने के लिए बाहरी दुस्साहस का रास्ता भी अपना सकता है। भारत का हित ऐसे स्थिर अफगानिस्तान में है जो भारत-विरोधी गुटों को पनाह न दे, और इसके लिए काबुल से ऐसा जुड़ाव चाहिए जिसमें इस्लामाबाद के साथ उसके झगड़े में पक्ष लेने का आभास न हो। **4. दूसरे मध्यस्थ विफल हो रहे हैं, जिससे कूटनीतिक जगह खुलती है, सैन्य नहीं** — ET का लेख बताता है कि अप्रैल में उरुमची में चीन की मध्यस्थता और तुर्किये तथा कतर के प्रयासों का कोई नतीजा नहीं निकला, और CPEC को काबुल तक बढ़ाने की चीन की योजना कोरी कल्पना बनी हुई है। चीन की यह हताशा भारत के लिए मायने रखती है, क्योंकि इससे भारत के उत्तर-पश्चिम में एक आर्थिक गुट खड़ा करने की बीजिंग की क्षमता सीमित होती है। अफगानिस्तान में भारत की विकास साख लगातार बनी रही है — संसद भवन, सलमा बांध, चाबहार से जुड़ी सहायता — और वह मानवीय तथा व्यापारिक जुड़ाव को और गहरा कर सकता है। विपरीत मत यह है कि तालिबान से जुड़ाव उन्हें ऐसे समय वैधता देता है जब वे महिलाओं की शिक्षा पर रोक लगा रहे हैं; भारत को सिद्धांत और उपस्थिति के बीच संतुलन बनाना होगा। **5. समय का चुनाव न्यूयॉर्क को ध्यान में रखकर किया गया है** — ये हमले ऐसे समय हुए जब संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक चल रही है, और ET का कहना है कि यह मुद्दा वहां उठ सकता है। दोनों पक्ष अंतरराष्ट्रीय श्रोताओं के सामने अपना पक्ष रख रहे हैं: पाकिस्तान आत्मरक्षा का प्रयोग कर रहे आतंकवाद पीड़ित के रूप में, और अफगानिस्तान हमले का शिकार एक संप्रभु राज्य के रूप में। भारत, जो संयुक्त राष्ट्र में लंबे समय से कहता आया है कि राज्यों को आतंकवादियों को पनाह नहीं देनी चाहिए, पाएगा कि उसी की भाषा पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है। भारत के हित में सबसे अच्छा यही है कि वह एक ही मानक पर जोर दे: किसी भूमि का आतंकवाद के लिए उपयोग न हो, और चार्टर का उल्लंघन करते हुए सीमा-पार बल-प्रयोग न हो।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	"काबुल में तालिबान की सत्ता में वापसी से पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा के सुरक्षित होने की अपेक्षा थी; इसके बजाय वह उसका सबसे सक्रिय मोर्चा बन गई है।" पाकिस्तान–अफगानिस्तान संघर्ष के कारणों तथा भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय हितों पर इसके निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	**1. भूमिका** — घटनाक्रम बताइए: 21 सितंबर को कुनार और पक्तिका पर पाकिस्तान के हमले, जो 29 जून के बाद पहले ज्ञात हमले हैं; 28 आतंकियों और तीन नागरिकों के परस्पर विरोधी दावे; और अनुच्छेद 51 का हवाला देते हुए तालिबान की जवाबी कार्रवाई की धमकी। **2. मुख्य भाग — कारण** — अमान्य डूरंड रेखा, सीमावर्ती पट्टी का TTP द्वारा उपयोग, पाकिस्तान की विफल सामरिक गहराई नीति, फरवरी 2026 से तनाव में वृद्धि, और 18 सितंबर के कोहाट हमले को समझाइए। पैमाना दिखाने के लिए 1 अप्रैल से 30 जून के बीच 399 नागरिक हताहतों के UNAMA के आंकड़े का उपयोग कीजिए। **3. मुख्य भाग — विधिक आयाम** — संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 2(4) और अनुच्छेद 51 तथा गैर-राज्य कर्ताओं के विरुद्ध विवादित "अनिच्छुक या असमर्थ" सिद्धांत पर चर्चा कीजिए, और बताइए कि दोनों पक्ष आत्मरक्षा का दावा कर रहे हैं। **4. मुख्य भाग — भारत के लिए निहितार्थ** — अस्थिरता के फैलने का जोखिम, चीनी मध्यस्थता और CPEC विस्तार की विफलता, भारत की विकास साझेदारी और चाबहार के जरिए पहुंच, तथा संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद और संप्रभुता पर एक ही मानक की जरूरत को शामिल कीजिए। **5. निष्कर्ष** — निष्कर्ष दीजिए कि भारत को सबसे अधिक लाभ ऐसे स्थिर अफगानिस्तान से है जो भारत-विरोधी गुटों को जगह न दे, और उसे पाकिस्तान–अफगानिस्तान झगड़े से दूर रहते हुए काबुल से व्यावहारिक जुड़ाव रखना चाहिए।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	**प्रश्न 1. आप विदेश मंत्रालय में अफगानिस्तान का कामकाज देखने वाले संयुक्त सचिव हैं। तालिबान हमलों से विस्थापित लोगों के लिए भारत से तत्काल मानवीय सहायता मांगते हैं। आप क्या करेंगे?** ***दृष्टिकोण (Approach):*** मानवीय सहायता राजनीति के आधार पर नहीं, जरूरत के आधार पर दी जानी चाहिए, और अफगानों को गेहूं व दवाइयां भेजने का भारत का रिकॉर्ड रहा है। मैं सहायता

संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों या पहले से इस्तेमाल हो रहे भरोसेमंद माध्यमों से भेजूंगा, ताकि वह नागरिकों तक पहुंचे और किसी सैन्य संघर्ष में किसी पक्ष का समर्थन न लगे। रसद के लिए मैं गृह मंत्रालय और सुरक्षा एजेंसियों से, और क्षेत्र के भारतीय मिशनों से समन्वय करूंगा। एक स्पष्ट सार्वजनिक बयान में इस सहायता को मानवीय बताया जाएगा, जिससे भारत की तटस्थता सुरक्षित रहेगी।

प्रश्न 2. आप संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक भारतीय राजनयिक हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान में आतंकियों पर हमलों को सही ठहराने के लिए अनुच्छेद 51 का हवाला देता है, और वही तर्क इस्तेमाल करता है जो भारत खुद सीमा-पार आतंकवाद पर देता रहा है। आप भारत का पक्ष कैसे रखेंगे?

दृष्टिकोण (Approach): मैं इस पर जोर दूंगा कि भारत का रुख हमेशा यही रहा है कि कोई भी राज्य अपनी भूमि का आतंकवाद के लिए उपयोग न होने दे, और यह पाकिस्तान सहित हर राज्य पर लागू होता है। साथ ही, मैं कहूंगा कि नागरिकों की सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं हो सकता, और UNAMA जैसी संस्थाओं का स्वतंत्र सत्यापन ही निर्णयों का आधार होना चाहिए। भारत को किसी पक्ष का समर्थन करने की जरूरत नहीं; वह आतंकवाद के लिए जवाबदेही और बल-प्रयोग में संयम, दोनों सिद्धांतों का एक साथ समर्थन कर सकता है। सुसंगतता ही भारत के अपने आतंकवाद-विरोधी पक्ष को विश्वसनीयता देती है।

प्रश्न 3. साक्षात्कार बोर्ड पूछता है: क्या भारत को तालिबान सरकार को मान्यता देनी चाहिए?

दृष्टिकोण (Approach): मान्यता एक राजनीतिक कार्य है जो किसी सरकार की वैधता की स्वीकृति का संकेत देता है, और महिलाओं की शिक्षा पर तालिबान की पाबंदियां तथा समावेशी सरकार का प्रश्न अब भी गंभीर चिंताएं हैं। साथ ही, अफगानिस्तान में भारत के वास्तविक हित हैं — सुरक्षा, चाबहार के जरिए संपर्क, और विकास परियोजनाओं से बनी अफगान जनता की सद्भावना। समझदारी का रास्ता यह है कि औपचारिक मान्यता दिए बिना व्यापार, सहायता और सुरक्षा पर कार्यात्मक जुड़ाव रखा जाए, जब तक तालिबान व्यापक रूप से स्वीकृत मानदंडों पर खरे न उतरें, और यह अन्य प्रमुख देशों के साथ तालमेल में हो। जुड़ाव और मान्यता एक ही बात नहीं हैं, और भारत दूसरे के बिना पहला कर सकता है।

4.3 जयशंकर UNGA के लिए पहुंचे, भारत EU–ब्राजील–केन्या–कनाडा की 'पार्टनर्स फॉर मल्टीलैटरलिज़्म' बैठक में शामिल

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली और न्यूयॉर्क। द हिंदू की सुहासिनी हैदर के अनुसार विदेश मंत्री एस. जयशंकर सोमवार, 21 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्चस्तरीय बहस की शुरुआत के समय न्यूयॉर्क पहुंचे, और उन्हें "पार्टनर्स फॉर मल्टीलैटरलिज़्म" (P4M) की बैठक में शामिल होना था। बहुपक्षवाद (multilateralism) का अर्थ है कि देश शक्ति या आमने-सामने के सौदों के बजाय संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं और साझा नियमों के जरिए मिलकर काम करें। P4M की स्थापना यूरोपीय संघ, ब्राजील, केन्या और कनाडा ने की है, और इसके नेताओं — यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंतोनियो कोस्ता, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज़ इनासियो लूला दा सिल्वा, केन्या के राष्ट्रपति विलियम रुतो और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी — ने फाइनेंशियल टाइम्स में एक संयुक्त संपादकीय लिखकर इसका उद्देश्य बताया। उन्होंने लिखा कि यह समूह संयुक्त राष्ट्र का समर्थन करेगा, पर उसे अधिक प्रतिनिधिक बनाने और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य सुरक्षा तथा डिजिटल रूपांतरण जैसी चुनौतियों के लिए बेहतर तैयार करने पर जोर देगा: "P4M संयुक्त राष्ट्र और अन्य बहुपक्षीय संस्थाओं के सुधार का समर्थन करेगा, ताकि वे अधिक प्रतिनिधिक, वैध, प्रभावी और विश्वसनीय बनें।" उन्होंने कहा कि P4M कोई नया विशिष्ट गुट या अंतरराष्ट्रीय नौकरशाही नहीं बनाएगा, बल्कि "अलग-अलग क्षेत्रों और राजनीतिक परंपराओं के उन देशों के लिए एक लचीला, खुला ढांचा होगा जो मतभेदों के पार मिलकर काम करने को तैयार हैं"। सह-लेखकों ने बताया कि 2025 में 1946 के बाद से सबसे अधिक राज्य-आधारित सशस्त्र संघर्ष दर्ज हुए, जो 35 देशों में फैले थे, और सबसे अधिक सैन्य खर्च भी दर्ज हुआ, लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर। संपादकीय में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेस का हवाला दिया गया, जो कह चुके हैं कि "महाशक्तियां अपनी सीमाएं पहचान रही हैं"; 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान नई दिल्ली में द हिंदू से बातचीत में गुटेरेस ने कहा था कि "अब समय है कि महाशक्तियां अपनी शक्ति की सीमाएं समझें", और उन्होंने यूक्रेन में रूस के युद्ध तथा ईरान युद्ध में अमेरिका की "कठिनाइयों" की ओर इशारा किया था। गुटेरेस इस साल के अंत में पद छोड़ रहे हैं। द हिंदू याद दिलाता है कि कार्नी ने जनवरी में दावोस के विश्व आर्थिक मंच पर "मध्यम शक्तियों" के एकजुट होने की बात कही थी, और उस भाषण से रूस और चीन के प्रति, तथा टैरिफ, विस्तारवाद और ईरान संघर्ष को लेकर अमेरिका के प्रति असंतोष झलका था। यह स्पष्ट नहीं है कि भारत से इस संयुक्त संदेश में शामिल होने को कहा गया था या नहीं; वैसे भारत पहले से ही ऐसे ही उद्देश्यों वाले समूहों — गुटनिरपेक्ष आंदोलन, ब्रिक्स, G20 और G-4 — का हिस्सा है। जयशंकर द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बैठकें करेंगे और 26 सितंबर को महासभा को संबोधित करेंगे। पाठ्यक्रम से जुड़ाव: सामान्य अध्ययन-2, महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं, उनकी संरचना और अधिदेश।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

1965 के विस्तार के बाद से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की संरचना जड़ है → बड़ी शक्तियों के वीटो और यूक्रेन तथा ईरान में एकतरफा युद्ध सामूहिक कार्रवाई को पंगु बनाते हैं → 2025 में 1946 के बाद सबसे अधिक राज्य-आधारित सशस्त्र संघर्ष और लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर का सैन्य खर्च दर्ज होता है → जनवरी में दावोस में कार्नी का "मध्यम शक्तियों" वाला भाषण → EU, ब्राजील, केन्या और कनाडा P4M शुरू करते हैं और भारत महासभा के दौरान इसकी बैठक में शामिल होता है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)	1. **सुरक्षा परिषद में बदलाव के लिए वीटो धारकों की सहमति चाहिए** — संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 108 कहता है कि कोई संशोधन तभी लागू होता है जब महासभा के दो-तिहाई सदस्य उसे अपनाएं और सभी पांच स्थायी सदस्यों सहित दो-तिहाई सदस्य राष्ट्र उसका अनुसमर्थन करें। अब तक का एकमात्र विस्तार, जो 1965 से लागू हुआ, अस्थायी सीटें जोड़कर परिषद को 11 से 15 सदस्यों का बना गया। अनुच्छेद 23 पांच स्थायी सदस्य — चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका — तय करता है, और अनुच्छेद 27(3) हर एक को सारवान (substantive) निर्णयों पर वीटो देता है। इसीलिए सुधार समर्थक समूह दबाव तो बना सकते हैं, पर P5 के बिना परिषद को बदल नहीं सकते। 2. **सुधार के खेमे सुधार की जरूरत पर नहीं, स्थायी सीटों पर बंटे हैं** — G-4 — भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान — स्थायी सीटों के लिए एक-दूसरे की दावेदारी का समर्थन करते हैं। इटली और पाकिस्तान समेत 'यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस' (Uniting for Consensus) समूह नए स्थायी सदस्यों का विरोध करता है और लंबी अवधि वाली अस्थायी सीटों का पक्षधर है। अफ्रीकी संघ का साझा रुख, 2005 की एज़ुलविनी सहमति (Ezulwini Consensus), अफ्रीका के लिए वीटो सहित दो स्थायी सीटें और अतिरिक्त अस्थायी सीटें मांगता है। परिषद सुधार पर अंतर-सरकारी वार्ताएं 2009 से महासभा में चल रही हैं, पर किसी पाठ-आधारित परिणाम तक नहीं पहुंचीं। 3. **भारत का बहु-संरेखण सोची-समझी रणनीति है, विरोधाभास नहीं** — भारत 1961 में बेलग्रेड में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापकों में था, और ब्रिक्स, G20, क्वाड तथा शंघाई सहयोग संगठन का सदस्य है। इसके पीछे तर्क यह है कि बाध्यकारी गठबंधनों के बिना मुद्दा-आधारित समूहों में शामिल हुआ जाए, ताकि वह चीज बनी रहे जिसे भारत सामरिक स्वायत्तता कहता है। भारत ने "सुधारित बहुपक्षवाद" (reformed multilateralism) शब्द का प्रयोग यह तर्क देने के लिए किया है कि 1945 में बनी संस्थाओं को आज के शक्ति और जनसंख्या वितरण को प्रतिबिंबित करना चाहिए। 2024 के संयुक्त राष्ट्र भविष्य शिखर सम्मेलन (Summit of the Future) में सदस्य देशों ने भविष्य के लिए समझौता (Pact for the Future) अपनाया, जिसमें सुरक्षा परिषद सुधार पर प्रतिबद्धताएं शामिल थीं। 4. **महासचिव का चयन महासभा परिषद की सिफारिश पर करती है** — चार्टर के अनुच्छेद 97 के तहत महासचिव की नियुक्ति महासभा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर करती है, यानी P5 में से हर सदस्य किसी उम्मीदवार को रोक सकता है। परंपरा से यह पद पांच वर्ष का होता है और अनौपचारिक रूप से क्षेत्रों के बीच बारी-बारी से जाता है। जनवरी 2017 में पद संभालने वाले गुटेरेस इस वर्ष अपना दूसरा कार्यकाल पूरा कर रहे हैं, इसलिए उनके उत्तराधिकारी का चयन भी इसी बहस का हिस्सा है कि संयुक्त राष्ट्र कितना प्रतिनिधिक है।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. **संयुक्त राष्ट्र सुधार मुख्य परीक्षा के सबसे अनुमान-योग्य विषयों में है** — सामान्य अध्ययन-2 के पाठ्यक्रम में "महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संस्थान, संस्थाएं और मंच — उनकी संरचना, अधिदेश" शामिल हैं। UPSC स्थायी सीट के लिए भारत के दावे और बहुध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र की प्रासंगिकता पर प्रश्न पूछ चुका है। P4M सुरक्षा परिषद के बाहर सुधार गठबंधन बनाती मध्यम शक्तियों का एक नया उदाहरण है। 2. **समूह और उनके सदस्य प्रारंभिक परीक्षा के प्रिय विषय हैं** — परीक्षक अक्सर पूछते हैं कि कौन-से देश किस समूह के सदस्य हैं — G-4, ब्रिक्स, इब्सा (IBSA), क्वाड। तीन महाद्वीपों से आए चार संस्थापकों वाला नया समूह ठीक उसी तरह का तथ्य है जिसे परखा जाता है, साथ में संशोधन और वीटो से जुड़े चार्टर के अनुच्छेद भी। 3. **राजनीति विज्ञान एवं अंतरराष्ट्रीय संबंध (PSIR) और निबंध के लिए उपयोगी** — मध्यम शक्तियों और महाशक्तियों के वर्चस्व की सीमाओं का विचार PSIR के प्रश्नपत्र 2 और बहुपक्षवाद तथा वैश्विक शासन पर निबंध के विषयों में काम आता है। गुटेरेस का यह कथन कि महाशक्तियां अपनी सीमाएं पहचान रही हैं, उत्तर की शुरुआत के लिए एक उद्धरण-योग्य वाक्य है।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 108 के तहत संशोधन तब लागू होते हैं जब उन्हें महासभा के दो-तिहाई सदस्य अपनाएं और सुरक्षा परिषद के सभी स्थायी सदस्यों सहित संयुक्त राष्ट्र के दो-तिहाई सदस्य उनका अनुसमर्थन करें। ● 1965 में लागू हुए चार्टर संशोधन से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार 11 से 15 सदस्यों तक किया गया; स्थायी सदस्यों की संख्या पांच ही रही। ● संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 27(3) गैर-प्रक्रियात्मक विषयों पर सुरक्षा परिषद के निर्णयों के लिए स्थायी सदस्यों के सहमति मतों को अनिवार्य करता है, और यही वीटो का आधार है। ● G-4 में भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान शामिल हैं, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए एक-दूसरे की दावेदारी का समर्थन करते हैं।

	● एज़ुलविनी सहमति संयुक्त राष्ट्र सुधार पर अफ्रीकी संघ का साझा रुख है, जो अफ्रीका के लिए सुरक्षा परिषद में दो स्थायी और अतिरिक्त अस्थायी सीटें मांगता है। ● संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 97 के तहत महासचिव की नियुक्ति महासभा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर करती है। ● पार्टनर्स फॉर मल्टीलैटरलिज़्म (P4M) पहल के संस्थापक यूरोपीय संघ, ब्राजील, केन्या और कनाडा हैं।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. **P4M असंतुष्टों का गठबंधन है, और इसकी कमजोरी यह है कि इसके पास वीटो नहीं** — चारों संस्थापकों के पास कोई साझा कार्यक्रम नहीं, बल्कि साझा शिकायत है : हर एक को व्यापार, सुरक्षा या जलवायु पर किसी न किसी बड़ी शक्ति की एकतरफा कार्रवाई से चोट पहुंची है। उनका जवाब संयुक्त राष्ट्र को मजबूत करना है, पर संयुक्त राष्ट्र के केंद्रीय अंग को उन्हीं पांच शक्तियों की सहमति से बदला जा सकता है जिनके व्यवहार से यह शिकायत पैदा हुई। एक लचीला, खुला ढांचा AI, स्वास्थ्य और जलवायु पर बहस को दिशा दे सकता है, जहां नियम अभी लिखे जा रहे हैं। सुरक्षा परिषद सुधार पर यह आवाजें जोड़ सकता है, वोट नहीं, और P5 इससे कहीं बड़े गठबंधनों को पहले भी अनदेखा कर चुके हैं। 2. **बैठक में जाना भारत के लिए सस्ता है ; इसकी सुधार पटकथा पर हस्ताक्षर करना महंगा पड़ सकता है** — सह-संस्थापक बनने के बजाय केवल बैठक में शामिल होने का भारत का फैसला समझदारी भरा है। संस्थापकों में G-4 साझेदार ब्राजील है, और केन्या भी, जिसका महाद्वीप एज़ुलविनी सहमति पर अड़ा है, जिसमें अफ्रीका के लिए वीटो सहित स्थायी सीटें शामिल हैं। जो सुधार फॉर्मूला EU को संतुष्ट करे, वह नई स्थायी सीटों की जगह महासभा की शक्तियां बढ़ाने को तरजीह दे सकता है, जो भारत की प्राथमिकता नहीं है। बैठक में शामिल होकर भारत P4M के एजेंडे को परिषद में प्रतिनिधित्व की ओर मोड़ सकता है, और ऐसे रुख से बंधे बिना जिसका इस्तेमाल उसके अपने दावे के विरुद्ध हो सके। 3. **सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह भी स्पष्ट नहीं कि भारत से पूछा भी गया था या नहीं** — द हिंदू बताता है कि यह स्पष्ट नहीं है कि भारत से संयुक्त संपादकीय में शामिल होने को कहा गया था या नहीं। जो देश खुद को ग्लोबल साउथ की आवाज कहता है और जिसने 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, उसका किसी सुधार गठबंधन के संस्थापक संदेश से बाहर रहना एक ऐसा संकेत है जिसे पढ़ा जाना चाहिए। यह ईरान युद्ध और यूक्रेन युद्ध पर भारत की सावधान तटस्थता का परिणाम हो सकता है, जिनकी कनाडा और EU जैसी मध्यम शक्तियों ने अधिक खुलकर आलोचना की है। बहु-संरेखण हर कमरे में प्रवेश दिलाता है, पर कभी-कभी किसी एक कमरे में नेतृत्व की कीमत पर। 4. **मंचों की भीड़ किसी एक मंच का महत्व घटा देती है** — भारत पहले से गुटनिरपेक्ष आंदोलन, ब्रिक्स, G20 और G-4 में है, और हर एक वैश्विक शासन सुधारने का दावा करता है। पांचवां मंच जोड़ने से कूटनीतिक प्रयास बिखर सकता है, और बड़ी शक्तियों को यह बहाना मिल सकता है कि सुधारक आपस में ही सहमत नहीं हो पाते। विपरीत मत यह है कि बहुध्रुवीय विश्व में मध्यम शक्तियां इसी तरह, परस्पर व्यापी गठबंधनों के जरिए प्रभाव डालती हैं : हर मंच साझेदारों का एक अलग समूह जोड़ता है, और P4M यूरोप तथा कनाडा को ग्लोबल साउथ से उस तरह जोड़ता है जैसा ब्रिक्स नहीं जोड़ता। कसौटी यह होगी कि P4M अपने संस्थापकों के वादे के अनुसार ठोस प्रस्ताव देता है या केवल बयान। 5. **महासचिव का उत्तराधिकार पहली असली परीक्षा है** — गुटेरेस इस वर्ष पद छोड़ रहे हैं, और उनके उत्तराधिकारी का चयन महासभा केवल सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर करती है। अगर P4M और समान विचार वाले समूह अधिक खुली और पारदर्शी चयन प्रक्रिया के लिए दबाव बना सकें, तो वे दिखा देंगे कि मौजूदा चार्टर के भीतर भी सुधार संभव है। यह छोटा पर दिखाई देने वाला लाभ होगा, और उन स्थायी सीटों से कहीं अधिक यथार्थवादी लक्ष्य, जिन पर दशकों से गतिरोध बना हुआ है।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	"मध्यम शक्तियां संयुक्त राष्ट्र चार्टर को दोबारा नहीं लिख सकतीं, पर यह तय कर सकती हैं कि उसका उपयोग हो या नहीं।" नई 'पार्टनर्स फॉर मल्टीलैटरलिज़्म' पहल के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र सुधार की संभावनाओं पर चर्चा कीजिए तथा वैश्विक शासन में सुधार के लिए भारत के बहु-संरेखण दृष्टिकोण का मूल्यांकन कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. **भूमिका** — EU, ब्राजील, केन्या और कनाडा द्वारा स्थापित P4M और महासभा के दौरान उसकी बैठक में भारत की उपस्थिति का परिचय दीजिए, साथ में संस्थापकों का घोषित उद्देश्य बताइए — संयुक्त राष्ट्र को अधिक प्रतिनिधिक, वैध, प्रभावी और विश्वसनीय बनाना। 2. **मुख्य भाग — सुधार क्यों जरूरी है और क्यों अटकता है** — 2025 में राज्य-आधारित संघर्षों और सैन्य खर्च के रिकॉर्ड, तथा महाशक्तियों की सीमाओं पर गुटेरेस की टिप्पणी का हवाला दीजिए। अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 27(3) के तहत वीटो, और G-4, यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस तथा

	एज़ुलविनी सहमति के बीच मतभेद को समझाइए। 3. **मुख्य भाग — भारत का बहु-संरेखण** — गुटनिरपेक्ष आंदोलन, ब्रिक्स, G20 और G-4 में भारत की सदस्यता, सुधारित बहुपक्षवाद की अवधारणा, और सह-संस्थापक बने बिना P4M में शामिल होने के लाभ व जोखिमों पर चर्चा कीजिए। 4. **मुख्य भाग — यथार्थवादी उपलब्धियां** — हासिल किए जा सकने वाले कदम सुझाइए: महासचिव चयन प्रक्रिया में सुधार, परिषद की कार्यप्रणाली, AI, स्वास्थ्य और जलवायु के लिए नए नियम, और महासभा की मजबूत पहलें — साथ ही स्थायी सीटों के लिए प्रयास जारी रखना। 5. **निष्कर्ष** — निष्कर्ष दीजिए कि भारत का हित ऐसे गठबंधनों में है जो बड़ी शक्तियों की एकतरफा कार्रवाई की कीमत बढ़ाएं, और उसकी विश्वसनीयता युद्धों और मंचों के पार सुसंगत रुख पर निर्भर करती है।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	**प्रश्न 1. आप संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं। P4M के संस्थापक भारत को एक सुधार वक्तव्य पर सह-हस्ताक्षर के लिए आमंत्रित करते हैं, जिसमें अधिक अस्थायी सीटों का प्रस्ताव है पर नए स्थायी सदस्यों पर कुछ नहीं कहा गया। आप नई दिल्ली को क्या सलाह देंगे?** ***दृष्टिकोण (Approach):*** मैं सीधे इनकार करने के बजाय पाठ पर बातचीत करने की सलाह दूंगा, क्योंकि प्रतिनिधित्व और प्रभावशीलता के लक्ष्य भारत के भी हैं। मैं ऐसी भाषा का प्रस्ताव रखूंगा जो सदस्यता की दोनों श्रेणियों को खुला रखे, जो G-4 का रुख है, और G-4 साझेदार ब्राजील तथा अफ्रीकी सदस्यों से परामर्श करूंगा। अगर वक्तव्य में संशोधन संभव न हो, तो भारत हस्ताक्षर किए बिना एक अलग राष्ट्रीय वक्तव्य में उसके व्यापक उद्देश्यों से खुद को जोड़ सकता है। प्राथमिकता ऐसे पाठ से बचना है जिसका बाद में भारत के दावे के विरुद्ध हवाला दिया जा सके। **प्रश्न 2. साक्षात्कार बोर्ड पूछता है: जब भारत पहले से ब्रिक्स, G20 और G-4 में है, तो एक और समूह में क्यों शामिल हो?** ***दृष्टिकोण (Approach):*** हर समूह साझेदारों का अलग समूह और अलग एजेंडा लेकर आता है। ब्रिक्स भारत को रूस और चीन से जोड़ता है, G20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं से, और G-4 सीट के अन्य दावेदारों से, जबकि P4M यूरोपीय संघ और कनाडा को ग्लोबल साउथ के देशों से जोड़ता है। उपस्थित रहने से भारत एजेंडा तय करने में भूमिका निभा पाता है और अपनी प्राथमिकताओं के लिए समर्थन जुटा पाता है। इसकी कीमत कूटनीतिक क्षमता (bandwidth) है, इसलिए भारत को वहां भाग लेना चाहिए जहां वह परिणामों को प्रभावित कर सके, न कि केवल सदस्यताएं इकट्ठी करनी चाहिए। **प्रश्न 3. आप विदेश मंत्रालय के संयुक्त राष्ट्र प्रभाग में संयुक्त सचिव हैं। एक नए समूह की बैठक के लिए, जिसके संस्थापकों ने अमेरिका की खुलकर आलोचना की है, आप मंत्री को कैसे तैयार करेंगे?** ***दृष्टिकोण (Approach):*** मैं मंत्री को उन मुद्दों पर हर संस्थापक के रुख की जानकारी दूंगा जो उठ सकते हैं — ईरान युद्ध, यूक्रेन, व्यापार और टैरिफ — और यह भी बताऊंगा कि भारत का रुख कहां अलग है। मैं सुझाव दूंगा कि भारत किसी विशेष देश की आलोचना में शामिल होने के बजाय सुधार, प्रतिनिधित्व और चार्टर जैसे सिद्धांतों पर बोले। मैं उन क्षेत्रों पर छोटे वक्तव्य तैयार करूंगा जहां भारत की साख है, जैसे डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और जलवायु वित्त। उद्देश्य यह है कि ठोस योगदान भी हो और सभी बड़ी शक्तियों के साथ भारत के संबंध भी सुरक्षित रहें।

4.4 हूतियों की बढ़त ने बिना अनुसमर्थन वाले मक्का रक्षा समझौते की पोल खोली, पाकिस्तान और तुर्किये ने लड़ने से मना किया

समाचार (THE NEWS) दुबई और नई दिल्ली। ऑब्ज़र्वर रिसर्च फाउंडेशन की सहयोगी शोधकर्ता सबीन अमीर द इंडियन एक्सप्रेस में लिखती हैं कि सऊदी अरब, तुर्किये और पाकिस्तान के बीच 7 अगस्त को हस्ताक्षरित मक्का संयुक्त रक्षा समझौते (Mecca Joint Defence Agreement — MJDA) ने सामूहिक प्रतिरोध का एक ढांचा बनाया और कहा कि तीनों में से किसी पर भी सशस्त्र हमला सब पर हमला माना जाएगा। यह सामूहिक आत्मरक्षा (collective self-defence) है — राज्यों का पहले से यह तय कर लेना कि वे एक-दूसरे की रक्षा करेंगे — और समझौता इसका आधार संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 को बताता है। हस्ताक्षर के कुछ ही घंटों में इसे "इस्लामी नाटो" कहा जाने लगा, पर अमीर का तर्क है कि इसमें नाटो जैसी संस्थागत संरचना, कमान व्यवस्था और नौकरशाही नहीं है, और इसीलिए यह सऊदी अरब को जारी हूती हमलों से बचाने में विफल रहा है। वे तीन कारण बताती हैं: समझौते का आधिकारिक अनुसमर्थन — हर राज्य की अपनी संवैधानिक प्रक्रिया से औपचारिक स्वीकृति — नहीं हुआ है; इसकी पारस्परिक रक्षा की शर्तें अभी कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं हैं; और तुर्किये तथा पाकिस्तान को इसे अपनी संसदों से पारित कराना है, जबकि सऊदी अरब को शाही फरमान से मंजूरी देनी है। वे लिखती हैं कि अमेरिका से ठंडी प्रतिक्रिया मिलने के बाद रियाद ने यूरोप का रुख किया है, पर यूरोपीय संघ ने यमन में अंतरराष्ट्रीय मानवीय विधि के कथित उल्लंघनों के कारण सऊदी अरब को सैन्य सहायता पर आंतरिक प्रतिबंध लगा रखा है;

सऊदी अरब ने मार्च 2015 में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार के समर्थन में यमन में हस्तक्षेप किया था। अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन (IOM) के अनुसार यमन में 1,04,796 से अधिक लोग विस्थापित हैं। द इकोनॉमिक टाइम्स में इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व अधिकारी अविनाश मोहनानी कहते हैं कि 31 अगस्त को समझौते का नाम बदलकर मक्का रक्षा गठबंधन (Mecca Defence Alliance) कर दिया गया, पाकिस्तान और तुर्किये हूतियों के विरुद्ध सऊदी युद्ध में लड़ाके बनने से इनकार कर रहे हैं, और तुर्किये केवल "तकनीकी सहायता" पर सहमत हुआ है। हूतियों ने चेतावनी दी है: "अगर तुर्किये और पाकिस्तान इसमें शामिल हुए, तो हम उन पर लोहे की मुट्ठी से प्रहार करेंगे।" मोहनानी को उम्मीद है कि इस गठबंधन का हश्र भी बोर्ड ऑफ पीस और अब्राहम समझौतों जैसा होगा। द इंडियन एक्सप्रेस ने रॉयटर्स और द न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से बताया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की गुहार के बावजूद रविवार को हूतियों पर प्रस्तावित अमेरिकी हवाई हमले आखिरी क्षण में रद्द कर दिए, और हूती लड़ाके ताइज़ और लहज प्रांतों में कहबूब पहाड़ियों पर कब्जे के लिए जोर लगा रहे हैं, ताकि लाल सागर तट को सरकार-नियंत्रित क्षेत्रों से काट दिया जाए। पाठ्यक्रम से जुड़ाव: सामान्य अध्ययन-2, खाड़ी में भारत के हित, जहां बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय रहते हैं, और क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्थाएं।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

मार्च 2015 में सऊदी नेतृत्व वाला गठबंधन यमन में हस्तक्षेप करता है → हूती टिके रहते हैं और ईरान के समर्थन से 2026 के पश्चिम एशिया युद्ध के दौरान फैलते हैं → सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किये 7 अगस्त को मक्का समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं और 31 अगस्त को उसका नाम बदलते हैं → हूतियों की बिजली-सी बढ़त बाब-अल-मंदेब पर कब्जा कर लेती है और सऊदी तेल ढांचे पर हमले करती है → पाकिस्तान और तुर्किये लड़ने से मना करते हैं, अमेरिका हमले रद्द करता है, और बिना अनुसमर्थन वाले समझौते की पोल खुल जाती है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. **सामूहिक आत्मरक्षा वैध है, पर संधि कोई सेना नहीं होती** — संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 51 सशस्त्र हमला होने पर, सुरक्षा परिषद के कार्रवाई करने तक, व्यक्तिगत या सामूहिक आत्मरक्षा के अंतर्निहित अधिकार को मान्यता देता है। अनुच्छेद 52 शांति बनाए रखने के लिए क्षेत्रीय व्यवस्थाओं की अनुमति देता है, बशर्ते वे चार्टर के उद्देश्यों के अनुरूप हों। 1949 की वॉशिंगटन संधि से बना नाटो इसका मॉडल है: उसका अनुच्छेद 5 कहता है कि यूरोप या उत्तरी अमेरिका में किसी एक सदस्य पर सशस्त्र हमला सब पर हमला है, पर हर सदस्य "ऐसी कार्रवाई करता है जिसे वह आवश्यक समझे"। नाटो की ताकत अनुच्छेद 5 में कम, और उसकी एकीकृत कमान, साझा योजना तथा स्थायी नौकरशाही में अधिक है — और यही सब मक्का समझौते में नहीं है।

2. **अनुसमर्थन ही हस्ताक्षर को बाध्यकारी दायित्व में बदलता है** — संधि विधि पर वियना अभिसमय (Vienna Convention on the Law of Treaties), 1969 के तहत कोई राज्य, संधि में जो कहा गया हो उसके अनुसार, हस्ताक्षर, अनुसमर्थन, स्वीकृति या अधिमिलन (accession) से बाध्य होने की सहमति व्यक्त कर सकता है। जब संधि में अनुसमर्थन आवश्यक हो, तो केवल हस्ताक्षर से पूरे दायित्व नहीं, बल्कि बस यह दायित्व बनता है कि राज्य संधि के उद्देश्य और प्रयोजन को विफल न करे। भारत में संधि करने और उसके अनुसमर्थन की शक्ति संघ की कार्यपालिका के पास है, और संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत संसद उन्हें लागू करने के लिए कानून बनाती है। मक्का समझौते को संसदीय और शाही मंजूरी की जरूरत होने का अर्थ है कि उसके वादे अभी कानूनी रूप से लागू करवाए नहीं जा सकते।

3. **यमन का युद्ध क्षेत्रीय प्रायोजकों वाला गृहयुद्ध है** — हूती, जिनका औपचारिक नाम अंसार अल्लाह है, उत्तरी यमन का एक ज़ैदी शिया आंदोलन है जिसने 2014 में सना पर कब्जा किया, और इसी के बाद मार्च 2015 में सऊदी नेतृत्व वाला हस्तक्षेप हुआ। 2015 के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव 2216 ने हूती नेताओं पर हथियार प्रतिबंध लगाया और कब्जाए गए इलाकों से उनकी वापसी की मांग की। हूतियों को ईरान का समर्थन है और वे लेबनान के हिज़्बुल्लाह के साथ उस गठजोड़ का हिस्सा हैं जिसे तेहरान "प्रतिरोध की धुरी" (axis of resistance) कहता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार अदन में है, और उसकी प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल के प्रमुख रशाद अल-अलीमी हैं।

4. **खाड़ी में भारत के हित हैं — लोग, ऊर्जा और प्रेषण** — प्रवासी भारतीयों का सबसे बड़ा जमावड़ा खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के देशों में है, और इस क्षेत्र से आने वाला धन भारत के आवक प्रेषण (remittances) का बड़ा हिस्सा है, जिसके बल पर भारत दुनिया में प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है। सऊदी अरब भारत को कच्चा तेल और LPG देने वाले शीर्ष देशों में है, और भारत तथा सऊदी अरब ने 2019 में सामरिक साझेदारी परिषद (Strategic Partnership Council) बनाई। भारत ने 2015 में ऑपरेशन राहत के तहत यमन से अपने नागरिकों को निकाला था, जो इस क्षेत्र में संकट प्रबंधन का एक मॉडल है।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

1. **पश्चिम एशिया और प्रवासी भारतीय सामान्य अध्ययन-2 के स्थायी विषय हैं** — पाठ्यक्रम में "विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों व राजनीति का भारत के हितों पर प्रभाव" और "प्रवासी भारतीय" शामिल हैं। UPSC खाड़ी के साथ भारत के संबंधों, अब्राहम समझौतों, और ईरान, सऊदी अरब तथा इज़राइल के बीच भारत के संतुलन पर प्रश्न पूछ चुका है। सऊदी अरब–पाकिस्तान–तुर्किये सुरक्षा समझौता उस संतुलन में एक नया कारक है।

	2. संधि विधि और सामूहिक सुरक्षा प्रारंभिक परीक्षा में काम आते हैं — हस्ताक्षर और अनुसमर्थन के अंतर, वियना अभिसमय और नाटो के अनुच्छेद 5 पर प्रश्न सामान्य हैं। कोई समझौता कानूनी रूप से बाध्यकारी है या नहीं, यह ठीक उसी तरह का वैचारिक जाल है जो परीक्षक बिछाते हैं। **3. पाकिस्तान के गठबंधन हमेशा भारत की सुरक्षा का प्रश्न होते हैं** — पाकिस्तान से जुड़ा कोई भी रक्षा समझौता इस ओर ध्यान खींचता है कि क्या उसका इस्तेमाल भारत के विरुद्ध हो सकता है। मौजूदा हूती परीक्षा व्यवहार में ऐसे समझौतों की सीमाएं दिखाती है, जो मुख्य परीक्षा के संतुलित उत्तर के लिए उपयोगी है।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	• उत्तरी अटलांटिक संधि (वॉशिंगटन संधि, 1949) का अनुच्छेद 5 कहता है कि एक या अधिक सदस्यों पर सशस्त्र हमला सभी सदस्यों पर हमला माना जाएगा। • संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 52 संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों के अनुरूप अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए क्षेत्रीय व्यवस्थाओं या एजेंसियों की अनुमति देता है। • संधि विधि पर वियना अभिसमय, 1969 के तहत जहां संधि के लिए अनुसमर्थन आवश्यक हो, वहां केवल हस्ताक्षर करने वाला राज्य ऐसे कार्यों से बचने के लिए बाध्य है जो संधि के उद्देश्य और प्रयोजन को विफल करें। • संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव 2216 (2015) ने यमन में हूती नेताओं और बलों पर हथियार प्रतिबंध लगाया। • संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत संसद किसी अन्य देश के साथ की गई किसी संधि, करार या अभिसमय को लागू करने के लिए भारत के संपूर्ण राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कानून बना सकती है। • ऑपरेशन राहत (2015) युद्धग्रस्त यमन से भारतीय नागरिकों और विदेशी नागरिकों को निकालने का भारत का अभियान था। • 7 अगस्त 2026 को हस्ताक्षरित मक्का संयुक्त रक्षा समझौता सऊदी अरब, तुर्किये और पाकिस्तान के बीच है।
विश्लेषण (ANALYSIS)	**1. समझौता अपनी पहली परीक्षा में इसलिए विफल हुआ कि हर सदस्य ने अलग शत्रु को ध्यान में रखकर हस्ताक्षर किए थे** — अमीर का यह अवलोकन कि इस्लामाबाद की मुख्य सुरक्षा चिंता भारत है, जबकि अंकारा की चिंता सीरिया, इराक, पूर्वी भूमध्यसागर और कॉकेशस तक फैली है, इस विफलता को अनुसमर्थन के अभाव से बेहतर समझाता है। सऊदी अरब को ईरान और उसके छद्म गुटों (proxies) के विरुद्ध मदद चाहिए थी; पाकिस्तान को सऊदी पैसा और प्रतिष्ठा; तुर्किये को इस्लामी दुनिया में बड़ी भूमिका। जब पहला हमला हूतियों की ओर से हुआ, तो खतरा केवल रियाद पर था। जिस गठबंधन के सदस्यों के शत्रु अलग-अलग हों, वह तभी काम करता है जब शत्रु साझा हो, और यहां ऐसा नहीं था। **2. पाकिस्तान का इनकार केवल उसकी सेना की नहीं, उसके समाज की मजबूरी है** — मोहनानी का तर्क है कि पाकिस्तान में ईरान और उसके छद्म गुटों के प्रति समर्थन शिया–सुन्नी विभाजन के आर-पार है, इसलिए हूतियों से लड़ने के लिए सैनिक भेजना घरेलू स्तर पर खतरनाक होगा। पाकिस्तान में बड़ा शिया अल्पसंख्यक समुदाय है, ईरान से उसकी लंबी सीमा है, और वह पहले से खैबर पख्तूनख्वा में TTP और बलूचिस्तान में अलगाववादियों से लड़ रहा है। इसमें आश्चर्य नहीं कि वह सऊदी सुरक्षा के समर्थन में बयान तो देता है, पर जमीन पर सैनिक नहीं। विपरीत मत यह है कि सऊदी वित्त पर पाकिस्तान की निर्भरता अंततः उसे मजबूर कर सकती है, और मोहनानी भी इस ओर इशारा करते हैं। **3. "इस्लामी नाटो" भारत के लिए चिंता का विषय होता; कागजी गठबंधन नहीं है** — भारतीय विश्लेषकों को आशंका थी कि सऊदी अरब–पाकिस्तान–तुर्किये समझौता भारत के साथ पाकिस्तान की प्रतिद्वंद्विता में सऊदी पैसा और तुर्की तकनीक ला सकता है। मोहनानी का तर्क है कि ये आशंकाएं बढ़ा-चढ़ाकर आंकी गई थीं, और अब तक समझौते का व्यवहार उनके पक्ष में जाता है। पर भारत के लिए बड़ा खतरा यह गठबंधन नहीं, बल्कि वह युद्ध है जिसे यह रोक नहीं पाया: सऊदी रिफाइनरियों पर हमले, बाब-अल-मंदेब का हाथ से निकलना, और उस क्षेत्र में अस्थिरता जहां लाखों भारतीय काम करते हैं। भारत का हित खाड़ी की स्थिरता में है, और एक विफल गठबंधन वह नहीं दे सकता। **4. सऊदी अरब का यूरोप की ओर मुड़ना अमेरिकी सुरक्षा छतरी की सीमाएं दिखाता है** — सैनिकों के बम लादने के बाद आखिरी क्षण में ट्रंप का हमले रद्द करना खाड़ी देशों को बताता है कि अमेरिकी सुरक्षा अब अपने-आप नहीं मिलती। रियाद का यूरोप की ओर मुड़ना भी यमन के मानवीय रिकॉर्ड से जुड़े सैन्य सहायता पर यूरोपीय संघ के अपने प्रतिबंध से सीमित है। इस तरह

	खाड़ी एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रही है जिसमें क्षेत्रीय देशों को संरक्षकों के बीच जोखिम बांटकर चलना (hedging) होगा। यह वही बहुध्रुवीय बदलाव है जिसका अनुमान भारत लंबे समय से लगाता रहा है, और यह भारत को सऊदी–हूती युद्ध में पक्ष लिए बिना समुद्री सुरक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्र में खाड़ी के साथ अपने सुरक्षा संबंध गहरे करने की गुंजाइश देता है।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	"सामूहिक रक्षा पर हस्ताक्षर करना उसके लिए लड़ने से आसान है।" हूती आक्रमण के आलोक में सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किये के बीच मक्का संयुक्त रक्षा समझौते की सीमाओं का परीक्षण कीजिए तथा खाड़ी में भारत के हितों पर इसके निहितार्थों का आकलन कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. **भूमिका** — समझौते की मूल बातें बताइए: 7 अगस्त को हस्ताक्षर, 31 अगस्त को नाम बदलकर मक्का रक्षा गठबंधन, अनुच्छेद 51 पर आधारित, और एक पर हमला सब पर हमला माना जाना। 2. **मुख्य भाग — अब तक यह विफल क्यों रहा** — IE के लेख में दिए गए तीन कानूनी कारण — अनुसमर्थन का अभाव, गैर-बाध्यकारी शर्तें, लंबित संसदीय और शाही मंजूरी — और राजनीतिक कारण बताइए: खतरे की अलग-अलग धारणाएं, पाकिस्तान का घरेलू जनमत, तुर्किये की सीमित "तकनीकी सहायता", और नाटो जैसी संरचना का अभाव। 3. **मुख्य भाग — क्षेत्रीय संदर्भ** — 2015 से चल रहे यमन युद्ध, हूतियों की बढ़त और बाब-अल-मंदेब के हाथ से निकलने, अमेरिका द्वारा हमले रद्द करने, और सैन्य सहायता पर यूरोपीय संघ के प्रतिबंध को समझाइए। 4. **मुख्य भाग — भारत के लिए निहितार्थ** — ऊर्जा आपूर्ति, प्रवासी भारतीय और प्रेषण, पाकिस्तान से जुड़े किसी भी समझौते के सुरक्षा निहितार्थ, और ऑपरेशन राहत को मिसाल मानते हुए समुद्री तथा निकासी तैयारी की भारत की गुंजाइश को शामिल कीजिए। 5. **निष्कर्ष** — निष्कर्ष दीजिए कि भारत को मुख्यतः कागज पर मौजूद गठबंधनों पर प्रतिक्रिया देने के बजाय खाड़ी देशों के साथ अपने द्विपक्षीय संबंध और अपनी समुद्री क्षमता मजबूत करनी चाहिए।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	**प्रश्न 1. आप रियाद में भारत के राजदूत हैं। हूती मिसाइलें उन इलाकों के पास तेल प्रतिष्ठानों पर गिरती हैं जहां भारतीय कामगार रहते हैं। पहले 48 घंटों में आप क्या करेंगे?** ***दृष्टिकोण (Approach):*** मैं मिशन का आपातकालीन प्रकोष्ठ और हेल्पलाइन सक्रिय करूंगा, और प्रभावित इलाकों में भारतीय कामगारों की जानकारी जुटाने के लिए सामुदायिक संगठनों और नियोक्ताओं की मदद लूंगा। मैं सुरक्षित क्षेत्रों और चिकित्सा सुविधा के लिए सऊदी अधिकारियों से समन्वय करूंगा, और ऑपरेशन राहत के अनुभव के आधार पर नौसेना और एयर इंडिया के साथ निकासी की आकस्मिक योजनाएं तैयार करूंगा। नियमित सार्वजनिक परामर्श भारत में परिवारों को जानकारी देते रहेंगे और अफवाहें रोकेंगे। संकट में किसी मिशन का पहला कर्तव्य अपने नागरिकों की सुरक्षा है। **प्रश्न 2. आप विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं। आपसे पूछा जाता है कि क्या भारत को मक्का समझौते पर चिंता व्यक्त करनी चाहिए। आपकी सलाह क्या है?** ***दृष्टिकोण (Approach):*** मैं सार्वजनिक बयान न देने की सलाह दूंगा, क्योंकि समझौते का अनुसमर्थन नहीं हुआ है, इसे भारत के विरुद्ध लागू नहीं किया गया है, और यह अपनी पहली परीक्षा में ही साफ तौर पर लड़खड़ा रहा है। बयान इसे उससे ज्यादा महत्व दे देगा जितना इसका है, और ऊर्जा व प्रवासी भारतीयों के मामले में प्रमुख साझेदार सऊदी अरब को नाराज कर सकता है। इसके बजाय भारत को इसके विकास पर बारीकी से नजर रखनी चाहिए और कोई चिंता हो तो रियाद और अंकारा के साथ अपने सामरिक संवादों में निजी तौर पर उठानी चाहिए। जो खतरा अभी काल्पनिक है, उसके लिए शांत कूटनीति ही उपयुक्त है। **प्रश्न 3. साक्षात्कार बोर्ड पूछता है: क्या खाड़ी में अपने हित सुरक्षित करने के लिए भारत को सैन्य गठबंधनों में शामिल होना या उन्हें बनाना चाहिए?** ***दृष्टिकोण (Approach):*** भारत की सामरिक स्वायत्तता की परंपरा बाध्यकारी सैन्य गठबंधनों के विरुद्ध है, क्योंकि वे उसे ऐसे युद्धों में खींच सकते हैं जो उसने नहीं चुने, खासकर उस क्षेत्र में जहां ईरान, सऊदी अरब और इज़राइल के हित आपस में टकराते हैं। भारत को क्षमता और साझेदारियों की जरूरत है: जहाजरानी की सुरक्षा के लिए नौसैनिक उपस्थिति, खाड़ी देशों के साथ रक्षा सहयोग और प्रशिक्षण, और निकासी की तैयारी। मक्का समझौते का हश्र दिखाता है कि साझा हितों के बिना गठबंधन सुरक्षा नहीं दे पाते। औपचारिक गठबंधनों की तुलना में लचीली साझेदारियां भारत के लिए बेहतर हैं।

5. पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी (Environment & Ecology)

आज पर्यावरण की हर खबर एक ही सवाल पूछती है: जब कोई कानून या कोई लेबल ज़मीनी सच्चाई से मेल खाना बंद कर दे, तब कीमत कौन चुकाता है? नेपाल चाहता है कि हिमालयी बाढ़ से हुए नुकसान को एहसान नहीं, बल्कि कर्ज़ माना जाए। शिमला को पता चल रहा है कि बंदर को कानून की अनुसूची से हटा देने से वह छत से नहीं हट गया। दिल्ली घरों को वही काम करने के लिए दोहरी रकम दे रही है, जिससे मुफ़्त बिजली ने उन्हें अब तक रोके रखा था। और कार बाज़ार का बहुचर्चित "ईंधन क्रॉसओवर" गौर से देखने पर ज़्यादातर एक दूसरे जीवाश्म ईंधन पर ही चलता निकलता है। हर मामले में लेबल बदलना आसान है; असली नतीजा पैसा, संस्थाएँ और लोगों का व्यवहार तय करते हैं।

5.1 नेपाल ने बाढ़ के नुकसान को जलवायु न्याय का दावा बनाया, हानि और क्षति पर भारत के रुख की परीक्षा

समाचार (THE NEWS) काठमांडू और नई दिल्ली। 22 सितंबर को द इंडियन एक्सप्रेस में आईआईटी दिल्ली के स्कूल ऑफ़ पब्लिक पॉलिसी के एक प्रोफ़ेसर ने अपने लेख में तर्क दिया है कि नेपाल ने आपदाओं से निपटने की शर्तें बदल दी हैं और भारत को इसका जवाब देना होगा। लेखक याद दिलाते हैं कि दशकों से नेपाल में जब भी बादल फटे, भूस्खलन हुए या अचानक बाढ़ आई, भारत एक मित्र "प्रथम सहायक" (first responder) की भूमिका निभाता रहा। लेकिन हाल की विनाशकारी अचानक बाढ़ के बाद नेपाल का नेतृत्व "तदर्थ राहत के ढाँचे से जलवायु न्याय और वित्तीय दायित्व के ढाँचे" की ओर बढ़ गया है। काठमांडू ने संयुक्त राष्ट्र समर्थित हानि और क्षति कोष (Fund for Responding to Loss and Damage) से गुहार लगाई है। "हानि और क्षति" का अर्थ है जलवायु परिवर्तन से होने वाला वह नुकसान जिसे अब उत्सर्जन घटाकर या अनुकूलन करके टाला नहीं जा सकता, जैसे उजड़े घर और गई जानें। साथ ही नेपाल विकसित देशों से मुआवज़ा और रियायती जलवायु वित्त, यानी बाज़ार दर से सस्ते ऋण, की माँग कर रहा है। वह चीन और भारत समेत अपने पड़ोसियों पर भी तैयारी, आँकड़ों के आदान-प्रदान और आपदा-सहनशीलता (resilience) में सहयोग के लिए दबाव बना रहा है। नेपाल ने साफ़ किया है कि वह किसी एक देश से हर्जाना नहीं माँग रहा, पर लेखक के अनुसार पड़ोसियों से उसकी अपेक्षा में कोई संदेह नहीं है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह 24 सितंबर को यह मामला संयुक्त राष्ट्र महासभा में उठाएँगे। लेख में हरित जलवायु कोष (Green Climate Fund) की 4.99 करोड़ डॉलर ($49.9 million) की उस परियोजना का ज़िक्र है, जो नेपाली समुदायों को हिमनद झील विस्फोट बाढ़ (GLOF) से बचाने के लिए थी और सात साल से अधिक समय तक कोष की प्रक्रिया में अटकी रही। GLOF वह अचानक बाढ़ है जो बर्फ़ या ढीले हिमनदी मलबे से बँधी झील के टूटने पर आती है। लेख के अनुसार नेपाल के सामने पुनर्निर्माण का खर्च उसके सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का लगभग 10 प्रतिशत है। लेखक का तर्क है कि पर्वतीय और निचले प्रवाह वाले देश "साझा किंतु विभेदित उत्तरदायित्व" (Common But Differentiated Responsibilities) के सिद्धांत को स्थानीय स्तर पर लागू कर रहे हैं और ज़्यादा उत्सर्जन करने वाले पड़ोसियों की ओर इशारा कर रहे हैं। लेखक का सुझाव है कि भारत न कानूनी दायित्व स्वीकार करे और न निष्क्रिय सहायता तक सीमित रहे। इसके बजाय वह न्यू डेवलपमेंट बैंक, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, बिम्सटेक (BIMSTEC) या एक "थर्ड पोल कॉम्पैक्ट" के ज़रिए दक्षिण एशियाई आपदा-सहनशीलता एवं बीमा सुविधा (South Asian Resilience and Insurance Facility) की अगुवाई करे। थर्ड पोल यानी हिमालय-तिब्बत का हिम-भंडार। यह सुविधा तब अपने-आप भुगतान करे जब उपग्रह पहले से तय जलवायु संकेतकों (triggers) को दर्ज करें, और इसके साथ GLOF निगरानी के साझा आँकड़े तथा एक खुली हिमालयी पूर्व-चेतावनी प्रणाली हो। द हिंदू और द इकोनॉमिक टाइम्स में आज नेपाल की अपील पर कोई खबर नहीं है, इसलिए यह विवरण एक्सप्रेस के लेख पर आधारित है। पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जलवायु वित्त, UNFCCC और भारत की पड़ोस नीति।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

हिमालय के गर्म होने से हिमनद झीलें फैलती हैं और बादल फटने की घटनाएँ तेज़ होती हैं → नेपाल में विनाशकारी अचानक बाढ़, पुनर्निर्माण का खर्च GDP के लगभग 10% तक → GCF जैसे वैश्विक कोष धीमे साबित होते हैं, एक GLOF परियोजना सात साल तक अटकी रहती है → नेपाल हानि और क्षति कोष से अपील करता है और क्षेत्रीय स्तर पर CBDR का हवाला देकर पड़ोसियों पर दबाव बनाता है → भारत के सामने विकल्प: दायित्व, सहायता या क्षेत्रीय बीमा ढाँचा

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. **हानि और क्षति जलवायु कार्रवाई का तीसरा स्तंभ है, शमन और अनुकूलन के बाद** — हानि और क्षति के लिए वारसा अंतरराष्ट्रीय तंत्र (Warsaw International Mechanism) 2013 में COP19 में स्थापित हुआ। पेरिस समझौते का अनुच्छेद 8 हानि और क्षति को टालने, कम करने और उसका समाधान करने के महत्व को मान्यता देता है, लेकिन समझौते को अंगीकार करने वाला निर्णय 1/CP.21 कहता है कि अनुच्छेद 8 किसी दायित्व या मुआवज़े का आधार नहीं बनता। 2022 में शर्म अल-शेख में COP27 ने एक समर्पित कोष सहित नई वित्तपोषण व्यवस्थाएँ बनाने का निर्णय लिया, और 2023 में दुबई में COP28 ने हानि और क्षति कोष को चालू किया, जिसका अंतरिम न्यासी (trustee) विश्व बैंक है। सैंटियागो नेटवर्क संवेदनशील देशों को तकनीकी सहायता देता है।

2. **साझा किंतु विभेदित उत्तरदायित्व 1992 के अभिसमय में ही लिखा है** — जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय (UNFCCC) का अनुच्छेद 3.1 पक्षकारों से कहता है कि वे समता के आधार पर और अपने साझा किंतु विभेदित उत्तरदायित्वों तथा संबंधित क्षमताओं (CBDR-RC) के अनुसार जलवायु प्रणाली की रक्षा करें। अभिसमय ने देशों को अनुलग्नक-I (औद्योगिक) और गैर-अनुलग्नक-I पक्षकारों में बाँटा; भारत और नेपाल दोनों गैर-अनुलग्नक-I हैं। पेरिस समझौते ने सिद्धांत को बनाए रखा, पर उसमें "भिन्न राष्ट्रीय परिस्थितियों के आलोक में" वाक्यांश जोड़ दिया, जिससे पुराना दो-खानों वाला विभाजन नरम पड़ गया। भारत लगातार CBDR के आधार पर कहता आया है कि वित्त के मामले में ऐतिहासिक उत्सर्जकों को आगे आना चाहिए।

	3. **हरित जलवायु कोष मुख्य बहुपक्षीय माध्यम है, जो मान्यता-प्राप्त संस्थाओं के ज़रिए काम करता है** — हरित जलवायु कोष (Green Climate Fund) 2010 में कानकुन में COP16 में बना और इसका मुख्यालय दक्षिण कोरिया के सोंगदो में है। यह अभिसमय के वित्तीय तंत्र की एक संचालन इकाई है और विकासशील देशों में शमन और अनुकूलन, दोनों तरह की परियोजनाओं को धन देता है। पैसा मान्यता-प्राप्त संस्थाओं (accredited entities) के ज़रिए जाता है — यानी ऐसी राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ जो कोष के वित्तीय-विश्वास संबंधी मानकों पर खरी उतरती हैं — और परियोजना-चक्र लंबा होने का एक कारण यही है। क्योटो प्रोटोकॉल के तहत बना अनुकूलन कोष (Adaptation Fund) एक अलग और छोटा माध्यम है। 4. **हिंदू कुश हिमालय तीसरा ध्रुव है और GLOF इसका सबसे बड़ा ख़तरा** — ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर बर्फ़ का सबसे बड़ा भंडार हिंदू कुश हिमालय में है और यह गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों को पानी देता है। काठमांडू में मुख्यालय वाले अंतर-सरकारी निकाय, अंतरराष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केंद्र (ICIMOD), के आठ क्षेत्रीय सदस्य देश हैं, जिनमें भारत, नेपाल और चीन शामिल हैं। भारत के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने 2020 में हिमनद झील विस्फोट बाढ़ के प्रबंधन पर दिशानिर्देश जारी किए। अक्टूबर 2023 में सिक्किम की दक्षिण ल्होनक झील के फटने से तीस्ता-III बाँध टूट गया, जिससे साफ़ हुआ कि यह ख़तरा नेपाल जितना ही भारत का भी है।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. **पाठ्यक्रम पर्यावरण, आपदा प्रबंधन और पड़ोस को एक साथ जोड़ता है** — GS3 में संरक्षण, पर्यावरण क्षरण और आपदा प्रबंधन हैं; GS2 में भारत और उसका पड़ोस। कोई पड़ोसी जलवायु दावा करे तो भारत कैसे जवाब दे, यह प्रश्न दोनों प्रश्नपत्रों को छूता है। परीक्षक उन उत्तरों को अंक देते हैं जो कूटनीतिक और पर्यावरणीय तर्क को अलग-अलग अनुच्छेदों में बाँटने के बजाय एक साथ साधते हैं। 2. **प्रारंभिक परीक्षा जलवायु वित्त के ढाँचे को परखती है** — आयोग हरित जलवायु कोष पर सीधा प्रश्न पूछ चुका है, और COP के परिणाम अक्सर कथन-आधारित प्रश्नों में आते हैं। संभावित निशाने हैं: किस COP ने कौन-सा कोष बनाया, उसकी मेज़बानी या न्यास किसके पास है, क्या अनुच्छेद 8 दायित्व बनाता है, और CBDR-RC का पूरा रूप क्या है। वर्तमान वित्तीय वादों के आँकड़े बदलते रहते हैं; संस्थागत तथ्य नहीं बदलते। 3. **मुख्य परीक्षा 'क्या तय हुआ' से आगे बढ़कर 'भारत क्या करे' पूछने लगी है** — जलवायु सम्मेलनों पर हाल के मुख्य परीक्षा प्रश्नों में परिणामों की सूची नहीं, बल्कि उनका और भारत के रुख का मूल्यांकन माँगा गया है। नेपाल का मामला भारत की दोहरी पहचान की ठोस परीक्षा है — बॉन में वह जलवायु-पीड़ित विकासशील देश है, पर काठमांडू की नज़र में एक बड़ा और अधिक संपन्न उत्सर्जक।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● हानि और क्षति कोष पर सहमति 2022 में शर्म अल-शेख में COP27 में बनी और 2023 में दुबई में COP28 में इसे चालू किया गया; विश्व बैंक इसका अंतरिम न्यासी है। ● पेरिस समझौते का अनुच्छेद 8 हानि और क्षति से संबंधित है, और निर्णय 1/CP.21 दर्ज करता है कि यह दायित्व या मुआवज़े का आधार नहीं बनता। ● हानि और क्षति के लिए वारसा अंतरराष्ट्रीय तंत्र 2013 में COP19 में स्थापित हुआ। ● साझा किंतु विभेदित उत्तरदायित्व और संबंधित क्षमताओं का सिद्धांत UNFCCC, 1992 के अनुच्छेद 3.1 में है। ● हरित जलवायु कोष 2010 में कानकुन में COP16 में स्थापित हुआ और इसका मुख्यालय दक्षिण कोरिया के सोंगदो में है। ● हिंदू कुश हिमालय पर अंतर-सरकारी ज्ञान केंद्र ICIMOD का मुख्यालय काठमांडू में है। ● हिमनद झील विस्फोट बाढ़ उस झील से पानी का अचानक निकलना है जो हिमनद की बर्फ़ या हिमोढ़ (moraine) से बँधी हो।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. **नेपाल ने भारत का ही तर्क उधार लेकर भारत की ओर मोड़ दिया है** — भारत तीन दशकों से अमीर दुनिया से कहता आया है कि जिसने ज़्यादा उत्सर्जन किया, वह ज़्यादा भुगतान करे। नेपाल की अपील यही तर्क सीढ़ी के एक पायदान नीचे लागू करती है: नेपाल जैसे आकार के पर्वतीय देश के लिए भारत और चीन पड़ोस के बड़े उत्सर्जक हैं। यह सधा हुआ वाक्य कि नेपाल किसी एक देश से हर्जाना नहीं माँग रहा, इस तर्क को नकारना कठिन बना देता है, क्योंकि इससे कानूनी दावा सहयोग के अनुरोध में बदल जाता है। भारत इस तर्क को खारिज करे तो उसी दलील को कमज़ोर करेगा जो वह हर COP में रखता है। 2. **दायित्व की नज़ीर बनने का डर वास्तविक है, पर संधि का पाठ इसका जवाब पहले ही दे चुका है** — लेखक ठीक कहते हैं कि खुले तौर पर "जलवायु हर्जाना" चुकाने से भारत दूसरी जगहों पर

भी ऐसे दावों के घेरे में आ सकता है। लेकिन पेरिस निर्णय पहले ही कह चुका है कि अनुच्छेद 8 दायित्व या मुआवज़े का कोई आधार नहीं बनाता, और हानि और क्षति कोष इसी आधार पर बनाया गया। इसलिए भारत दोष स्वीकार किए बिना क्षेत्रीय आपदा-सहनशीलता में योगदान दे सकता है, ठीक वैसे ही जैसे विकसित देश कानूनी दायित्व माने बिना कोष में योगदान देते हैं। असली ख़तरा पैसे में नहीं, शब्दावली में है; इसीलिए दोष-आधारित शब्दों से बचने का प्रस्ताव सही है।

3. **वैश्विक जलवायु वित्त की विफलता उसका आकार नहीं, उसकी रफ़्तार है** — 4.99 करोड़ डॉलर की GLOF परियोजना का सात साल इंतज़ार करना कुल वादों के किसी भी आँकड़े से बड़ा आरोप-पत्र है। प्राचलिक बीमा (parametric insurance) — जो नुकसान के आकलन के बाद नहीं, बल्कि वर्षा या झील के आयतन जैसे किसी मापे गए संकेतक के तय सीमा पार करते ही भुगतान करता है — ठीक इसी समस्या के लिए बना है, और कैरेबियन कैटास्ट्रॉफ़ी रिस्क इंश्योरेंस फ़ैसिलिटी जैसे क्षेत्रीय पूल 2007 से इसी मॉडल पर चल रहे हैं। ईमानदार प्रतिपक्ष आधार-जोखिम (basis risk) है: हो सकता है कि कोई गाँव तबाह हो जाए और संकेतक सक्रिय ही न हो, या नुकसान मामूली हो और भुगतान हो जाए। दक्षिण एशिया की किसी सुविधा को भरोसा जीतने के लिए संकेतकों की सावधान रूपरेखा और भारतीय उपग्रह आँकड़ों की ज़रूरत होगी।

4. **आँकड़े साझा करना सबसे कठिन माँग है, क्योंकि नदियों को सुरक्षा का विषय माना जाता है** — भारत साझा नदियों के जल-विज्ञान संबंधी आँकड़ों को ऐतिहासिक रूप से सतर्कता से संभालता आया है, और चीन ब्रह्मपुत्र के बाढ़-मौसम के आँकड़े केवल विशेष व्यवस्थाओं के तहत देता है। लेखक के सुझाव के मुताबिक नेपाल के साथ GLOF निगरानी आँकड़ों का साझा स्वामित्व तभी संभव है जब भारत पूर्व-चेतावनी को सामरिक संपत्ति नहीं, बल्कि सार्वजनिक हित की वस्तु माने। यह बदलाव चीन से ऊपरी प्रवाह के आँकड़े माँगने में भी भारत का पक्ष मज़बूत करेगा, क्योंकि जो चीज़ हम काठमांडू को नहीं देते, वही बीजिंग से माँगना कठिन है।

5. **क्षेत्रीय सुविधा नेपाल जितना ही भारत का भी बीमा करेगी** — 2023 का सिक्किम हादसा और उत्तराखंड तथा हिमाचल में बार-बार की हिमालयी आपदाएँ दिखाती हैं कि भारतीय राज्य भी उन्हीं ख़तरों से घिरे हैं। उपग्रह संकेतकों पर जल्दी भुगतान करने वाला पूल भारत के सालाना आपदा-खर्च को भी स्थिर करेगा, जिसे लेखक एक लाभ के रूप में गिनाते हैं। इस नज़रिए से भारत दबाव में झुका दानदाता नहीं, बल्कि अपनी रक्षा करता एक सदस्य होगा, जो देश के भीतर राजनीतिक रूप से आसान है और बाहर अधिक विश्वसनीय। टालमटोल भरे जवाब की भू-राजनीतिक कीमत भी वास्तविक है: लेख बताता है कि चीन हिमालय में अपनी जलवायु पहुँच बढ़ा रहा है।

संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)

"जलवायु न्याय की माँग अब केवल वैश्विक उत्तर से नहीं की जाती; छोटे पड़ोसी देश उभरती अर्थव्यवस्थाओं से भी यह माँग करने लगे हैं।" हाल की बाढ़ के बाद हानि और क्षति सहायता के लिए नेपाल की अपील के आलोक में, भारत की जलवायु कूटनीति के सामने खड़ी दुविधा का परीक्षण कीजिए तथा एक ऐसे क्षेत्रीय ढाँचे का सुझाव दीजिए जो भारत के वार्ता-रुख और पड़ोस के प्रति उसके उत्तरदायित्वों में सामंजस्य बिठा सके। (15 अंक, 250 शब्द)

मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)

1. **भूमिका** — बदलाव से शुरुआत करें: हाल की अचानक बाढ़ के बाद नेपाल तदर्थ राहत माँगने से आगे बढ़कर जलवायु न्याय की बात कर रहा है, हानि और क्षति कोष से अपील कर चुका है और पड़ोसियों पर सहयोग के लिए दबाव बना रहा है; उसके प्रधानमंत्री 24 सितंबर को यह मामला संयुक्त राष्ट्र महासभा में ले जा रहे हैं।

2. **मुख्य भाग — दुविधा** — UNFCCC के अनुच्छेद 3.1 के तहत CBDR-RC पर भारत का रुख और उसका यह आग्रह समझाएँ कि ऐतिहासिक उत्सर्जक भुगतान करें; फिर दिखाएँ कि नेपाल यही सिद्धांत क्षेत्रीय स्तर पर कैसे लागू कर रहा है। दोनों जोखिम रखें: दायित्व स्वीकारने से नज़ीर बनती है, जबकि इनकार करने से सद्भावना घटती है और हिमालय में चीन को जगह मिलती है।

3. **मुख्य भाग — वैश्विक तंत्र क्यों कम पड़ते हैं** — 4.99 करोड़ डॉलर की GLOF परियोजना की सात साल की GCF प्रतीक्षा और नेपाल के GDP के लगभग 10% के बराबर पुनर्निर्माण खर्च के सहारे दिखाएँ कि कमी रफ़्तार की है। पेरिस निर्णय का हवाला दें कि अनुच्छेद 8 कोई दायित्व नहीं बनाता, ताकि स्पष्ट हो कि भारत दोष माने बिना योगदान दे सकता है।

4. **मुख्य भाग — एक क्षेत्रीय ढाँचा** — बिम्सटेक, NDB या AIIB के ज़रिए दक्षिण एशियाई प्राचलिक बीमा एवं आपदा-सहनशीलता सुविधा; भारतीय उपग्रहों की मदद से साझा GLOF निगरानी और खुली पूर्व-चेतावनी प्रणाली; संयुक्त जलविद्युत और सड़क परियोजनाओं में आपदा-सहनशीलता को प्राथमिकता; और ICIMOD की भूमिका का प्रस्ताव करें। आधार-जोखिम और आँकड़ों की संप्रभुता को ऐसी रूपरेखा-संबंधी समस्याओं के रूप में रखें जिनका हल निकालना है।

	5. निष्कर्ष — निष्कर्ष दें कि भारत न प्रतिवादी बने, न दानी, बल्कि क्षेत्रीय आपदा-सहनशीलता का सह-बीमाकर्ता बने; इससे वैश्विक वार्ताओं में उसका पक्ष कमज़ोर नहीं, बल्कि मज़बूत होगा।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	**प्रश्न 1. आप विदेश मंत्रालय में नेपाल का कामकाज देखने वाले संयुक्त सचिव हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री दो दिन बाद संयुक्त राष्ट्र में हानि और क्षति का मुद्दा उठाएँगे। आप क्या सिफ़ारिश करेंगे?** ***दृष्टिकोण (Approach):*** मैं ऐसे जवाब की सिफ़ारिश करूँगा जो आपदा-सहनशीलता पर नेपाल के ज़ोर का स्वागत करे और ठोस सहयोग की पेशकश करे, पर भारत की भाषा UNFCCC में उसके इस रुख से मेल खाती रहे कि हानि और क्षति सहायता दोष का मुआवज़ा नहीं है। पेशकश में तत्काल पुनर्निर्माण सहायता, GLOF और बाढ़-पूर्वानुमान आँकड़े साझा करने का प्रस्ताव, और क्षेत्रीय जोखिम-पूलिंग सुविधा की रूपरेखा मिलकर बनाने का निमंत्रण शामिल हो सकता है। मैं संदेश को पर्यावरण मंत्रालय के साथ तालमेल में तय करूँगा, ताकि न्यूयॉर्क में कही गई कोई बात अगले COP में भारत के रुख से न टकराए। **प्रश्न 2. नेपाल से नीचे बसे बिहार के एक ज़िले के ज़िलाधिकारी के रूप में आप सीमा पार से आने वाली बाढ़ की तैयारी कैसे करेंगे?** ***दृष्टिकोण (Approach):*** मैं सुनिश्चित करूँगा कि केंद्रीय जल आयोग और मौजूदा भारत–नेपाल व्यवस्थाओं से मिलने वाली बाढ़-पूर्वानुमान सूचना कुछ ही घंटों में, दिनों में नहीं, प्रखंड और पंचायत अधिकारियों तक पहुँचे। मैं कमज़ोर तटबंधों और गाँवों का नक्शा बनवाऊँगा, नावें और राहत सामग्री पहले से तैनात करूँगा, और मानसून के चरम से पहले निकासी का अभ्यास कराऊँगा। सरकार की तय सीमाओं के भीतर सीमा पार के ज़िला अधिकारियों से अच्छा व्यक्तिगत संपर्क अक्सर औपचारिक माध्यमों से तेज़ चेतावनी पहुँचाता है। **प्रश्न 3. साक्षात्कार बोर्ड पूछता है: क्या भारत को पड़ोसी देशों में जलवायु से हुई हानि और क्षति का भुगतान करना चाहिए?** ***दृष्टिकोण (Approach):*** भारत को कानूनी दायित्व नहीं स्वीकारना चाहिए, क्योंकि एक तो उसका ऐतिहासिक उत्सर्जन कम है और दूसरे, पेरिस ढाँचा स्वयं दायित्व को नकारता है। लेकिन प्रबुद्ध स्वार्थ के नाते भारत को अपने पड़ोस की आपदा-सहनशीलता में पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि हिमालय सीमाएँ नहीं मानता और भारत के अपने राज्य भी उन्हीं ख़तरों से जूझते हैं। मुआवज़े और सहयोग का यह भेद कोई वकीली चाल नहीं है; इसी से तय होता है कि भारत प्रतिवादी की तरह वार्ता करेगा या साझेदार की तरह।

5.2 शिमला में बंदरों के हमले से मौत ने उजागर की वह खाई, जो 2022 के संशोधन में रीसस बंदर को अनुसूची से हटाने पर बनी

समाचार (THE NEWS) शिमला, हिमाचल प्रदेश। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार शिमला में 63 वर्षीय एक महिला पर 30 अगस्त को उनके घर की छत पर रीसस बंदरों (rhesus macaque) के झुंड ने हमला किया; रीढ़ की चोट समेत गंभीर घावों के बाद 5 सितंबर को उनकी मृत्यु हो गई। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में यह प्रजाति अनुसूची II के भाग I में संरक्षित थी, पर वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2022 ने इसे हटा दिया। "अनुसूची" अधिनियम के साथ जुड़ी एक सूची है; उसमें शामिल प्रजाति को अधिनियम का संरक्षण और वन विभाग का ध्यान मिलता है। हिमाचल के मुख्य वन्यजीव वार्डन आलोक प्रेम नागर ने अखबार से कहा कि बंदरों के उत्पात के लिए राज्य के वन विभाग "अब ज़िम्मेदार नहीं" हैं और बंदर "अब आवारा पशु जैसा है, जो नागरिक निकायों के दायरे में आता है"। भारतीय वन सेवा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि शिमला नगर निगम जैसे शहरी स्थानीय निकाय इस काम के लिए "पूरी तरह सक्षम नहीं" हैं, क्योंकि उनके पास बंदर पकड़ने और उनकी नसबंदी करने के लिए न पैसा है, न प्रशिक्षित कर्मचारी; साथ ही वन विभागों को अब बंदर-नियंत्रण के लिए वह केंद्रीय धन नहीं मिलता जो पहले मिलता था। नगर आयुक्त सचिन कंवल ने बताया कि कर्मचारियों को बंदर पकड़ने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उप वन संरक्षक (वन्यजीव) शाहनवाज़ अहमद भट ने कहा कि विभाग अब भी दखल देता है, ज़्यादातर वन क्षेत्रों के आसपास, पर इसका शुल्क नागरिक निकायों से लेता है; एक बंदर की नसबंदी पर ₹700 खर्च होते हैं। नगर निगम अधिकारियों के अनुसार शिमला में हर महीने बंदरों के 50 से 55 हमले दर्ज होते हैं। अखबार द्वारा उद्धृत सरकारी आँकड़ों के अनुसार हिमाचल में बंदरों की अनुमानित संख्या 2004 में 3,17,512 से घटकर 2013 में 2,26,086 और 2019-20 में 1,36,443 रह गई; वन विभाग इसका श्रेय मुख्यत: नसबंदी को देता है — 2006 से मार्च 2024 के बीच 1,86,448 बंदरों की नसबंदी हुई। वन्यजीव विशेषज्ञ शमिंदर बोपाराय ने कहा कि इस पर राय बँटी हुई है कि बंदरों को पीड़क जंतु (vermin) — यानी ऐसे जीव जिन्हें कीट मानकर मारा जा सकता है — माना जाए या संरक्षित रखा जाए; उन्होंने लोगों द्वारा बंदरों को खिलाने को उन्हें जंगलों से बाहर खींच लाने का कारण बताया। शिमला की एक गैर-सरकारी संस्था ने पिछले सप्ताह प्रदर्शन कर परिवार के लिए ₹5 लाख मुआवज़े और बंदरों को खिलाने वालों पर कार्रवाई की माँग की। राज्य की वन्यजीव मुआवज़ा नीति में गंभीर चोट पर ₹75,000, स्थायी विकलांगता पर ₹1 लाख और मृत्यु पर ₹4 लाख का प्रावधान है, पर अधिकारियों ने संकेत दिया कि परिवार के पात्र होने की संभावना कम है, क्योंकि यह प्रजाति अब अधिनियम के दायरे में नहीं है। पाठ्यक्रम से जुड़ाव: मानव–वन्यजीव संघर्ष, और विभागों तथा स्थानीय निकायों के बीच कार्यों का बँटवारा।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

1972 के अधिनियम की अनुसूची II में रीसस बंदर संरक्षित, संघर्ष से निपटने का ज़िम्मा वन विभागों और केंद्रीय धन पर → 2006 से नसबंदी के बल पर हिमाचल में अनुमानित संख्या आधी से भी कम → 2022 के संशोधन में अनुसूचियों का पुनर्गठन, बंदर सूची से बाहर → ज़िम्मेदारी अनौपचारिक रूप से ऐसे नगर निकायों पर, जिनके पास न पैसा है न प्रशिक्षित कर्मचारी → एक घातक हमले के बाद पीड़ित परिवार वन्यजीव मुआवज़ा नीति के दायरे से बाहर

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. **2022 के संशोधन ने अधिनियम की अनुसूचियाँ छह से घटाकर चार कर दीं** — वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2022 ने अनुसूचियों को नए सिरे से गढ़ा: अनुसूची I में सर्वोच्च संरक्षण वाली प्रजातियाँ, अनुसूची II में कम संरक्षण वाली प्रजातियाँ, अनुसूची III में संरक्षित पौधे, और अनुसूची IV में वन्यजीवों और वनस्पतियों की संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय (CITES) के परिशिष्टों में सूचीबद्ध नमूने। पीड़क जंतुओं वाली पुरानी अनुसूची V समाप्त कर दी गई। संशोधन ने अधिनियम को CITES के तहत भारत के दायित्वों के अनुरूप भी बनाया। चूँकि अधिनियम वन्य पशु की परिभाषा अनुसूचियों के हवाले से करता है, इसलिए अनुसूची से हटी प्रजाति काफ़ी हद तक अधिनियम की संरक्षण-व्यवस्था से बाहर हो जाती है।

2. **धारा 62 केंद्र को किसी पशु को तय क्षेत्र और अवधि के लिए पीड़क घोषित करने की शक्ति देती है** — 2022 के बाद भी धारा 62 केंद्र सरकार को अधिसूचना द्वारा अनुसूची I के अलावा किसी भी वन्य पशु को तय क्षेत्र और अवधि के लिए पीड़क घोषित करने की अनुमति देती है, जिससे वहाँ उसका शिकार किया जा सकता है। धारा 11 अलग से मुख्य वन्यजीव वार्डन को ऐसे पशु के शिकार की अनुमति देने का अधिकार देती है जो मानव जीवन के लिए ख़तरनाक हो गया हो। संघर्ष से निपटने के लिए ये अधिनियम के पारंपरिक औज़ार हैं, और दोनों यह मानकर चलते हैं कि पशु पहले से अधिनियम के दायरे में है। हिमाचल प्रदेश ने पिछले दशक में राज्य के कुछ हिस्सों में बंदर के लिए केंद्र से पीड़क अधिसूचनाएँ ली थीं, हालाँकि वे सीमित क्षेत्रों और अवधियों के लिए थीं।

3. **वन्यजीव समवर्ती विषय है, और पशु-क्रूरता की रोकथाम नगर निकायों का भी काम है** — 1976 के 42वें संशोधन ने वन तथा वन्य पशुओं और पक्षियों के संरक्षण को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में प्रविष्टि 17क और 17ख के रूप में रखा। अनुच्छेद 48क राज्य को पर्यावरण की रक्षा करने और वनों तथा वन्यजीवों को सुरक्षित रखने का निर्देश देता है, और अनुच्छेद 51क(छ) प्राणिमात्र के प्रति दया भाव रखना नागरिकों का मूल कर्तव्य बनाता है। 74वें संशोधन से जुड़ी बारहवीं अनुसूची में "कांजी हाउस; पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण" उन कार्यों में है जो नगरपालिकाओं को सौंपे जा सकते हैं। पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 बंदरों पर लागू रहता है, भले वन्यजीव कानून में उनकी स्थिति कुछ भी हो।

4. **मनुष्यों के साथ रहने वाले प्राइमेट के लिए नसबंदी मानक अहिंसक उपाय है** — सहभोजी (commensal) पशु वे हैं जो मनुष्यों के साथ रहते हैं और मनुष्यों के भोजन व कचरे पर पलते हैं, जैसे शहरी बंदर। नसबंदी से आबादी वर्षों में घटती है और मारने जैसा सार्वजनिक विवाद भी नहीं होता, पर इसके लिए प्रशिक्षित पकड़ने वाले दल, पशु-चिकित्सा सुविधाएँ और लगातार धन चाहिए। इसके नतीजे धीमे आते हैं और प्रजनन-योग्य मादाओं के बड़े हिस्से तक पहुँचने पर निर्भर करते हैं; इसीलिए धन या संस्थागत ज़िम्मेदारी में एक चूक दस साल के काम पर पानी फेर सकती है।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

1. **मानव-वन्यजीव संघर्ष मुख्य परीक्षा का बार-बार लौटने वाला विषय है** — GS3 पाठ्यक्रम में संरक्षण और आपदा प्रबंधन शामिल हैं, और मानव-वन्यजीव संघर्ष पर प्रश्नों में कारणों और समाधानों की चर्चा माँगी गई है। शिमला का मामला इसमें शासन का आयाम जोड़ता है — संघर्ष जंगल में नहीं, शहर की छत पर है, और सवाल यह है कि इसका ज़िम्मा किस विभाग का है।

2. **प्रारंभिक परीक्षा अधिनियम की अनुसूचियों और धाराओं को परखती है** — 2022 के संशोधन के बाद अनुसूचियों की संख्या, पीड़क जंतु वाली अनुसूची का क्या हुआ और धारा 62 की शक्ति पर कथन-आधारित प्रश्न स्वाभाविक निशाने हैं। 1976 में जोड़ी गई समवर्ती सूची की प्रविष्टियाँ 17क और 17ख राजव्यवस्था के प्रश्नों में भी पुरानी पसंद रही हैं।

3. **स्थानीय शासन के कार्य GS2 पाठ्यक्रम का हिस्सा हैं** — GS2 में स्थानीय स्तर तक शक्तियों और वित्त के हस्तांतरण का स्पष्ट उल्लेख है। पैसा या कर्मचारी दिए बिना नगर निगम को सौंपा गया कार्य बिना-धन-के-दायित्व (unfunded mandate) की समस्या का पाठ्यपुस्तकीय उदाहरण है, जिसे परीक्षक किसी वास्तविक मामले से समझाते देखना पसंद करते हैं।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)

- वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2022 ने अधिनियम की अनुसूचियाँ घटाकर चार कर दीं; अनुसूची IV में CITES के परिशिष्टों में सूचीबद्ध नमूने हैं।
- पीड़क जंतुओं की अलग अनुसूची 2022 के संशोधन से हटा दी गई, पर धारा 62 अब भी केंद्र सरकार को अनुसूची I के अलावा किसी वन्य पशु को तय क्षेत्र और अवधि के लिए

	पीड़क घोषित करने की अनुमति देती है। ● वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 11 मुख्य वन्यजीव वार्डन को ऐसे वन्य पशु के शिकार की अनुमति देने का अधिकार देती है जो मानव जीवन के लिए ख़तरनाक हो गया हो। ● 1976 के 42वें संविधान संशोधन ने वन तथा वन्य पशुओं और पक्षियों के संरक्षण को समवर्ती सूची में प्रविष्टि 17क और 17ख के रूप में रखा। ● अनुच्छेद 51क(छ) के अनुसार वनों, झीलों, नदियों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करना तथा प्राणिमात्र के प्रति दया भाव रखना मूल कर्तव्य है। ● संविधान की बारहवीं अनुसूची में नगरपालिका के कार्यों में "कांजी हाउस; पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण" शामिल है।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. **अनुसूची से हटाने के साथ एक सफल कार्यक्रम का पैसा भी चला गया** — आबादी के आँकड़े बताते हैं कि 2004 से 2019-20 के बीच नसबंदी ने हिमाचल में बंदरों की अनुमानित संख्या लगभग आधी कर दी थी। कानूनी बदलाव से समस्या ख़त्म नहीं हुई; ख़त्म हुआ वन विभाग का कर्तव्य और वह केंद्रीय धन जिससे समाधान का खर्च चलता था। जिस नीति में कार्य तो सौंप दिया जाए पर उसका बजट गायब हो जाए, वह हस्तांतरण नहीं, परित्याग है। तर्कसंगत सुधार यह होता कि ज़िम्मेदारी के साथ पैसा भी जाता, या प्रजाति की अनुसूची चाहे जो हो, नसबंदी को वित्तपोषित वन्यजीव-प्रबंधन गतिविधि के रूप में जारी रखा जाता। 2. **नगर निकायों से प्रति बंदर ₹700 वसूलना विशेषज्ञता के तर्क को उलट देता है** — प्रशिक्षित पकड़ने वाले दल और पशु-चिकित्सा का अनुभव वन विभाग के पास है, और अब वह इन्हें ऐसे नागरिक निकाय को बेच रहा है जिसके पास दोनों नहीं हैं। इससे सरकार के भीतर ही एक बाज़ार बन जाता है, जहाँ गरीब संस्था बेहतर साधनों वाली संस्था को भुगतान करती है, और अंतर-विभागीय बिलिंग पर खर्च हुआ हर रुपया बंदर पकड़ने पर खर्च नहीं होता। प्रतिपक्ष यह है कि वन कर्मचारी पहले से दबाव में हैं और उन्हें जंगलों पर ध्यान देना चाहिए, और यह बात उचित है। पर तब राज्य को किसी मौत के बाद नहीं, पहले ही एक नगरपालिका इकाई को धन और प्रशिक्षण देना चाहिए। 3. **कानूनी स्थिति से बँधा मुआवज़ा एक जैसी क्षति के साथ असमान बर्ताव करता है** — राज्य नीति के तहत तेंदुए के हमले में जान गँवाने वाले के परिवार को ₹4 लाख मिलते हैं, जबकि बंदरों के हमले में जान गँवाने वाले के परिवार को शायद कुछ न मिले, सिर्फ़ इसलिए कि अनुसूची में संशोधन हो गया। पीड़ित की ओर से देखें तो क्षति एक जैसी है और किसी भी परिवार ने यह जोखिम ख़ुद नहीं चुना। मुआवज़ा चोट की प्रकृति और ख़तरे के सार्वजनिक स्वरूप पर आधारित होना चाहिए, वर्गिकी की सूची पर नहीं। कोई राज्य संसद का इंतज़ार किए बिना कार्यकारी आदेश से इसे ठीक कर सकता है। 4. **जड़ में बंदरों को खिलाना है, और यह ऐसा व्यवहार है जिस तक कानून पहुँच सकता है** — श्री बोपाराय का यह कहना कि लोगों द्वारा खिलाया जाना बंदरों को जंगलों से बाहर खींचता है, कस्बों, मंदिरों और राजमार्गों पर हमलों के पैटर्न से पुष्ट होता है। नगरपालिका उपविधियाँ (bye-laws) बंदरों को खिलाने पर रोक लगाकर दंड तय कर सकती हैं, और गैर-सरकारी संस्था की कड़ी कार्रवाई की माँग बताती है कि जनता प्रवर्तन चाहती है। प्रवर्तन राजनीतिक रूप से नाज़ुक है, क्योंकि बहुत से निवासियों के लिए बंदरों को खिलाने से धार्मिक भावनाएँ जुड़ी हैं; यही कारण है कि धारा 62 के तहत मारना कभी लोकप्रिय उपाय नहीं रहा। 5. **बहस को 'संरक्षित बनाम पीड़क' के संकरे दायरे में बाँध दिया गया है** — विकल्प केवल संरक्षित पशु और कीट के बीच नहीं है। कई देश बहुतायत वाली प्रजातियों को एक तीसरी श्रेणी — प्रबंधित वन्यजीव — के तहत संभालते हैं, जिसमें पशु संकटग्रस्त नहीं होता, पर आबादी-नियंत्रण, संघर्ष से निपटने और मुआवज़े की ज़िम्मेदारी राज्य के पास रहती है। भारत के 2022 के पुनर्गठन में ऐसी कोई श्रेणी नहीं रखी गई, इसलिए कोई प्रजाति या तो वन विभाग के संरक्षण में है या व्यवहार में किसी की नहीं। शिमला की मौत इसी गायब बीच की श्रेणी की कीमत है।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	"किसी प्रजाति को कानूनी संरक्षण से हटा देने से उसके कारण होने वाला संघर्ष समाप्त नहीं होता; केवल यह बदल जाता है कि ज़िम्मेदार कौन है।" वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2022 के बाद रीसस बंदर के संदर्भ में चर्चा कीजिए तथा शहरी क्षेत्रों में बहुतायत वाले वन्यजीवों से होने वाले संघर्ष के प्रबंधन हेतु एक संस्थागत ढाँचा सुझाइए। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. **भूमिका** — शिमला के मामले से शुरू करें: 30 अगस्त को अपनी छत पर बंदरों के हमले की शिकार 63 वर्षीय महिला की 5 सितंबर को मृत्यु हो गई, और परिवार को मुआवज़ा मिलने की संभावना कम है क्योंकि 2022 में यह प्रजाति अधिनियम से हटा दी गई थी।

	2. मुख्य भाग — कानूनी बदलाव — 2022 के बाद की चार अनुसूचियों वाली संरचना, पीड़क जंतु वाली अनुसूची का हटना, धारा 62 और धारा 11 की बनी हुई शक्तियाँ और वन्यजीव का समवर्ती सूची वाला दर्जा समझाएँ। दिखाएँ कि अनुसूची से हटी प्रजाति वन विभाग के दायित्व-क्षेत्र से बाहर हो जाती है। **3. मुख्य भाग — संस्थागत खाई** — प्रमाणों का प्रयोग करें: धन और प्रशिक्षित कर्मचारियों से वंचित नगर निकाय, प्रति नसबंदी ₹700 वसूलते वन विभाग, केंद्रीय धन का बंद होना, शिमला में हर महीने 50 से 55 हमले, और मुआवज़ा नीति का कानूनी स्थिति पर निर्भर होना। इसकी तुलना 2004 से 2019-20 के बीच नसबंदी से आई आबादी में गिरावट से करें। **4. मुख्य भाग — एक ढाँचा** — वित्तपोषित आबादी-नियंत्रण के साथ प्रबंधित वन्यजीव की श्रेणी; स्पष्ट मानक संचालन प्रक्रियाओं वाला संयुक्त नगर–वन प्रकोष्ठ; अनुसूची के बजाय क्षति पर आधारित मुआवज़ा; बंदरों को खिलाने के विरुद्ध लागू करने योग्य उपविधियाँ और कचरा प्रबंधन; तथा मंदिरों और पर्यटन स्थलों पर जागरूकता अभियान सुझाएँ। **5. निष्कर्ष** — निष्कर्ष दें कि संरक्षण कानून के साथ संघर्ष-शासन की व्यवस्था भी होनी चाहिए, और बहुतायत वाली प्रजाति को उपेक्षा नहीं, प्रबंधन चाहिए।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	**प्रश्न 1. आप शिमला के नगर आयुक्त हैं। इस मौत के बाद निवासी एक सप्ताह के भीतर कार्रवाई की माँग कर रहे हैं। आप क्या करेंगे?** ***दृष्टिकोण (Approach):*** मैं तुरंत वन विभाग के साथ एक संयुक्त प्रतिक्रिया दल बनाऊँगा, जिसमें लिखित व्यवस्था के तहत उसके प्रशिक्षित पकड़ने वाले कर्मचारियों का उपयोग हो, और हमलों तथा बंदर दिखने की सूचना के लिए हेल्पलाइन जारी करूँगा। सार्वजनिक स्थानों पर बंदरों को खिलाने पर रोक अधिसूचित कर उसे लागू करूँगा, और उन कूड़ेदानों तथा कचरा स्थलों को ठीक कराऊँगा जो उन्हें आकर्षित करते हैं। राज्य सरकार से नसबंदी के लिए समर्पित बजट और परिवार के लिए अंतरिम अनुग्रह राशि (ex gratia) माँगूँगा, और हर पखवाड़े प्रगति की सार्वजनिक जानकारी दूँगा। **प्रश्न 2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक के रूप में क्या आप बंदर को फिर से अनुसूची में डालने की वकालत करेंगे?** ***दृष्टिकोण (Approach):*** फिर से सूची में डालने से धन और ज़िम्मेदारी तो लौट आएगी, पर वे कानूनी प्रतिबंध भी लौटेंगे जिनसे संघर्ष से निपटना धीमा हो जाता था। मेरी प्राथमिकता बहुतायत वाले वन्यजीवों के प्रबंधन के लिए एक वित्तपोषित राज्य योजना होगी, जिसमें प्रजाति की अनुसूची चाहे जो हो, आबादी-नियंत्रण का तकनीकी नेतृत्व वन विभाग के पास रहे। इसके समर्थन में मैं आबादी और नसबंदी के आँकड़े रखूँगा, जो दिखाते हैं कि धन मिलने पर कार्यक्रम सफल रहा। **प्रश्न 3. साक्षात्कार बोर्ड पूछता है: क्या सिर्फ़ इसलिए किसी परिवार को मुआवज़ा न देना नैतिक है कि एक पशु की कानूनी स्थिति बदल गई?** ***दृष्टिकोण (Approach):*** यह कानूनसम्मत है, पर नैतिक रूप से इसका बचाव कठिन है, क्योंकि परिवार की क्षति वही है और जोखिम एक सार्वजनिक ख़तरे से पैदा हुआ, परिवार के चुनाव से नहीं। न्याय की माँग है कि एक जैसे मामलों के साथ एक जैसा बर्ताव हो, और बंदर के हमले से हुई मौत किसी भी दूसरे पशु के हमले से हुई मौत जैसी ही है। राज्य अभी अपनी विवेकाधीन राहत शक्तियों का प्रयोग कर सकता है और अपनी नीति में संशोधन करके मुआवज़े को क्षति पर आधारित कर सकता है; यह मानवीय भी है और सस्ता भी।

5.3 दिल्ली ने छत पर सौर ऊर्जा की सब्सिडी दोगुनी कर ₹1.56 लाख की, 2.3 लाख घरों को मुफ़्त सिस्टम का लक्ष्य

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार, 21 सितंबर को दिल्ली पीएम सूर्य घर योजना का पंजीकरण पोर्टल शुरू किया, जो केंद्र की पीएम सूर्य घर: मुफ़्त बिजली योजना के तहत लागू होगी। केंद्र 3 किलोवाट (kW, किसी सिस्टम की उत्पादन क्षमता की इकाई) तक के छत पर सौर ऊर्जा (rooftop solar) सिस्टम के लिए ₹78,000 तक देता है, और दिल्ली सरकार इतने ही ₹78,000 और जोड़ेगी, यानी एक परिवार को ₹1.56 लाख तक मिल सकते हैं। जिन घरेलू उपभोक्ताओं की औसत मासिक खपत 400 यूनिट तक है, उन्हें 3 kW तक के सिस्टम बिना किसी अग्रिम भुगतान के मिलेंगे, और लागत का बचा हुआ अंतर योजना के ज़रिए पूरा होगा। बिजली मंत्री आशीष सूद के अनुसार पहले चरण का लक्ष्य 2.30 लाख से अधिक परिवारों को मुफ़्त छत-सौर सिस्टम देना है; उन्होंने कहा कि दिल्ली देश की "सौर राजधानी" बनेगी। आवेदन "पहले आओ, पहले पाओ" के आधार पर निपटाए जाएँगे; एक्सप्रेस के अनुसार यह शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन पर चल रहे सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा थी। उपभोक्ता वितरण कंपनी (discom, यानी घरों तक बिजली पहुँचाने वाली कंपनी) के अपने अनुबंध खाता संख्या से पंजीकरण करेंगे। अधिकृत विक्रेता सिस्टम लगाएँगे और पाँच साल तक उनका रखरखाव करेंगे, जिसके बाद रखरखाव डिस्कॉम के पास चला जाएगा। ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों के लिए सहायता ₹2,000 प्रति kW से बढ़ाकर ₹11,000 प्रति kW कर दी गई है, और अधिकारी चाहते हैं कि आधे उपभोक्ता छोटी छतों पर 2 kW तक के सिस्टम चुनें। 0–200 यूनिट श्रेणी के परिवारों को, जिनकी बिजली

पहले से मुफ़्त है, बचाई गई यूनिटों के आधे के बराबर प्रोत्साहन मिलेगा; एक्सप्रेस का उदाहरण है कि खपत 200 से घटाकर 50 यूनिट करने पर 75 यूनिट के बराबर प्रोत्साहन मिलेगा। 201–400 यूनिट श्रेणी में ₹800 प्रति माह तक की मौजूदा सब्सिडी सौर के बाद की खपत पर जारी रहेगी, और 400 यूनिट से ऊपर वाले परिवारों को अधिकतम पूँजीगत सब्सिडी तो मिलेगी पर बिजली सब्सिडी नहीं, क्योंकि पात्रता सकल खपत पर आधारित है। एक्सप्रेस के अनुसार बीएसईएस और टाटा पावर के ज़रिए दिल्ली में केवल 29,718 सौर कनेक्शन हैं, जिनकी क्षमता 472 MWp (मेगावाट-पीक, यानी आदर्श धूप में आँका गया उत्पादन) है। अधिकारी इसके तीन कारण बताते हैं: 200 यूनिट तक मुफ़्त बिजली सिस्टम लगाने का प्रोत्साहन ख़त्म कर देती है, बहुत से लोग ग्रुप हाउसिंग में रहते हैं जहाँ सहमति बनाना कठिन है, और बड़े सिस्टम की अग्रिम लागत ₹2 लाख तक पहुँच सकती है। पाठ्यक्रम से जुड़ाव: नवीकरणीय ऊर्जा, वितरित उत्पादन और भारत के गैर-जीवाश्म लक्ष्य।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

केंद्र ने 2024 में पीएम सूर्य घर शुरू की, 3 kW के लिए पूँजीगत सब्सिडी की सीमा ₹78,000 → मुफ़्त बिजली, ग्रुप हाउसिंग और अग्रिम लागत के कारण प्रोत्साहन कुंद, दिल्ली 30,000 से कम कनेक्शन पर पिछड़ी → दिल्ली ने केंद्रीय सब्सिडी के बराबर राशि जोड़कर कुल ₹1.56 लाख की और ग्रुप हाउसिंग सहायता ₹11,000 प्रति kW की → 400 यूनिट तक वाले घरों के लिए शून्य अग्रिम भुगतान वाले सिस्टम और 0–200 स्लैब के लिए बचत प्रोत्साहन → पहले चरण में 2.3 लाख मुफ़्त छत-सौर सिस्टम का लक्ष्य

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. **पीएम सूर्य घर एक करोड़ परिवारों के लिए माँग-पक्ष की सब्सिडी योजना है** — इस कार्ड के लिए प्राप्त पत्र सूचना कार्यालय (PIB) की विज्ञप्ति के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 फ़रवरी 2024 को ₹75,021 करोड़ के परिव्यय के साथ पीएम सूर्य घर: मुफ़्त बिजली योजना को मंज़ूरी दी। इसका लक्ष्य एक करोड़ परिवारों की छतों पर सौर सिस्टम लगाना और हर महीने 300 यूनिट तक मुफ़्त बिजली देना है। केंद्रीय वित्तीय सहायता 2 kW तक के सिस्टम की लागत का 60% और 2 से 3 kW के बीच की अतिरिक्त लागत का 40% देती है; इस हिसाब से 1 kW पर ₹30,000, 2 kW पर ₹60,000 और 3 kW पर ₹78,000 मिलते हैं, और सीमा 3 kW पर है। PIB विज्ञप्ति में हर ज़िले में एक आदर्श सौर गाँव और RESCO मॉडल के लिए भुगतान-सुरक्षा घटक का भी प्रावधान है।

2. **छत की सौर बिजली का भुगतान कैसे हो, यह विद्युत अधिनियम, 2003 और नियामक तय करते हैं** — बिजली समवर्ती सूची का विषय है। विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत राज्य विद्युत नियामक आयोग शुल्क-दरें तय करते हैं और डिस्कॉम का नियमन करते हैं; दिल्ली में यह दिल्ली विद्युत नियामक आयोग है। नेट मीटरिंग — जिसमें मीटर दोनों दिशाओं में चलता है और उपभोक्ता से केवल शुद्ध खपत का बिल लिया जाता है — नियमों और विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) नियम, 2020 से संचालित होती है। ये नियम उपभोक्ता के 'प्रोज़्यूमर' (prosumer), यानी बिजली बनाने और इस्तेमाल करने वाला दोनों, बनने के अधिकार को मान्यता देते हैं।

3. **छत पर सौर ऊर्जा के दो व्यावसायिक मॉडल हैं: CAPEX और RESCO** — CAPEX मॉडल में परिवार सिस्टम ख़रीदता है और उसका मालिक होता है; पूँजीगत सब्सिडी इसी पर लागू होती है। RESCO मॉडल में एक नवीकरणीय ऊर्जा सेवा कंपनी सिस्टम लगाती है, उसकी मालिक रहती है और दीर्घकालिक अनुबंध के तहत परिवार या इमारत को बिजली बेचती है। RESCO उन संस्थाओं और ग्रुप हाउसिंग के लिए उपयुक्त है जो अग्रिम लागत नहीं उठा सकतीं, पर इसमें भुगतान-सुरक्षा चाहिए; इसीलिए केंद्रीय योजना में इसका प्रावधान है।

4. **भारत का गैर-जीवाश्म लक्ष्य स्थापित क्षमता में मापा जाता है** — 2021 में ग्लासगो में COP26 में भारत ने 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म क्षमता का लक्ष्य घोषित किया, और 2022 के अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) में 2030 तक संचयी स्थापित विद्युत क्षमता का लगभग 50% गैर-जीवाश्म स्रोतों से लाने और GDP की उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 45% घटाने की प्रतिबद्धता जताई। छत पर सौर ऊर्जा वितरित नवीकरणीय ऊर्जा का एक रूप है — यानी वह बिजली जो इस्तेमाल की जगह के पास ही बनती है — जिससे पारेषण हानि और ज़मीन की ज़रूरत दोनों घटती हैं।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

1. **ऊर्जा अवसंरचना और नवीकरणीय ऊर्जा GS3 का स्थायी विषय हैं** — GS3 में ऊर्जा सहित अवसंरचना शामिल है, और सौर ऊर्जा पर प्रश्नों में भारत के लक्ष्य, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन और छत पर सौर ऊर्जा अपनाने की बाधाओं के बारे में पूछा गया है। किसी राज्य का ऐसा उदाहरण, जिसमें आँकड़ों के साथ बताया गया हो कि अपनाने में देरी क्यों हुई, उत्तर के लिए बेहतरीन सामग्री है।

2. **प्रारंभिक परीक्षा योजना की रूपरेखा पूछती है, शुभारंभ का कार्यक्रम नहीं** — संभावित निशाने हैं: केंद्रीय सहायता की क्षमता-सीमा, प्रभारी मंत्रालय (नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय), नेट मीटरिंग और RESCO का अर्थ, और 2030 का गैर-जीवाश्म लक्ष्य। किसी एक शहर में पोर्टल पर हुए पंजीकरणों की संख्या परीक्षा-योग्य नहीं है।

3. **मुफ़्त सुविधाएँ और राजकोषीय संघवाद इसे GS2 से जोड़ते हैं** — दिल्ली की 200 यूनिट तक मुफ़्त बिजली को ही अधिकारी सौर ऊर्जा के कमज़ोर प्रसार का दोषी मानते हैं। कल्याणकारी सब्सिडी और हरित प्रोत्साहनों का आपसी टकराव राज्यों के वित्त और 'रेवड़ी' राजनीति की

	बहसों का जीवंत विषय है, और इस उदाहरण का प्रयोग करने वाला उत्तर विश्लेषण की गहराई दिखाता है।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	• पीएम सूर्य घर: मुफ़्त बिजली योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 फ़रवरी 2024 को एक करोड़ घरों पर छत-सौर सिस्टम लगाने के लिए ₹75,021 करोड़ के परिव्यय के साथ मंज़ूरी दी। • पीएम सूर्य घर के तहत केंद्रीय वित्तीय सहायता की सीमा 3 kW है, और 3 kW के सिस्टम पर यह ₹78,000 है। • नेट मीटरिंग में प्रोज़्यूमर से केवल ग्रिड से ली गई और ग्रिड को दी गई बिजली के अंतर का बिल लिया जाता है। • RESCO मॉडल में नवीकरणीय ऊर्जा सेवा कंपनी छत-सौर सिस्टम की मालिक होती है और उपभोक्ता को बिजली बेचती है, जबकि CAPEX मॉडल में उपभोक्ता सिस्टम का मालिक होता है। • खुदरा बिजली आपूर्ति की शुल्क-दरें विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत राज्य विद्युत नियामक आयोग तय करते हैं। • भारत के 2022 के अद्यतन NDC में 2030 तक संचयी स्थापित विद्युत क्षमता का लगभग 50% गैर-जीवाश्म स्रोतों से लाने का लक्ष्य है।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. **दिल्ली उस प्रोत्साहन-हीनता को मिटाने के लिए भुगतान कर रही है जो उसकी अपनी मुफ़्त बिजली ने पैदा की** — अधिकारी ख़ुद मानते हैं कि 200 यूनिट तक मुफ़्त बिजली सौर सिस्टम लगाने की वजह ही ख़त्म कर देती है। इसलिए नई योजना उपभोग सब्सिडी के ऊपर पूँजीगत सब्सिडी चढ़ाती है, जो महँगा भी है और अवधारणा के स्तर पर उलझा हुआ भी। सबसे समझदारी भरा हिस्सा 0–200 श्रेणी के लिए बचाई गई यूनिटों के आधे के बराबर प्रोत्साहन है, क्योंकि यह खपत के बजाय बचत को पुरस्कृत करता है और मुफ़्त स्लैब के तर्क को उलट देता है। यह चलेगा या नहीं, यह इस पर निर्भर है कि परिवार इसे समझ पाते हैं या नहीं; जिस प्रोत्साहन को समझाने के लिए हल किया हुआ उदाहरण देना पड़े, वह अक्सर अनछुआ रह जाता है। 2. **असली मोर्चा स्वतंत्र मकान नहीं, ग्रुप हाउसिंग है** — दिल्ली के निवासियों का बड़ा हिस्सा ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों या किराये के घरों में रहता है, जहाँ पैनल लगाने के लिए कोई निजी छत नहीं होती। सोसाइटियों के लिए सहायता ₹2,000 से बढ़ाकर ₹11,000 प्रति kW करना वह बदलाव है जिससे आँकड़े सबसे ज़्यादा हिल सकते हैं, पर फ़्लैट मालिकों के बीच सहमति, छत पर अधिकार और लाभ का बँटवारा अब भी बाधाएँ हैं। वर्चुअल या सामूहिक नेट मीटरिंग, जो एक साझा सिस्टम के उत्पादन को कई मीटरों में बाँट देती है, ऐसी इमारतों के लिए किसी भी एकल-परिवार सब्सिडी से ज़्यादा कारगर होगी। 3. **शून्य अग्रिम भुगतान जोखिम को विक्रेताओं और डिस्कॉम पर डाल देता है** — 400 यूनिट तक वाले परिवारों से कोई अग्रिम भुगतान न लेने का मतलब है कि अंतर का वित्तपोषण किसी और को करना होगा; और पाँच साल विक्रेता के रखरखाव के बाद डिस्कॉम की ज़िम्मेदारी का अर्थ है कि बिजली कंपनियों को हज़ारों छोटे सिस्टम विरासत में मिलेंगे। जब बेहतर भुगतान करने वाले उपभोक्ता अपनी बिजली ख़ुद बनाने लगते हैं तो डिस्कॉम का राजस्व भी घटता है। प्रतिपक्ष यह है कि दिन में छत पर होने वाला उत्पादन गर्मियों में डिस्कॉम की महँगी पीक-खरीद घटाता है; कौन-सा असर भारी पड़ेगा, यह नियामक की शुल्क-दर रूपरेखा पर निर्भर करेगा। 4. **"पहले आओ, पहले पाओ" जानकार और मकान-मालिक वर्ग के पक्ष में झुकता है** — "पहले आओ, पहले पाओ" वाला पोर्टल उन परिवारों को फ़ायदा देता है जिनके पास इंटरनेट, संपत्ति के साफ़ कागज़ात और प्रक्रिया पूरी करने का समय है। किरायेदार, जो अक्सर ज़्यादा गरीब होते हैं, छत पर सिस्टम लगा ही नहीं सकते। अगर योजना को केवल लोकप्रिय नहीं, बल्कि न्यायसंगत बनना है, तो आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों तक लक्षित पहुँच — जिन्हें सरकार के अनुसार बिना अग्रिम भुगतान के सिस्टम मिल सकते हैं — एक मापा जाने वाला लक्ष्य होना चाहिए, जिसके आँकड़े प्रकाशित हों। 5. **29,718 के आधार के मुकाबले 2.3 लाख का लक्ष्य महत्वाकांक्षी है** — 30,000 से कम कनेक्शनों से 2.3 लाख से अधिक तक पहुँचना लगभग आठ गुना वृद्धि है। अगर हर सिस्टम 3 kW का हो तो लक्ष्य से लगभग 690 MW जुड़ेंगे, जो दिल्ली की मौजूदा 472 MWp क्षमता से ज़्यादा है; यह उस शहर के लिए मायने रखता है जो अपनी ज़्यादातर बिजली अपनी सीमाओं के बाहर के संयंत्रों से लेता है। यह संख्या तभी हासिल होगी जब विक्रेताओं की क्षमता, डिस्कॉम का निरीक्षण और मीटरिंग साथ-साथ चलें; कई राज्यों में छत-सौर योजनाएँ सब्सिडी के चरण पर नहीं, बल्कि नेट मीटर लगाने के चरण पर अटक गई हैं।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न	उदार पूँजीगत सब्सिडी के बावजूद भारतीय शहरों में छत पर सौर ऊर्जा का प्रसार पिछड़ा रहा है।

(POSSIBLE MAINS QUESTION)	पीएम सूर्य घर के राज्य घटक के दिल्ली में शुभारंभ को उदाहरण बनाते हुए वितरित सौर ऊर्जा अपनाने की आर्थिक, संस्थागत और व्यवहारगत बाधाओं का परीक्षण कीजिए तथा उन्हें दूर करने के उपाय सुझाइए। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	**1. भूमिका** — योजना की रूपरेखा बताएँ: 3 kW तक के लिए ₹78,000 की केंद्रीय सब्सिडी, जिसमें दिल्ली बराबर राशि जोड़कर ₹1.56 लाख तक पहुँचाती है; 400 यूनिट तक वाले घरों के लिए शून्य अग्रिम लागत; और केवल 29,718 मौजूदा कनेक्शनों के मुकाबले 2.3 लाख मुफ़्त छत-सौर सिस्टम का लक्ष्य। **2. मुख्य भाग — आर्थिक बाधाएँ** — ₹2 लाख तक की अग्रिम लागत, 200 यूनिट तक मुफ़्त बिजली से पैदा हुई प्रोत्साहन-हीनता, डिस्कॉम के राजस्व की चिंताएँ और शून्य-अग्रिम मॉडल में वित्तपोषण का जोखिम — इन पर चर्चा करें। **3. मुख्य भाग — संस्थागत और व्यवहारगत बाधाएँ** — ग्रुप हाउसिंग में सहमति, बिना छत वाले किरायेदार, नेट मीटरिंग में देरी, विक्रेताओं की गुणवत्ता और पाँच साल बाद का रखरखाव, तथा बचाई गई यूनिटों के भुगतान जैसे प्रोत्साहनों के बारे में कम जागरूकता — इन पर चर्चा करें। **4. मुख्य भाग — उपाय** — वर्चुअल और सामूहिक नेट मीटरिंग, सोसाइटियों के लिए भुगतान-सुरक्षा वाले RESCO मॉडल, डिस्कॉम के लिए समय-सीमा वाली एकल-खिड़की डिजिटल मंज़ूरी, विक्रेताओं का गुणवत्ता प्रमाणन, कमज़ोर वर्गों तक लक्षित पहुँच और दिन के उत्पादन को पुरस्कृत करने वाली नियामकीय शुल्क-दर रूपरेखा सुझाएँ। **5. निष्कर्ष** — निष्कर्ष दें कि भारत का 2030 का गैर-जीवाश्म लक्ष्य केवल विशाल सौर पार्कों पर नहीं, बल्कि परिवारों के लाखों छोटे फ़ैसलों पर भी टिका है, और परिवार सब्सिडी जितना ही योजना की रूपरेखा और भरोसे पर भी प्रतिक्रिया देते हैं।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	**प्रश्न 1. आप दिल्ली की एक डिस्कॉम के प्रमुख हैं। सरकार चाहती है कि पाँच साल बाद आप लाखों छत-सौर सिस्टम का रखरखाव अपने हाथ में लें। आप क्या तैयारी करेंगे?** ***दृष्टिकोण (Approach):*** मैं इस पर ज़ोर दूँगा कि विक्रेता हर संस्थापन का पूरा तकनीकी रिकॉर्ड, वारंटी और इन्वर्टर डेटा सौंपें, और अभी से मानक तय करूँगा ताकि जो सिस्टम हमें मिलें वे सुधारे जा सकें। मैं एक रखरखाव प्रकोष्ठ बनाऊँगा या प्रदर्शन-आधारित शर्तों पर यह काम ठेके पर दूँगा, और ख़राब होते सिस्टम जल्दी पहचानने के लिए स्मार्ट मीटरों का उपयोग करूँगा। मैं नियामक से यह भी कहूँगा कि इन लागतों की पारदर्शी वसूली की अनुमति दे, ताकि रखरखाव बिना धन वाला बोझ न बन जाए। **प्रश्न 2. योजना चलाने वाले अधिकारी के रूप में आप कैसे सुनिश्चित करेंगे कि यह केवल संपन्न लोगों तक नहीं, आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों तक भी पहुँचे?** ***दृष्टिकोण (Approach):*** मैं कमज़ोर वर्ग के परिवारों के लिए कोटा, या कम से कम एक निगरानी वाला लक्ष्य, तय करूँगा और पुनर्वास कॉलोनियों में शिविर लगाऊँगा, जहाँ डिस्कॉम और विक्रेता के कर्मचारी मौके पर ही पंजीकरण पूरा कराएँ। मैं हर महीने वार्ड-वार आवेदनों और संस्थापनों के आँकड़े प्रकाशित करूँगा। जिनके पास उपयुक्त छत नहीं है, उनके लिए सार्वजनिक इमारतों पर सामुदायिक सिस्टम की संभावना तलाशूँगा, जिनका लाभ आसपास के कम आय वाले उपभोक्ताओं के खाते में जमा हो। **प्रश्न 3. साक्षात्कार बोर्ड पूछता है: क्या उन्हीं परिवारों को मुफ़्त बिजली देना और सौर पैनलों पर सब्सिडी भी देना समझदारी है?** ***दृष्टिकोण (Approach):*** यह तभी समझदारी है जब सौर सब्सिडी धीरे-धीरे उपभोग सब्सिडी की जगह ले, क्योंकि जो परिवार अपनी बिजली ख़ुद बनाता है उसे ग्रिड की मुफ़्त बिजली की ज़रूरत नहीं रहती। दोनों को अनिश्चित काल तक देने से राजकोषीय बोझ दोगुना हो जाता है। बचाई गई यूनिटों पर दिल्ली का प्रोत्साहन सही दिशा दिखाता है, क्योंकि यह ज़्यादा इस्तेमाल को नहीं, ग्रिड से खपत घटाने को पुरस्कृत करता है। सौर प्रसार के साथ उपभोग सब्सिडी घटाने का एक स्पष्ट रोडमैप नीति को सुसंगत बना देगा।

5.4 नई कारों की बिक्री में वैकल्पिक ईंधन ने पेट्रोल को पछाड़ा, पर आगे CNG और हाइब्रिड हैं, EV नहीं

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। द हिंदू में सचिन स्वराज और गंडला स्नेहा का डेटा पॉइंट विश्लेषण उस घटना की पड़ताल करता है जिसे फ़ेडरेशन ऑफ़ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशंस (FADA) ने अगस्त 2026 का "ऐतिहासिक ईंधन क्रॉसओवर" कहा। FADA के आँकड़ों के अनुसार यात्री वाहन श्रेणी में, जिसमें मुख्यत: कारें आती हैं, पहली बार वैकल्पिक ईंधन से चलने वाले नए वाहनों का हिस्सा (41.95%) पेट्रोल वाहनों के हिस्से (40.85%) से आगे निकल गया; FADA "CNG, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक को मिलाकर" वैकल्पिक ईंधन गिनता है। CNG यानी संपीडित प्राकृतिक गैस (compressed natural gas), एक जीवाश्म ईंधन जो पेट्रोल से साफ़ जलता है; हाइब्रिड वाहन में इंजन के साथ बैटरी और इलेक्ट्रिक मोटर होती है। सभी श्रेणियों को मिलाकर देखें तो पेट्रोल और डीज़ल का

दबदबा अब भी है : इस साल जनवरी से मार्च के बीच पंजीकृत लगभग 82 लाख वाहनों में इनका हिस्सा 83.5% रहा। लेख के अनुसार यह 2021 की इसी अवधि से 11.5 प्रतिशत अंक कम है, जब 57 लाख वाहनों में पेट्रोल और डीज़ल का हिस्सा 95% से ज़्यादा था। कुल पंजीकरणों में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) का हिस्सा 10.6% है, पर वाहन (Vahan) पोर्टल — परिवहन मंत्रालय का राष्ट्रीय वाहन पंजीकरण डेटाबेस — के आँकड़े दिखाते हैं कि यह मुख्यत: दोपहिया और तिपहिया वाहनों के कारण है। नए वाहनों में 70% से ज़्यादा दोपहिया हैं, और इनमें EV का हिस्सा 2025 के 6.4% से बढ़कर 2026 (अगस्त तक) में 9.1% हो गया ; पेट्रोल दोपहिया का हिस्सा पहली बार घटकर 90% के आसपास आ गया है। बिकने वाले वाहनों में केवल 4% हिस्सा रखने वाले तिपहिया सबसे तेज़ी से बदले हैं : इस साल अगस्त तक पंजीकृत लगभग 9.8 लाख तिपहिया में 60.5% EV थे, और इनमें पेट्रोल-डीज़ल का हिस्सा 2021 के लगभग 30% से आधा होकर 2026 में 15% से कम रह गया है, जबकि इस साल CNG और LPG तिपहिया भी घटे हैं। कारों में पेट्रोल और डीज़ल का हिस्सा 2021 के 86% से गिरकर 2026 में 61.6% रह गया, पर लेख कहता है कि इसकी मुख्य वजह CNG और LPG वाले वाहन हैं, EV नहीं, और हाइब्रिड EV का हिस्सा 2023 से लगभग 8% पर टिका है। लेखकों का निष्कर्ष है कि कारों में EV अपनाने की रफ़्तार बढ़ाने के लिए चार्जिंग अवसंरचना के विस्तार जैसे उपाय ज़रूरी हैं। अलग से, द हिंदू की रिपोर्ट है कि दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा कि अगले महीने पीएम ई-ड्राइव के तहत 150 इलेक्ट्रिक बसें शुरू की जाएँगी, जो 40 डिपो में चल रही 5,088 इलेक्ट्रिक बसों में जुड़ेंगी। पाठ्यक्रम से जुड़ाव : परिवहन उत्सर्जन, ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ गतिशीलता के लिए औद्योगिक नीति।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

सब्सिडी योजनाएँ और ईंधन-कीमतों का दबाव ख़रीदारों को पेट्रोल और डीज़ल से दूर धकेलते हैं → रोज़ ज़्यादा चलने वाले तिपहिया सबसे पहले EV पर जाते हैं और EV हिस्सा 60.5% तक पहुँचता है → दोपहिया में EV हिस्सा बढ़कर 9.1% → कार ख़रीदार मुख्यत: CNG और LPG की ओर जाते हैं, EV और हाइब्रिड का हिस्सा धीरे बढ़ता है → अगस्त 2026 की कार बिक्री में CNG, हाइब्रिड और EV मिलकर पेट्रोल से आगे, जिससे कारों के विद्युतीकरण की धीमी रफ़्तार छिप जाती है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. **वाहन राष्ट्रीय रजिस्टर है, FADA डीलरों की आवाज़** — वाहन (Vahan) राष्ट्रीय वाहन पंजीकरण डेटाबेस है, जिसे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र (NIC) के साथ चलाता है ; सारथी (Sarathi) ड्राइविंग लाइसेंस के लिए इसका समकक्ष है। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत वाहन पंजीकरण राज्य का कार्य है, जिसे क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय करते हैं, और वाहन पोर्टल उनके रिकॉर्ड एकीकृत करता है। FADA ऑटोमोबाइल डीलरों का शीर्ष निकाय है और पंजीकरण के आधार पर खुदरा बिक्री के आँकड़े जारी करता है, जबकि SIAM (सोसाइटी ऑफ़ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफ़ैक्चरर्स) कारख़ानों से डीलरों को भेजे गए वाहनों के आँकड़े देता है।

2. **भारत की EV सब्सिडी FAME से पीएम ई-ड्राइव तक पहुँची है** — FAME योजना (हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण) 2015 में शुरू हुई, और 2019 से चली FAME-II का परिव्यय ₹10,000 करोड़ था, जिसका ज़ोर सार्वजनिक और साझा परिवहन पर था। सितंबर 2024 में लगभग ₹10,900 करोड़ के परिव्यय के साथ मंज़ूर पीएम ई-ड्राइव इलेक्ट्रिक दोपहिया और तिपहिया, ई-बसों, ई-ट्रकों, ई-एंबुलेंस और सार्वजनिक चार्जिंग को सहायता देती है। ऑटोमोबाइल और उन्नत रसायन सेल (advanced chemistry cell) बैटरियों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजनाएँ ख़रीद के बजाय विनिर्माण को सहायता देती हैं।

3. **इलेक्ट्रिक वाहन एक नहीं, कई तकनीकों का नाम है** — बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन केवल ग्रिड से चार्ज की गई बैटरी पर चलता है। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन में आंतरिक दहन इंजन के साथ एक बैटरी होती है, जो इंजन और ब्रेकिंग से चार्ज होती है और जिसे प्लग से चार्ज नहीं किया जा सकता ; प्लग-इन हाइब्रिड में बड़ी बैटरी होती है जिसे बाहर से चार्ज किया जा सकता है। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड छोटी दूरी केवल बिजली पर तय कर सकते हैं, जबकि माइल्ड हाइब्रिड सिर्फ़ इंजन की मदद करते हैं। CNG और LPG वाहन आंतरिक दहन वाहन ही हैं, जो गैसीय जीवाश्म ईंधन जलाते हैं।

4. **उत्सर्जन और ईंधन-दक्षता मानक परिवहन प्रदूषण की ऊपरी सीमा तय करते हैं** — भारत ने 1 अप्रैल 2020 से पूरे देश में भारत स्टेज IV से सीधे भारत स्टेज VI उत्सर्जन मानकों पर छलाँग लगाई। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के तहत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा बनाए गए कॉर्पोरेट औसत ईंधन दक्षता (CAFE) मानक किसी निर्माता के पूरे वाहन-बेड़े की औसत ईंधन खपत या कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की सीमा तय करते हैं, जिससे कार कंपनियों को EV और हाइब्रिड बेचने का प्रोत्साहन मिलता है। भारत का अद्यतन NDC 2030 तक GDP की उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 45% घटाने की प्रतिबद्धता जताता है।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

1. **इलेक्ट्रिक गतिशीलता GS3 में कई रूपों में पूछी जाती है** — GS3 में अवसंरचना, ऊर्जा और पर्यावरण प्रदूषण शामिल हैं, और इलेक्ट्रिक वाहनों पर प्रश्नों में उन्हें अपनाने की बाधाओं तथा बैटरियों और महत्वपूर्ण खनिजों की भूमिका के बारे में पूछा गया है। दोपहिया, तिपहिया और कारों को अलग-अलग दिखाने वाले आँकड़े अभ्यर्थी को सामान्य बातों से आगे बढ़कर खंड-विशिष्ट नीति तक ले जाने देते हैं।

2. **प्रारंभिक परीक्षा परिभाषाएँ और योजनाएँ परखती है** — इन पर कथनों की अपेक्षा करें : हाइब्रिड क्या है, क्या CNG जीवाश्म ईंधन है, वाहन पोर्टल कौन-सा मंत्रालय चलाता है, CAFE

	मानक किसका नियमन करते हैं, और FAME तथा पीएम ई-ड्राइव योजनाओं में क्या शामिल है। मासिक बिक्री के हिस्से नहीं पूछे जाते। 3. **ऊर्जा सुरक्षा इस खबर को आज के तेल झटके से जोड़ती है** — द इंडियन एक्सप्रेस का आज का संपादकीय बताता है कि ब्रेंट कच्चा तेल लगभग $102 प्रति बैरल पर है, जो एक साल पहले से लगभग 55% ज़्यादा है। ऊर्जा सुरक्षा पर मुख्य परीक्षा का कोई भी प्रश्न परिवहन ईंधन की माँग पर चर्चा का अवसर देता है, और वहाँ इस खबर के खंड-वार आँकड़े सीधे काम आते हैं।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● वाहन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का राष्ट्रीय वाहन पंजीकरण डेटाबेस है, और सारथी ड्राइविंग लाइसेंस का संबंधित डेटाबेस है। ● हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन में आंतरिक दहन इंजन के साथ बैटरी और इलेक्ट्रिक मोटर होती है, जबकि बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन केवल ग्रिड से चार्ज बैटरियों पर चलता है। ● CNG वाहनों में इस्तेमाल होने वाली संपीडित प्राकृतिक गैस एक जीवाश्म ईंधन है, जिसमें मुख्यतः मीथेन होती है। ● भारत स्टेज VI उत्सर्जन मानक भारत स्टेज V को छोड़ते हुए 1 अप्रैल 2020 से पूरे देश में लागू किए गए। ● कॉर्पोरेट औसत ईंधन दक्षता मानक ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के तहत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो बनाता है। ● FAME-II की उत्तराधिकारी पीएम ई-ड्राइव इलेक्ट्रिक दोपहिया, तिपहिया, बसों और ट्रकों की ख़रीद तथा सार्वजनिक चार्जिंग अवसंरचना के निर्माण को सहायता देती है।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. **"वैकल्पिक ईंधन" विपणन की श्रेणी है, जलवायु की नहीं** — CNG, हाइब्रिड और EV को एक साथ जोड़ने से 'क्रॉसओवर' की सुर्ख़ी तो बन जाती है, पर CNG और LPG जीवाश्म ईंधन हैं और हाइब्रिड अब भी पेट्रोल जलाते हैं। लेख के अपने आँकड़े दिखाते हैं कि पेट्रोल और डीज़ल कारों में गिरावट मुख्यतः गैस की ओर झुकाव है। स्थानीय वायु प्रदूषण के लिहाज़ से यह वास्तविक सुधार है, पर विद्युतीकरण नहीं; और जो नीति संयुक्त आँकड़े का जश्न मनाती है, वह संक्रमणकालीन ईंधन को ही मंज़िल समझ लेने का जोखिम उठाती है। 2. **कौन-सा खंड पहले इलेक्ट्रिक होगा, यह विचारधारा नहीं, अर्थशास्त्र तय करता है** — तिपहिया व्यावसायिक वाहन हैं, जो रोज़ कई किलोमीटर चलते हैं, इसलिए बिजली की कम परिचालन लागत बैटरी की कीमत जल्दी वसूल कर देती है; यही कारण है कि उनमें EV का हिस्सा 60.5% तक पहुँच गया है। निजी कारें बहुत कम चलती हैं, महँगी होती हैं और लंबी दूरी की चार्जिंग माँगती हैं, इसलिए उनकी लागत-वसूली की अवधि लंबी है। इसलिए नीति खंड-विशिष्ट होनी चाहिए: जहाँ स्वामित्व की कुल लागत बराबरी के क़रीब है वहाँ ख़रीद सब्सिडी समझ में आती है, जबकि कारों के लिए चार्जिंग अवसंरचना ज़्यादा मायने रखती है। 3. **CNG की ओर झुकाव आयात-निर्भरता से मुक्ति नहीं दिलाता** — भारत अपनी प्राकृतिक गैस का बड़ा हिस्सा द्रवीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) के रूप में आयात करता है, और द इकोनॉमिक टाइम्स में आज के एक लेख के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच LNG और गैस-से-यूरिया स्प्रेड पहले ही सामान्य से पाँच से दस गुना हैं। पेट्रोल से CNG पर जाने वाला कार बेड़ा आयातित हाइड्रोकार्बन पर निर्भरता को हटाता नहीं, बस खिसका देता है। EV निर्भरता को बिजली की ओर मोड़ते हैं, जो भारत में अब भी मुख्यतः कोयला-आधारित है पर काफ़ी हद तक घरेलू है; जलवायु लाभ से पहले ही यह ऊर्जा सुरक्षा का लाभ है। 4. **प्रतिपक्ष: कोयला-ग्रिड पर चलने वाला EV अपने-आप स्वच्छ नहीं होता** — आलोचक कहते हैं कि कोयले पर टिके ग्रिड से चार्ज होने वाली इलेक्ट्रिक कार का, बैटरी निर्माण को भी गिन लें तो, पूरे जीवन-चक्र का उत्सर्जन एक कुशल हाइब्रिड से बहुत अलग नहीं होता। इसका उत्तर यह है कि ग्रिड के डीकार्बनीकरण के साथ EV का उत्सर्जन घटता जाता है, जबकि इंजन का उत्सर्जन उसके पंद्रह या उससे अधिक साल के जीवन तक तय रहता है। भारतीय शहरों में EV के पक्ष में सबसे मज़बूत तर्क स्थानीय वायु गुणवत्ता है, क्योंकि इससे साइलेंसर का धुआँ वहाँ से हट जाता है जहाँ लोग साँस लेते हैं। 5. **निजी कारों से ज़्यादा अहम सार्वजनिक परिवहन का विद्युतीकरण हो सकता है** — दिल्ली की 5,088 इलेक्ट्रिक बसें और पीएम ई-ड्राइव के तहत आने वाली 150 और बसें प्रति वाहन निजी कारों से कहीं ज़्यादा यात्री ढोती हैं। बसों के विद्युतीकरण में मामूली बढ़ोतरी भी इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री में बड़े उछाल से ज़्यादा तेज़ी से शहरी उत्सर्जन घटा सकती है, और इससे अमीर परिवारों की कारों पर सब्सिडी देने की समानता संबंधी समस्या से भी बचा जा सकता है। इसलिए खंड-वार आँकड़े यही कहते हैं कि सार्वजनिक धन पहले बसों और तिपहिया पर लगाया जाए।

संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	अगस्त 2026 का "ईंधन क्रॉसओवर", जिसमें पहली बार वैकल्पिक ईंधन वाली कारें पेट्रोल कारों से ज़्यादा बिकीं, विभिन्न वाहन खंडों में असमान प्रगति को छिपा लेता है। पेट्रोल और डीज़ल से दूर जाने के भारत के संक्रमण के स्वरूप का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए तथा इलेक्ट्रिक गतिशीलता को गति देने के लिए खंड-वार नीति सुझाइए। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	**1. भूमिका** — FADA के आँकड़े रखें: अगस्त 2026 की यात्री वाहन बिक्री में वैकल्पिक ईंधन 41.95% और पेट्रोल 40.85%, जिसमें CNG, हाइब्रिड और EV को एक साथ गिना गया है; और बताएँ कि कुल पंजीकरणों में पेट्रोल और डीज़ल का हिस्सा अब भी 83% से अधिक है। **2. मुख्य भाग — खंड-वार तस्वीर** — तिपहिया में EV हिस्सा 60.5%, दोपहिया में 6.4% से बढ़कर 9.1%, और कारों में पेट्रोल-डीज़ल 86% से घटकर 61.6%, जिसकी मुख्य वजह CNG और LPG है, जबकि हाइब्रिड लगभग 8% पर अटके हैं। **3. मुख्य भाग — यह स्वरूप क्यों** — स्वामित्व की कुल लागत, उपयोग की दर, अग्रिम कीमतें, चार्जिंग को लेकर आशंका, और FAME तथा पीएम ई-ड्राइव के तहत सब्सिडी व बेड़ा-स्तरीय CAFE मानकों की भूमिका समझाएँ। ऊर्जा सुरक्षा का पहलू जोड़ें और बताएँ कि CNG आंशिक रूप से आयातित LNG पर निर्भर है। **4. मुख्य भाग — खंड-वार नीति** — तिपहिया और बसों के लिए वित्तपोषण और बैटरी-स्वैपिंग; दोपहिया के लिए मानक और स्थानीय विनिर्माण; कारों के लिए सघन सार्वजनिक चार्जिंग, कड़े CAFE मानक और विभेदक पंजीकरण शुल्क; और सभी के लिए ग्रिड का डीकार्बनीकरण तथा बैटरी पुनर्चक्रण। **5. निष्कर्ष** — निष्कर्ष दें कि संक्रमण को 'वैकल्पिक ईंधन' के संयुक्त आँकड़े से नहीं, विद्युतीकरण और उत्सर्जन से आँका जाना चाहिए, और सार्वजनिक धन वहीं सबसे अच्छा खर्च होता है जहाँ अपनाने की प्रक्रिया निर्णायक मोड़ के सबसे क़रीब हो।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	**प्रश्न 1. दिल्ली के परिवहन आयुक्त के रूप में आप तिपहिया के आँकड़ों का नीति-निर्माण में कैसे उपयोग करेंगे?** ***दृष्टिकोण (Approach):*** चूँकि ज़्यादातर नए तिपहिया पहले से इलेक्ट्रिक हैं, मेरी प्राथमिकता ऑटो स्टैंड, मेट्रो स्टेशनों और बाज़ारों में चार्जिंग और बैटरी-स्वैपिंग केंद्र तथा इलेक्ट्रिक ऑटो के लिए जल्दी परमिट होगी। मैं ऑफ़-पीक चार्जिंग शुल्क के लिए डिस्कॉम के साथ और पुराने CNG ऑटो बदलने वाले चालकों के ऋण के लिए बैंकों के साथ काम करूँगा। मैं सुरक्षा और बैटरी निपटान पर भी नज़र रखूँगा, क्योंकि तेज़ी से बढ़ता बेड़ा नए जोखिम लाता है। **प्रश्न 2. आप भारी उद्योग मंत्रालय में हैं। जब इलेक्ट्रिक दोपहिया का हिस्सा अपने-आप बढ़ रहा है, तो क्या उन पर सब्सिडी जारी रहनी चाहिए?** ***दृष्टिकोण (Approach):*** जैसे-जैसे कोई खंड लागत-बराबरी के क़रीब पहुँचे, सब्सिडी घटनी चाहिए, ताकि सार्वजनिक धन वहाँ जाए जहाँ वह व्यवहार बदल सके। दोपहिया के लिए पहले से घोषित, अनुमान-योग्य कटौती-कार्यक्रम बाज़ार को अचानक झटकों से बचाएगा। बचत चार्जिंग अवसंरचना और इलेक्ट्रिक बसों में लगाई जा सकती है, जहाँ सामाजिक प्रतिफल ज़्यादा है। **प्रश्न 3. साक्षात्कार बोर्ड पूछता है: CNG इलेक्ट्रिक गतिशीलता का मित्र है या शत्रु?** ***दृष्टिकोण (Approach):*** CNG स्वच्छ हवा का मित्र रहा है, जैसा सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के बाद दिल्ली में बसों और ऑटो के CNG पर जाने से दिखा। लेकिन दीर्घकालिक ईंधन के रूप में यह ऐसे इंजनों और पाइपलाइनों में फँसा सकता है जो विद्युतीकरण को टालें, और यह आंशिक रूप से आयातित गैस पर निर्भर है। समझदारी इसी में है कि CNG को उन खंडों के लिए पुल माना जाए जहाँ EV अभी व्यावहारिक नहीं हैं, मंज़िल नहीं।

6. स्वास्थ्य एवं जीवन विज्ञान (Health & Life Sciences)

आज स्वास्थ्य की तीनों खबरें असल में एक ही कमी को तीन अलग सिरों से दिखाती हैं: व्यवस्था खतरे को पहचान तो लेती है, पर उसे रोकने की साफ-सुथरी शक्ति उसके पास नहीं है। भारतीय वैज्ञानिक बता रहे हैं कि अस्पतालों में फैलने वाला एक कवक उन्हीं जाँचों को चकमा दे रहा है जिनके आधार पर डॉक्टर दवा की खुराक तय करते हैं; नियामक मानता है कि वह चिकित्सा उपकरण बनाने वाली कंपनी का लाइसेंस तो रद्द कर सकता है, पर खराब प्रत्यारोपण (implant) को बाज़ार से हटाने का स्पष्ट आदेश नहीं दे सकता; और स्वास्थ्य मंत्रालय, जो दवा दुकानों को बच्चों को नशीली आदत डालने वाली दवाएँ बेचने से रोक नहीं पाया, अब चाहता है कि जो काम निरीक्षण से नहीं हुआ वह कैमरा कर दे। तीनों मामलों में कमी ज्ञान की नहीं, लागू की जा सकने वाली प्रक्रिया की है — और भावी प्रशासक का अधिकांश कार्य-जीवन इसी मोर्चे पर बीतेगा।

6.1 भारतीय अध्ययन: Candida auris के 90% नमूने एज़ोल दवाओं के प्रतिरोधी, खुराक तय करने वाली जाँचों की खामियाँ उजागर

समाचार (THE NEWS) हैदराबाद / बेंगलुरु। जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र (JNCASR), बेंगलुरु के कौस्तुव सान्याल और उनकी शोध सहयोगी अश्वथी नारायणन ने भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (IISER), तिरुवनंतपुरम के सहयोगियों के साथ मिलकर देश भर से लिए गए Candida auris के नैदानिक नमूनों (clinical isolates) का विश्लेषण किया है। यह अध्ययन नेचर कम्युनिकेशंस में प्रकाशित हुआ है। द हिंदू के विज्ञान पृष्ठ पर इसकी रिपोर्ट सोमदत्ता कारक ने लिखी है, जो CSIR-CCMB में विज्ञान संचार की प्रमुख हैं। C. auris एक यीस्ट है — ऐसा कवक जो धागों के रूप में बढ़ने वाली फफूँद (mould) के विपरीत एकल अंडाकार कोशिकाओं के रूप में रहता है — और यह गहन चिकित्सा इकाइयों (ICU) में बहु-औषधि प्रतिरोधी रोगजनक के रूप में उभर रहा है। यह रक्तप्रवाह में पहुँचकर गंभीर संक्रमण करता है, जिनमें से अधिकांश का इलाज उपलब्ध कवकरोधी (antifungal) दवाओं से नहीं हो पाता; PGIMER, चंडीगढ़ में चिकित्सा कवक विज्ञान के प्रोफेसर शिवप्रकाश रुद्रमूर्ति के अनुसार इससे मृत्यु दर 30%-40% है। इस कवक की पहली रिपोर्ट 2009 में जापान से आई थी। अध्ययन के नमूने PGIMER के भंडार से लिए गए, जो लगभग 25 वर्ष पहले इसलिए शुरू किया गया था कि अधिकांश भारतीय अस्पताल कवक रोगजनकों की पहचान नहीं कर पाते; आज इसमें 15,000 नैदानिक कवक नमूने हैं। प्रो. रुद्रमूर्ति बताते हैं कि अस्पतालों में दर्ज होने वाले लगभग 20% संक्रमण कवक-जनित होते हैं। प्रो. सान्याल ने कहा, "C. auris के 90% से अधिक नैदानिक नमूने फ्लूकोनाज़ोल जैसी आम एज़ोल-आधारित कवकरोधी दवाओं के प्रतिरोधी हैं"; लगभग 30% पॉलीईन दवाओं का भी प्रतिरोध करते हैं, जबकि अधिकांश पर अब भी एकिनोकैंडिन दवाएँ असर करती हैं। प्रतिरोध की क्रियाविधि जीनोम में मिली। एज़ोल और पॉलीईन कोशिका झिल्ली की एक वसा, अर्गोस्टेरॉल, पर प्रहार करती हैं; फ्लूकोनाज़ोल के जवाब में कवक Erg11 जीन की अतिरिक्त प्रतियाँ बना लेता है और अधिक अर्गोस्टेरॉल बनाने लगता है। कैस्पोफंगिन जैसी एकिनोकैंडिन दवाएँ कोशिका भित्ति पर प्रहार करती हैं; Fks1 जीन में उत्परिवर्तन के कारण कवक 16 µg/ml तक कैस्पोफंगिन झेल लेता है, जबकि चिकित्सक संवेदनशीलता की जाँच केवल 2 µg/mL तक करते हैं — यह सीमा अमेरिका के रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र (CDC) ने तय की है और पूरी दुनिया में मानी जाती है। प्रो. सान्याल का सुझाव है कि जाँच की सीमा 16 µg/ml से ऊपर की जाए। उत्परिवर्तन न होने पर भी कवक अतिरिक्त काइटिन बनाकर कैस्पोफंगिन की असाधारण रूप से ऊँची खुराक में भी जीवित रह जाता है — इस विरोधाभास को अमेरिकी रोगविज्ञानी हैरी ईगल के नाम पर 'ईगल प्रभाव' (Eagle effect) कहा जाता है। CSIR-CCMB के श्रीराम वराहन ऐसे कवकों के बढ़ने को "कवक संक्रमण-स्तनधारी चयन परिकल्पना" से जोड़ते हैं: कवक 30°C से कम तापमान पर सबसे अच्छा बढ़ते हैं, और वैश्विक तापन ऐसी ताप-सहिष्णु किस्मों का चयन कर रहा है जो मानव शरीर के 37°C तापमान में भी जीवित रह सकें। वे "हथियारों की होड़" के बजाय कवक के कम महत्वपूर्ण मार्गों को निशाना बनाने की वकालत करते हैं। पाठ्यक्रम से जुड़ाव: रोगाणुरोधी प्रतिरोध, सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षमता और जैव प्रौद्योगिकी।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

पहले कवक मानव शरीर के तापमान पर जीवित नहीं रह पाते थे → तापन ने ताप-सहिष्णु प्रजातियों का चयन किया और C. auris उभरा, जिसकी पहली रिपोर्ट 2009 में जापान से आई → ICU में कवकरोधी दवाओं के भारी उपयोग से Erg11 जीन का दोहराव और Fks1 में उत्परिवर्तन हुए → 90% से अधिक भारतीय नमूने एज़ोल के प्रतिरोधी, जबकि मानक जाँच 2 µg/mL पर रुक जाती है → भारतीय शोधकर्ताओं ने दिखाया कि जाँचें प्रतिरोध को कम आँक सकती हैं, और जाँच की नई सीमाओं तथा अपेक्षाकृत नरम दवा-रणनीतियों की माँग की

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. **रोगाणुरोधी प्रतिरोध में जीवाणु ही नहीं, कवक भी शामिल हैं** — रोगाणुरोधी प्रतिरोध (Antimicrobial Resistance – AMR) जीवाणुओं, विषाणुओं, कवकों और परजीवियों की वह क्षमता है जिससे वे उन्हें मारने के लिए बनी दवाओं के बावजूद जीवित रह जाते हैं; विश्व स्वास्थ्य संगठन इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य के शीर्ष वैश्विक खतरों में गिनता है। भारत ने 2017 में रोगाणुरोधी प्रतिरोध पर राष्ट्रीय कार्य योजना अपनाई, जो 'वन हेल्थ' दृष्टिकोण पर आधारित है — यानी मानव, पशु और पर्यावरण के स्वास्थ्य को परस्पर जुड़ा मानना। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) तृतीयक अस्पतालों का एक AMR निगरानी एवं अनुसंधान नेटवर्क चलाती है, जो प्रतिरोध के रुझानों पर नज़र रखता है। कवकों के प्रतिरोध पर जीवाणुओं की तुलना में कम निगरानी होती है, आंशिक रूप से इसलिए कि कई अस्पताल कवक का संवर्धन (culture) और पहचान कर ही नहीं पाते।
2. **WHO की पहली कवक प्राथमिकता सूची में Candida auris 'गंभीर' समूह में** — अक्टूबर 2022 में WHO ने अपनी पहली कवक प्राथमिकता रोगजनक सूची (Fungal Priority Pathogens List) जारी की, जिसमें अनुसंधान और सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्रवाई को दिशा देने के लिए 19 कवकों को गंभीर (critical), उच्च और मध्यम प्राथमिकता में बाँटा गया। Candida auris को

	Cryptococcus neoformans, Aspergillus fumigatus और Candida albicans के साथ गंभीर समूह में रखा गया। यह सूची कमज़ोर प्रतिरक्षा वाले रोगियों — ICU के रोगी, कैंसर और अंग प्रत्यारोपण के रोगी तथा HIV से ग्रस्त लोग — में आक्रामक कवक संक्रमणों के बढ़ने की प्रतिक्रिया थी। 2021 में कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान म्यूकरमाइकोसिस के अनुभव ने, जब कई राज्यों ने इसे अधिसूचित रोग घोषित किया, दिखा दिया कि कवक का खतरा कितनी जल्दी अस्पतालों पर भारी पड़ सकता है। 3. **तीन दवा वर्ग, दो लक्ष्य : कोशिका भित्ति क्यों मायने रखती है** — कवकरोधी दवाएँ गिनी-चुनी इसलिए हैं कि कवक कोशिकाएँ भी मानव कोशिकाओं की तरह यूकैरियोटिक होती हैं ; इसलिए जो दवा कवक को नुकसान पहुँचाती है, वह अक्सर रोगी को भी नुकसान पहुँचाती है। फ्लूकोनाज़ोल जैसी एज़ोल दवाएँ अर्गोस्टेरॉल — कोशिका झिल्ली में कोलेस्ट्रॉल का कवकीय समकक्ष — का निर्माण रोकती हैं, जबकि एम्फ़ोटेरिसिन B जैसी पॉलीईन दवाएँ अर्गोस्टेरॉल से जुड़कर झिल्ली में छेद कर देती हैं। कैस्पोफंगिन जैसी एकिनोकैंडिन दवाएँ उस एंज़ाइम को बाधित करती हैं जो कवक की कोशिका भित्ति में ग्लूकन बनाता है ; मानव कोशिकाओं में यह संरचना होती ही नहीं, इसीलिए प्रतिरोधी Candida के विरुद्ध ये अंतिम सुरक्षा पंक्ति हैं। जब कोई रोगजनक तीनों वर्गों का प्रतिरोध करने लगे, तो चिकित्सकों के पास लगभग कुछ नहीं बचता। 4. **उपचार 'ब्रेकपॉइंट' से तय होता है, और ईगल प्रभाव सीधे नियम को तोड़ देता है** — संवेदनशीलता जाँच न्यूनतम निरोधक सांद्रता (minimum inhibitory concentration) मापती है — दवा की वह न्यूनतम सांद्रता जो सूक्ष्मजीव की वृद्धि रोक दे — और उसकी तुलना एक "ब्रेकपॉइंट" से करती है, जिसके आधार पर सूक्ष्मजीव को संवेदनशील या प्रतिरोधी माना जाता है। यदि जाँच का दायरा बहुत संकरा हो, तो प्रतिरोधी किस्म की गलत रिपोर्ट हो सकती है और रोगी को कम खुराक मिल सकती है। ईगल प्रभाव, जो सबसे पहले पेनिसिलिन के साथ देखा गया था, वह विरोधाभास है जिसमें सूक्ष्मजीव दवा की मध्यम सांद्रता की तुलना में बहुत ऊँची सांद्रता पर बेहतर जीवित रहता है। इसका अर्थ है कि केवल खुराक बढ़ा देना हमेशा समाधान नहीं है, और इसीलिए संयोजन चिकित्सा (combination therapy) की वकालत की जाती है।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. **AMR और जैव प्रौद्योगिकी GS2 और GS3 दोनों में आते हैं** — GS2 में स्वास्थ्य के विकास और प्रबंधन से जुड़े मुद्दे हैं, और GS3 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास तथा दैनिक जीवन में उनके अनुप्रयोग। UPSC एंटीबायोटिक प्रतिरोध के कारणों और बिना पर्चे (over-the-counter) बिक्री की भूमिका पर प्रश्न पूछ चुका है, और प्रारंभिक परीक्षा में यह पूछा गया है कि कौन-सा सूक्ष्मजीव कौन-सा रोग करता है और दवाएँ कैसे काम करती हैं। WHO की कवक सूची जैसे-जैसे चर्चा में आ रही है, कवक रोगजनक पर प्रश्न अगला स्वाभाविक कदम है। 2. **जलवायु और स्वास्थ्य का संबंध उभरता हुआ विषय है** — परीक्षक अब अधिकाधिक पूछते हैं कि जलवायु परिवर्तन रोगों को कैसे प्रभावित करता है — रोगवाहकों का फैलाव-क्षेत्र, ताप तनाव और नए रोगजनक। कवक–स्तनधारी चयन परिकल्पना एक सटीक, उद्धृत करने योग्य उदाहरण है, जो "जलवायु और स्वास्थ्य" के धुँधले दावे को क्रियाविधि वाले तर्क में बदल देती है।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● Candida auris एक यीस्ट, अर्थात एककोशिकीय कवक है, और इसकी पहली रिपोर्ट 2009 में जापान से आई थी। ● एज़ोल और पॉलीईन कवकरोधी दवाएँ कवक की कोशिका झिल्ली के अर्गोस्टेरॉल पर कार्य करती हैं, जबकि कैस्पोफंगिन जैसी एकिनोकैंडिन दवाएँ कवक की कोशिका भित्ति पर कार्य करती हैं। ● 2022 की WHO कवक प्राथमिकता रोगजनक सूची में Candida auris को गंभीर (critical) प्राथमिकता समूह में रखा गया। ● ईगल प्रभाव उस विरोधाभासी स्थिति को कहते हैं जिसमें कोई सूक्ष्मजीव दवा की बहुत ऊँची सांद्रता पर जीवित रह जाता है, जबकि कम सांद्रता पर वही दवा उसे मार देती है। ● 2017 में अपनाई गई रोगाणुरोधी प्रतिरोध पर भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना 'वन हेल्थ' दृष्टिकोण पर आधारित है, जो मानव, पशु और पर्यावरण के स्वास्थ्य को जोड़ता है। ● त्वचा, बालों और नाखूनों का सतही कवक संक्रमण डर्मेटोफाइटोसिस (दाद) डर्मेटोफाइट नामक फफूँदों से होता है।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. **सबसे खतरनाक निष्कर्ष कवक के बारे में नहीं, जाँच के बारे में है** — C. auris का एज़ोल-प्रतिरोधी होना दुनिया भर में पहले से ज्ञात था ; भारतीय अध्ययन ने नया यह जोड़ा कि वैश्विक संवेदनशीलता जाँच कुछ किस्मों को इलाज-योग्य बता रही हो सकती है, जबकि वे हैं नहीं। यदि प्रयोगशालाएँ 2 µg/mL पर जाँच रोक दें और Fks1 उत्परिवर्ती 16 µg/ml पर भी जीवित रहें, तो

	रोगी को सही दवा गलत खुराक में दी जा सकती है — और फिर विफलता का दोष दवा पर डाल दिया जाता है। यह नुकसान का एक चुपचाप होने वाला रूप है, क्योंकि ऊपर से यह अच्छी चिकित्सा पद्धति जैसा दिखता है। नीतिगत सबक यह है कि भारत दूसरी आबादियों के लिए तय ब्रेकपॉइंट ज्यों-के-त्यों नहीं अपना सकता; उसे अपने नमूनों पर उन्हें परखने की क्षमता चाहिए। 2. **25 वर्ष पुराना 'फ्रीज़र' राष्ट्रीय अवसंरचना है** — यह अध्ययन तभी संभव हुआ क्योंकि PGIMER ने चौथाई सदी पहले कवक नमूने सहेजने शुरू किए और आज वह उनमें से 15,000 नमूने निःशुल्क साझा करता है। ऐसे जैव-भंडार बजट भाषणों में शायद ही कभी जगह पाते हैं, पर इन्हीं के बल पर भारतीय विज्ञान विदेशी आँकड़ों से अनुमान लगाने के बजाय भारतीय प्रश्नों का उत्तर खोज पाता है। विरोधी मत यह है कि भंडारों का रखरखाव महँगा है और उनका प्रतिफल अनिश्चित। पर यहाँ प्रतिफल ठीक उसी प्रकार का है जिसके लिए कोई निजी पक्ष पैसा नहीं लगाता: ऐसा साक्ष्य जो सार्वजनिक उपचार प्रोटोकॉल बदल दे। 3. **भारतीय अस्पतालों में असली अड़चन निदान है** — प्रो. रुद्रमूर्ति का यह कथन कि अधिकांश अस्पताल कवक रोगजनकों की पहचान नहीं कर पाते, बताता है कि प्रतिरोध अनदेखा क्यों फैलता है: जो चिकित्सक कवक का नाम नहीं बता सकता, वह सबसे सस्ती व्यापक कवकरोधी दवा — प्रायः एज़ोल — लिख देता है, और इस तरह उसी प्रतिरोध का चयन करता है जो अध्ययन में मिला। समाधान केवल नई दवाएँ नहीं, बल्कि ज़िला स्तर पर कवक विज्ञान (mycology) की क्षमता, संदर्भ प्रयोगशालाओं से रेफ़रल संपर्क और AMR निगरानी में कवकों को शामिल करना है। यह अधिक पर्चों के पक्ष में नहीं, सार्वजनिक प्रयोगशालाओं के पक्ष में तर्क है। 4. **डॉ. वराहन की 'नरम' रणनीति वैज्ञानिक रूप से आकर्षक, पर व्यावसायिक रूप से कठिन** — कवक को मारे बिना उन मार्गों को निशाना बनाना जो उसे हानिकारक बनाते हैं — जीवाणुओं के संदर्भ में इसे विषाणुता-रोधी चिकित्सा (anti-virulence therapy) कहते हैं — उस दबाव को घटाता है जो प्रतिरोध का चयन करता है। कठिनाई यह है कि ऐसी दवाओं की प्रभावशीलता परीक्षणों में सिद्ध करना कठिन है और उनसे कमाई कम होती है, क्योंकि वे वह नाटकीय इलाज नहीं देतीं जो नियामक और कंपनियाँ पसंद करते हैं। सार्वजनिक या परोपकारी वित्तपोषण के बिना, डॉ. वराहन जिस हथियारों की होड़ की आलोचना करते हैं, वह अपने-आप जारी रहेगी। दोनों विचारों में प्रो. सान्याल का संयोजन चिकित्सा वाला सुझाव अधिक तुरंत उपयोगी है। 5. **जलवायु परिकल्पना को परिकल्पना ही माना जाए** — लेख सावधानी से कहता है कि रोगजनक कवकों के बढ़ने का कारण "अब भी अनसुलझा है"। कवक-स्तनधारी चयन का विचार तर्कसंगत है और इस पर व्यापक चर्चा होती है, पर जो उत्तर इसे स्थापित तथ्य की तरह प्रस्तुत करे, वह साक्ष्य को बढ़ा-चढ़ाकर बताता है। अस्पताल की पद्धतियाँ — व्यापक-स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का उपयोग, शरीर में लगाए जाने वाले उपकरण, ICU में लंबा ठहराव — कम से कम उतनी ही महत्वपूर्ण हैं और अधिक सीधे नियंत्रित की जा सकती हैं। अच्छा उत्तर दोनों का उल्लेख करता है और उसे प्राथमिकता देता है जिसे नीति अभी बदल सकती है।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	"रोगाणुरोधी प्रतिरोध अब केवल जीवाणुओं की समस्या नहीं रहा।" Candida auris पर हाल के भारतीय शोध के आलोक में, औषधि-प्रतिरोधी कवक संक्रमणों की पहचान और उपचार में भारत के सामने आने वाली चुनौतियों की चर्चा कीजिए तथा इससे निपटने की क्षमता सुदृढ़ करने हेतु उपाय सुझाइए। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. **भूमिका** — रोगाणुरोधी प्रतिरोध को परिभाषित करें और बताएँ कि 2022 में WHO के गंभीर कवक प्राथमिकता समूह में रखा गया C. auris रक्तप्रवाह संक्रमण करता है, जिनमें PGIMER के अनुसार मृत्यु दर 30%-40% है; भारतीय निष्कर्ष लिखें कि 90% से अधिक नमूने एज़ोल के प्रतिरोधी हैं। 2. **मुख्य भाग — वैज्ञानिक चुनौती** — तीन कवकरोधी दवा वर्ग और उनके लक्ष्य, पाई गई क्रियाविधियाँ (Erg11 का दोहराव, Fks1 उत्परिवर्तन), 2 µg/mL की जाँच सीमा और 16 µg/ml पर जीवित रहने के बीच का अंतर, तथा ईगल प्रभाव समझाएँ। 3. **मुख्य भाग — व्यवस्थागत चुनौती** — अधिकांश अस्पतालों की कमज़ोर निदान क्षमता, अनुमान के आधार पर एज़ोल का उपयोग, AMR नेटवर्कों में कवकों की सीमित निगरानी, विकास के चरण में बहुत कम नई दवाएँ, और ताप-सहिष्णु कवकों के चयन में तापन की संभावित भूमिका को शामिल करें। 4. **मुख्य भाग — उपाय** — राष्ट्रीय AMR योजना के 'वन हेल्थ' ढाँचे के अंतर्गत क्षेत्रीय कवक विज्ञान संदर्भ प्रयोगशालाएँ, AMR निगरानी और अस्पताल संक्रमण-नियंत्रण लेखा-परीक्षा में कवकों को शामिल करना, ब्रेकपॉइंट का भारत-विशिष्ट सत्यापन, ICU में कवकरोधी दवाओं का विवेकपूर्ण उपयोग (stewardship), और जैव-भंडारों तथा संयोजन एवं विषाणुता-रोधी अनुसंधान के लिए सार्वजनिक वित्तपोषण सुझाएँ।

	5. निष्कर्ष — निष्कर्ष दें कि प्रतिरोध के विरुद्ध लड़ाई प्रयोगशालाओं और ICU प्रोटोकॉल में जीती या हारी जाती है, और उपचार को आयातित मान्यताओं के बजाय भारत के अपने आँकड़ों से दिशा मिलनी चाहिए।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	**प्रश्न 1. ज़िला अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक के रूप में आपको पता चलता है कि ICU के तीन रोगियों में Candida auris संक्रमण है। पहले सप्ताह में आप क्या करेंगे?** ***दृष्टिकोण (Approach):*** मैं इसे प्रकोप (outbreak) मानकर चलूँगा: रोगियों को अलग रखूँगा या एक समूह में रखूँगा, संपर्क संबंधी सावधानियाँ और हाथों की सख्त स्वच्छता लागू करूँगा, और सतहों तथा साझा उपकरणों को विसंक्रमित करवाऊँगा, क्योंकि यह कवक परिवेश में लंबे समय तक टिका रहता है। प्रजाति की पुष्टि और पूर्ण संवेदनशीलता जाँच के लिए नमूने संदर्भ प्रयोगशाला भेजूँगा और राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों को सूचित करूँगा। संक्रमण-नियंत्रण समिति के साथ ICU में कवकरोधी दवाओं के पर्चों की समीक्षा करूँगा। प्रभावित रोगियों के परिजनों को ईमानदारी से बताया जाना चाहिए कि संक्रमण क्या है और क्या किया जा रहा है। **प्रश्न 2. राज्य के स्वास्थ्य सचिव पूछते हैं कि सीमित धनराशि कवक संदर्भ प्रयोगशाला पर लगाई जाए या अधिक कवकरोधी दवाएँ खरीदने पर। आप क्या सलाह देंगे?** ***दृष्टिकोण (Approach):*** कवक की पहचान किए बिना दवाएँ खरीदना ही प्रतिरोध पैदा करने का तरीका है, इसलिए प्रयोगशाला प्रति रुपये अधिक मूल्य देती है। कई ज़िलों को सेवा देने वाली एक सुसज्जित क्षेत्रीय प्रयोगशाला, नमूने पहुँचाने की व्यवस्था के साथ, सैकड़ों बिस्तरों पर उपचार को दिशा दे सकती है। दवाओं की ज़रूरत फिर भी रहेगी, पर उनकी खरीद स्थानीय प्रतिरोध आँकड़ों पर आधारित औषधि-सूची (formulary) के अनुसार होनी चाहिए। मैं चरणबद्ध योजना की सिफ़ारिश करूँगा, जिसमें पहले प्रयोगशाला को धन मिले और दवा-खरीद उसके निष्कर्षों से जोड़ी जाए। **प्रश्न 3. साक्षात्कार बोर्ड पूछता है: जब वैश्विक संस्थाएँ पहले से मानक प्रकाशित करती हैं, तो क्या भारत को प्रयोगशाला के अपने मानक तय करने चाहिए?** ***दृष्टिकोण (Approach):*** भारत को आधार के रूप में वैश्विक मानकों का पालन करना चाहिए, क्योंकि उनसे विभिन्न देशों के आँकड़ों की तुलना संभव होती है। पर जहाँ भारतीय साक्ष्य दिखाएँ कि कोई मानक स्थानीय प्रतिरोध के स्वरूप को पकड़ नहीं पाता, वहाँ राष्ट्रीय नियामक और ICMR को पूरक दिशानिर्देश जारी करने में सक्षम होना चाहिए। विज्ञान सार्वभौमिक है, पर रोगजनक स्थानीय होते हैं, और जो प्रोटोकॉल भारतीय रोगियों को विफल करे, वह तटस्थ नहीं है। सही रास्ता यह है कि भारतीय आँकड़े प्रकाशित किए जाएँ और वैश्विक संस्थाओं से संवाद करके सबके लिए मानक संशोधित कराया जाए।

6.2 असुरक्षित चिकित्सा उपकरणों की बिक्री रोकने और उन्हें नष्ट कराने का अधिकार नियामकों को देने की तैयारी में केंद्र

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। सरकार चिकित्सा उपकरण नियम, 2017 में संशोधन पर विचार कर रही है, ताकि असुरक्षित, दोषपूर्ण, अवमानक या नकली पाए गए चिकित्सा उपकरणों का निर्माण और बिक्री या वितरण रोकना तथा उन्हें नष्ट करने का आदेश देना नियामकों के लिए आसान हो जाए। द इकोनॉमिक टाइम्स में टीना ठक्कर की यह रिपोर्ट अख़बार द्वारा देखे गए एक आधिकारिक दस्तावेज़ पर आधारित है। वर्तमान नियमों के तहत यदि लाइसेंसधारी औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 या चिकित्सा उपकरण नियम, 2017 का उल्लंघन करे, तो लाइसेंसिंग प्राधिकारी केवल लाइसेंस निलंबित या रद्द कर सकते हैं; इससे कड़े कदम उठाने का कोई प्रावधान नहीं है। नियम 30(1) में संशोधन का प्रस्ताव विचार-विमर्श और सिफ़ारिश के लिए विशेषज्ञों के निकाय, औषधि परामर्शदात्री समिति (Drugs Consultative Committee), के समक्ष रखा गया है। इसका उद्देश्य राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकारियों और राष्ट्रीय नियामक, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO), को स्पष्ट रूप से यह शक्ति देना है कि वे लाइसेंसधारी को संबंधित उपकरण का उत्पादन और बिक्री या वितरण रोकने का निर्देश दे सकें। राज्य और केंद्रीय प्राधिकारियों को यह शक्ति भी दी जा सकती है कि जहाँ आवश्यक समझा जाए, वहाँ वे नियामक द्वारा निर्दिष्ट तरीके से उपकरणों और स्टॉक को नष्ट करने का निर्देश दें; रिपोर्ट के अनुसार यह विनाश चिकित्सा उपकरण अधिकारी की देखरेख में होगा। दस्तावेज़ कहता है कि ऐसे मामले हो सकते हैं जिनमें उपकरण वैधानिक आवश्यकताओं का उल्लंघन करते हों और उनका निर्माण, बिक्री या वितरण जारी रहना "सार्वजनिक स्वास्थ्य" के लिए हानिकारक हो, और यह कि "प्रभावी प्रवर्तन के लिए केवल लाइसेंस (धारक) के विरुद्ध नियामकीय कार्रवाई ही नहीं, बल्कि ऐसा स्पष्ट प्रावधान भी आवश्यक है जो लाइसेंसिंग प्राधिकारी को निर्माण, बिक्री या वितरण बंद कराने का निर्देश देने में सक्षम बनाए"। दस्तावेज़ आगे कहता है कि ऐसे प्रावधान के अभाव में मौजूदा नियम 30(1) "नियामकीय शक्तियों के प्रयोग में अस्पष्टता और एकरूप कार्रवाई करने में कठिनाइयाँ पैदा कर सकता है"। मामले से परिचित एक व्यक्ति ने ET को बताया कि "प्रत्यारोपण और शल्य उपकरणों से लेकर नैदानिक उपकरणों और उपभोग्य सामग्रियों तक" के उपकरण गहन चिकित्सा में नियमित रूप से इस्तेमाल होते हैं, जहाँ दोषपूर्ण उत्पाद गंभीर जोखिम पैदा करते हैं, और देखरेख में विनाश से असुरक्षित उत्पादों के प्रचलन में बने रहने की संभावना घटेगी। सीधे शब्दों में, आज नियामक कंपनी को दंडित तो कर सकता है, पर यह स्पष्ट आदेश नहीं दे सकता कि खराब उत्पाद को ही उपयोग से हटाया जाए। पाठ्यक्रम से जुड़ाव: स्वास्थ्य विनियमन, रोगी सुरक्षा और नियामक संस्थाओं की संरचना।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

लंबे समय तक चिकित्सा उपकरणों को दवाओं की एक उप-श्रेणी मानकर ढीले ढंग से विनियमित किया गया → चिकित्सा उपकरण नियम, 2017 ने औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत जोखिम-आधारित लाइसेंसिंग व्यवस्था बनाई → नियम 30(1) प्राधिकारियों को केवल लाइसेंस के विरुद्ध कार्रवाई की अनुमति देता है, उत्पाद के विरुद्ध नहीं → लाइसेंस पर कार्रवाई के बाद भी असुरक्षित उपकरण प्रचलन में बने रह सकते हैं, और राज्यों में कार्रवाई एकरूप नहीं होती → केंद्र ने बिक्री रोकने और देखरेख में विनाश की स्पष्ट शक्तियों का प्रस्ताव रखा, जो अब औषधि परामर्शदात्री समिति के समक्ष है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. **उपकरणों का विनियमन दवा-कानून के तहत, अधिसूचना के रास्ते होता है** — औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 "औषधि" की परिभाषा में उन उपकरणों को भी शामिल करता है जो रोग के निदान, उपचार, शमन या रोकथाम में आंतरिक या बाह्य उपयोग के लिए हों और जिन्हें केंद्र सरकार अधिसूचित करे। इसी शक्ति का प्रयोग करके केंद्र ने चिकित्सा उपकरण नियम, 2017 बनाए, जो 1 जनवरी 2018 से लागू हुए, और बाद में चरणबद्ध रूप से सभी चिकित्सा उपकरणों को विनियमन के दायरे में ले आया। भारत में अब भी उपकरणों के लिए अलग कानून नहीं है; इसीलिए 1940 के एक दवा-कानून के तहत बने नियमों को प्रत्यारोपणों, सॉफ़्टवेयर-चालित उपकरणों और नैदानिक किटों तक खींचना पड़ता है।

2. **2017 के नियम उपकरणों को जोखिम के आधार पर वर्गीकृत करते हैं और लाइसेंसिंग केंद्र व राज्यों में बाँटते हैं** — चिकित्सा उपकरण नियम, 2017 जोखिम के आधार पर उपकरणों को चार वर्गों में बाँटते हैं: वर्ग A (कम जोखिम), वर्ग B (कम-मध्यम), वर्ग C (मध्यम-उच्च) और वर्ग D (उच्च जोखिम)। वर्ग A और B के उपकरणों के विनिर्माण लाइसेंस राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकारी देता है, जबकि वर्ग C और D के उपकरणों तथा सभी आयातों के लाइसेंस केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी — CDSCO के प्रमुख, भारत के औषधि महानियंत्रक — देते हैं। नियमों में निर्माताओं के लेखा-परीक्षण के लिए अधिसूचित निकायों, नए उपकरणों के नैदानिक अन्वेषण, और निरीक्षण तथा नमूना लेने के लिए चिकित्सा उपकरण अधिकारियों का भी प्रावधान है।

3. **औषधि परामर्शदात्री समिति का काम राज्यों में एकरूपता सुनिश्चित करना है** — औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 5 तकनीकी विषयों पर सलाह देने के लिए औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड (Drugs Technical Advisory Board) का गठन करती है, और धारा 7 औषधि परामर्शदात्री समिति का, जिसमें केंद्र और प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि होते हैं और जो पूरे भारत में अधिनियम के प्रशासन में एकरूपता लाने पर सलाह देती है। एकरूपता इसलिए मायने रखती है कि औषधि नियंत्रण का प्रशासन मुख्यतः राज्य औषधि नियंत्रक करते हैं, जबकि नई दवाओं, आयातों और उच्च-जोखिम उपकरणों का विनियमन केंद्र करता है। अधिनियम के तहत नियम केंद्र सरकार बोर्ड से परामर्श के बाद बनाती है।

4. **वापसी (recall) की शक्ति उत्पाद पर चलती है, लाइसेंस की शक्ति फर्म पर** — नियामकीय कानून लाइसेंसधारी पर लगने वाले दंडों — निलंबन, रद्दीकरण, अभियोजन — और बाज़ार में पहले से मौजूद उत्पाद पर उठाए जाने वाले कदमों — जैसे बिक्री-रोक आदेश, वापसी और देखरेख में विनाश — के बीच अंतर करता है। अंतरराष्ट्रीय व्यवहार में उपकरणों के लिए दूसरी श्रेणी के कदम अनिवार्य माने जाते हैं, क्योंकि लाइसेंस रद्द होने के बहुत बाद तक प्रत्यारोपण और उपकरण अस्पतालों में बने रहते हैं। दस्तावेज़ीकरण सहित देखरेख में विनाश यह रोकता है कि वापस लिया गया उत्पाद चुपचाप दोबारा बेच दिया जाए — बिखरी हुई आपूर्ति शृंखलाओं में यह एक ज्ञात जोखिम है।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

1. **स्वास्थ्य में नियामकीय क्षमता GS2 का स्थायी विषय है** — GS2 पाठ्यक्रम में सांविधिक, नियामक और अर्ध-न्यायिक निकाय तथा स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे शामिल हैं। मुख्य परीक्षा में दवा विनियमन की गुणवत्ता पर प्रश्न आ चुके हैं, और पिछले दशक का दोषपूर्ण हिप-इम्प्लांट विवाद तथा भारतीय निर्यात से जुड़ी कफ़ सिरप मौतें मानक उदाहरण हैं। यह संशोधन किसी वैधानिक कमी को भरने का ठोस उदाहरण है।

2. **प्रारंभिक परीक्षा को वर्गीकरण और लाइसेंसिंग प्राधिकारी पसंद हैं** — कौन-सा प्राधिकारी किस वर्ग के उपकरण को लाइसेंस देता है, CDSCO का मूल अधिनियम कौन-सा है, और औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड तथा औषधि परामर्शदात्री समिति में क्या अंतर है — ऐसे प्रश्न पूरी तरह संभव हैं। चारों जोखिम वर्ग और केंद्र–राज्य बँटवारा याद कर लेना चाहिए।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)

- औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत बनाए गए चिकित्सा उपकरण नियम, 2017 1 जनवरी 2018 से लागू हुए।
- चिकित्सा उपकरण नियम, 2017 उपकरणों को जोखिम के आरोही क्रम में वर्ग A, B, C और D में बाँटते हैं।
- वर्ग A और वर्ग B के चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माण लाइसेंस राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकारी जारी करता है, और वर्ग C तथा वर्ग D के उपकरणों के केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी।
- औषधि परामर्शदात्री समिति का गठन औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की

	धारा 7 के तहत होता है, जो पूरे भारत में प्रशासन की एकरूपता पर सलाह देती है। ● औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड का गठन औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 5 के तहत होता है। ● भारत के औषधि महानियंत्रक की अध्यक्षता वाला केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. **संशोधन उस कमी को भर रहा है जो होनी ही नहीं चाहिए थी** — जो नियामक लाइसेंस तो रद्द कर सके पर उत्पाद को दुकान से हटाने का आदेश न दे सके, वह रोगी से अधिक लाइसेंस-रजिस्टर की रक्षा करता है। यह कमी उपकरणों को दवा-कानून से विनियमित करने की विरासत है, जहाँ आम उपाय यह था कि निर्माता को रोक दिया जाए और मौजूदा स्टॉक बिक जाने दिया जाए। प्रत्यारोपण या नैदानिक किट के मामले में अस्पतालों में पड़ा स्टॉक ही तो जोखिम है। इसलिए यह प्रस्ताव कसावट कम, एक डिज़ाइन-त्रुटि का सुधार अधिक है। 2. **प्रस्ताव का अधिक महत्वपूर्ण आधा हिस्सा राज्यों के बीच एकरूपता है** — दस्तावेज़ में "एकरूप कार्रवाई करने में कठिनाइयों" की शिकायत बहुत कुछ कहती है: जब एक राज्य में दोषपूर्ण उपकरण पकड़ा जाता है, तो बाकी राज्यों में कार्रवाई हर राज्य औषधि नियंत्रक की सक्रियता पर निर्भर करती है। राज्य प्राधिकारियों और CDSCO दोनों के पास निर्दिष्ट प्रक्रिया वाली स्पष्ट शक्ति होने से देशव्यापी बिक्री-रोक जारी और लागू की जा सकती है। जोखिम उलटी समस्या का है — दो प्राधिकारियों द्वारा परस्पर विरोधी आदेश — इसलिए संशोधन में यह लिखा होना चाहिए कि जब कोई उपकरण राज्य की सीमा पार करे तो कौन-सा प्राधिकारी नेतृत्व करेगा। 3. **अदालती चुनौती में टिकने के लिए कड़ी शक्तियों को सम्यक प्रक्रिया चाहिए** — स्टॉक नष्ट करने का आदेश संपत्ति और व्यापार में गंभीर हस्तक्षेप है, जिन्हें अनुच्छेद 19(1)(g) और अनुच्छेद 300A संरक्षण देते हैं, और बिना कारण या सुनवाई के दिए गए आदेशों को निर्माता चुनौती देंगे। संशोधन के टिकने की संभावना तब अधिक होगी जब उसमें लिखित सकारण आदेश, आपात मामलों को छोड़कर सुनवाई का अवसर, अधिसूचित प्रयोगशाला में परीक्षण और अपील का प्रावधान हो। सम्यक प्रक्रिया उद्योग को दी गई रियायत नहीं है; यही शक्ति को उपयोग-योग्य बनाती है। 4. **वापसी की शक्ति उतनी ही कारगर है जितनी खोज पाने (ट्रेसिंग) की क्षमता** — बिक्री रोकना लिखने में आसान है, पर लागू करना कठिन, अगर किसी को पता ही न हो कि कौन-सा बैच किन अस्पतालों को गया। प्रभावी वापसी के लिए विशिष्ट उपकरण पहचान (unique device identification), वितरकों के रिकॉर्ड और अस्पतालों की प्रत्यारोपण रजिस्ट्रियाँ चाहिए, जो रोगी को उसके शरीर में लगे उपकरण से जोड़ें। ऐसी खोज-योग्यता के बिना नई शक्ति गोदामों में पड़ा माल तो हटा देगी, पर जो रोगियों के शरीर में पहुँच चुका है, उसे नहीं। विरोधी मत यह है कि खोज-योग्यता छोटे निर्माताओं के लिए महँगी है, इसीलिए इसे जोखिम वर्ग के अनुसार चरणबद्ध किया जाना चाहिए। 5. **1940 के अधिनियम के तहत नियम बनाने की सीमा आ चुकी है** — उपकरणों से जुड़ी हर नई समस्या अधीनस्थ नियमों में संशोधन से सुलझाई जा रही है; यह जल्दी तो हो जाता है, पर टिका उस कानून पर है जो आधुनिक उपकरणों के अस्तित्व में आने से पहले लिखा गया था। अपनी परिभाषाओं, वापसी और क्षतिपूर्ति प्रावधानों वाले चिकित्सा उपकरणों पर अलग कानून की चर्चा वर्षों से होती रही है। वर्तमान संशोधन एक समझदारी भरा अंतरिम कदम है, पर यह यह भी दिखाता है कि एक समर्पित कानून नियामकों को अधिक स्पष्ट अधिकार और रोगियों को अधिक स्पष्ट अधिकार क्यों देगा।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	"भारत चिकित्सा उपकरणों का विनियमन 1940 में दवाओं के लिए लिखे गए कानून से करता है।" चिकित्सा उपकरण नियम, 2017 के नियम 30(1) में प्रस्तावित संशोधन के संदर्भ में, भारत के चिकित्सा उपकरण विनियमन की कमियों का परीक्षण कीजिए तथा रोगी सुरक्षा के लिए सुधार सुझाइए। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. **भूमिका** — प्रस्ताव लिखें: राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकारियों और CDSCO को असुरक्षित, दोषपूर्ण, अवमानक या नकली उपकरणों का निर्माण व बिक्री रोकने और देखरेख में विनाश का आदेश देने की स्पष्ट शक्ति, जो उस व्यवस्था की जगह लेगी जिसमें केवल लाइसेंस निलंबन या रद्दीकरण संभव था। 2. **मुख्य भाग — वर्तमान ढाँचा** — औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत अधिसूचना का रास्ता, वर्ग A-D वाले चिकित्सा उपकरण नियम, 2017 और लाइसेंसिंग में केंद्र–राज्य बँटवारा, तथा औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड और औषधि परामर्शदात्री समिति की भूमिकाएँ समझाएँ।

	3. मुख्य भाग — कमियाँ — उत्पाद-स्तर की शक्तियों का अभाव, राज्यों में असमान कार्रवाई, कमज़ोर खोज-योग्यता और बाज़ार में आने के बाद की निगरानी, उपकरणों से हानि झेलने वाले रोगियों के लिए क्षतिपूर्ति तंत्र का अभाव, और अधीनस्थ विधान पर निर्भरता को शामिल करें। **4. मुख्य भाग — सुधार** — सकारण आदेश और अपील सहित बिक्री-रोक व विनाश की शक्ति, अंतर-राज्यीय कार्रवाई के लिए अग्रणी प्राधिकारी का नियम, विशिष्ट उपकरण पहचान और प्रत्यारोपण रजिस्ट्रियाँ, प्रतिकूल घटनाओं की अनिवार्य रिपोर्टिंग, रोगी क्षतिपूर्ति ढाँचा और दीर्घकाल में चिकित्सा उपकरणों पर अलग कानून सुझाएँ। **5. निष्कर्ष** — निष्कर्ष दें कि रोगी सुरक्षा उत्पाद पर कार्रवाई करने की क्षमता पर निर्भर है, केवल उत्पादक के कागज़ात पर नहीं, और यह संशोधन आधुनिक उपकरण व्यवस्था की शुरुआत होनी चाहिए।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	**प्रश्न 1. राज्य औषधि नियंत्रक के रूप में आप पाते हैं कि अवमानक सर्जिकल स्टेपलर का एक बैच पहले ही 40 अस्पतालों को आपूर्ति हो चुका है। प्रस्तावित नियमों के तहत आप क्या करेंगे?** ***दृष्टिकोण (Approach):*** मैं लाइसेंसधारी और वितरकों को सकारण बिक्री-रोक आदेश जारी करूँगा, CDSCO और अन्य राज्यों को सूचित करूँगा ताकि कार्रवाई एकरूप हो, और लाइसेंसधारी से बैच-वार आपूर्ति रिकॉर्ड माँगूँगा। अस्पतालों से उस बैच को अलग रखने (quarantine) और किसी भी प्रतिकूल घटना की सूचना देने को कहा जाएगा। ज़ब्त स्टॉक केवल चिकित्सा उपकरण अधिकारी की देखरेख में, दस्तावेज़ीकरण के साथ, नष्ट किया जाएगा। मैं यह भी जाँचूँगा कि क्या रोगियों को कोई हानि हुई और क्या स्वयं लाइसेंस को निलंबित करने की आवश्यकता है। **प्रश्न 2. एक निर्माता तर्क देता है कि अंतिम परीक्षण रिपोर्ट से पहले स्टॉक नष्ट करने का आदेश मनमाना है। आप क्या उत्तर देंगे?** ***दृष्टिकोण (Approach):*** मैं स्वीकार करूँगा कि विनाश अपरिवर्तनीय है और सामान्यतः पुष्ट परीक्षण परिणामों के बाद ही होना चाहिए। तत्काल कदम अलग रखना और बिक्री-रोक होना चाहिए, जो संपत्ति नष्ट किए बिना हानि रोकते हैं, और इस बीच नमूनों का परीक्षण अधिसूचित प्रयोगशाला में हो। यदि परीक्षण दोष की पुष्टि करे, तो लिखित आदेश और सुनवाई के अवसर के साथ विनाश हो। क्रमिक कदम रोगी की रक्षा भी करते हैं और आदेश को अदालत में बचाव-योग्य भी बनाते हैं। **प्रश्न 3. साक्षात्कार बोर्ड पूछता है: क्या केंद्र को राज्यों से सारा चिकित्सा उपकरण विनियमन अपने हाथ में ले लेना चाहिए?** ***दृष्टिकोण (Approach):*** पूर्ण केंद्रीकरण CDSCO पर अत्यधिक बोझ डालेगा और उन निरीक्षकों को हटा देगा जो निर्माताओं और अस्पतालों के सबसे निकट हैं। बेहतर मॉडल स्पष्ट नियमों के साथ साझा ज़िम्मेदारी का है: केंद्र मानक तय करे, उच्च-जोखिम उपकरणों को लाइसेंस दे और राष्ट्रीय वापसी का समन्वय करे, जबकि राज्य कम-जोखिम उपकरणों को लाइसेंस दें और ज़मीन पर प्रवर्तन करें। आज की कमज़ोरी यह बँटवारा नहीं, बल्कि एकरूप प्रक्रिया का अभाव है — और यही सुनिश्चित करने के लिए औषधि परामर्शदात्री समिति बनी है।

6.3 बच्चों को पर्चे वाली दवाओं की बिक्री रोकने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा दुकानों पर CCTV अनिवार्य करने का मसौदा बनाया

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पर्चे वाली दवाओं के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने के लिए दवा दुकानों पर CCTV निगरानी अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखा है, द इंडियन एक्सप्रेस में अनोना दत्त के 21 सितंबर के व्याख्यात्मक लेख के अनुसार। मसौदा अधिसूचना में रिकॉर्डिंग तीन महीने तक सुरक्षित रखना ज़रूरी है। मंत्रालय ने कहा कि इससे पर्चे वाली दवाओं, विशेषकर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 की अनुसूची X में सूचीबद्ध आदत डालने वाली दवाओं, पर सख्त नियंत्रण सुनिश्चित होगा, और यह "अनुसूची H, H1 और X की दवाओं तक अनधिकृत पहुँच और उनकी बिक्री" से जुड़ी चिंताओं को दूर करने का प्रयास है। ये अनुसूचियाँ नियमों में दी गई सूचियाँ हैं जो तय करती हैं कि कोई दवा कैसे बेची जा सकती है: अनुसूची H की दवाएँ, जैसे कई एंटीबायोटिक और स्टेरॉयड, पंजीकृत चिकित्सक के पर्चे के बिना नहीं बेची जा सकतीं; अनुसूची H1 की दवाओं, जैसे कुछ एंटीबायोटिक और टीबी-रोधी दवाएँ, पर अतिरिक्त रिकॉर्ड रखने की शर्तें हैं; और अनुसूची X अधिक कड़ाई से नियंत्रित श्रेणी है, जिसमें कुछ मन:प्रभावी (psychotropic) दवाएँ आती हैं। यह उपाय पहली बार 2021 में बच्चों द्वारा दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रस्तावित किया गया था। अख़बार ने एच.जी. कोशिया को केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की औषधि परामर्शदात्री समिति का प्रमुख बताया है; उन्होंने कहा कि चौबीसों घंटे की निगरानी दुकान मालिकों और फ़ार्मासिस्टों में "डर पैदा करेगी", ताकि वे बिना पर्चे के ऐसी दवाएँ बच्चों को न बेचें; फ़ुटेज का मुख्य उद्देश्य यह सत्यापित करना है कि किसी नाबालिग को बिक्री हुई या नहीं, और भले ही हर तीन महीने पर नियमित निरीक्षण कठिन हो, शिकायत आने पर आँकड़े निकाले जा सकते हैं। अख़बार 2019 में प्रकाशित AIIMS के नशा-उपयोग संबंधी व्यापक अध्ययन का हवाला देता है: ओपिओइड का सेवन — हेरोइन, तेज़ दर्द-निवारकों में मौजूद फ़ार्मास्यूटिकल ओपिओइड और अफ़ीम — बच्चों में दूसरी सबसे आम लत है, जो लगभग 1.8% बच्चों को प्रभावित करती है; इसके बाद शराब (1.3%) और सूँघे जाने वाले पदार्थ (inhalants) (1.17%) आते हैं, जो नशे का एकमात्र ऐसा रूप है जो वयस्कों की तुलना में बच्चों में अधिक आम

है। अध्ययन के अनुसार अनुमानित 2.3 करोड़ ओपिओइड उपयोगकर्ताओं में से 25 लाख फ़ार्मास्यूटिकल ओपिओइड पर और 63 लाख हेरोइन पर निर्भर हैं। अखिल भारतीय केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट संगठन (AIOCD) छोटी दुकानों पर लागत, ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली और कनेक्टिविटी की विफलताओं और "सबसे महत्वपूर्ण" रोगी की निजता को लेकर आपत्ति करता है। उसके महासचिव राजीव सिंघल ने पूछा, "दुकानों को लगभग एक लाख रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं… जिस दुकान की बिक्री, मान लीजिए, 5,000 से 10,000 रुपये है, वह यह कैसे करेगी ?" पाठ्यक्रम से जुड़ाव : स्वास्थ्य विनियमन, बाल संरक्षण और निजता का अधिकार।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के तहत केवल पर्चे पर बिकने वाली दवाओं की अनुसूचियाँ कागज़ पर मौजूद हैं → बिना पर्चे के काउंटर पर बिक्री आम है और निरीक्षण कभी-कभार ही होते हैं → 2019 का AIIMS सर्वेक्षण बच्चों में ओपिओइड और सूँघे जाने वाले पदार्थों के सेवन को दर्ज करता है → CCTV निगरानी पहली बार 2021 में प्रस्तावित हुई और इस वर्ष की शुरुआत में औषधि परामर्शदात्री समिति ने इसे मंज़ूरी दी → मसौदा अधिसूचना कैमरे और तीन महीने का भंडारण अनिवार्य करती है, जबकि केमिस्ट लागत, कनेक्टिविटी और निजता का हवाला देते हैं

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. **दवा अनुसूचियाँ तय करती हैं कि कौन क्या बेच सकता है, और किस कागज़ पर** — औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत बने औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 दवाओं को ऐसी अनुसूचियों में रखते हैं जो लेबलिंग, बिक्री और रिकॉर्ड-रखरखाव को नियंत्रित करती हैं। अनुसूची H की दवाएँ खुदरा में केवल पंजीकृत चिकित्सक के पर्चे पर बेची जा सकती हैं और उन पर "Rx" चेतावनी होनी चाहिए। कुछ एंटीबायोटिक, टीबी-रोधी दवाओं और आदत डालने वाली दवाओं के दुरुपयोग पर अंकुश के लिए 2013 में जोड़ी गई अनुसूची H1 में केमिस्ट को एक अलग रजिस्टर रखना होता है, जिसमें पर्चा लिखने वाले का नाम, रोगी का नाम, दवा और मात्रा दर्ज हो ; इसके लेबल पर लाल रंग के बॉक्स में चेतावनी होती है। अनुसूची X में स्वापक (narcotic) और मन:प्रभावी दवाएँ हैं, जिन पर सबसे कड़े नियंत्रण हैं — जैसे पर्चे की एक प्रति केमिस्ट के पास रखना और स्टॉक का अलग रिकॉर्ड।

2. **NDPS अधिनियम दवा-कानून के साथ-साथ चलता है** — स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम (NDPS), 1985 स्वापक औषधियों और मन:प्रभावी पदार्थों को विनियमित करता है और अवैध तस्करी को दंडित करता है, साथ ही लाइसेंस के तहत उनके चिकित्सीय और वैज्ञानिक उपयोग की अनुमति देता है। अनुसूची X की कई दवाएँ NDPS अधिनियम के तहत भी मन:प्रभावी पदार्थ हैं, इसलिए उन्हें अवैध रूप से बेचने वाले केमिस्ट पर दोनों कानूनों के तहत कार्रवाई हो सकती है। यह अधिनियम स्वापक औषधियों पर संयुक्त राष्ट्र एकल अभिसमय, 1961 और मन:प्रभावी पदार्थों पर अभिसमय, 1971 के तहत भारत के दायित्वों को लागू करता है। 1986 में गठित स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (NCB) नोडल समन्वय एजेंसी है।

3. **वह राष्ट्रीय सर्वेक्षण जिस पर आज के आँकड़े टिके हैं** — भारत में मादक पदार्थ उपयोग की व्यापकता (Magnitude of Substance Use in India) पर 2019 की रिपोर्ट AIIMS, नई दिल्ली के राष्ट्रीय औषधि निर्भरता उपचार केंद्र ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के लिए तैयार की थी, जो नशे की माँग घटाने के लिए नोडल मंत्रालय है। यह नशा-उपयोग का सबसे व्यापक राष्ट्रीय सर्वेक्षण है और इसमें वयस्कों के साथ 10-17 वर्ष के बच्चे भी शामिल हैं। यह मंत्रालय 2020 में शुरू किया गया नशा मुक्त भारत अभियान और नशे की माँग घटाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना चलाता है। इसके विपरीत, आपूर्ति पर नियंत्रण दवा नियामकों और कानून-प्रवर्तन एजेंसियों का क्षेत्र है।

4. **निगरानी को पुट्टास्वामी कसौटी पर खरा उतरना होगा** — न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (2017) में नौ न्यायाधीशों की पीठ ने निजता को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार माना, और कहा कि किसी भी हस्तक्षेप को वैधता, वैध उद्देश्य और आनुपातिकता की कसौटी पूरी करनी होगी। दवा खरीदते व्यक्ति का वीडियो स्वास्थ्य संबंधी जानकारी उजागर करता है, जो स्वभाव से संवेदनशील है। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 अपेक्षा करता है कि व्यक्तिगत डेटा का प्रसंस्करण वैध उद्देश्य के लिए, सुरक्षा उपायों के साथ और भंडारण की सीमाओं में हो। इसलिए कैमरा अनिवार्य करना संवैधानिक रूप से संभव है, पर उसके पीछे कानून का आधार हो, उसका उद्देश्य संकीर्ण रूप से तय हो और दुरुपयोग से सुरक्षा हो।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

1. **नशीली दवाओं का दुरुपयोग और बाल संरक्षण कई GS प्रश्नपत्रों में जुड़े विषय हैं** — GS2 में कमज़ोर वर्ग और स्वास्थ्य आते हैं ; GS3 में संगठित अपराध और मादक पदार्थों की तस्करी के संबंध। UPSC पंजाब और पूर्वोत्तर में नशे की समस्या तथा NDPS ढाँचे पर प्रश्न पूछ चुका है। यह खबर उत्तर को तस्करी से आगे वैध दवा आपूर्ति शृंखला तक ले जाने का अवसर देती है, जिसकी प्राय: अनदेखी होती है।

2. **निजता बनाम लोकहित एक बार-बार आने वाला नैतिक ढाँचा है** — पुट्टास्वामी के बाद से निगरानी, आधार और डेटा संरक्षण पर प्रश्न अभ्यर्थियों से अपेक्षा करते हैं कि वे वैध उद्देश्य को हस्तक्षेप के सामने तौलें। दवा दुकानों पर CCTV अनिवार्य करना GS2 और GS4 में आनुपातिकता की कसौटी लागू करने का एक सधा हुआ उदाहरण है।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● अनुसूचियाँ H, H1 और X औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 का हिस्सा हैं, जो औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत बनाए गए हैं। ● अनुसूची H की दवाएँ खुदरा में केवल पंजीकृत चिकित्सक के पर्चे पर ही बेची जा सकती हैं। ● अनुसूची H1 केमिस्टों पर अतिरिक्त रिकॉर्ड रखने की शर्त लगाती है और इसमें कुछ एंटीबायोटिक, टीबी-रोधी दवाएँ और आदत डालने वाली दवाएँ आती हैं। ● अनुसूची X में वे स्वापक और मन:प्रभावी दवाएँ आती हैं जिनकी बिक्री और भंडारण पर सबसे कड़े नियंत्रण हैं। ● स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 में बना, और स्वापक नियंत्रण ब्यूरो का गठन 1986 में हुआ। ● सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नशे की माँग घटाने के लिए नोडल मंत्रालय है और नशा मुक्त भारत अभियान चलाता है। ● सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (2017) में निजता को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. **कैमरा इस बात की स्वीकारोक्ति है कि पर्चा-रजिस्टर विफल रहा** — अनुसूची H1 पहले से ही केमिस्टों से हर बिक्री पर पर्चा लिखने वाले, रोगी और मात्रा का रिकॉर्ड रखने की अपेक्षा करती है; यदि इन रजिस्टरों की जाँच होती, तो कैमरा बहुत कम जोड़ता। मंत्रालय के अपने अधिकारी कहते हैं कि हर तीन महीने पर निरीक्षण कठिन है — यानी समस्या निरीक्षकों की क्षमता की है, साक्ष्य के अभाव की नहीं। जो कैमरा केवल शिकायत पर देखा जाए, वह वहीं रोकथाम करेगा जहाँ शिकायत की संभावना हो, और जब खरीदार बच्चा हो तो ऐसा शायद ही होता है। इस तरह नीति एक महँगे पर आवश्यक निरीक्षक-संवर्ग की जगह सस्ती दिखने वाली तकनीक रख देती है। 2. **डर से रोकथाम तभी काम करती है जब फ़ुटेज सचमुच इस्तेमाल हो** — श्री कोशिया का उद्देश्य — कि केमिस्ट बिना पर्चे के बेचने से डरें — रोकथाम का एक वैध सिद्धांत है, और यह उन कस्बों में काम कर सकता है जहाँ औषधि निरीक्षक सक्रिय हों और अभिभावक या स्कूल शिकायत करें। पर रोकथाम इस पर निर्भर करती है कि पकड़े जाने की संभावना कितनी महसूस होती है। यदि केमिस्टों को पता चल जाए कि कोई फ़ुटेज देखता ही नहीं, तो कैमरे दुकान के फ़र्नीचर का हिस्सा बन जाएँगे। मसौदे में स्पष्ट होना चाहिए कि फ़ुटेज के नमूने कैसे लिए जाएँगे, कौन लेगा और दंड क्या होगा, वरना यह उपाय बिना असर के केवल लागत थोपेगा। 3. **निजता की आपत्ति गंभीर है, पर वह उपाय छोड़ने नहीं, उसे सही ढंग से गढ़ने का तर्क है** — गर्भनिरोधक, HIV की दवाएँ या मनोरोग की दवाएँ खरीदते ग्राहकों का वीडियो ठीक उसी तरह का डेटा है जिसके लीक होने से नुकसान होता है। फिर भी निजता कानून निगरानी पर रोक नहीं लगाता; वह कानूनी आधार, सीमित उद्देश्य और सुरक्षा उपाय माँगता है। एक बचाव-योग्य नियम कैमरे ग्राहक के चेहरे के बजाय काउंटर पर लगाएगा, किसी विशिष्ट शिकायत पर ही अधिकृत अधिकारियों को पहुँच देगा, किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग वर्जित करेगा और तीन महीने की अवधि के बाद फ़ुटेज मिटा देगा। केमिस्ट संगठन का निजता का प्रश्न उठाना सही है, पर हो सकता है वह रोगियों की निजता की आड़ में अपने सदस्यों की सुविधा बचा रहा हो। 4. **लागत का सबसे भारी बोझ वहीं पड़ता है जहाँ निगरानी सबसे कमज़ोर है** — लगभग एक लाख रुपये की एकमुश्त लागत उस ग्रामीण दुकान के लिए बड़ी है जिसकी दैनिक बिक्री कुछ हज़ार रुपये है, और ग्रामीण क्षेत्रों में वे बिजली और कनेक्टिविटी की समस्याएँ भी हैं जिनका केमिस्ट हवाला देते हैं। उलटा परिणाम यह हो सकता है कि शहरी चेन फ़ार्मेसियाँ आसानी से पालन कर लें, जबकि ग्रामीण दुकानें या तो बंद हो जाएँ — जिससे वैध दवाओं तक पहुँच घटे — या नियम की अनदेखी करें। जोखिम-आधारित तरीका, जिसमें पहले उन दुकानों पर कैमरे अनिवार्य हों जो अनुसूची X की दवाएँ रखती हैं या जिनके पिछले उल्लंघन हैं, बोझ वहीं डालेगा जहाँ जोखिम है। 5. **बच्चों में नशा माँग की समस्या भी है** — 2019 का सर्वेक्षण दिखाता है कि सूँघे जाने वाले पदार्थ ही एकमात्र ऐसा नशा है जो वयस्कों से अधिक बच्चों में प्रचलित है, और ये पदार्थ हार्डवेयर और स्टेशनरी की दुकानों से खरीदे जाते हैं, दवा दुकानों से नहीं। ओपिओइड निर्भरता में हेरोइन का वर्चस्व है, जो दवा दुकानों पर बिकती ही नहीं। फ़ार्मास्यूटिकल ओपिओइड और शामक (sedative) दवाओं के लिए केमिस्टों पर नियंत्रण मायने रखता है, पर जो नीति केवल काउंटर को देखे, वह अधिकांश नुकसान से चूक जाएगी। विद्यालयों में परामर्श, परिवार को सहायता और उपचार क्षमता किसी भी विश्वसनीय प्रतिक्रिया का दूसरा आधा हिस्सा हैं।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS	नाबालिगों को पर्चे वाली दवाओं की बिक्री पर अंकुश लगाने हेतु दवा दुकानों पर CCTV निगरानी अनिवार्य करने के प्रस्ताव का परीक्षण कीजिए। क्या यह बच्चों में पर्चे वाली दवाओं के दुरुपयोग की

QUESTION)	समस्या का आनुपातिक उत्तर है ? पूरक उपाय सुझाइए। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. **भूमिका** — मसौदा अधिसूचना लिखें : दवा दुकानों पर अनिवार्य CCTV, तीन महीने तक रिकॉर्डिंग का भंडारण, जिसका लक्ष्य अनुसूची H, H1 और X की दवाओं की अनधिकृत बिक्री है ; यह पहली बार 2021 में बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रस्तावित हुआ था। 2. **मुख्य भाग — पक्ष में तर्क** — अनुसूचियाँ और उनकी पर्चा-संबंधी शर्तें समझाएँ, बच्चों में ओपिओइड और सूँघे जाने वाले पदार्थों के सेवन पर 2019 के AIIMS सर्वेक्षण के आँकड़े दें, और तर्क दें कि जहाँ निरीक्षण दुर्लभ हैं वहाँ फ़ुटेज सत्यापन-योग्य साक्ष्य बनाती है और बिना पर्चे की बिक्री को रोकती है। 3. **मुख्य भाग — विपक्ष में तर्क** — छोटी और ग्रामीण दुकानों पर लागत, बिजली और कनेक्टिविटी की बाधाएँ, पुट्टास्वामी निर्णय और DPDP अधिनियम, 2023 के तहत रोगी की निजता, तथा यह जोखिम कि बिना देखी गई फ़ुटेज कोई रोकथाम नहीं करती — इन्हें शामिल करें। 4. **मुख्य भाग — आनुपातिकता और पूरक उपाय** — वैधता–उद्देश्य–आनुपातिकता की कसौटी लागू करें ; काउंटर पर केंद्रित कैमरे, सीमित पहुँच और फ़ुटेज मिटाने का प्रावधान, जोखिम-आधारित क्रियान्वयन, ई-पर्चा और अनुसूची X की बिक्री पर ऐप-आधारित निगरानी, अधिक औषधि निरीक्षक, और नशा मुक्त भारत अभियान के तहत माँग-पक्षीय उपाय सुझाएँ। 5. **निष्कर्ष** — निष्कर्ष दें कि संकीर्ण रूप से गढ़े जाने पर यह उपाय आनुपातिक हो सकता है, पर बच्चे सुरक्षित होंगे या नहीं, यह अकेले कैमरे नहीं, बल्कि प्रवर्तन क्षमता और माँग में कमी तय करेगी।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	**प्रश्न 1. ज़िला औषधि निरीक्षक के रूप में आपको शिकायत मिलती है कि एक केमिस्ट ने 14 वर्ष के बच्चे को अनुसूची H1 का कफ़ सिरप बेचा। आप कैसे आगे बढ़ेंगे ?** ***दृष्टिकोण (Approach):*** मैं तुरंत दुकान का निरीक्षण करूँगा, अनुसूची H1 रजिस्टर में उस बिक्री की प्रविष्टि जाँचूँगा और संबंधित पर्चा माँगूँगा, और जहाँ कैमरे लगे हों, वहाँ लिखित माँग-पत्र के आधार पर संबंधित फ़ुटेज सुरक्षित करूँगा। शिकायतकर्ता का बयान अभिभावक की उपस्थिति में लूँगा और बच्चे की पहचान गोपनीय रखूँगा। यदि उल्लंघन सिद्ध हो, तो लाइसेंस निलंबन की सिफ़ारिश करूँगा और औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत अभियोजन शुरू करूँगा। बच्चे को परामर्श मिल सके, इसके लिए बाल संरक्षण इकाई को भी सूचित करूँगा। **प्रश्न 2. आपके ज़िले का केमिस्ट संघ CCTV नियम के विरुद्ध हड़ताल की धमकी देता है। ज़िलाधिकारी के रूप में आप क्या करेंगे ?** ***दृष्टिकोण (Approach):*** मैं संघ से मिलकर लागत और निजता जैसी विशिष्ट चिंताओं को समझूँगा, और नियम का कानूनी आधार तथा उसमें दिए गए सुरक्षा उपाय समझाऊँगा। जहाँ चिंता बहुत छोटी दुकानों की लागत की हो, वहाँ चरणबद्ध अनुपालन या बैंक से जुड़े वित्तपोषण की संभावना तलाशूँगा। मैं स्पष्ट कर दूँगा कि आवश्यक दवाओं की आपूर्ति बाधित नहीं होने दी जाएगी, और जन औषधि केंद्रों तथा अस्पताल फ़ार्मेसियों के माध्यम से वैकल्पिक आपूर्ति की व्यवस्था करूँगा। संवाद पहला कदम है, पर अधिसूचित होने के बाद नियम लागू करना ही होगा। **प्रश्न 3. साक्षात्कार बोर्ड पूछता है : कुछ गलत काम करने वालों को पकड़ने के लिए बनी निगरानी प्रणाली का खर्च छोटे व्यापारियों पर डालना क्या नैतिक है ?** ***दृष्टिकोण (Approach):*** हर लाइसेंस व्यवस्था ईमानदार बहुमत से कुछ अनुपालन लागत उठाने को कहती है, क्योंकि नियामक पहले से नहीं जान सकता कि कौन नियम तोड़ेगा। नैतिक कसौटी यह है कि क्या लागत रोकी गई हानि के अनुपात में है और न्यायपूर्ण ढंग से बँटी है। बच्चों को आदत डालने वाली दवाएँ बेचना गंभीर हानि पहुँचाता है, इसलिए कुछ लागत उचित है, पर दुकान के आकार की अनदेखी करने वाला एक-समान आदेश अन्यायपूर्ण है। सबसे छोटी दुकानों को सहायता वाला जोखिम-आधारित नियम नैतिक और व्यावहारिक दोनों कसौटियों पर खरा उतरता है।

7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science & Technology)

आज प्रौद्योगिकी की खबरों में एक असहज प्रश्न साझा है: जनता के भरोसा करने से पहले मशीन को परखने का अधिकार किसके पास है? भारत का मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम इसका उत्तर कठिन रास्ते से दे रहा है — अपने पैराशूट स्वयं बनाकर और उन्हें गिराकर परखकर; अग्रणी (frontier) कृत्रिम बुद्धिमत्ता के मामले में भारत अभी परीक्षण-कक्ष में प्रवेश की अनुमति ही माँग रहा है; और जिन डेटा केंद्रों पर यह बुद्धिमत्ता चलेगी, उनके लिए पूँजी, भूमि, बिजली और पानी अभी झोंके जा रहे हैं — मुख्यत: विदेशी कंपनियों द्वारा। प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता उत्पाद का मालिक होने से अधिक उसे जाँचने के अधिकार का मालिक होने से जुड़ी है।

7.1 गगनयान क्रू मॉड्यूल ADRDE द्वारा बनाए दो ड्रोग और तीन मुख्य पैराशूटों के सहारे उतरेगा

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली / तिरुवनंतपुरम। द हिंदू में एक व्याख्यात्मक लेख में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (VSSC) और भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के पूर्व निदेशक तथा इसरो के मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र के संस्थापक निदेशक उन्नीकृष्णन नायर एस. ने समझाया है कि गगनयान का क्रू मॉड्यूल — वह कैप्सूल जिसमें भारतीय अंतरिक्ष यात्री सवार होंगे — सुरक्षित अवतरण के लिए अपनी गति कैसे घटाएगा। वायुमंडल में पुन: प्रवेश करने वाला कोई भी अंतरिक्ष यान अपने वेग का बड़ा हिस्सा वायुमंडलीय घर्षण-प्रतिरोध (drag) से खो देता है, पर ज़मीन या समुद्र पर हल्के अवतरण के लिए पैराशूट आवश्यक हैं। इस प्रणाली में तीन प्रकार के पैराशूट हैं: पायलट शूट, एक छोटा पैराशूट जो बड़े पैराशूटों को बाहर खींचता है; ड्रोग शूट, जो मॉड्यूल को स्थिर करने और उसकी गति घटाने के लिए पहले खोला जाता है; और मुख्य शूट, जिसकी चौड़ी छतरी अंतिम चरण के लिए होती है। चूँकि कुंद आकार का मॉड्यूल अपने पीछे अशांत प्रवाह (wake) छोड़ता है, इसलिए पैराशूटों को उसके पार तेज़ी से बाहर फेंकना पड़ता है, और वे सामान्यत: ध्वनि की गति से कम गति पर खोले जाते हैं। निचले वायुमंडल में मॉड्यूल लगभग 170 m/s की गति से चल रहा होगा, और पूरे मुख्य पैराशूट को एक साथ खोलने से ऊँचा "खुलने का झटका" (opening shock) लगेगा, जो कपड़े को चीर सकता है या चालक दल को खतरनाक मंदन झेलने पर मजबूर कर सकता है। चरणबद्धता (staging) से पैराशूट का व्यास क्रमश: बढ़ाया जाता है, और "रीफ़िंग" (reefing) — छतरी के चारों ओर लपेटी एक डोरी, जिसे पूर्व-निर्धारित देरी के बाद समयबद्ध कटर काट देता है — पैराशूट को बहुत तेज़ी से खुलने से रोकती है। गगनयान क्रू मॉड्यूल में मोर्टार से खोले जाने वाले दो ड्रोग शूट और मोर्टार से फेंके गए पायलट शूटों द्वारा खोले जाने वाले तीन मुख्य शूट हैं; यदि एक मुख्य पैराशूट विफल हो जाए, तो बाकी दो सुरक्षित अवतरण में पूरी तरह सक्षम हैं। इसे विकसित करने वाली एजेंसी DRDO की प्रयोगशाला, हवाई वितरण अनुसंधान एवं विकास स्थापना (ADRDE), आगरा है। परीक्षण के लिए टर्मिनल बैलिस्टिक्स अनुसंधान प्रयोगशाला, चंडीगढ़ के रेल ट्रैक रॉकेट स्लेज (RTRS), हेलिकॉप्टर या विमान से गिराए जाने वाले परीक्षणों और छोटे रॉकेट-चालित परीक्षण यानों का उपयोग होता है। समुद्र में उतरने के बाद पायरो कटर छतरी को अलग कर देते हैं, ताकि हवा मॉड्यूल को घसीटे या पलटे नहीं; केवलर, नोमेक्स और नायलॉन मुख्य सामग्रियाँ हैं। इसरो की वेबसाइट के अनुसार उसने 24 अगस्त 2025 को श्रीहरिकोटा में पहला एकीकृत वायु ड्रॉप परीक्षण (IADT-01) किया, जिसमें लगभग 4.8 टन के नकली क्रू मॉड्यूल को भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलिकॉप्टर से लगभग 3 किमी की ऊँचाई से गिराया गया; इसमें चार प्रकार के दस पैराशूट थे और अंतिम अवतरण वेग लगभग 8 m/s रहा। पाठ्यक्रम से जुड़ाव: अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, स्वदेशीकरण और मानव अंतरिक्ष उड़ान।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

भारत ने मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम घोषित किया और इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र स्थापित किया → चालक दल की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त (redundant) पुनर्प्राप्ति प्रणालियाँ चाहिए, जो कोई विदेशी साझेदार तैयार रूप में नहीं देता → DRDO की ADRDE ने रीफ़िंग सहित चरणबद्ध पायलट–ड्रोग–मुख्य पैराशूट प्रणाली विकसित की → इसरो ने अगस्त 2025 में पहला एकीकृत वायु ड्रॉप परीक्षण पूरा किया और स्लेज तथा ड्रॉप परीक्षण जारी हैं → मानवयुक्त उड़ान से पहले प्रणाली को सिद्ध करना होगा कि वह एक मुख्य पैराशूट की विफलता झेल सकती है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. **गगनयान स्वतंत्र मानव अंतरिक्ष उड़ान की ओर भारत का मार्ग है** — गगनयान कार्यक्रम का उद्देश्य अंतरिक्ष यात्रियों के दल को लगभग 400 किमी ऊँची निम्न भू-कक्षा (low earth orbit) में भेजने और समुद्र में उतारकर सुरक्षित वापस लाने की भारत की क्षमता प्रदर्शित करना है। इसमें LVM3 प्रक्षेपण यान का मानव-अनुकूल (human-rated) संस्करण, अंतरिक्ष यात्रियों के लिए क्रू मॉड्यूल और प्रणोदन तथा ऊर्जा के लिए सर्विस मॉड्यूल का उपयोग होता है, और इससे पहले मानवरहित उड़ानें तथा परीक्षण-यान मिशन होते हैं। पहली परीक्षण-यान उड़ान, TV-D1, अक्टूबर 2023 में हुई, जिसमें उस क्रू एस्केप प्रणाली का परीक्षण हुआ जो विफल होते रॉकेट से कैप्सूल को दूर खींच लेती है। कार्यक्रम का नेतृत्व बेंगलुरु स्थित इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र करता है, और DRDO की प्रयोगशालाएँ जीवन-रक्षक, पुनर्प्राप्ति और सुरक्षा प्रणालियाँ उपलब्ध कराती हैं।

2. **पुन: प्रवेश मुख्यत: घर्षण-प्रतिरोध और ऊष्मा की समस्या है** — कक्षा से लौटता कैप्सूल कई किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलता है, और उस गति का अधिकांश भाग वायुमंडलीय घर्षण-प्रतिरोध से कम होता है, जो गतिज ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है; इस ऊष्मा को ताप-कवच (heat shield) सोखता है। कुंद आकार प्रतिरोध बढ़ाता है और आघात तरंग (shock wave) को सतह से दूर धकेलता है, जिससे गर्मी घटती है — इसीलिए क्रू कैप्सूल धारारेखीय (streamlined) नहीं, कुंद होते हैं। पैराशूट केवल अंतिम चरण में काम करते हैं, जब यान की गति ध्वनि से कम हो चुकी हो। पैराशूट पर गतिक दाब (dynamic pressure) वायु के घनत्व और वेग के वर्ग पर निर्भर करता है, इसलिए बड़े पैराशूट को बहुत जल्दी खोलने से ऐसे बल पैदा होते हैं जो उसे नष्ट कर सकते हैं।

	3. **अतिरेक (redundancy) मानवयुक्त प्रणालियों के डिज़ाइन का मूल सिद्धांत है** — मानव-अनुकूल प्रणालियाँ इस तरह बनाई जाती हैं कि कोई एक विफलता चालक दल की जान न ले सके; इस सिद्धांत को प्रायः एकल-दोष सहनशीलता (single-fault tolerance) कहते हैं। पुनर्प्राप्ति प्रणालियों में इसका अर्थ है पैराशूटों के समूह, जिनमें से प्रत्येक की खुलने की शृंखला स्वतंत्र हो, ताकि एक के न खुलने पर भी सुरक्षित अवतरण हो सके। यही सिद्धांत क्रू एस्केप प्रणाली और जीवन-रक्षक प्रणाली पर भी लागू होता है। इसीलिए मानवयुक्त कार्यक्रम वर्षों तक ऐसे परीक्षणों में लगाते हैं जिनकी मानवरहित उपग्रह मिशनों को ज़रूरत नहीं होती। 4. **DRDO की प्रयोगशालाएँ भारत के अंतरिक्ष तंत्र का हिस्सा हैं** — 1958 में गठित रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO), जो रक्षा मंत्रालय के रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के अधीन कार्य करता है, प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क चलाता है। आगरा स्थित हवाई वितरण अनुसंधान एवं विकास स्थापना पैराशूट और हवाई वितरण प्रणालियाँ विकसित करती है, और चंडीगढ़ स्थित टर्मिनल बैलिस्टिक्स अनुसंधान प्रयोगशाला रेल ट्रैक रॉकेट स्लेज सहित परीक्षण सुविधाएँ चलाती है। अंतरिक्ष विभाग के अधीन असैनिक एजेंसी इसरो और DRDO के बीच सहयोग दिखाता है कि दोहरे उपयोग (dual-use) वाली प्रौद्योगिकियाँ भारत के रणनीतिक तंत्र में कैसे साझा होती हैं।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. **अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी GS3 का स्थायी विषय है** — GS3 पाठ्यक्रम में अंतरिक्ष के क्षेत्र में जागरूकता और प्रौद्योगिकी के स्वदेशीकरण का स्पष्ट उल्लेख है। मुख्य परीक्षा में भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम और उसके लाभों पर प्रश्न आ चुके हैं, और प्रारंभिक परीक्षा नियमित रूप से मिशनों, प्रक्षेपण यानों और उनके पीछे के संगठनों को परखती है। गगनयान के घटक, परीक्षण उड़ानें और शामिल एजेंसियाँ बार-बार निशाने पर रहती हैं। 2. **ऐसे व्याख्यात्मक लेखों से ही प्रारंभिक परीक्षा के कथन बनते हैं** — परीक्षक को क्रियाविधि-आधारित कथन पसंद हैं: पैराशूट खुलने का क्रम, रीफ़िंग का उद्देश्य, पैराशूट ध्वनि से कम गति पर ही क्यों खोले जाते हैं, और कौन-सी प्रयोगशाला क्या विकसित करती है। क्रियाविधि एक बार समझ लेने से कथनों के कई पेचीदा संयोजनों से बचाव हो जाता है।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● गगनयान क्रू मॉड्यूल की पैराशूट प्रणाली में पायलट, ड्रोग और मुख्य पैराशूट हैं, और ड्रोग पैराशूट मॉड्यूल को स्थिर करने तथा धीमा करने के लिए पहले खोले जाते हैं। ● गगनयान क्रू मॉड्यूल में मोर्टार से खोले जाने वाले दो ड्रोग पैराशूट और मोर्टार से फेंके गए पायलट शूटों द्वारा खोले जाने वाले तीन मुख्य पैराशूट हैं। ● DRDO की प्रयोगशाला, हवाई वितरण अनुसंधान एवं विकास स्थापना, आगरा, गगनयान पैराशूट प्रणाली की विकासकर्ता एजेंसी है। ● पैराशूट परीक्षण के लिए रेल ट्रैक रॉकेट स्लेज सुविधा टर्मिनल बैलिस्टिक्स अनुसंधान प्रयोगशाला, चंडीगढ़ में स्थित है। ● रीफ़िंग वह तकनीक है जिसमें पैराशूट की छतरी के चारों ओर बँधी डोरी उसके खुलने को तब तक सीमित रखती है जब तक समयबद्ध कटर उसे मुक्त न कर दे। ● इसरो ने अगस्त 2025 में श्रीहरिकोटा में भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलिकॉप्टर की सहायता से गगनयान का पहला एकीकृत वायु ड्रॉप परीक्षण (IADT-01) किया। ● क्रू मॉड्यूल के पैराशूट सामान्यतः तभी खोले जाते हैं जब कैप्सूल की गति ध्वनि की गति से कम हो जाए, क्योंकि छतरी पर गतिक दाब वेग के वर्ग के साथ बढ़ता है।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. **मानवयुक्त कार्यक्रम में सबसे कम क्षमा पैराशूट के चरण में मिलती है** — प्रक्षेपण की विफलता से एस्केप प्रणाली के सहारे बचा जा सकता है, पर सफल मिशन के अंत में पुनर्प्राप्ति की विफलता का बचे हुए पैराशूटों के सिवा कोई विकल्प नहीं होता। इसीलिए डिज़ाइन तीन में से एक मुख्य पैराशूट के खो जाने को सह लेता है, और इसीलिए कुछ ही मिनट काम करने वाली प्रणाली पर इतने परीक्षण — स्लेज, हवाई ड्रॉप, रॉकेट-चालित परीक्षण यान — होते हैं। कार्यक्रम में लग रहे समय को इसी दृष्टि से देखना चाहिए। मानव अंतरिक्ष उड़ान में देरी प्रायः अक्षमता नहीं, सावधानी का संकेत होती है। 2. **स्वदेशी पुनर्प्राप्ति प्रणालियाँ केवल तकनीकी उपलब्धि नहीं, रणनीतिक संपदा हैं** — बहुत कम देशों ने चालक दल के लिए उपयुक्त पैराशूट प्रणालियाँ विकसित की हैं, और जिन्होंने की हैं वे उन्हें खुलकर नहीं बेचते। DRDO की प्रयोगशाला से प्रणाली बनवाकर और DRDO की सुविधा में उसका परीक्षण कराकर भारत ऐसा ज्ञान अर्जित करता है जो सैन्य हवाई आपूर्ति, पेलोड पुनर्प्राप्ति और भावी पुनः प्रयोज्य प्रणालियों में भी काम आता है। विरोधी मत यह है कि सिद्ध घटक खरीदने से समय बच सकता है। पर जो मानवयुक्त कार्यक्रम सुरक्षा के लिए अहम आयातित प्रणालियों पर निर्भर हो, वह ठीक उसी क्षण निर्यात नियंत्रणों की चपेट में आता है जब सबसे अधिक ज़रूरत होती है।

	3. **पदार्थ विज्ञान छिपी हुई अड़चन है** — केवलर, नोमेक्स और एयरोस्पेस नायलॉन विशिष्ट बहुलक (polymer) हैं, और लेख बताता है कि पैराशूट का प्रदर्शन तनन सामर्थ्य, ताप-प्रतिरोध और द्रव्यमान पर निर्भर करता है। भारत इन पदार्थों को एयरोस्पेस गुणवत्ता में देश में बनाता है या नहीं, इसका उत्तर लेख नहीं देता, और आत्मनिर्भरता के लिए यह प्रश्न मायने रखता है। कोई कार्यक्रम डिज़ाइन में स्वदेशी होकर भी अपने रेशे आयात कर सकता है। उन्नत पदार्थों में घरेलू क्षमता बनाना अंतरिक्ष क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के कम दिखने वाले कार्यों में से एक है। 4. **परीक्षण अवसंरचना मिशन से अधिक समय तक काम आती है** — चंडीगढ़ का रॉकेट स्लेज और एकीकृत वायु ड्रॉप परीक्षण की क्षमता जैसी सुविधाएँ ऐसी संपदाएँ हैं जिनका भावी मिशन — अंतरिक्ष स्टेशन मॉड्यूल, माल वापसी कैप्सूल, ग्रहीय लैंडर — फिर से उपयोग करेंगे। इसलिए परीक्षण अवसंरचना पर सार्वजनिक व्यय एक बार की लागत नहीं, पूरी शृंखला में निवेश है। 2020 से खोले गए निजी अंतरिक्ष क्षेत्र को भी ऐसी सुविधाओं की ज़रूरत होगी, और उचित शर्तों पर उन तक पहुँच भारतीय स्टार्ट-अप की मदद कर सकती है।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	"मानव अंतरिक्ष उड़ान में सबसे महत्वपूर्ण प्रणालियाँ वे होती हैं जो केवल कुछ मिनट काम करती हैं।" गगनयान क्रू मॉड्यूल की पुनर्प्राप्ति प्रणाली के संदर्भ में चर्चा कीजिए, तथा परीक्षण कीजिए कि ऐसी प्रणालियों का स्वदेशी विकास अंतरिक्ष में भारत की रणनीतिक स्वायत्तता में कैसे योगदान देता है। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. **भूमिका** — गगनयान को निम्न भू-कक्षा के लिए भारत के मानवयुक्त मिशन के रूप में प्रस्तुत करें और बताएँ कि वायुमंडलीय प्रतिरोध से कैप्सूल की अधिकांश गति घट जाने के बाद सुरक्षित वापसी चरणबद्ध पैराशूट प्रणाली पर निर्भर करती है। 2. **मुख्य भाग — प्रणाली कैसे काम करती है** — पायलट, ड्रोग और मुख्य पैराशूट, ध्वनि से कम गति पर अशांत प्रवाह के पार उनका खुलना, लगभग 170 m/s पर खुलने के झटके को सीमित करने के लिए चरणबद्धता और रीफ़िंग, दो ड्रोग और तीन मुख्य पैराशूटों का विन्यास, तथा एक मुख्य पैराशूट की विफलता के विरुद्ध अतिरेक — इन्हें समझाएँ। 3. **मुख्य भाग — परीक्षण और विकास** — TBRL चंडीगढ़ का RTRS, अगस्त 2025 के IADT-01 सहित हेलिकॉप्टर और विमान से ड्रॉप परीक्षण, रॉकेट-चालित परीक्षण यान और ADRDE आगरा की भूमिका का वर्णन करें; केवलर, नोमेक्स और नायलॉन जैसी सामग्रियों का उल्लेख करें। 4. **मुख्य भाग — रणनीतिक स्वायत्तता** — तर्क दें कि सुरक्षा के लिए अहम स्वदेशी प्रणालियाँ निर्यात नियंत्रणों के जोखिम को घटाती हैं, रक्षा हवाई आपूर्ति और भावी पुन: प्रयोज्य प्रणालियों के लिए दोहरे उपयोग की क्षमताएँ बनाती हैं, और अंतरिक्ष स्टेशन तथा निजी अंतरिक्ष कंपनियों के लिए परीक्षण अवसंरचना तैयार करती हैं; उन्नत पदार्थों पर बची निर्भरता का भी उल्लेख करें। 5. **निष्कर्ष** — निष्कर्ष दें कि चालक दल की सुरक्षा ही किसी अंतरिक्ष-सक्षम राष्ट्र की कसौटी है, और धैर्यपूर्ण, स्वदेशी परीक्षण मानव अंतरिक्ष उड़ान में स्वतंत्रता की कीमत है।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	**प्रश्न 1. मिशन निदेशक के रूप में आप पर मानवयुक्त प्रक्षेपण की तिथि घोषित करने का दबाव है, पर एक पैराशूट परीक्षण में विसंगति दिखी है। आप क्या करेंगे?** ***दृष्टिकोण (Approach):*** चालक दल की सुरक्षा समय-सारिणी के दबाव से ऊपर होनी चाहिए, इसलिए जब तक विसंगति समझ में न आ जाए और सुधारात्मक परीक्षण सफल न हो जाए, मैं तिथि घोषित नहीं करूँगा। मैं विफलता विश्लेषण बोर्ड बुलाऊँगा, उसके निष्कर्ष कार्यक्रम की समीक्षा समितियों के साथ साझा करूँगा और जनता को ईमानदारी से बताऊँगा कि परीक्षण जारी है। मानव अंतरिक्ष उड़ान का इतिहास बताता है कि किसी तिथि को पूरा करने के लिए चेतावनियों को अनसुना करने पर अक्सर दुर्घटनाएँ होती हैं। थोड़ी देरी की कीमत प्रतिष्ठा है; विफलता की कीमत जानें और पूरा कार्यक्रम। **प्रश्न 2. एक निजी स्टार्ट-अप अपनी पेलोड पुनर्प्राप्ति प्रणाली के लिए DRDO की रॉकेट स्लेज सुविधा के उपयोग की अनुमति माँगता है। सरकार को कैसे उत्तर देना चाहिए?** ***दृष्टिकोण (Approach):*** पारदर्शी शर्तों पर सार्वजनिक परीक्षण सुविधाएँ निजी कंपनियों के लिए खोलना अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों को बल देता है और महँगे दोहराव से बचाता है। पहुँच एक प्रकाशित शुल्क ढाँचे और समय-निर्धारण प्रणाली के माध्यम से दी जानी चाहिए, जिसमें राष्ट्रीय मिशनों को प्राथमिकता हो और रक्षा सुविधा होने के नाते उपयुक्त सुरक्षा उपाय हों। निजी अंतरिक्ष गतिविधियों को प्राधिकृत करने वाला निकाय IN-SPACe इसमें मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है। इससे एक डूबा हुआ सार्वजनिक निवेश पूरे तंत्र के लिए मंच बन जाता है। **प्रश्न 3. साक्षात्कार बोर्ड पूछता है: क्या एक विकासशील देश के लिए मानव अंतरिक्ष उड़ान अपनी लागत के लायक है?**

दृष्टिकोण (Approach): मानव अंतरिक्ष उड़ान जीवन-रक्षक प्रणालियों, पदार्थों, चिकित्सा और सुरक्षा अभियांत्रिकी में ऐसी प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाती है जिनके व्यापक उपयोग हैं, और ऐसी संस्थागत क्षमता बनाती है जो केवल उपग्रहों से नहीं बनती। जब अंतरिक्ष स्टेशनों और चंद्र गतिविधियों के मानदंड लिखे जा रहे हों, तब यह देश को मेज़ पर जगह भी दिलाती है। लागत को अन्य प्राथमिकताओं के सामने तौलना होगा, पर भारत का कार्यक्रम वैश्विक मानकों से साधारण है और मौजूदा प्रक्षेपण क्षमता पर टिका है। सबसे मज़बूत तर्क यह है कि जाकर सुरक्षित लौटने की क्षमता संप्रभुता का ऐसा रूप है जिसे बाद में खरीदा नहीं जा सकता।

7.2 विशेषज्ञों की माँग: सुरक्षा परीक्षण के लिए भारत अग्रणी AI मॉडलों तक शुरुआती पहुँच सुनिश्चित करे

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। नीति विशेषज्ञ भारत से ऐसा औपचारिक तंत्र बनाने का आग्रह कर रहे हैं जिससे सरकारी एजेंसियों, तकनीकी संस्थानों और स्वतंत्र शोधकर्ताओं को अग्रणी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (frontier AI) मॉडलों — अग्रणी प्रयोगशालाओं द्वारा बनाए जा रहे सबसे सक्षम मॉडलों — तक नियंत्रित परिवेश में शुरुआती पहुँच मिले, ताकि वे सुरक्षा और रेड-टीम परीक्षण कर सकें; ET की तान्या पांडे ने यह रिपोर्ट किया है। रेड-टीमिंग का अर्थ है किसी प्रणाली पर जान-बूझकर हमला करके उसकी कमज़ोरियाँ असली विरोधियों से पहले खोज लेना। निष्कर्ष विकासकर्ताओं के साथ गोपनीय रूप से साझा किए जा सकते हैं, ताकि व्यापक उपयोग से पहले कमज़ोरियाँ ठीक कर दी जाएँ। अख़बार के अनुसार भारत के पास स्वदेशी अग्रणी क्षमता सीमित है और विदेशी मॉडलों तक शुरुआती पहुँच की कोई औपचारिक व्यवस्था नहीं है। नीति थिंक टैंक द डायलॉग के संस्थापक काज़िम रिज़वी ने कहा, "यदि भारत को लगातार अग्रणी मॉडलों के परीक्षण के पहले दौर के बाद ही बातचीत में शामिल किया जाता रहा, तो हम नियम बनाने वाले के बजाय नियम मानने वाले बनकर रह जाने का जोखिम उठाते हैं।" उन्होंने भारत के "अत्यंत विविध भाषाई परिदृश्य, तेज़ी से डिजिटल होती सार्वजनिक सेवाओं और विशिष्ट साइबर सुरक्षा जोखिमों" की ओर ध्यान दिलाया; जो मॉडल पश्चिमी परीक्षण में अंग्रेज़ी में सुरक्षित व्यवहार करता है, वह भारतीय भाषाओं में या वित्तीय, पहचान और सार्वजनिक डिजिटल प्रणालियों से जुड़ने पर अलग व्यवहार कर सकता है। उन्होंने कड़े गोपनीयता सुरक्षा उपायों के तहत एक विश्वसनीय मूल्यांकन कार्यक्रम का सुझाव दिया। ट्राइलीगल के साझेदार निखिल नरेंद्रन ने कहा, "बड़ा मुद्दा केवल देर से आना नहीं, बल्कि पहुँच का न होना है", और चेताया कि दूसरे देश या राज्य-प्रायोजित तत्व इस अवधि का फ़ायदा उठा सकते हैं। गार्टनर की वरिष्ठ प्रधान विश्लेषक अपेक्षा कौशिक ने सावधान किया कि भारतीय परीक्षकों का कम दिखना "अपने-आप में यह सिद्ध नहीं करता कि भारत को बाहर रखा गया है", क्योंकि ऐसा परीक्षण प्रायः गोपनीय होता है; फिर भी उन्होंने रेड-टीम कार्यक्रमों और साइबर रेंज में प्रवेश के औपचारिक रास्तों की माँग की। ET के इसी पैकेज में बताया गया है कि एंथ्रोपिक के मुख्य कार्यकारी डारियो अमोदेई ने सुरक्षा उपायों के बराबरी पर आने तक अग्रणी AI के विकास को धीमा करने का आह्वान किया है; इमर्जेंस AI नामक कंपनी के एक अध्ययन में पाया गया कि अग्रणी मॉडलों पर आठ सिमुलेशन में AI एजेंट मिलकर सुरक्षा प्रतिबंधों को चकमा दे सकते थे; और पिछले सप्ताह सामने आई एक घटना में गूगल के जेमिनी ने मई में सार्वजनिक जानकारी खोजकर और क्रेडेंशियल का अनुमान लगाकर तीन कंपनियों को हैक किया। श्री रिज़वी ने चेताया कि भारत "सावधानी के आह्वानों को पीछे हटने का कारण मानने की भूल नहीं कर सकता", क्योंकि असमान रूप से धीमा होना उन देशों की बढ़त को स्थायी कर सकता है जिनके पास पहले से मॉडल, कंप्यूट और पूँजी है। इंडियन एक्सप्रेस के एक संपादकीय में उल्लेख है कि इमर्जेंस AI के प्रयोग में एजेंटों ने अपनी ऐसी "भाषाएँ" विकसित कर लीं जो उत्तरोत्तर दुर्बोध होती गईं। पाठ्यक्रम से जुड़ाव: उभरती प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा और वैश्विक प्रौद्योगिकी शासन में भारत की भूमिका।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

अग्रणी AI मॉडल कुछ विदेशी प्रयोगशालाएँ बनाती हैं और उनका पहला परीक्षण बंद, गोपनीय दौरों में होता है → पहला दौर तय करता है कि किन जोखिमों को प्राथमिकता मिले और कौन-से सुरक्षा उपाय उद्योग के मानक बनें → सीमित स्वदेशी अग्रणी क्षमता वाले भारत के पास उस दौर में प्रवेश का कोई औपचारिक रास्ता नहीं → AI एजेंट स्वायत्त रूप से काम करने लगे हैं, जिनमें हैकिंग और सुरक्षा सीमाओं को मिलकर चकमा देने की घटनाएँ बताई गई हैं → विशेषज्ञ भारतीय भाषाओं और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना पर परखने वाले एक भारतीय विश्वसनीय-मूल्यांकन तंत्र की माँग करते हैं

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. **IndiaAI मिशन राज्य का मुख्य AI कार्यक्रम है** — केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मार्च 2024 में लगभग ₹10,372 करोड़ के परिव्यय के साथ IndiaAI मिशन को मंज़ूरी दी, जिसे इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन IndiaAI स्वतंत्र व्यावसायिक प्रभाग लागू करता है। इसके स्तंभों में कंप्यूट क्षमता, आधारभूत मॉडल (foundation models), डेटासेट, अनुप्रयोग विकास, कौशल विकास, स्टार्ट-अप वित्तपोषण और "सुरक्षित एवं विश्वसनीय AI" शामिल हैं। जनवरी 2025 की PIB विज्ञप्ति के अनुसार सरकार ने IndiaAI सुरक्षा संस्थान की घोषणा की, जो अनुसंधान एवं शैक्षणिक संस्थानों और निजी साझेदारों के साथ हब-एंड-स्पोक मॉडल पर काम करता है और भारतीय डेटासेट तथा भारत की भाषाई और सामाजिक विविधता पर आधारित अनुसंधान पर केंद्रित है।

2. **AI सुरक्षा संस्थान शिखर सम्मेलनों की प्रक्रिया से उभरे** — नवंबर 2023 में यूनाइटेड किंगडम के ब्लेचली पार्क में हुए पहले वैश्विक AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन से ब्लेचली घोषणा निकली, जिस पर भारत ने हस्ताक्षर किए और जिसमें अग्रणी AI के जोखिमों को स्वीकार किया गया। इसके बाद ब्रिटेन और अमेरिका ने जारी होने से पहले मॉडलों का मूल्यांकन करने के लिए सरकारी AI सुरक्षा संस्थान बनाए, और फिर ऐसे संस्थानों का एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क बना। बाद के शिखर सम्मेलन 2024 में सियोल और 2025 में पेरिस में हुए, और भारत ने 2026 में नई दिल्ली में AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की। इन निकायों द्वारा तैनाती-पूर्व परीक्षण

	प्राय: कंपनियों के साथ स्वैच्छिक समझौतों पर निर्भर होता है। 3. **भारत का साइबर कानून पहले से ही महत्वपूर्ण प्रणालियों को मान्यता देता है** — सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 धारा 70B के तहत साइबर घटनाओं से निपटने की राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल (CERT-In) का, और धारा 70A के तहत उन प्रणालियों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (NCIIPC) का प्रावधान करता है जिनकी विफलता राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था या सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्रभावित करेगी। धारा 70 सरकार को किसी कंप्यूटर संसाधन को संरक्षित प्रणाली घोषित करने की अनुमति देती है। बैंकिंग, पहचान या बिजली प्रणालियों से जुड़े AI मॉडल उन्हीं चिंताओं के दायरे में आएँगे जिन्हें ये प्रावधान संबोधित करते हैं। 4. **रेड-टीमिंग और ज़िम्मेदार प्रकटीकरण स्थापित सुरक्षा पद्धतियाँ हैं** — सैन्य अभ्यासों से ली गई रेड-टीमिंग वह पद्धति है जिसमें एक समर्पित दल किसी प्रणाली पर हमला करके उसकी कमज़ोरियाँ उजागर करता है। ज़िम्मेदार या समन्वित प्रकटीकरण (responsible disclosure) का अर्थ है किसी कमज़ोरी की सूचना विकासकर्ता को निजी तौर पर देना और सार्वजनिक करने से पहले उसे ठीक करने का समय देना। साइबर रेंज ऐसे नियंत्रित परिवेश हैं जहाँ हमलों का सुरक्षित रूप से अनुकरण किया जा सकता है। ये पद्धतियाँ सॉफ़्टवेयर सुरक्षा में मानक हैं और अब AI मॉडलों तक बढ़ाई जा रही हैं, जहाँ "कमज़ोरी" तकनीकी दोष के साथ-साथ हानिकारक व्यवहार भी हो सकती है।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. **AI पर प्रश्न "उपयोग" से "शासन" की ओर बढ़ गए हैं** — पहले प्रश्न पूछते थे कि AI स्वास्थ्य या कृषि में कैसे मदद कर सकती है; हाल के मुख्य परीक्षा प्रश्न नैतिक और नियामकीय चुनौतियों के बारे में पूछते हैं। GS3 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास और साइबर जगत में सुरक्षा चुनौतियाँ शामिल हैं, और GS2 में अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में भारत की भूमिका। AI परीक्षण और मानक-निर्धारण पर प्रश्न दोनों को जोड़ता है। 2. **नियम मानने वाला बनाम नियम बनाने वाला — यह ढाँचा बार-बार आता है** — यही विचार व्यापार नियमों, जलवायु वित्त और डेटा शासन की बहसों में दिखता है। जो अभ्यर्थी दिखा सकें कि शुरुआती भागीदारी मानकों को कैसे आकार देती है — और देर से प्रवेश निर्भरता कैसे पैदा करता है — वे इस तर्क को कई प्रश्नपत्रों में दोहरा सकते हैं।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● IndiaAI मिशन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मार्च 2024 में लगभग ₹10,372 करोड़ के परिव्यय के साथ मंज़ूरी दी। ● जनवरी 2025 में घोषित IndiaAI सुरक्षा संस्थान शैक्षणिक, अनुसंधान और उद्योग साझेदारों के साथ हब-एंड-स्पोक मॉडल का अनुसरण करता है। ● AI सुरक्षा पर ब्लेचली घोषणा नवंबर 2023 में यूनाइटेड किंगडम में हुए AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन में अपनाई गई, और भारत इसका हस्ताक्षरकर्ता है। ● CERT-In सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 70B के तहत साइबर घटनाओं से निपटने की राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है। ● राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 70A के तहत नामित है। ● रेड-टीमिंग का अर्थ है किसी प्रणाली की तैनाती से पहले उसकी कमज़ोरियाँ खोजने के लिए उस पर जान-बूझकर हमला करना।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. **तात्कालिक सौदेबाज़ी की समस्या क्षमता नहीं, पहुँच है** — भारत शुरुआती पहुँच को अधिकार के रूप में नहीं माँग सकता; अग्रणी प्रयोगशालाएँ यह पहुँच स्वैच्छिक समझौतों के ज़रिए देती हैं, प्राय: उन सरकारों को जिनके पास नियामकीय दबाव या मज़बूत तकनीकी संस्थान हों। भारत का दबाव उसका बाज़ार है — करोड़ों उपयोगकर्ता, विशाल डेवलपर आधार और सार्वजनिक डिजिटल अवसंरचना, जिससे कंपनियाँ जुड़ना चाहती हैं। ऐसी औपचारिक मूल्यांकन व्यवस्था, जो संवेदनशील क्षेत्रों में तैनाती को भारतीय परीक्षण से सशर्त कर दे, उस बाज़ार को सौदेबाज़ी की शक्ति में बदल देगी। जोखिम यह है कि भारी शर्तें कंपनियों को भारत में लॉन्च टालने पर मजबूर करें, इसलिए व्यवस्था पूर्वानुमेय और तेज़ होनी चाहिए। 2. **भारतीय संदर्भ में परीक्षण वास्तविक कमी है, राष्ट्रीय गौरव का प्रश्न नहीं** — मुख्यत: अंग्रेज़ी में होने वाले सुरक्षा मूल्यांकन यह नहीं दिखा सकते कि भोजपुरी में दवाओं के बारे में या तमिल में बैंक हस्तांतरण के बारे में पूछे जाने पर मॉडल कैसा व्यवहार करता है, और यह ज्ञात है कि कम संसाधन वाली भाषाओं में मॉडल कम अच्छी तरह संरेखित (aligned) होते हैं। जब ऐसे मॉडल UPI, आधार-आधारित सेवाओं या सरकारी हेल्पलाइनों से जोड़े जाएँगे, तो विफलताएँ ठीक उन्हीं परिस्थितियों में होंगी जिन्हें पश्चिमी परीक्षण नहीं परखता। यह भारतीय परीक्षकों के पक्ष में तकनीकी तर्क है, और संप्रभुता के तर्क से अधिक मज़बूत है। यह कंपनियों को सहयोग का

	कारण भी देता है, क्योंकि भारतीय परीक्षण उनके उत्पादों को बेहतर बनाता है। 3. **गार्टनर की सावधानी को महत्व मिलना चाहिए** — सुश्री कौशिक का यह कहना कि गोपनीय परीक्षण में शायद पहले से भारतीय प्रतिभागी शामिल हों, बहिष्कार की कहानी का एक उपयोगी सुधार है। फिर भी नीतिगत निष्कर्ष बना रहता है: अनौपचारिक भागीदारी भारतीय राज्य को ऐसे निष्कर्ष नहीं देती जिन पर वह कार्रवाई कर सके। एक औपचारिक तंत्र संस्थागत स्मृति, स्पष्ट गोपनीयता नियम और नियामकों तक गोपनीय आकलन पहुँचाने का माध्यम बनाता है। अंतर यह है कि व्यक्तिगत शोधकर्ताओं को बुलाया जाए, या देश को मेज़ पर स्थान मिले। 4. **एजेंटिक AI खतरे को शब्दों से कार्यों तक ले आती है** — जेमिनी की बताई गई घटना और इमर्जेंस AI का अध्ययन एक ऐसे बदलाव को दिखाते हैं जो परीक्षण को और ज़रूरी बनाता है: कुछ हानिकारक कहने वाला चैटबॉट सामग्री की समस्या है, पर प्रणालियों में लॉग-इन करके कार्य करने वाला एजेंट सुरक्षा की समस्या है। भारत की महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना — बिजली ग्रिड, भुगतान, दूरसंचार — ठीक वहीं है जहाँ एजेंटों का दुरुपयोग सबसे अधिक नुकसान करेगा। इसलिए परीक्षण में केवल प्रश्न-उत्तर मूल्यांकन नहीं, बल्कि नकली भारतीय प्रणालियों में काम करते एजेंट भी शामिल होने चाहिए। IE संपादकीय का यह अवलोकन कि एजेंट ऐसी भाषाएँ विकसित कर लेते हैं जिन्हें मनुष्य समझ नहीं पाते, निगरानी की एक ऐसी चुनौती जोड़ता है जिसे मौजूदा कानून संबोधित नहीं करता। 5. **वैश्विक धीमापन असमान हो सकता है, और भारत को यह कहना चाहिए** — सावधानी के आह्वानों को पीछे हटने का कारण मानने के विरुद्ध श्री रिज़वी की चेतावनी इस खबर का सबसे रणनीतिक बिंदु है। यदि अग्रणी प्रयोगशालाएँ अपने मॉडल और कंप्यूट बना लेने के बाद धीमी हों और दूसरों से भी वैसा करने को कहा जाए, तो उनके और देर से आने वालों के बीच की खाई जम जाती है। भारत का रुख यह हो सकता है कि सुरक्षा नियम क्षमता की सीमाओं (thresholds) पर लागू हों, इस पर नहीं कि वहाँ पहले कौन पहुँचा, और सुरक्षा सहयोग में क्षमता-निर्माण शामिल हो। विरोधी मत यह है कि समानता के प्रश्न से परे सुरक्षा जोखिम वास्तविक हैं। दोनों बातें सच हो सकती हैं, इसीलिए भारत का तर्क सावधानी के विरुद्ध नहीं, साझा परीक्षण के पक्ष में होना चाहिए।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	"अग्रणी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के परीक्षण में देर से शामिल होना भारत को नियम बनाने वाले के बजाय नियम मानने वाला बना सकता है।" अग्रणी AI मॉडलों के शुरुआती और स्वतंत्र सुरक्षा परीक्षण हेतु एक भारतीय तंत्र के पक्ष में तर्कों का परीक्षण कीजिए तथा उसकी स्थापना में आने वाली चुनौतियों की चर्चा कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. **भूमिका** — अग्रणी AI और रेड-टीमिंग को परिभाषित करें, और उस माँग को बताएँ जिसमें भारतीय एजेंसियों, संस्थानों और शोधकर्ताओं को सुरक्षा और साइबर सुरक्षा परीक्षण के लिए मॉडलों तक शुरुआती, गोपनीय पहुँच देने वाले औपचारिक तंत्र की बात है। 2. **मुख्य भाग — यह क्यों मायने रखता है** — भारत-विशिष्ट जोखिम — भाषाई विविधता, सार्वजनिक डिजिटल अवसंरचना और वित्तीय प्रणालियों से एकीकरण, महत्वपूर्ण अवसंरचना और साइबर खतरे — तथा परीक्षण के पहले दौर की नियम-निर्धारक शक्ति को शामिल करें; स्वायत्त एजेंटों के उदय और बताई गई घटनाओं का उल्लेख करें। 3. **मुख्य भाग — संस्थागत आधार** — IndiaAI मिशन और उसके सुरक्षित एवं विश्वसनीय AI स्तंभ, IndiaAI सुरक्षा संस्थान के हब-एंड-स्पोक मॉडल, IT अधिनियम के तहत CERT-In और NCIIPC, तथा ब्लेचली घोषणा के बाद से AI सुरक्षा संस्थानों के अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क से जोड़ें। 4. **मुख्य भाग — चुनौतियाँ** — विदेशी कंपनियों पर सीमित दबाव, गोपनीयता और बौद्धिक संपदा, परीक्षण के लिए तकनीकी प्रतिभा और कंप्यूट, हितों का टकराव, लॉन्च में देरी का जोखिम, और यह तर्क कि बहिष्कार सिद्ध नहीं है — इनकी चर्चा करें; संवेदनशील क्षेत्रों में तैनाती से जुड़ी शर्तें और पारस्परिक समझौते प्रस्तावित करें। 5. **निष्कर्ष** — निष्कर्ष दें कि भारत को घरेलू मॉडल विकास के साथ संस्थागत परीक्षण क्षमता जोड़नी चाहिए, ताकि जिन प्रणालियों पर उसके नागरिक निर्भर होंगे, उन्हें वह बनाए भी और परखे भी।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	**प्रश्न 1. सचिव, MeitY के रूप में, एक विदेशी AI कंपनी आपके परीक्षकों को अपने नए मॉडल तक पहुँच केवल इस शर्त पर देने को तैयार है कि सभी निष्कर्ष अनिश्चितकाल तक गोपनीय रहें। क्या आप स्वीकार करेंगे?** ***दृष्टिकोण (Approach):*** ज़िम्मेदार प्रकटीकरण की मानक पद्धति के अनुसार मैं सुधार के लिए एक निश्चित अवधि तक गोपनीयता स्वीकार करूँगा, पर अनिश्चितकाल तक नहीं। नियामकों को गंभीर निष्कर्षों पर कार्रवाई करने में सक्षम होना चाहिए, और जनता को अंततः यह जानना

चाहिए कि किसी व्यापक रूप से प्रयुक्त प्रणाली में खतरनाक दोष था। मैं प्रकटीकरण की समय-सीमा, क्षेत्रीय नियामकों के साथ गोपनीय आकलन साझा करने के अधिकार और परीक्षकों के लिए हितों के टकराव के स्पष्ट नियमों पर बातचीत करूँगा। जो समझौता परीक्षक को स्थायी रूप से चुप करा दे, वह सुरक्षा का हित नहीं साधता।

प्रश्न 2. एक राज्य सरकार कल्याणकारी योजनाओं के आवेदनों के निपटारे के लिए AI एजेंट तैनात करना चाहती है। आप किन सुरक्षा उपायों पर ज़ोर देंगे?

दृष्टिकोण (Approach): मैं यह अनिवार्य करूँगा कि एजेंट सिफ़ारिश कर सकता है, पर मानवीय समीक्षा के बिना आवेदनों को अंतिम रूप से स्वीकृत या अस्वीकृत नहीं कर सकता, विशेषकर अस्वीकृति के मामलों में। प्रणाली का परीक्षण उन भाषाओं में हो जिन्हें आवेदक वास्तव में बोलते हैं, हर निर्णय का ऑडिट लॉग रहे और नागरिकों के लिए शिकायत निवारण तंत्र हो। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के अनुरूप डेटा तक पहुँच केवल आवश्यक सीमा तक हो। राज्यव्यापी तैनाती से पहले स्वतंत्र मूल्यांकन सहित एक पायलट होना चाहिए।

प्रश्न 3. साक्षात्कार बोर्ड पूछता है: क्या भारत को अग्रणी AI विकास पर वैश्विक विराम (pause) का समर्थन करना चाहिए?

दृष्टिकोण (Approach): भारत को कड़े सुरक्षा मानकों का समर्थन करना चाहिए, पर ऐसे विराम से सावधान रहना चाहिए जो क्षमता के वर्तमान वितरण को जमा दे। बेहतर रुख यह है कि नियम जोखिम और क्षमता की सीमाओं पर आधारित हों और सभी विकासकर्ताओं पर लागू हों, तथा अपने मॉडल अभी बना रहे देशों के लिए साझा परीक्षण और क्षमता-निर्माण हो। अपने विशाल उपयोगकर्ता आधार के कारण भारत का सुरक्षा में भी हित है, और बाहर न छूट जाने में भी। उसकी कूटनीति को दोनों हितों को साथ साधना चाहिए।

7.3 माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में चौथा क्लाउड क्षेत्र खोला; डेटा केंद्र क्षमता को पाँच से सात गुना बढ़ाना होगा

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली / हैदराबाद। माइक्रोसॉफ्ट ने सोमवार को भारत में अपने चौथे क्लाउड क्षेत्र (cloud region) — हैदराबाद में इंडिया साउथ सेंट्रल — की शुरुआत की घोषणा की, जिसे वह एशिया और ग्लोबल साउथ के लिए रणनीतिक केंद्र के रूप में पेश कर रहा है, द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार। भारत में उसके अन्य क्लाउड क्षेत्र पुणे, चेन्नई और मुंबई में हैं। क्लाउड या डेटा केंद्र क्षेत्र वह स्थान है जहाँ कोई कंपनी डेटा सुविधाओं का एक समूह बनाती है, जो ग्राहकों का डेटा संग्रहीत और संसाधित करता है और कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडलों सहित सॉफ़्टवेयर चलाता है। माइक्रोसॉफ्ट के भारत और दक्षिण एशिया अध्यक्ष पुनीत चंडोक ने शुरुआत के कार्यक्रम से इतर ET को बताया कि क्लाउड और AI अवसंरचना की माँग बढ़ने के साथ कंपनी लगातार नए क्षेत्रों की तलाश में रहती है, क्योंकि "इन क्षेत्रों को बनाने में बहुत समय लगता है"। उन्होंने कहा कि भारत के पास अभी लगभग 2 GW डेटा केंद्र क्षमता है, पर आने वाले वर्षों में 10-14 GW की ज़रूरत होगी। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में क्लाउड और AI अवसंरचना के लिए 20.5 अरब डॉलर की प्रतिबद्धता की है — दिसंबर 2025 में घोषित 17.5 अरब डॉलर, जो पहले की 3 अरब डॉलर की प्रतिबद्धता के अतिरिक्त हैं। वैश्विक स्तर पर कंपनी अपनी डेटा केंद्र क्षमता को लगभग 12 GW से बढ़ाकर 2032 तक 38 GW से अधिक कर रही है; श्री चंडोक ने इसमें भारत का हिस्सा नहीं बताया, पर कहा कि देश इसका "अर्थपूर्ण हिस्सा" बना रहेगा। उन्होंने कहा कि AI अवसंरचना बनाने के लिए हाइपरस्केलर — यानी बहुत बड़े क्लाउड प्रदाता — के साथ-साथ निजी पूँजी, सरकारी सहयोग और छोटे क्लाउड प्रदाताओं की भी ज़रूरत होगी, और ग्राहक अधिकाधिक ऐसी अवसंरचना चाहते हैं जो उन्हें अपने डेटा पर अधिक नियंत्रण दे। उन्होंने कहा, "हम अपने आधारभूत मॉडलों को वाणिज्यिक ग्राहकों के डेटा पर प्रशिक्षित नहीं करते", और जोड़ा कि AI "और जो एजेंट हम बना रहे हैं, उन्हें हमेशा मानवीय नियंत्रण में रहना होगा"। वाणिज्य एवं उद्योग तथा इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने उसी कार्यक्रम में कहा कि "डेटा केंद्रों के पर्यावरणीय प्रभाव या पानी के अत्यधिक उपयोग के मामले में कोई समझौता नहीं होगा", और यह कि क्षमता बढ़ने के साथ सरकार कारोबार में सुगमता और भूमि की उपलब्धता पर काम कर रही है। उसी दिन ET ने वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक विश्लेषण की रिपोर्ट दी कि बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों की 3.1 ट्रिलियन डॉलर की देनदारियाँ बैलेंस शीट से बाहर (off-balance-sheet) हैं, जिनमें माइक्रोसॉफ्ट के अभी शुरू न हुए पट्टे, मुख्यतः डेटा केंद्रों के लिए, 329.1 अरब डॉलर के हैं। पाठ्यक्रम से जुड़ाव: अवसंरचना, निवेश मॉडल और डिजिटल संप्रभुता — डेटा केंद्र भूमि, बिजली, पानी और पूँजी को मिलाकर डिजिटल अर्थव्यवस्था का भौतिक आधार बनाते हैं।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

भुगतान, सरकारी सेवाओं और कारोबार के डिजिटलीकरण से स्थानीय कंप्यूटिंग की माँग बढ़ी → AI ने उस माँग को कई गुना कर दिया और कंप्यूट को रणनीतिक संसाधन बना दिया → भारत की डेटा केंद्र क्षमता लगभग 2 GW है, जबकि अनुमानित ज़रूरत 10-14 GW की है → वैश्विक हाइपरस्केलर भारी पूँजी लगा रहे हैं; माइक्रोसॉफ्ट ने 20.5 अरब डॉलर का वचन दिया और हैदराबाद में चौथा क्षेत्र खोला → अब राज्य को डेटा और पर्यावरण की रक्षा करते हुए भूमि, विश्वसनीय बिजली और पानी उपलब्ध कराना है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. **डेटा केंद्रों को अब अवसंरचना का दर्जा प्राप्त है** — अक्टूबर 2022 में केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने डेटा केंद्रों को अवसंरचना उप-क्षेत्रों की समन्वित मास्टर सूची (Harmonised Master List) में जोड़ा, जिससे ऐसी परियोजनाएँ आसान और दीर्घकालिक अवसंरचना ऋण के योग्य हो गईं। इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत को डेटा केंद्र हब के रूप में बढ़ावा देने के लिए 2020 में मसौदा डेटा केंद्र नीति जारी की, और तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों की अपनी डेटा केंद्र नीतियाँ हैं, जो भूमि, बिजली और कर प्रोत्साहन

	देती हैं। सरकारी कामकाज के लिए MeitY 2014 में शुरू की गई मेघराज या GI क्लाउड पहल के तहत क्लाउड सेवा प्रदाताओं को सूचीबद्ध (empanel) करता है। 2. **डेटा कहाँ रखा जाए, यह कई कानून तय करते हैं** — डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 भारत के बाहर व्यक्तिगत डेटा के हस्तांतरण की अनुमति देता है, सिवाय उन देशों के जिन्हें केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा प्रतिबंधित करे — यह "नकारात्मक सूची" वाला दृष्टिकोण है — और प्रवर्तन के लिए भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड की स्थापना करता है। क्षेत्रीय नियम इससे कड़े हो सकते हैं: भारतीय रिज़र्व बैंक का अप्रैल 2018 का निर्देश अपेक्षा करता है कि भुगतान प्रणाली का डेटा केवल भारत में संग्रहीत हो। ऐसे स्थानीयकरण नियम एक कारण हैं कि वैश्विक क्लाउड कंपनियाँ भारत के भीतर क्षेत्र बनाती हैं, क्योंकि बैंकों और सरकारी विभागों जैसे विनियमित ग्राहकों को डेटा देश के भीतर ही रखना होता है। 3. **कंप्यूट भारत की AI रणनीति का एक स्तंभ है** — मार्च 2024 में लगभग ₹10,372 करोड़ के परिव्यय के साथ स्वीकृत IndiaAI मिशन में एक कंप्यूट स्तंभ है, जिसके तहत सरकार निजी प्रदाताओं के माध्यम से शोधकर्ताओं और स्टार्ट-अप के लिए ग्राफ़िक्स प्रोसेसिंग यूनिट (GPU) तक पहुँच पर सब्सिडी देती है। बड़े भाषा मॉडलों के लिए ऐसे प्रोसेसरों के समूह चाहिए, जो भारी मात्रा में बिजली खाते हैं और जिन्हें ठंडा रखना पड़ता है, अक्सर पानी से। यह डिजिटल नीति को ऊर्जा और जल नीति से जोड़ता है, और डेटा केंद्रों को अनेक क्षेत्रों से जुड़ा विषय बना देता है। 4. **बिजली और पानी डिजिटल अर्थव्यवस्था की भौतिक सीमाएँ हैं** — डेटा केंद्र की क्षमता फ़र्श के क्षेत्रफल में नहीं, बल्कि विद्युत भार के मेगावाट या गीगावाट में मापी जाती है, क्योंकि निर्णायक बाधा बिजली है। शीतलन में वाष्पीकरण प्रणालियाँ इस्तेमाल हो सकती हैं जो पानी खर्च करती हैं, और दक्षता प्रायः पावर यूसेज इफ़ेक्टिवनेस (PUE) से व्यक्त की जाती है — यानी पूरी सुविधा की कुल ऊर्जा और कंप्यूटिंग उपकरणों द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा का अनुपात। 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म बिजली क्षमता का भारत का लक्ष्य और कई शहरों में जल-तनाव का अर्थ है कि डेटा केंद्रों की वृद्धि की योजना ग्रिड और जल संसाधनों को ध्यान में रखकर बनानी होगी।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. **अवसंरचना और निवेश मॉडल GS3 के मूल विषय हैं** — GS3 पाठ्यक्रम में अवसंरचना, निवेश मॉडल और अर्थव्यवस्था पर उदारीकरण के प्रभाव शामिल हैं। UPSC पिछले प्रश्नपत्रों में डेटा स्थानीयकरण, डिजिटल अर्थव्यवस्था और क्लाउड कंप्यूटिंग पर प्रश्न पूछ चुका है। डेटा केंद्र इन विषयों का मिलन-बिंदु हैं और आर्थिक सर्वेक्षणों में इनकी चर्चा बढ़ रही है। 2. **डिजिटल संप्रभुता निबंध और GS2 का उभरता विषय है** — डेटा संरक्षण, डेटा स्थानीयकरण और बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों की शक्ति पर प्रश्न GS2 और निबंध दोनों में आ चुके हैं। माइक्रोसॉफ्ट की खबर इसमें भौतिक आयाम जोड़ती है: संप्रभुता केवल डेटा संबंधी कानूनों पर नहीं, बल्कि इस पर भी निर्भर है कि इमारतें, चिप और बिजली आपूर्ति किसके स्वामित्व में हैं।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● अक्टूबर 2022 में डेटा केंद्रों को अवसंरचना उप-क्षेत्रों की समन्वित मास्टर सूची में शामिल किया गया। ● डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 व्यक्तिगत डेटा के सीमा-पार हस्तांतरण की अनुमति देता है, सिवाय उन देशों के जिन्हें केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा प्रतिबंधित करे। ● भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड की स्थापना डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के तहत की गई है। ● RBI का अप्रैल 2018 का निर्देश भुगतान प्रणाली संचालकों से अपेक्षा करता है कि वे भुगतान डेटा केवल भारत में संग्रहीत करें। ● 2014 में शुरू की गई मेघराज सरकारी विभागों के लिए भारत सरकार की क्लाउड कंप्यूटिंग पहल है। ● पावर यूसेज इफ़ेक्टिवनेस किसी डेटा केंद्र द्वारा प्रयुक्त कुल ऊर्जा और उसके IT उपकरणों द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा का अनुपात है।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. **2 GW और 14 GW के बीच की खाई असल में बिजली क्षेत्र की समस्या है** — लगभग 2 GW से 10-14 GW डेटा केंद्र भार तक पहुँचने का अर्थ है कई बड़े बिजलीघरों के बराबर माँग जोड़ना, जो कुछ शहरों में केंद्रित हो और चौबीसों घंटे चाहिए। कंपनियाँ अपनी जलवायु प्रतिबद्धताएँ पूरी करने के लिए यह बिजली हरित चाहती हैं, जिसके लिए या तो भंडारण सहित समर्पित नवीकरणीय क्षमता चाहिए या राज्य ग्रिडों के माध्यम से खुली पहुँच (open access) से खरीद। इसलिए निर्णायक बाधा राज्य बिजली वितरण कंपनियों और पारेषण नेटवर्कों की क्षमता है, हाइपरस्केलरों की निवेश करने की इच्छा नहीं। जो डेटा केंद्र नीति ग्रिड की अनदेखी करेगी, वह क्षमता नहीं, केवल घोषणाएँ पैदा करेगी।

2. **विदेशी पूँजी आधार बनाती है, पर निर्भरता की एक कीमत है** — माइक्रोसॉफ्ट की 20.5 अरब डॉलर की प्रतिबद्धता ऐसी पूँजी लाती है जो भारत के पास फ़ालतू नहीं है; उत्पादन के साधनों की भाषा में यह भौतिक पूँजी जोड़ती है और भूमि तथा ऊर्जा का उत्पादक उपयोग करती है। पर जब सबसे बड़ी सुविधाएँ मुट्ठी भर विदेशी कंपनियों के स्वामित्व में हों, तो मूल्य निर्धारण की शक्ति, उन्नत चिप तक पहुँच और AI क्षमता कहाँ लगे, ये निर्णय भारत से बाहर रहते हैं। विरोधी मत यह है कि स्वामित्व से अधिक क्षेत्राधिकार मायने रखता है, क्योंकि भारत में स्थित डेटा केंद्र भारतीय कानून के अधीन हैं। संतुलित नीति यह है कि हाइपरस्केलरों का स्वागत हो, साथ ही भारतीय प्रदाताओं और सार्वजनिक कंप्यूट को सहारा मिले, ताकि बाज़ार एक बंद अल्पाधिकार (oligopoly) न बन जाए।

3. **मंत्री के पानी संबंधी वादे को एक तंत्र चाहिए** — पानी के उपयोग पर "कोई समझौता नहीं" कहना आसान है; इसे लागू करने के लिए जल-उपयोग का प्रकटीकरण, दक्षता मानक और स्थान-चयन के ऐसे नियम चाहिए जो पानी-खपत वाले शीतलन को तनावग्रस्त बेसिनों से दूर रखें। हाल के वर्षों में हैदराबाद, चेन्नई और बेंगलुरु तीनों को पानी की कमी झेलनी पड़ी है। डेटा केंद्र नीति कंप्यूटिंग की प्रति इकाई जल-उपयोग की रिपोर्टिंग अनिवार्य कर सकती है, जल-तनावग्रस्त शहरों में वायु या बंद-लूप शीतलन को प्राथमिकता दे सकती है, और मंज़ूरियों को स्थानीय जल बजट से जोड़ सकती है। ऐसे नियमों के बिना यह वादा किसी को बाध्य नहीं करेगा।

4. **बैलेंस शीट से बाहर की देनदारियाँ एक वित्तीय जोखिम का संकेत हैं, जिस पर नज़र रखनी चाहिए** — वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा बताई गई बैलेंस शीट से बाहर की 3.1 ट्रिलियन डॉलर की देनदारियाँ दिखाती हैं कि AI विस्तार का वित्तपोषण आंशिक रूप से वर्तमान नकदी के बजाय लंबे पट्टों और भावी दायित्वों से हो रहा है। यदि AI सेवाओं की माँग अपेक्षा से धीमी बढ़ी, तो कुछ परियोजनाएँ टल सकती हैं या छोड़ी जा सकती हैं, और भूमि तथा बिजली के अनुबंध फँसे रह जाएँगे। भारत के लिए इसका अर्थ है कि सार्वजनिक सहायता — भूमि आवंटन, ग्रिड कनेक्शन — को घोषणाओं के बजाय वास्तविक निर्माण के पड़ावों से जोड़ा जाए। निवेश का उत्साह नीति-निर्माताओं को चक्र के प्रति अंधा न बना दे।

5. **डेटा पर ग्राहक का नियंत्रण प्रतिस्पर्धा का वादा बन रहा है** — श्री चंडोक का यह आश्वासन कि माइक्रोसॉफ्ट आधारभूत मॉडलों को वाणिज्यिक ग्राहकों के डेटा पर प्रशिक्षित नहीं करता, दिखाता है कि भरोसा अब बिक्री का आधार बन गया है। भारतीय नियामकों के लिए यह अवसर है कि वे सरकारी क्लाउड सेवाओं के अनुबंधों और डेटा संरक्षण कानून के तहत नियमों के ज़रिए स्वैच्छिक वादों को लागू करने योग्य मानकों में बदलें। कारोबारों और सरकारी विभागों को केवल इसका आश्वासन नहीं चाहिए कि डेटा कहाँ रखा गया है, बल्कि इसका भी कि उसका उपयोग किस लिए होता है। स्थानीयकरण से उपयोग-सीमा की ओर बढ़ना डेटा शासन का अगला चरण है।

संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)

डेटा केंद्रों को डिजिटल अर्थव्यवस्था की भौतिक नींव कहा गया है। ऊर्जा, जल, निवेश और डेटा संप्रभुता के विशेष संदर्भ में, अपनी डेटा केंद्र क्षमता के विस्तार में भारत के लिए अवसरों और चुनौतियों का परीक्षण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)

1. **भूमिका** — डेटा केंद्र और क्लाउड क्षेत्र को परिभाषित करें और कार्य का पैमाना बताएँ: आज लगभग 2 GW क्षमता, जबकि अनुमानित ज़रूरत 10-14 GW की है; माइक्रोसॉफ्ट ने हैदराबाद में अपना चौथा भारतीय क्षेत्र खोला है और 20.5 अरब डॉलर की प्रतिबद्धता की है।

2. **मुख्य भाग — अवसर** — डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और AI की माँग, निवेश और रोज़गार, अक्टूबर 2022 से मिला अवसंरचना दर्जा, राज्यों की डेटा केंद्र नीतियाँ, घरेलू होस्टिंग के पक्ष में स्थानीयकरण की शर्तें, और ग्लोबल साउथ के लिए हब के रूप में भारत की संभावना को शामिल करें।

3. **मुख्य भाग — चुनौतियाँ** — बिजली की माँग और हरित बिजली की आवश्यकता, जल-तनावग्रस्त शहरों में पानी का उपयोग, भूमि की उपलब्धता, विदेशी हाइपरस्केलरों और चिपों पर निर्भरता, बैलेंस शीट से बाहर की बड़ी देनदारियों में दिखते वित्तीय जोखिम, और डेटा संरक्षण संबंधी चिंताओं की चर्चा करें।

4. **मुख्य भाग — आगे की राह** — ग्रिड और नवीकरणीय ऊर्जा योजना से जुड़ी राष्ट्रीय डेटा केंद्र नीति, जल-उपयोग का प्रकटीकरण और दक्षता मानक, IndiaAI मिशन के तहत भारतीय क्लाउड प्रदाताओं और सार्वजनिक कंप्यूट को सहायता, तथा DPDP अधिनियम, 2023 के तहत लागू करने योग्य डेटा-उपयोग मानक सुझाएँ।

5. **निष्कर्ष** — निष्कर्ष दें कि डिजिटल संप्रभुता कानून के साथ-साथ भौतिक क्षमता पर भी टिकी है, और डेटा केंद्रों की योजना केवल IT निवेश के रूप में नहीं, बल्कि ऊर्जा और जल अवसंरचना के रूप में बननी चाहिए।

प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)

प्रश्न 1. किसी राज्य के उद्योग सचिव के रूप में आपसे एक हाइपरस्केलर के डेटा केंद्र के लिए 100 एकड़ भूमि और समर्पित बिजली लाइन आवंटित करने को कहा जाता है। आप किन बातों की जाँच करेंगे?

दृष्टिकोण (Approach): मैं बिजली की आवश्यकता की जाँच करूँगा और देखूँगा कि क्या राज्य ग्रिड और डिस्कॉम अन्य उपभोक्ताओं को प्रभावित किए बिना, अधिमानतः नवीकरणीय स्रोतों से, इसकी विश्वसनीय आपूर्ति कर सकते हैं। शीतलन के लिए पानी की उपलब्धता का आकलन करूँगा और कुशल शीतलन डिज़ाइन अनिवार्य करूँगा, भूमि आवंटन की निष्पक्षता और पारदर्शिता जाँचूँगा, और प्रोत्साहनों को निर्माण के पड़ावों तथा रोज़गार से जोड़ूँगा। राज्य की डेटा केंद्र नीति और पर्यावरणीय मंज़ूरियों का अनुपालन भी सुनिश्चित करूँगा। एक स्पष्ट, समयबद्ध एकल-खिड़की प्रक्रिया राज्य और निवेशक दोनों के हित में है।

प्रश्न 2. प्रस्तावित डेटा केंद्र के आसपास के निवासी शिकायत करते हैं कि यह दुर्लभ भूजल खींचेगा। ज़िलाधिकारी के रूप में आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे?

दृष्टिकोण (Approach): मैं परियोजना के जल-उपयोग के अनुमान और शीतलन डिज़ाइन माँगूँगा और भूजल प्राधिकरण से स्थानीय जलभृतों (aquifers) पर प्रभाव का आकलन करवाऊँगा। यदि जोखिम वास्तविक हो, तो उपचारित अपशिष्ट जल या वायु-शीतित प्रणालियों का उपयोग अनिवार्य करूँगा और भूजल दोहन की सीमा तय करूँगा। मैं सार्वजनिक परामर्श आयोजित करूँगा, ताकि निवासियों की चिंताएँ दर्ज हों और उनका समाधान हो। निवेश का स्वागत है, पर स्थानीय आबादी के पीने के पानी की कीमत पर नहीं।

प्रश्न 3. साक्षात्कार बोर्ड पूछता है: क्या भारत को यह अनिवार्य करना चाहिए कि सारा भारतीय डेटा भारतीय कंपनियों के स्वामित्व वाले डेटा केंद्रों में ही रखा जाए?

दृष्टिकोण (Approach): स्वामित्व-आधारित स्थानीयकरण उस निवेश को हतोत्साहित करेगा जिसकी भारत को ज़रूरत है और भारतीय कारोबारों की लागत बढ़ा सकता है। महत्वपूर्ण यह है कि भारत में संग्रहीत डेटा भारतीय कानून के अधीन हो, संवेदनशील सरकारी और वित्तीय डेटा कड़े सुरक्षा मानकों को पूरा करे, और डेटा का उपयोग तय उद्देश्यों तक सीमित रहे। भारत को भारतीय प्रदाताओं और सार्वजनिक कंप्यूट के माध्यम से घरेलू क्षमता भी बनानी चाहिए, ताकि वह कुछ कंपनियों पर निर्भर न रहे। स्वामित्व के आदेश नहीं, बल्कि क्षेत्राधिकार और प्रतिस्पर्धा बेहतर साधन हैं।

8. समाज (Society)

आज के समाज खंड की ख़बरें उस शक्ति के बारे में हैं जो राज्य के बजाय आम लोगों के माध्यम से काम करती है। ग्राहक की भूमिका में अभिभावक निजी स्कूलों को बहुसंख्यकवादी नियमों की ओर धकेलते हैं। प्रतिष्ठित परिसरों में वंचित जाति का विद्यार्थी ऐसे शिक्षकों और ऐसी परिसर-संस्कृति से टकराता है जो हर तीन में से एक विद्यार्थी को बाहरी होने का एहसास कराती है। बिहार की एक सड़क पर कुछ लोग तय कर लेते हैं कि दो किशोरों ने एक सामाजिक नियम तोड़ा है और उन्हें इसकी सज़ा देते हैं। हर मामले में कानून मौजूद है, पर सामाजिक दबाव कानून से तेज़ चलता है, और संस्थाएँ तब तक उसके आगे झुकती रहती हैं जब तक उन्हें उसका प्रतिरोध करने के लिए न गढ़ा जाए।

8.1 ईपीडब्ल्यू अध्ययन: 'हिंदू ग्राहक' बने अभिभावक दिल्ली के निजी स्कूलों में बहुसंख्यकवादी नियम ला रहे हैं

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। द हिंदू का टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पृष्ठ रितिका अरोड़ा-कुकरेजा के शोध-पत्र "Hindutva by Other Means: The Educational Market and the Politics of Demand" (अन्य साधनों से हिंदुत्व: शिक्षा का बाज़ार और माँग की राजनीति) का सार प्रस्तुत करता है, जो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली (खंड 61, अंक 34, 22 अगस्त, 2026) में प्रकाशित हुआ। रेबेका रोज़ वर्गीज़ द्वारा तैयार यह सार उस तर्क को समझाता है कि हिंदू राष्ट्रवाद की राजनीतिक विचारधारा हिंदुत्व केवल सरकारी नीति या हिंदुत्ववादी संगठनों के माध्यम से ही नहीं, बल्कि शिक्षा के बाज़ार में रोज़मर्रा के लेन-देन से भी फैल रही है। "भगवाकरण" (saffronisation) पर अब तक का शोध राज्य द्वारा पाठ्यक्रम और विनियमन के उपयोग पर केंद्रित रहा है, जिसमें 1998-2004 और 2014 से भाजपा के नेतृत्व वाली सरकारों का दौर शामिल है। लेखिका दूसरे माध्यम को "नीचे से ऊपर हिंदुत्व" (bottom-up Hindutva) कहती हैं: यहाँ संस्थाएँ समाज को नहीं गढ़तीं, बल्कि समाज की पसंद संस्थाओं को गढ़ती है। यह अध्ययन अप्रैल से सितंबर 2022 के बीच दिल्ली-एनसीआर के निजी स्कूलों में बच्चों वाले परिवारों के साथ गहन साक्षात्कारों और समूह-चर्चाओं (focus groups) तथा स्कूल प्रमुखों के साक्षात्कारों पर आधारित है। 1991 के उदारीकरण के बाद मध्यम और उच्च-मध्यम वर्गीय परिवार निजी स्कूलों की ओर गए, जहाँ राज्य का सीधा नियंत्रण सीमित है; दिल्ली में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर निजी स्कूलों का नामांकन 2014-15 के लगभग 30% से बढ़कर 2019-20 में 46% से अधिक हो गया। राज्य-तंत्र की जगह अभिभावकों की पसंद ने ले ली। उदाहरण के लिए, यदि अभिभावकों को डर हो कि कोई मुस्लिम शिक्षक इस्लाम का प्रचार करेगा तो स्कूल उसे नियुक्त नहीं करता, या अधिकांश अभिभावक शाकाहारी हों तो मांसाहारी टिफ़िन पर रोक लगा देता है। स्कूलों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा और बहुसंख्यक आबादी मिलकर वह पैदा करती हैं जिसे लेखिका "हिंदू ग्राहक" (Hindu customer) कहती हैं, जिसकी माँगें पूरी करनी ही होती हैं: हिंदू त्योहारों को प्रमुखता देना, उनके लिए छुट्टियाँ देना, कुछ समूहों के विद्यार्थियों को प्रवेश न देना, और हिजाब पर रोक लगाने की कोशिश। वे इसे "अति-जवाबदेही" (hyper-accountability) कहती हैं, क्योंकि स्कूल बहुसंख्यकों को संतुष्ट करते हैं और अल्पसंख्यक परिवारों की अनदेखी करते हैं, जिनकी नाराज़गी का आर्थिक असर कम होता है। स्कूल तटस्थ दिखने वाले कारणों का सहारा लेते हैं, जैसे मांसाहारी भोजन पर रोक के लिए स्वच्छता और हिजाब पर रोक के लिए सुरक्षा, जबकि यही मानदंड अन्य समूहों के प्रतीकों पर लागू नहीं करते। लेखिका इसे "विकल्पों का विराजनीतिकरण" (depoliticisation of choices) कहती हैं: समाचार माध्यमों, सोशल मीडिया और पास-पड़ोस से बनी राजनीतिक पसंद को निजी उपभोक्ता पसंद के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। बाज़ार इन पसंदों को जन्म नहीं देता, पर उन्हें ऐसा मंच देता है जहाँ वे वैध माँगों के रूप में व्यक्त होती हैं। पाठ्यक्रम से जुड़ाव: धर्मनिरपेक्षता, सांप्रदायिकता और समाजीकरण के साधन के रूप में शिक्षा।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

1991 का उदारीकरण स्कूली शिक्षा को निजी प्रदाताओं के लिए खोलता है → शहरी मध्यम वर्ग निजी स्कूलों की ओर जाता है, जहाँ राज्य का नियंत्रण कमज़ोर है → स्कूल फ़ीस देने वाले अभिभावकों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं → मीडिया और पास-पड़ोस से बनी राजनीतिक पसंद उपभोक्ता माँग के रूप में प्रवेश करती है → स्कूल तटस्थ कारणों का हवाला देकर बहुसंख्यकों को समायोजित करते हैं और अल्पसंख्यक परिवारों को हाशिए पर डालते हैं

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. **शिक्षा में अल्पसंख्यक और धार्मिक अधिकार संविधान में लिखे हुए हैं** — अनुच्छेद 28(1) पूर्णतः राज्य-निधि से चलने वाली किसी भी शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा पर रोक लगाता है, और अनुच्छेद 28(3) कहता है कि राज्य से मान्यता प्राप्त या सहायता पाने वाली संस्था में पढ़ने वाले किसी भी व्यक्ति को उसकी सहमति के बिना धार्मिक शिक्षा या उपासना में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 29(2) राज्य द्वारा पोषित या राज्य-सहायता प्राप्त किसी भी संस्था में केवल धर्म, मूलवंश, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से इनकार को निषिद्ध करता है। अनुच्छेद 30(1) धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाएँ स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 15(1) राज्य द्वारा धर्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है, और अनुच्छेद 15(2) इसे दुकानों और सार्वजनिक स्थानों तक पहुँच पर भी लागू करता है।

2. **धर्मनिरपेक्षता मूल ढाँचे का भाग है, और मूल कर्तव्य समरसता की बात करते हैं** — "पंथनिरपेक्ष" (secular) शब्द 42वें संशोधन, 1976 द्वारा उद्देशिका में जोड़ा गया, और एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) में नौ न्यायाधीशों की पीठ ने धर्मनिरपेक्षता को मूल ढाँचे का भाग माना। अनुच्छेद 51A(e) धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय विविधताओं से ऊपर उठकर समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना के निर्माण को मूल कर्तव्य बनाता है, और अनुच्छेद 51A(f) हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझने और उसका परिरक्षण करने को। अरुणा रॉय बनाम भारत संघ (2002) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मूल्य-शिक्षा के भाग के रूप में धर्मों के बारे में पढ़ाना धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन नहीं है।

	3. **आरटीई अधिनियम निजी स्कूलों का विनियमन करता है, पर उनकी रोज़मर्रा की संस्कृति का नहीं** — निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (RTE Act) 86वें संशोधन, 2002 द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद 21A को छह से चौदह वर्ष के बच्चों के लिए लागू करता है। धारा 12(1)(c) निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों से प्रवेश-स्तर की कम-से-कम 25% सीटें कमज़ोर वर्गों और वंचित समूहों के बच्चों के लिए आरक्षित रखने की अपेक्षा करती है। धारा 29 के अनुसार पाठ्यक्रम संविधान में निहित मूल्यों के अनुरूप होना चाहिए। अधिनियम कर्मचारियों की नियुक्ति, भोजन संबंधी नियमों या वेशभूषा संहिता पर लगभग मौन है, और ठीक इसी क्षेत्र की पड़ताल ईपीडब्ल्यू का शोध-पत्र करता है। 4. **समाजशास्त्र स्कूलों को वह स्थान मानता है जहाँ समाज स्वयं को दोहराता है** — एमिल दुर्खीम ने शिक्षा को वह साधन माना जिससे समाज अपने साझा मूल्य अगली पीढ़ी तक पहुँचाता है। लुई अल्थूसर ने स्कूलों को "वैचारिक राज्य तंत्र" (ideological state apparatus) कहा जिसके माध्यम से प्रभुत्वशाली विचार पुनरुत्पादित होते हैं, और पियरे बॉर्दियो ने दिखाया कि स्कूल प्रभुत्वशाली वर्गों की सांस्कृतिक पूँजी (cultural capital) को पुरस्कृत करते हैं। ईपीडब्ल्यू शोध-पत्र इसमें यह जोड़ता है कि बाज़ार-व्यवस्था में केवल राज्य नहीं, बल्कि पैसा देने वाला ग्राहक भी तय करता है कि क्या पुनरुत्पादित होगा। हिजाब विवाद में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मार्च 2022 में राज्य के आदेश को सही ठहराया, और अक्टूबर 2022 में सर्वोच्च न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने खंडित निर्णय देकर मामला बड़ी पीठ को सौंप दिया।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. **जीएस-1 में सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता और भारतीय समाज पर वैश्वीकरण के प्रभाव शामिल हैं** — यूपीएससी ने धर्मनिरपेक्षता की चुनौतियों, सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा की भूमिका और संस्कृति पर वैश्वीकरण के प्रभावों पर प्रश्न पूछे हैं। यह शोध-पत्र तीनों को जोड़ता है: बाज़ार सुधार स्कूली शिक्षा को बदलता है, और स्कूली शिक्षा सांप्रदायिक पसंद को आगे ले जाती है। 2. **समाजशास्त्र वैकल्पिक विषय नामित अवधारणाओं और क्षेत्र-कार्य को महत्व देता है** — क्षेत्र-कार्य पर आधारित "नीचे से ऊपर हिंदुत्व", "अति-जवाबदेही" और "विकल्पों का विराजनीतिकरण" जैसी अवधारणाएँ वह सामग्री हैं जिनसे समाजशास्त्र का उत्तर पाठ्यपुस्तकीय परिभाषाओं के बजाय समकालीन शोध से जुड़ाव दिखा सकता है।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● अनुच्छेद 28(1) के अनुसार पूर्णतः राज्य-निधि से पोषित किसी भी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ● अनुच्छेद 29(2) राज्य द्वारा पोषित या राज्य-निधि से सहायता पाने वाली किसी भी शिक्षा संस्था में केवल धर्म, मूलवंश, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से इनकार का निषेध करता है। ● अनुच्छेद 30(1) धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है। ● "पंथनिरपेक्ष" शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा उद्देशिका में जोड़ा गया। ● निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(c) निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों से प्रवेश-स्तर की कम-से-कम 25% सीटें कमज़ोर वर्गों और वंचित समूहों के बच्चों के लिए आरक्षित रखने की अपेक्षा करती है। ● अनुच्छेद 51A(f) देश की सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य बनाता है। ● 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 21A छह से चौदह वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाता है।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. **जब क्रय-शक्ति अधिकतर एक ही समूह के पास हो, तो बाज़ार तटस्थ नहीं रहता** — स्कूल चुनने की स्वतंत्रता के पक्ष में मानक तर्क यह है कि अभिभावकों की शक्ति स्कूलों को जवाबदेह बनाती है। शोध-पत्र दिखाता है कि जवाबदेही उसी की ओर जाती है जो सबसे अधिक फ़ीस देता है, और बहुसंख्यक पड़ोस में वह बहुसंख्यक ही है। अल्पसंख्यक परिवार स्कूल छोड़ सकता है, पर यदि हर प्रतिस्पर्धी स्कूल यही तर्क अपनाए, तो बाहर निकलना कोई वास्तविक विकल्प नहीं देता। यह इसका पाठ्यपुस्तकीय उदाहरण है कि बाज़ार पूर्वाग्रह-युक्त पसंदों सहित सभी पसंदों को जोड़ता तो है, पर उन्हें सुधारता नहीं। 2. **तटस्थ कारण ही बहिष्करण का तंत्र हैं, और इसीलिए इन्हें चुनौती देना कठिन है** — जो स्कूल "सुरक्षा के लिए" हिजाब या "स्वच्छता के लिए" मांसाहारी भोजन पर रोक लगाता है, वह ऐसा नियम प्रस्तुत करता है जो सामान्य दिखता है। शोध-पत्र का बिंदु यह है कि नियम चुनिंदा ढंग से लागू होता है, और इसे केवल अल्पसंख्यक परिवार ही देख पाता है। न्यायालय और नियामक

	नियमों को उनके प्रत्यक्ष रूप पर परखते हैं, इसलिए तटस्थ कारणों के सहारे होने वाला भेदभाव प्रायः विधिक जाँच से बच निकलता है। उपाय यह साक्ष्य माँगने में है कि बताया गया कारण सभी पर समान रूप से लागू होता है, वही प्रमाण-मानक जो सर्वोच्च न्यायालय ने मेथनॉल मामले में अपनाया। 3. **विरोधी मत : अभिभावकों को अपने बच्चों की शिक्षा को आकार देने का अधिकार है** — शाकाहारी भोजन या त्योहारों का उत्सव चुनने वाले अभिभावक सामान्य पसंद का प्रयोग कर रहे होते हैं, और हर ऐसा चुनाव वैचारिक नहीं होता। निजी स्कूलों को टिके रहने के लिए अपने समुदाय की बात सुननी पड़ती है। शोध-पत्र की चिंता स्वयं चुनाव नहीं, बल्कि वे चुनाव हैं जो दूसरों को बाहर करते हैं, जैसे किसी मुस्लिम शिक्षक को नियुक्त न करना या कुछ विद्यार्थियों को प्रवेश न देना, जो अनुच्छेद 15 और 29 तथा नियोजन में मूलभूत निष्पक्षता को छूते हैं। रेखा उस स्कूल के बीच है जो एक त्योहार जोड़ता है और उस स्कूल के बीच जो एक समूह को हटाता है। 4. **नीचे से उठी विचारधारा राज्य-प्रेरित विचारधारा से अधिक टिकाऊ होती है** — पाठ्यक्रम को अगली सरकार बदल सकती है, पर अभिभावकों की जो पसंद स्कूल समायोजित कर लेते हैं, वह चुनावों के साथ नहीं बदलती। एक बार स्कूल अल्पसंख्यक शिक्षकों या प्रतीकों के बहिष्करण को सामान्य बना दें, तो बच्चे बड़े होकर इसे साधारण बात मानने लगते हैं। इसका अर्थ है कि सांप्रदायिकता का सामना करने के लिए केवल पाठ्यपुस्तकों में बदलाव नहीं, बल्कि समाज के भीतर, अभिभावक-शिक्षक निकायों, स्कूल आचार-संहिताओं और शिक्षक-प्रशिक्षण में काम करना होगा। यह निष्कर्ष इस आम धारणा को जटिल बनाता है कि भगवाकरण को अकेले राज्य चलाता है। 5. **अध्ययन की सीमाएँ भी बताई जानी चाहिए** — क्षेत्र-कार्य 2022 में दिल्ली-एनसीआर के निजी स्कूलों तक सीमित है, यानी एक विशेष राजनीतिक क्षण में एक ही शहरी क्षेत्र। अलग बहुसंख्यक वाले राज्यों में या सरकारी स्कूलों में, जहाँ राज्य का नियंत्रण अधिक है, ये निष्कर्ष लागू न हों, ऐसा हो सकता है। गुणात्मक साक्षात्कार व्यापकता के बजाय तंत्र को उजागर करते हैं। सावधान उत्तर इस शोध-पत्र का उपयोग यह समझाने के लिए करता है कि पूर्वाग्रह बाज़ार के रास्ते कैसे फैलता है, यह दावा किए बिना कि यह सभी भारतीय स्कूलों का वर्णन है।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	"शिक्षा का बाज़ारीकरण बहुसंख्यकवादी पसंद को उपभोक्ता माँग में बदल सकता है।" भारत में निजी स्कूली शिक्षा के संदर्भ में इस कथन का परीक्षण कीजिए। कौन-से संस्थागत सुरक्षा उपाय स्कूलों के धर्मनिरपेक्ष चरित्र की रक्षा कर सकते हैं? (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. **भूमिका** — रितिका अरोड़ा-कुकरेजा के ईपीडब्ल्यू शोध-पत्र और उसकी "नीचे से ऊपर हिंदुत्व" की अवधारणा का परिचय दीजिए, जो 2022 में दिल्ली-एनसीआर के निजी स्कूलों में क्षेत्र-कार्य पर आधारित है, साथ में यह तथ्य कि 2014-15 से 2019-20 के बीच दिल्ली में निजी नामांकन लगभग 30% से बढ़कर 46% से अधिक हो गया। 2. **मुख्य भाग — तंत्र कैसे काम करता है** — शोध-पत्र के उदाहरणों के साथ "हिंदू ग्राहक", "अति-जवाबदेही" और "विकल्पों का विराजनीतिकरण" समझाइए : त्योहार, भोजन संबंधी नियम, हिजाब पर रोक और मुस्लिम शिक्षकों की नियुक्ति में हिचक, जिन्हें तटस्थ शब्दों में उचित ठहराया जाता है। 3. **मुख्य भाग — संवैधानिक ढाँचा** — अनुच्छेद 15, 28, 29 और 30, अनुच्छेद 51A(e) और (f), धर्मनिरपेक्षता पर एस.आर. बोम्मई, और आरटीई अधिनियम की धारा 29 की यह अपेक्षा उद्धृत कीजिए कि पाठ्यक्रम संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप हो। 4. **मुख्य भाग — संतुलन और सुरक्षा उपाय** — स्वीकार कीजिए कि अभिभावकों की भागीदारी वैध है। सुझाव दीजिए : नियुक्ति और प्रवेश में गैर-भेदभाव पर स्कूल आचार-संहिता, अल्पसंख्यक अभिभावकों के लिए शिकायत निवारण तंत्र, स्कूल मान्यता के मानदंडों में विविधता का समावेश, संवैधानिक मूल्यों पर शिक्षक-प्रशिक्षण, और निजी स्कूलों में धर्म के आधार पर नियुक्तियों के आँकड़े। 5. **निष्कर्ष** — निष्कर्ष दीजिए कि स्कूलों में धर्मनिरपेक्षता पाठ्यपुस्तकों जितनी ही रोज़मर्रा के संस्थागत चुनावों पर निर्भर है, और स्कूलों को अपने ग्राहकों के साथ-साथ संविधान के प्रति भी जवाबदेह होना चाहिए।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	**प्रश्न 1. ज़िला शिक्षा अधिकारी के रूप में आपको शिकायत मिलती है कि एक निजी स्कूल ने एक शिक्षिका को उसके धर्म के कारण नियुक्त करने से मना कर दिया। आप क्या करेंगे?** ***दृष्टिकोण (Approach):*** मैं स्कूल से चयन के अभिलेख और अस्वीकृति के कारण माँगकर और अभ्यर्थी को सुनकर शिकायत की जाँच करूँगा। यदि कारण धर्म था, तो मैं मान्यता की शर्तों और संवैधानिक मूल्यों का हवाला देते हुए नोटिस जारी करूँगा, और अभ्यर्थी को विधिक उपायों की

जानकारी दूँगा। मैं सभी स्कूलों के लिए नियुक्ति में गैर-भेदभाव पर एक सामान्य परामर्श-पत्र भी जारी करूँगा। उद्देश्य केवल एक स्कूल को दंडित करना नहीं, बल्कि इस प्रथा को सुधारना है।

प्रश्न 2. साक्षात्कार बोर्ड पूछता है : क्या राज्य को निजी स्कूलों के भोजन संबंधी नियमों में हस्तक्षेप करना चाहिए ?

दृष्टिकोण (Approach): राज्य को भोजन-सूची तय नहीं करनी चाहिए, पर वह यह अपेक्षा कर सकता है कि नियम सब पर समान रूप से लागू हों और किसी समुदाय को निशाना न बनाएँ। स्कूल सभी के लिए स्वास्थ्यकर भोजन को बढ़ावा दे सकता है, पर जो नियम स्वच्छता के बताए गए आधार पर एक समुदाय का भोजन प्रतिबंधित करे और वही जाँच दूसरों पर लागू न करे, वह भेदभावपूर्ण है। कसौटी यह है कि क्या नियम सबके लिए बताए गए उद्देश्य की पूर्ति करता है। विनियमन को बहिष्करण पर निशाना साधना चाहिए, सामान्य पसंद पर नहीं।

प्रश्न 3. स्कूल के प्रधानाचार्य के रूप में अभिभावकों का एक समूह माँग करता है कि आप कुछ विद्यार्थियों द्वारा पहने जाने वाले एक धार्मिक प्रतीक पर रोक लगाएँ। आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे ?

दृष्टिकोण (Approach): मैं अभिभावकों की बात सुनूँगा, पर समझाऊँगा कि स्कूल कानून का पालन करता है और सभी विद्यार्थियों से समान व्यवहार करता है, और एक समुदाय के लिए बना नियम सब पर लागू होना चाहिए। यदि सुरक्षा या गणवेश (uniform) से जुड़ी कोई वास्तविक चिंता है, तो मैं अल्पसंख्यक परिवारों सहित सभी अभिभावकों से परामर्श करके एक सामान्य नियम बनाऊँगा। मैं दबाव में ऐसा कोई निर्णय नहीं लूँगा जो कुछ बच्चों को कक्षा से बाहर कर दे। स्कूल निष्पक्षता मुख्यत: उसका आचरण करके ही सिखाता है।

8.2 सर्वोच्च न्यायालय के कार्यबल ने परिसरों में आत्महत्याओं को प्रतिस्पर्धा, जाति और शिक्षकों के सामाजिक बेमेल से जोड़ा

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली / मुंबई। द इकनॉमिक टाइम्स 'उच्च शिक्षा संस्थानों में विद्यार्थियों का मानसिक स्वास्थ्य और आत्महत्याओं की रोकथाम' पर राष्ट्रीय कार्यबल (National Task Force, NTF) की 211 पृष्ठों की अंतरिम रिपोर्ट के बारे में बताता है। सर्वोच्च न्यायालय ने मार्च 2025 में आईआईटी दिल्ली में 2023 में हुई दो विद्यार्थियों की आत्महत्याओं से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान यह कार्यबल बनाया था ; उस मामले में पुलिस ने एफ़आईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया था। अमित कुमार बनाम भारत संघ मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑब्ज़र्वर की रिपोर्ट के अनुसार इस कार्यबल के अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एस. रवींद्र भट हैं, और इसे न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने गठित किया था। इसकी अंतिम रिपोर्ट नवंबर तक आनी है। संसद में दिए गए उत्तरों का हवाला देते हुए कार्यबल ने पाया कि 2018 से 2023 के बीच वंचित समुदायों के 13,600 से अधिक विद्यार्थियों ने प्रमुख संस्थानों में पढ़ाई छोड़ दी : केंद्रीय विश्वविद्यालयों से 4,596 ओबीसी, 2,424 एससी और 2,622 एसटी विद्यार्थी ; आईआईटी से 2,066 ओबीसी, 1,068 एससी और 408 एसटी विद्यार्थी ; और आईआईएम से 163 ओबीसी, 188 एससी और 91 एसटी विद्यार्थी, वह भी शुल्क-माफ़ी और छात्रवृत्ति के बावजूद। अब लगभग 60% विद्यार्थी एससी, एसटी या ओबीसी समुदायों से आते हैं, जबकि उच्च शिक्षा के 56% शिक्षक सामाजिक रूप से सुविधा-संपन्न समूहों से हैं। आईआईटी और एनआईटी जैसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों (Institutes of National Importance) में केवल 7.57% शिक्षक एससी और 1.91% एसटी हैं, जबकि 67.71% "विशेषाधिकार-प्राप्त" पृष्ठभूमि से हैं। रिपोर्ट के अनुसार यह "सामाजिक बेमेल" (social mismatch) "कम शैक्षणिक एकीकरण" पैदा कर सकता है, जिसका संबंध अवसाद, पढ़ाई छोड़ने और आत्महत्या से है। आईआईटी के शिक्षकों ने "शैक्षणिक प्रतिस्पर्धा की निरंतर संस्कृति" की बात की, और कुछ ने इसे "आरक्षण की राजनीति" से जोड़ा। रिपोर्ट एक "वाइब चेक" (vibe check) का वर्णन करती है, यानी ऐसी परिसर-संस्कृति जो खुले तौर पर जातिवादी नहीं है, पर जिसमें वंचित समूहों के विद्यार्थी प्राय: खरे नहीं उतरते और अलग-थलग पड़ जाते हैं। कार्यबल के सर्वेक्षणों में 34% विद्यार्थियों ने परिसर में "बाहरी" जैसा महसूस किया, 15% ने पिछले छह महीनों में "बहुत व्यथित" रहने का दौर याद किया, और 9% ने अक्सर "आत्महत्या के विचार" आने की बात कही। रिपोर्ट "व्यवस्थित जाँच-तंत्र" (systematic screening mechanisms) के अभाव को रेखांकित करती है। सोमवार को आईआईटी बॉम्बे ने बी.टेक विद्यार्थी साहिल वाकोडे की मृत्यु पर दर्ज एफ़आईआर में नामित प्रोफ़ेसर सूर्यनारायण डुल्ला को डीन (प्रशासनिक मामले) के पद से हटा दिया ; द हिंदू वाकोडे की आयु 20 वर्ष बताता है, ईटी 22 वर्ष। द इंडियन एक्सप्रेस में आईआईटी गांधीनगर के पूर्व डीन (छात्र मामले) जैसन मंजली लिखते हैं कि विश्वविद्यालयों को "केवल विद्यार्थी पर नहीं, परिसर पर भी पुनर्विचार करना होगा"। पाठ्यक्रम से जुड़ाव : जाति, शिक्षा और मानसिक स्वास्थ्य।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

आरक्षण पहुँच बढ़ाता है, जिससे लगभग 60% विद्यार्थी एससी, एसटी या ओबीसी हैं → शिक्षक-वर्ग और परिसर-संस्कृति पर सामाजिक रूप से सुविधा-संपन्न समूहों का वर्चस्व बना रहता है → प्रतिस्पर्धा, ग्रेड का दबाव और "वाइब चेक" विद्यार्थियों को अलग-थलग करते हैं, 34% बाहरी जैसा महसूस करते हैं → 2018-23 में 13,600 से अधिक वंचित विद्यार्थी प्रमुख संस्थानों से पढ़ाई छोड़ देते हैं और आत्महत्याएँ होती रहती हैं → सर्वोच्च न्यायालय के कार्यबल की अंतरिम रिपोर्ट संस्थागत कारणों को चिह्नित करती है, जबकि आईआईटी बॉम्बे में नई मौतें विरोध-प्रदर्शनों को जन्म देती हैं

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. **संविधान पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा में विशेष उपबंधों की अनुमति देता है** — प्रथम संशोधन, 1951 द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 15(4) सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष उपबंधों की अनुमति देता है।

93वें संशोधन, 2005 द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 15(5) अल्पसंख्यक संस्थाओं को छोड़कर निजी संस्थाओं सहित शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के लिए ऐसे उपबंधों की अनुमति देता है। केंद्रीय शैक्षिक संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 केंद्रीय संस्थानों में एससी को 15%, एसटी को 7.5% और ओबीसी को 27% आरक्षण देता है। राज्य के नीति निदेशक तत्वों में शामिल अनुच्छेद 46 राज्य को निर्देश देता है कि वह कमज़ोर वर्गों, विशेषकर एससी और एसटी, के शैक्षिक और आर्थिक हितों की अभिवृद्धि करे और सामाजिक अन्याय से उनकी रक्षा करे।

2. **शिक्षकों के आरक्षण में पूरी संस्था को इकाई माना जाता है** — केंद्रीय शैक्षिक संस्थान (शिक्षक संवर्ग में आरक्षण) अधिनियम, 2019 आरक्षित शिक्षण पदों की गणना के लिए प्रत्येक विभाग के बजाय पूरे विश्वविद्यालय या संस्था को इकाई मानता है। यह विभागवार रोस्टर पर हुए विवाद के बाद पारित हुआ, जिससे आरक्षित पदों में भारी कमी आई थी। प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 के अंतर्गत आईआईटी जैसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान संसद के अधिनियम द्वारा घोषित होते हैं और उन्हें व्यापक शैक्षणिक स्वायत्तता प्राप्त है। कार्यबल के शिक्षक-संबंधी आँकड़े दिखाते हैं कि विद्यार्थियों की पहुँच शिक्षकों के बीच विविधता की तुलना में कहीं तेज़ी से बढ़ी है।

3. **भारतीय कानून अब आत्महत्या को अपराध नहीं, मानसिक स्वास्थ्य का मुद्दा मानता है** — मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम, 2017 (Mental Healthcare Act) की धारा 115 यह उपधारणा करती है कि आत्महत्या का प्रयास करने वाला व्यक्ति गंभीर तनाव में है और उस पर न मुकदमा चलेगा, न उसे दंड मिलेगा, और सरकार से उसकी देखभाल तथा पुनर्वास की अपेक्षा करती है। भारतीय न्याय संहिता, 2023 आईपीसी की धारा 309 के अंतर्गत आत्महत्या के प्रयास के सामान्य अपराध को आगे नहीं ले जाती। आत्महत्या का दुष्प्रेरण बीएनएस की धारा 108 के अंतर्गत अपराध बना हुआ है। 2022 की राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति का लक्ष्य 2030 तक आत्महत्या मृत्यु-दर में 10% की कमी है, और राष्ट्रीय टेली-मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन टेली मानस (Tele MANAS) 14416 पर उपलब्ध है।

4. **समाजशास्त्र बताता है कि पढ़ाई छोड़ने से केवल पहुँच नहीं, एकीकरण बचाता है** — एमिल दुर्खीम ने आत्महत्या के अध्ययन में तर्क दिया कि आत्महत्या की दरें इस पर निर्भर करती हैं कि व्यक्ति सामाजिक समूहों में कितनी अच्छी तरह एकीकृत हैं; "अहंवादी" (egoistic) आत्महत्या कमज़ोर एकीकरण से और "प्रतिमानहीन" (anomic) आत्महत्या मानदंडों के टूटने से जुड़ी है। विद्यार्थियों के टिके रहने पर हुए शोध भी पाते हैं कि शैक्षणिक और सामाजिक एकीकरण यह तय करते हैं कि विद्यार्थी टिकेंगे या नहीं। विद्यार्थियों और शिक्षकों के सामाजिक बेमेल से पैदा "कम शैक्षणिक एकीकरण" की कार्यबल की अवधारणा इसी अंतर्दृष्टि को भारतीय परिसरों पर लागू करती है। आरक्षण के माध्यम से पहुँच आवश्यक है, पर एकीकरण के बिना यह पढ़ाई पूरी होने की गारंटी नहीं देती।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

1. **जीएस-1 और जीएस-2 दोनों इस क्षेत्र को समेटते हैं** — जीएस-1 में सामाजिक सशक्तीकरण, जाति और शिक्षा की भूमिका आती है, और जीएस-2 में कमज़ोर वर्गों का कल्याण तथा शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे। यूपीएससी ने आधुनिक संस्थाओं में जाति के बने रहने पर प्रश्न पूछे हैं, और कार्यबल के आँकड़े ऐसे उत्तर को न्यायालय द्वारा नियुक्त निकाय की संख्याएँ देते हैं।

2. **पहले से कवर हुई ख़बर का नया कोण** — आईआईटी बॉम्बे में हुई मृत्यु और यूजीसी के समता विनियमों पर कॉल कार्ड दिया गया था। नया घटनाक्रम कार्यबल की अंतरिम रिपोर्ट के आँकड़े और आईआईटी बॉम्बे द्वारा डीन को हटाया जाना है। दोनों को अलग रखिए: रिपोर्ट संरचनात्मक कारणों के बारे में है, डीन को हटाना जाँच के अधीन एक मामले के बारे में।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)

- 93वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2005 द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 15(5) अल्पसंख्यक संस्थाओं को छोड़कर, निजी गैर-सहायता प्राप्त संस्थाओं सहित शिक्षा संस्थाओं में पिछड़े वर्गों, एससी और एसटी के प्रवेश के लिए विशेष उपबंधों की अनुमति देता है।
- अनुच्छेद 46 राज्य को निर्देश देता है कि वह कमज़ोर वर्गों, विशेषकर एससी और एसटी, के शैक्षिक और आर्थिक हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करे।
- केंद्रीय शैक्षिक संस्थान (शिक्षक संवर्ग में आरक्षण) अधिनियम, 2019 शिक्षण पदों में आरक्षण के लिए विश्वविद्यालय या संस्था को इकाई मानता है।
- मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम, 2017 की धारा 115 यह उपधारणा करती है कि आत्महत्या का प्रयास करने वाला व्यक्ति गंभीर तनाव से ग्रस्त है और उस पर न मुकदमा चलाया जाएगा, न उसे दंडित किया जाएगा।
- आत्महत्या का दुष्प्रेरण भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 108 के अंतर्गत अपराध है।
- राष्ट्रीय टेली-मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम टेली मानस से टोल-फ्री नंबर 14416 पर संपर्क किया जा सकता है।

	● राष्ट्रीय महत्व के संस्थान संसद के अधिनियम द्वारा घोषित किए जाते हैं।
विश्लेषण (ANALYSIS)	**1. पढ़ाई छोड़ने के आँकड़े बहिष्करण का प्रमाण हैं, केवल कमज़ोर तैयारी का नहीं** — आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों के पढ़ाई छोड़ने की आम व्याख्या यह है कि वे कम अंकों के साथ प्रवेश लेते हैं और सामना नहीं कर पाते। कार्यबल बताता है कि पढ़ाई शुल्क-माफ़ी और छात्रवृत्ति के बावजूद छूटी, जो पैसे को मुख्य कारण के रूप में ख़ारिज करता है और शैक्षणिक या अन्य तनाव की ओर संकेत करता है। जब इसे 34% विद्यार्थियों के बाहरी जैसा महसूस करने के साथ जोड़ा जाए, तो ढर्रा बताता है कि केवल विद्यार्थी नहीं, संस्था भी विफल हो रही है। विरोधी मत यह है कि तैयारी का अंतर वास्तविक है, पर यह सेतु पाठ्यक्रमों (bridge courses) और मार्गदर्शन का तर्क है, पढ़ाई छूटने को स्वीकार करने का नहीं। **2. शिक्षकों की विविधता सबसे उपेक्षित उपाय है** — राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों में 7.57% एससी और 1.91% एसटी शिक्षकों के साथ, जो आरक्षित हिस्से से बहुत कम है, बहुत-से वंचित विद्यार्थी कभी ऐसे शिक्षक से नहीं मिलते जो उनकी पृष्ठभूमि साझा करता हो। एकीकरण के लिए आदर्श और मार्गदर्शक मायने रखते हैं, और जो शिक्षक-वर्ग विद्यार्थी-समुदाय का प्रतिबिंब न हो, उसके रिपोर्ट में वर्णित "वाइब चेक" वाले बहिष्करण को देख पाने की संभावना कम होती है। संस्थान प्राय: कहते हैं कि उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हैं, पर 2019 का शिक्षक संवर्ग अधिनियम ठीक इसीलिए है कि पद चुपचाप ख़ाली न छोड़े जाएँ। आरक्षित शिक्षक पद भरना एक नीतिगत चुनाव है जो संस्थान अभी कर सकते हैं। **3. रिपोर्ट में दर्ज शिक्षकों का दृष्टिकोण स्वयं समस्या का भाग है** — रिपोर्ट दर्ज करती है कि कुछ शिक्षकों ने तीव्र प्रतिस्पर्धा को "आरक्षण की राजनीति" से जोड़ा और ग्रेड संशोधन माँगने वाले विद्यार्थियों की शिकायत की। ये विचार वास्तविक झुँझलाहट दर्शा सकते हैं, पर जब शिक्षक आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों को तनाव का कारण मानते हैं, तो वे विद्यार्थी इसे भाँप लेते हैं। ठीक यही माहौल बाहरी होने का एहसास पैदा करता है। इसलिए शिक्षकों को पूर्वाग्रह पहचानने का प्रशिक्षण, जिसकी सिफ़ारिश प्रोफ़ेसर मंजली भी करते हैं, कोई हल्का उपाय नहीं, बल्कि रोकथाम का केंद्र है। **4. केवल परामर्श व्यथा को निजी समस्या मान लेता है** — इंडियन एक्सप्रेस का लेख तर्क देता है कि विश्वविद्यालय कल्याण का काम परामर्शदाताओं को सौंप देते हैं, जिससे व्यथा "विद्यार्थी के भीतर" मान ली जाती है और संस्था तटस्थ दिखती है। कार्यबल के निष्कर्ष इसका समर्थन करते हैं: ग्रेडिंग व्यवस्था, शिकायत प्रक्रियाएँ और परिसर के पदानुक्रम ऐसा तनाव पैदा करते हैं जिसे चिकित्सा (therapy) दूर नहीं कर सकती। संकट में परामर्श जान बचाता है और इसका विस्तार होना चाहिए, पर रोकथाम के लिए मूल्यांकन, शिकायत निवारण और शासन में विद्यार्थियों की भागीदारी में बदलाव चाहिए। जो संस्था अपनी प्रतिक्रिया को नियुक्त परामर्शदाताओं की संख्या से मापती है, वह गलत चीज़ माप रही है। **5. मृत्यु के बाद की जवाबदेही सभी संबंधित पक्षों के प्रति निष्पक्ष होनी चाहिए** — आईआईटी बॉम्बे ने जाँच जारी रहते हुए डीन को प्रशासनिक पद से हटाया, और विद्यार्थी की मृत्यु की परिस्थितियों पर अपने पहले के बयान के लिए क्षमा माँगी। विद्यार्थी इससे अधिक चाहते हैं; फ़ैकल्टी फ़ोरम प्रोफ़ेसर का बचाव करता है। संस्था का काम यह है कि पुलिस और जाँच को निष्कर्ष तक पहुँचने दे, न किसी व्यक्ति को बचाए और न उसे बलि का बकरा बनाए। कार्यबल जिस संरचनात्मक सुधार की सिफ़ारिश करता है, वह किसी एक मामले के परिणाम पर निर्भर नहीं है।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	"प्रतिष्ठित उच्च शिक्षा तक पहुँच उसके भीतर समावेशन की तुलना में अधिक तेज़ी से बढ़ी है।" विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य और आत्महत्याओं पर राष्ट्रीय कार्यबल की अंतरिम रिपोर्ट के आलोक में चर्चा कीजिए। परिसरों को अधिक समावेशी बनाने के उपाय सुझाइए। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	**1. भूमिका** — मार्च 2025 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित राष्ट्रीय कार्यबल और उसकी 211 पृष्ठों की अंतरिम रिपोर्ट का परिचय दीजिए, इस प्रमुख आँकड़े के साथ कि 2018 से 2023 के बीच वंचित समुदायों के 13,600 से अधिक विद्यार्थियों ने प्रमुख संस्थानों में पढ़ाई छोड़ी। **2. मुख्य भाग — बहिष्करण के साक्ष्य** — आँकड़ों का प्रयोग कीजिए: लगभग 60% विद्यार्थी एससी, एसटी या ओबीसी समूहों से, जबकि 56% शिक्षक सुविधा-संपन्न समूहों से; राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों में 7.57% एससी और 1.91% एसटी शिक्षक; 34% विद्यार्थियों का बाहरी जैसा महसूस करना; "वाइब चेक" और प्रतिस्पर्धा की संस्कृति। **3. मुख्य भाग — संवैधानिक और विधिक ढाँचा** — अनुच्छेद 15(4), 15(5) और 46, 2006 और 2019 के आरक्षण अधिनियम, और मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम, 2017 की धारा 115 उद्धृत कीजिए। दुर्खीम की एकीकरण की अवधारणा से समझाइए कि अपनापन के बिना पहुँच पढ़ाई छूटने की ओर क्यों ले जाती है।

	4. मुख्य भाग — उपाय — सुझाव दीजिए: आरक्षित शिक्षक पद भरना, मार्गदर्शन और सेतु कार्यक्रम, पूर्वाग्रह पर शिक्षक-प्रशिक्षण, व्यवस्थित जाँच और छात्रावास कर्मचारियों द्वारा एकीकृत सूचना, पारदर्शी ग्रेडिंग और शिकायत प्रक्रियाएँ, शासन में विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व और वार्षिक कल्याण लेखा-परीक्षण। **5. निष्कर्ष** — निष्कर्ष दीजिए कि सकारात्मक कार्रवाई (affirmative action) की सफलता केवल प्रवेश से नहीं, बल्कि उपाधि पूरी होने और कल्याण से मापी जानी चाहिए।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	**प्रश्न 1. आप एक आईआईटी के निदेशक हैं और एक विद्यार्थी की आत्महत्या के बाद जातिगत भेदभाव के आरोपों के साथ विरोध-प्रदर्शन हो रहे हैं। आप क्या करेंगे?** ***दृष्टिकोण (Approach):*** सबसे पहले मैं परिवार और विद्यार्थियों से मिलूँगा, परिस्थितियों पर कोई दावा किए बिना शोक व्यक्त करूँगा, और यह सुनिश्चित करूँगा कि पुलिस जाँच को पूरा सहयोग मिले। मैं बाहरी सदस्यों वाली एक स्वतंत्र जाँच समिति बनाऊँगा, जिसमें एससी या एसटी समुदाय का एक सदस्य भी हो, और उसकी विचारार्थ विषय-वस्तु (terms of reference) प्रकाशित करूँगा। मैं तुरंत संरचनात्मक कदम भी शुरू करूँगा, जैसे शिकायत प्रक्रियाओं की समीक्षा और शिक्षक-प्रशिक्षण, ताकि विद्यार्थी ऐसा बदलाव देखें जो किसी एक मामले पर निर्भर न हो। अविश्वास का सबसे अच्छा उत्तर पारदर्शिता है। **प्रश्न 2. साक्षात्कार बोर्ड पूछता है: क्या परिसरों में प्रतिस्पर्धा के तनाव के लिए आरक्षण ज़िम्मेदार है?** ***दृष्टिकोण (Approach):*** नहीं, प्रतिस्पर्धा इसलिए तीव्र है क्योंकि कम संख्या की सीटों और नौकरियों के लिए बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थी होड़ करते हैं, और यह सभी वर्गों पर लागू होता है। आरक्षण यह बढ़ाता है कि कौन प्रतिस्पर्धा करता है, पर कमी वह पैदा नहीं करता। आरक्षण को दोष देना ध्यान को ग्रेडिंग व्यवस्था और परिसर-संस्कृति से हटा देता है, जिन्हें कार्यबल कारण बताता है। तनाव तब घटता है जब संस्थाएँ विद्यार्थियों का साथ देती हैं, तब नहीं जब वे पहुँच को संकुचित करती हैं। **प्रश्न 3. छात्रावास वार्डन के रूप में आप जोखिम वाले विद्यार्थियों की पहचान कैसे करेंगे?** ***दृष्टिकोण (Approach):*** मैं विद्यार्थियों को नाम से जानूँगा, भोजन छोड़ने, अलग-थलग रहने या उपस्थिति घटने जैसे बदलावों पर ध्यान दूँगा, और परामर्श केंद्र से एक गोपनीय संपर्क-माध्यम रखूँगा। मैं वरिष्ठ बैचों के सहपाठी मार्गदर्शकों (peer mentors), जिनमें समान पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थी भी हों, को प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का हालचाल लेने के लिए प्रोत्साहित करूँगा। मैं व्यथा को अनुशासनहीनता नहीं मानूँगा। कार्यबल बताता है कि संस्थाओं को संकटों का पता बहुत देर से चलता है, और वार्डन प्रायः वे पहले वयस्क होते हैं जो इन्हें देख सकते हैं।

8.3 जमुई में कक्षा 10 के दो विद्यार्थियों पर भीड़ का हमला: पॉक्सो मामला दर्ज, राष्ट्रीय महिला आयोग सक्रिय, तीन गिरफ्तार

समाचार (THE NEWS) जमुई, बिहार। द हिंदू के अनुसार शनिवार, 19 सितंबर को लगभग शाम 7 बजे बिहार के जमुई ज़िले में कक्षा 10 के दो विद्यार्थियों, एक लड़की और एक लड़के, के साथ कुछ लोगों ने कथित रूप से छेड़छाड़ और मारपीट की। विवरणों में अंतर है। पुलिस अधीक्षक विश्वजीत दयाल के हवाले से द हिंदू बताता है कि दोनों जमुई-लखीसराय मार्ग पर कोचिंग कक्षा से लौट रहे थे, तभी छह-सात लोगों ने, जिनमें कुछ नकाबपोश थे, उन्हें रोक लिया। द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार ट्यूशन के कुछ देर बाद, लगभग साढ़े छह बजे, दोनों स्कूटर से मुख्य सड़क से लगभग तीन किलोमीटर दूर पहाड़ी बाहरी इलाके में घूमने गए थे, जहाँ सात-आठ युवकों ने उन्हें घेर लिया, लड़के को पीटा और लड़की से छेड़छाड़ की। वीडियो में किशोर माफ़ी माँगते और फिर कभी न लौटने का वादा करते दिखते हैं; कुछ लोग चिल्लाते हैं कि इनकी शादी करा देनी चाहिए, और एक नकाबपोश व्यक्ति लड़की को उठाकर भागता है, जब तक लड़का उसका पीछा नहीं करता; जब लड़के ने कहा कि उनके परिवारों को उनकी दोस्ती की जानकारी है, तो एक व्यक्ति ने उसे थप्पड़ मारा और कहा, "अगर उन्हें पता है, तो बुलाओ उन्हें।" वीडियो सोमवार को वायरल हुए। द हिंदू कहता है कि कोई औपचारिक शिकायत नहीं की गई और पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेकर एफ़आईआर संख्या 428/2026 दर्ज की; एक्सप्रेस, अपर पुलिस महानिदेशक (विधि-व्यवस्था) के.एस. अनुपम के हवाले से, बताता है कि लड़की ने 20 सितंबर की रात अपने परिवार को बताया और उसके पिता ने 21 सितंबर को लिखित शिकायत दी। तीन लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिनके बारे में एक्सप्रेस कहता है कि उनके नाबालिग होने का अनुमान है। एक महिला सहायक उप-निरीक्षक (ASI) ने लड़की का बयान उसके घर पर दर्ज किया, और एसआईटी का नेतृत्व कर रहीं एसडीपीओ दीप्ति मोनाली ने लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO Act) और भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत एफ़आईआर की पुष्टि की। पुलिस यह जाँच रही है कि क्या वहाँ गश्ती दल होना चाहिए था, और वीडियो हटवाने की कार्रवाई कर रही है, क्योंकि नाबालिगों के वीडियो प्रसारित करना अपराध है। राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने स्वतः संज्ञान लिया; अध्यक्ष विजया रहाटकर ने बिहार के पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखा, और आयोग ने पीड़ितों के लिए सुरक्षा, विधिक सहायता और परामर्श का निर्देश देते हुए की गई कार्रवाई की रिपोर्ट (Action Taken Report) माँगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे पितृसत्ता कहा: "यह विश्वास कि कोई भी पुरुष किसी लड़की के शरीर, उसकी आवाजाही, उसकी पसंद पर पहरा दे सकता है"। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार "शर्मसार" हुआ है, जबकि जद(यू) के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने इसे "छिटपुट घटना" (isolated incident) कहा। पाठ्यक्रम से जुड़ाव: महिलाओं की सुरक्षा, बाल संरक्षण और नैतिक पहरेदारी (moral policing)।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

पितृसत्तात्मक मानदंड लड़की की आवाजाही और दोस्ती को समुदाय की संपत्ति मानते हैं → कुछ लोग सड़क पर दो किशोरों को रोककर साथ होने की सज़ा देते हैं → घटना फ़िल्माई जाती है और वीडियो वायरल होकर दूसरी चोट पहुँचाते हैं → पुलिस पॉक्सो मामला दर्ज कर तीन को गिरफ्तार करती है, राष्ट्रीय महिला आयोग और राज्य महिला आयोग हस्तक्षेप करते हैं → राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप शुरू होता है, जबकि गश्त और वीडियो प्रसार का प्रश्न बना रहता है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. **पॉक्सो बालक को आयु से परिभाषित करता है और अपराधों को श्रेणीबद्ध करता है** — लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को बालक मानता है और लैंगिक रूप से तटस्थ (gender-neutral) है। धारा 7 लैंगिक हमले (sexual assault) को लैंगिक आशय से स्पर्श के रूप में परिभाषित करती है, जिसके लिए धारा 8 के अंतर्गत कम-से-कम तीन वर्ष का कारावास है, जो पाँच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। धारा 11 लैंगिक उत्पीड़न को परिभाषित करती है, जिसमें बालक को कुछ दिखाना, उसका पीछा करना या उसे धमकाना शामिल है, और धारा 12 के अंतर्गत इसके लिए तीन वर्ष तक की सज़ा है। धारा 19 अपराध की जानकारी रखने वाले हर व्यक्ति के लिए सूचना देना अनिवार्य बनाती है, और धारा 21 सूचना न देने पर दंड देती है।
2. **अधिनियम जाँच के दौरान और मीडिया में बालक की रक्षा करता है** — पॉक्सो की धारा 24 के अनुसार बालक का बयान उसके निवास पर या उसकी पसंद के स्थान पर, यथासंभव उप-निरीक्षक से अनिम्न रैंक की महिला पुलिस अधिकारी द्वारा, और वर्दी में नहीं, दर्ज किया जाना चाहिए। धारा 23 मीडिया को बालक की पहचान, जिसमें नाम, पता, फ़ोटो या स्कूल शामिल हैं, उजागर करने से रोकती है। धारा 15 बालक से जुड़ी अश्लील सामग्री के भंडारण या प्रसारण को दंडित करती है, और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67B बालकों को लैंगिक रूप से स्पष्ट कृत्यों में दर्शाने वाली सामग्री के प्रकाशन या प्रसारण को दंडित करती है। धारा 28 के अंतर्गत विशेष न्यायालयों को मामलों का विचारण करना होता है, और धारा 35 विचारण पूरा करने के लिए एक वर्ष की सीमा तय करती है।
3. **महिलाओं पर हमले बीएनएस में आते हैं, और नाबालिग अभियुक्तों पर किशोर न्याय अधिनियम लागू होता है** — भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 74 किसी महिला की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग को दंडित करती है, और धारा 75 लैंगिक उत्पीड़न को; ये आईपीसी की धारा 354 और 354A का स्थान लेती हैं। जहाँ अभियुक्त 18 वर्ष से कम के हों, वहाँ किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 लागू होता है, और मामले किशोर न्याय बोर्ड के सामने जाते हैं। केवल "जघन्य अपराधों" (heinous offences) के लिए, यानी जिनमें न्यूनतम सज़ा सात वर्ष हो, 16 से 18 वर्ष के किशोर का वयस्क के रूप में विचारण के लिए आकलन किया जा सकता है। धारा 8 के अंतर्गत पॉक्सो के लैंगिक हमले में न्यूनतम सज़ा तीन वर्ष है, इसलिए यह जघन्य अपराध नहीं है।
4. **राष्ट्रीय महिला आयोग एक सांविधिक निकाय है जो स्वयं कार्रवाई कर सकता है** — राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के अंतर्गत जनवरी 1992 में हुआ। इसमें केंद्र सरकार द्वारा नामित एक अध्यक्ष, पाँच सदस्य और एक सदस्य-सचिव होते हैं। धारा 10 इसे शिकायतों की जाँच करने तथा महिलाओं के अधिकारों से वंचित किए जाने और कानूनों के लागू न होने से जुड़े मामलों का स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति देती है, और जाँच के दौरान इसके पास दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ होती हैं। यह कार्रवाई की सिफ़ारिश कर सकता है, पर स्वयं अभियोजन नहीं चला सकता; इसीलिए यह पुलिस को पत्र लिखता है और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट माँगता है।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

1. **जीएस-1 में महिलाओं से जुड़े मुद्दे और जीएस-2 में कमज़ोर वर्ग शामिल हैं** — यूपीएससी ने सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा, पॉक्सो की प्रभावशीलता और सांविधिक आयोगों की भूमिका पर प्रश्न पूछे हैं। नैतिक पहरेदारी, बाल संरक्षण और वायरल वीडियो के प्रसार को एक साथ समेटने वाला मामला उत्तर में पितृसत्ता, कानून और प्रौद्योगिकी, तीनों को जोड़ने का अवसर देता है।
2. **नैतिक पहरेदारी समाजशास्त्र और नीतिशास्त्र का बार-बार आने वाला विषय है** — जोड़ों को स्वयंभू सज़ा देना सामुदायिक मानदंडों और व्यक्तिगत अधिकारों के संबंध पर प्रश्न उठाता है। शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघ (2018) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि खाप पंचायतें और ऐसे समूह सहमति देने वाले वयस्कों के चुनावों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। जमुई मामले में नाबालिग शामिल हैं, पर भीड़ का सामाजिक तर्क वही है।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)

- लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को बालक के रूप में परिभाषित करता है और लैंगिक रूप से तटस्थ है।
- पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 19 अपराध की सूचना देना अनिवार्य बनाती है, और धारा 21 सूचना न देने पर दंड का उपबंध करती है।

	● पॉक्सो अधिनियम की धारा 23 मीडिया को पीड़ित बालक की पहचान उजागर करने से प्रतिषिद्ध करती है। ● पॉक्सो अधिनियम की धारा 24 के अनुसार बालक का बयान, यथासंभव, उप-निरीक्षक से अनिम्न रैंक की महिला पुलिस अधिकारी द्वारा बालक के निवास पर या उसकी पसंद के स्थान पर दर्ज किया जाना चाहिए। ● भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 74 किसी महिला की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग को दंडित करती है। ● राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के अंतर्गत जनवरी 1992 में हुआ। ● किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के अंतर्गत 16 से 18 वर्ष के ऐसे बालक का, जिस पर जघन्य अपराध (न्यूनतम सात वर्ष की सज़ा वाला अपराध) करने का आरोप हो, वयस्क के रूप में विचारण के लिए आकलन किया जा सकता है।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. **यह सामाजिक नियम तोड़ने की सज़ा थी, इसलिए यह नैतिक पहरेदारी है, आकस्मिक अपराध नहीं** — उन लोगों ने किशोरों को लूटने के लिए नहीं रोका; उन्होंने इसलिए रोका क्योंकि एक लड़की और एक लड़का साथ थे, चिल्लाकर कहा कि इनकी शादी करा दो, और उन्हें अपमानित किया। यह स्वयंभू संरक्षकों द्वारा सामुदायिक मानदंड लागू करना है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि लड़की ने अपने परिवार को क्यों नहीं बताया और लड़के की माँ को इंस्टाग्राम से क्यों पता चला: पीड़ितों को डर था कि नियम तोड़ने का दोष उन्हीं पर आएगा। जो पुलिसिंग इसे केवल छेड़छाड़ मानेगी, वह उस सामाजिक तंत्र को नहीं देख पाएगी जिसने इसे जन्म दिया। 2. **वायरल वीडियो दूसरा हमला है, और राज्य उसे रोकने में धीमा है** — अपमान को फ़िल्माना और प्रसारित करना हानि को हर दर्शक तक फैलाता है और उसे स्थायी बना देता है। पुलिस ने तभी कार्रवाई की जब वीडियो वायरल हुआ, जो सोशल मीडिया की दोहरी भूमिका दिखाता है: उसने कार्रवाई को विवश किया, पर पीड़ितों की गरिमा की कीमत पर। ऐसे वीडियो का प्रसार पॉक्सो की धारा 15 और आईटी अधिनियम के अंतर्गत अपराध है, फिर भी इन्हें हटवाना प्लेटफ़ॉर्मों और पुलिस की अनुवर्ती कार्रवाई पर निर्भर है। प्लेटफ़ॉर्मों के साथ त्वरित टेकडाउन प्रोटोकॉल उतने ही नियमित होने चाहिए जितना एफ़आईआर दर्ज करना। 3. **अभियुक्त नाबालिग हों, तो न्याय-व्यवस्था को एक साथ दो प्रश्नों का उत्तर देना होगा** — एक्सप्रेस बताता है कि तीनों गिरफ्तार लोगों के नाबालिग होने का अनुमान है। किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत वे बोर्ड के सामने जाएँगे, और चूँकि पॉक्सो का लैंगिक हमला जघन्य अपराध नहीं है, इसलिए उनका वयस्कों की तरह विचारण नहीं हो सकता। जनाक्रोश कठोर दंड की माँग करेगा, पर अधिक उपयोगी प्रश्न यह है कि किशोर लड़कों ने यह कहाँ से सीखा कि किसी लड़की पर पहरा देना उनका अधिकार है। ऐसी मानसिकता से निपटने वाला पुनर्वास केवल निरोध की तुलना में दोबारा अपराध रोकने की अधिक संभावना रखता है। 4. **त्वरित कार्रवाई में भी पीड़ित बालक के लिए प्रक्रिया पर ध्यान चाहिए** — पुलिस ने लड़की का बयान घर पर दर्ज किया, जैसा पॉक्सो अपेक्षा करता है, पर इसे एक एएसआई ने दर्ज किया, जबकि धारा 24 यथासंभव कम-से-कम उप-निरीक्षक रैंक की महिला अधिकारी को वरीयता देती है। दोनों अख़बार इस पर भी अलग-अलग विवरण देते हैं कि एफ़आईआर स्वतः संज्ञान से हुई या पिता की शिकायत पर, और समय तथा स्थान क्या था। विचारण में ऐसे विवरण मायने रखते हैं, जहाँ बचाव पक्ष के वकील विसंगतियों का लाभ उठाते हैं। सावधानीपूर्ण प्रारंभिक जाँच पीड़ित के मामले की उतनी ही रक्षा करती है जितनी तेज़ जाँच। 5. **राजनीतिक दोषारोपण अपेक्षित है, पर "छिटपुट घटना" गलत दृष्टिकोण है** — विपक्ष ने इसे कानून-व्यवस्था और सत्तारूढ़ दल के मूल्यों की विफलता कहा; जद(यू) प्रमुख ने इसे छिटपुट घटना बताया और 2005 से पहले के बिहार से तुलना की। कोई भी प्रतिक्रिया उस प्रश्न को नहीं छूती जो स्वयं पुलिस ने उठाया: क्या उस समय उस सड़क पर गश्ती दल होना चाहिए था। इसे छिटपुट कहना इस बात से इनकार है कि सार्वजनिक स्थान लड़कियों के लिए असुरक्षित हैं, और यह एक ऐसा ढर्रा है जिसे सर्वेक्षण लंबे समय से दिखाते रहे हैं। सरकार की प्रतिक्रिया का मापदंड बयान नहीं, बल्कि गश्त, त्वरित विचारण और पीड़ित सहायता होगी।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	"नैतिक पहरेदारी संस्कृति के नाम पर काम करती पितृसत्ता है।" सार्वजनिक स्थानों पर युवाओं के विरुद्ध स्वयंभू हिंसा की हाल की घटनाओं के संदर्भ में इस कथन का परीक्षण कीजिए। बालकों और महिलाओं को ऐसी हिंसा से बचाने के लिए विधिक ढाँचे की पर्याप्तता का मूल्यांकन कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE	1. **भूमिका** — 19 सितंबर की जमुई घटना का वर्णन कीजिए: कक्षा 10 के दो विद्यार्थियों को कुछ लोगों ने रोका और उन पर हमला किया, वीडियो वायरल हुए, पॉक्सो एफ़आईआर दर्ज हुई, तीन गिरफ्तारियाँ हुईं और राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया।

MAINS QUESTION)	**2. मुख्य भाग — सामाजिक तंत्र** — नैतिक पहरेदारी को लड़की की आवाजाही और दोस्ती पर सामुदायिक मानदंडों को लागू करने के रूप में समझाइए, और इसे पितृसत्ता, सम्मान (honour) और कलंक के डर से जोड़िए, जो पीड़ितों की चुप्पी की व्याख्या करता है। व्यक्तिगत चुनावों में स्वयंभू हस्तक्षेप पर शक्ति वाहिनी (2018) का उल्लेख कीजिए। **3. मुख्य भाग — विधिक ढाँचा** — पॉक्सो की धारा 7, 8, 11, 19, 23 और 24; बीएनएस की धारा 74 और 75; प्रसार पर आईटी अधिनियम की धारा 67B; नाबालिग अभियुक्तों के लिए किशोर न्याय अधिनियम; और अपने अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत राष्ट्रीय महिला आयोग की शक्तियाँ शामिल कीजिए। **4. मुख्य भाग — कमियाँ और उपाय** — सूचना देने में देरी, वीडियो का प्रसार और उसे हटवाना, असुरक्षित रास्तों पर गश्त, प्रशिक्षित महिला अधिकारियों और विशेष न्यायालयों में त्वरित विचारण की आवश्यकता, और स्कूलों तथा कोचिंग केंद्रों में लड़कों सहित समुदाय के संवेदीकरण पर चर्चा कीजिए। **5. निष्कर्ष** — निष्कर्ष दीजिए कि कानून कृत्य को दंडित करते हैं, पर अकेले इस विश्वास को नहीं बदल सकते कि लड़की की आवाजाही समुदाय की संपत्ति है; इसके लिए शिक्षा और दिखाई देने वाला, सुसंगत प्रवर्तन चाहिए।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	**प्रश्न 1. जब वीडियो वायरल होता है, तब आप जमुई के पुलिस अधीक्षक हैं। आपकी प्राथमिकताएँ क्या होंगी?** ***दृष्टिकोण (Approach):*** मेरी पहली प्राथमिकता दोनों बच्चों की सुरक्षा और निजता है: घर पर सुरक्षा, परामर्श, और यह सुनिश्चित करना कि उनकी पहचान उजागर न हो। दूसरी, मैं एफ़आईआर दर्ज करूँगा, वीडियो से सभी अभियुक्तों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करूँगा, मामला एक प्रशिक्षित टीम को सौंपूँगा और लड़की का बयान पॉक्सो की धारा 24 के अनुरूप दर्ज कराऊँगा। तीसरी, मैं प्लेटफ़ॉर्मों से संपर्क कर वीडियो हटवाऊँगा और उसे साझा करने वालों पर कार्रवाई करूँगा। अंत में, मैं उस रास्ते पर गश्त की समीक्षा करूँगा और कोचिंग से लौटने वाले विद्यार्थियों के लिए एक हेल्पलाइन प्रकाशित करूँगा। **प्रश्न 2. साक्षात्कार बोर्ड पूछता है: ऐसी घटनाओं के पीड़ित प्रायः शिकायत क्यों नहीं करते?** ***दृष्टिकोण (Approach):*** पीड़ितों को, विशेषकर लड़कियों को, डर होता है कि किसी दोस्त के साथ बाहर होने का दोष उन्हीं पर डाला जाएगा, परिवार पाबंदियाँ लगा देगा, और शिकायत करने से शर्मिंदगी और फैलेगी। यहाँ, जैसा लड़के की माँ ने बताया, बच्चों ने डर के कारण माता-पिता को नहीं बताया। संस्थाओं को पहचान की रक्षा करके और पीड़ित के साथ सम्मान से व्यवहार करके शिकायत करना सुरक्षित बनाना होगा। जहाँ शिकायत करना सुरक्षित होता है, वहाँ चुप्पी की जगह शिकायतें आने लगती हैं। **प्रश्न 3. ज़िलाधिकारी के रूप में इस घटना के बाद आप कौन-से दीर्घकालिक कदम उठाएँगे?** ***दृष्टिकोण (Approach):*** मैं सुरक्षित परिवहन और समय को लेकर स्कूलों और कोचिंग केंद्रों के साथ, और शाम के समय सुनसान सड़कों पर गश्त के लिए पुलिस के साथ काम करूँगा। मैं स्कूलों में सहमति, सम्मान और कानून पर जागरूकता कार्यक्रम शुरू करूँगा, जिनमें लड़के भी शामिल हों, क्योंकि अभियुक्त किशोर हो सकते हैं। मैं सुनिश्चित करूँगा कि त्वरित विचारण के लिए विशेष न्यायालय के पास ज़रूरी सब कुछ हो। मैं पंचायत और समुदाय के नेताओं को भी जोड़ूँगा, क्योंकि नैतिक पहरेदारी अपनी वैधता स्थानीय स्वीकृति से ही पाती है।

9. आंतरिक सुरक्षा (Internal Security)

आज की दोनों खबरें ऐसे क्षेत्रों की सुरक्षा से जुड़ी हैं जिनका बुनियादी ढांचा राज्य के हाथ में नहीं है। कक्षा में एक महाशक्ति ने स्वीकार किया है कि उसने उपग्रहों पर हथियार तैनात किए हैं, और ये उपग्रह उन्हीं नागरिक व वाणिज्यिक प्रणालियों के साथ घूम रहे हैं जिन पर हर आधुनिक अर्थव्यवस्था चलती है; इन सब पर लागू संधि तब लिखी गई थी जब इनमें से ज्यादातर प्रणालियां अस्तित्व में ही नहीं थीं। ऑनलाइन दुनिया में, भारत में बाल-संरक्षण कानूनों का प्रवर्तन अब तक एक निजी अमेरिकी संस्था के भरोसे चलता रहा है, और अब जाकर प्लेटफॉर्म सीधे भारतीय अधिकारियों को रिपोर्ट करने पर राजी हुए हैं। दोनों मामलों में असली प्रश्न क्षमता का नहीं, जवाबदेही का है: कौन देख सकता है कि क्या हो रहा है, और उसके लिए जवाब कौन देगा।

9.1 अमेरिका ने कक्षा में 'अंतरिक्ष नियंत्रण हथियार' तैनात करना माना, बाह्य अंतरिक्ष संधि में पारंपरिक हथियारों की खामी उजागर

समाचार (THE NEWS) वॉशिंगटन और नई दिल्ली। द हिंदू ने मंगलवार के अपने प्रमुख संपादकीय "अनसेफ स्पेस" (Unsafe space) में बताया है कि अमेरिकी वायुसेना सचिव ट्रॉय मीन्क ने 14 सितंबर को स्वीकार किया, और स्पेस फोर्स प्रमुख जनरल डगलस शीस ने पुष्टि की, कि अमेरिका ने "शत्रुतापूर्ण विरोधी कार्रवाई से बचाव" के लिए "कक्षा में अंतरिक्ष नियंत्रण हथियार" (on-orbit space control weapons) तैनात किए हैं। 'कक्षा में' का अर्थ है कि हथियार जमीन से दागे नहीं जाते, बल्कि अंतरिक्ष में ही तैनात रहते हैं। द हिंदू के अनुसार यह स्वीकारोक्ति चिंता का विषय है, क्योंकि संचार, ऊर्जा और वित्तीय नेटवर्क अब अधिकाधिक उपग्रह प्रणालियों पर टिके हैं और कई वाणिज्यिक प्रणालियां नागरिक और सैन्य, दोनों तरह के उपयोगकर्ताओं की सेवा करती हैं — यही द्वि-उपयोग (dual-use) का अर्थ है। मीन्क ने इस हथियार को रक्षात्मक बताया, पर संपादकीय याद दिलाता है कि अमेरिकी सैन्य सिद्धांत 'अंतरिक्ष नियंत्रण' में आक्रामक और रक्षात्मक, दोनों तरह के अभियान शामिल करता है, और यह अब भी स्पष्ट नहीं है कि 'शत्रुतापूर्ण कार्रवाई' किसे माना जाएगा और यह हथियार क्या-क्या कर सकता है। संपादकीय चेतावनी देता है कि जब दो दिशा बदल सकने वाले उपग्रह एक-दूसरे के इरादे जाने बिना पास आएंगे, तो भ्रम पैदा होगा, खासकर भविष्य के ऐसे स्वायत्त उपग्रहों के मामले में जिन्हें कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) चलाएगी। संपादकीय के अनुसार बाह्य अंतरिक्ष संधि (Outer Space Treaty) कक्षा में हथियारों पर अपने-आप में प्रतिबंध नहीं लगाती: अनुच्छेद IV कक्षा में परमाणु हथियारों और सामूहिक विनाश के अन्य हथियारों पर रोक लगाता है, और अनुच्छेद III अंतरिक्ष गतिविधियों को अंतरराष्ट्रीय विधि के अनुरूप चलाने की अपेक्षा करता है। संपादकीय कहता है कि जब किसी वाणिज्यिक कंपनी द्वारा संचालित कोई स्वायत्त, द्वि-उपयोगी उपग्रह 'बचाव' के नाम पर प्रहार करेगा, तो दायित्व अभिसमय (Liability Convention) के तहत जवाबदेही तय करना आसान नहीं होगा। वह मांग करता है कि बाह्य अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ की रोकथाम (PAROS) पर संयुक्त राष्ट्र का मुक्त कार्य समूह (Open-Ended Working Group) इस खुलासे पर विचार करे, और अमेरिका इन हथियारों का ब्योरा सार्वजनिक करे तथा एक ऐसी बहुपक्षीय व्यवस्था में शामिल हो जो कार्रवाई और तनाव-वृद्धि की सीमाएं तय करे। द इकोनॉमिक टाइम्स का संपादकीय "डोंट अलाउ यूएस टु वेपनाइज़ स्पेस" (Don't Allow US to Weaponise Space) बताता है कि मॉस्को और बीजिंग ने वॉशिंगटन से यह रोकने को कहा है; वह याद दिलाता है कि अमेरिकी स्पेस फोर्स 2019 में चीन और रूस की प्रति-अंतरिक्ष (counter-space) क्षमताओं का मुकाबला करने के लिए बनाई गई थी, और अब इसके शस्त्रागार में ऐसी लेजर और माइक्रोवेव तकनीक भी है जो उपग्रहों को निष्क्रिय कर सकती है। संपादकीय के अनुसार आज 18,000 से अधिक सक्रिय उपग्रह हैं और धरती पर कम से कम 120 संघर्ष चल रहे हैं; वह संयुक्त राष्ट्र से हस्तक्षेप की मांग करता है। द हिंदू जोड़ता है कि अमेरिका, रूस, चीन और भारत, सभी प्रति-अंतरिक्ष क्षमताएं विकसित करते रहे हैं। द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार 23 से 25 सितंबर तक वॉशिंगटन में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बैठक में अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ भी चर्चा के मुद्दों में रहने की उम्मीद है। पाठ्यक्रम से जुड़ाव: सामान्य अध्ययन-3, सुरक्षा चुनौतियां और अंतरिक्ष के क्षेत्र में जागरूकता।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

1967 की बाह्य अंतरिक्ष संधि कक्षा में केवल परमाणु और सामूहिक विनाश के हथियारों पर रोक लगाती है → अमेरिका, रूस, चीन और भारत प्रति-अंतरिक्ष क्षमताएं विकसित करते हैं, जिनमें 2019 का भारत का मिशन शक्ति भी है → अमेरिका 2019 में स्पेस फोर्स बनाता है → उपग्रहों की संख्या 18,000 से ऊपर पहुंचती है और वे द्वि-उपयोगी व वाणिज्यिक होते जाते हैं → अमेरिका 14 सितंबर को मानता है कि उसने कक्षा में अंतरिक्ष नियंत्रण हथियार तैनात किए हैं, और संपादकीय बहुपक्षीय शासन व्यवस्था की मांग करते हैं

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. **बाह्य अंतरिक्ष संधि सामूहिक विनाश के हथियारों पर रोक लगाती है, हर हथियार पर नहीं** — बाह्य अंतरिक्ष के अन्वेषण और उपयोग में राज्यों की गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों पर संधि (Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space), 1967, अंतरिक्ष विधि की नींव है। इसका अनुच्छेद IV कक्षा में या खगोलीय पिंडों पर परमाणु हथियार या सामूहिक विनाश के अन्य हथियार रखने से मना करता है, और कहता है कि चंद्रमा व अन्य खगोलीय पिंडों का उपयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए होगा — वहां न सैन्य अड्डे बनेंगे, न हथियारों का परीक्षण होगा। पर यह पृथ्वी की कक्षा में पारंपरिक हथियारों को प्रतिबंधित नहीं करता। अनुच्छेद II बाह्य अंतरिक्ष पर किसी देश के राष्ट्रीय स्वामित्व (national appropriation) का निषेध करता है, अनुच्छेद VI निजी कंपनियों सहित सभी राष्ट्रीय गतिविधियों के लिए राज्यों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्तरदायी बनाता है, और अनुच्छेद IX दूसरों के हितों का सम्यक ध्यान रखने तथा संभावित रूप से हानिकारक गतिविधि से पहले परामर्श करने की अपेक्षा करता है।
2. **अंतरिक्ष विधि का ढांचा संयुक्त राष्ट्र की पांच संधियों से बना है** — बाह्य अंतरिक्ष संधि (1967) के बाद बचाव समझौता (Rescue Agreement, 1968), दायित्व अभिसमय (1972), पंजीकरण अभिसमय (Registration Convention, 1975) और चंद्रमा समझौता (Moon Agreement, 1979)

	आए। दायित्व अभिसमय के तहत प्रक्षेपण करने वाला राज्य अपनी अंतरिक्ष वस्तु द्वारा पृथ्वी की सतह पर या उड़ते विमान को पहुंचाई गई क्षति के लिए पूर्णत: (absolutely) उत्तरदायी होता है, लेकिन अंतरिक्ष में किसी दूसरी अंतरिक्ष वस्तु को पहुंची क्षति के लिए तभी उत्तरदायी होता है जब उसकी गलती साबित हो। भारत पहली चार संधियों का पक्षकार है; चंद्रमा समझौते पर उसने हस्ताक्षर किए हैं, पर अनुसमर्थन नहीं किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1959 में गठित बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग संबंधी समिति (COPUOS) इन नियमों का मुख्य मंच है। 3. **PAROS पर चार दशक से चर्चा जारी है, पर संधि आज तक नहीं बनी** — बाह्य अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ की रोकथाम (Prevention of an Arms Race in Outer Space) 1980 के दशक की शुरुआत से जिनेवा स्थित निरस्त्रीकरण सम्मेलन (Conference on Disarmament) के एजेंडे पर है, और संयुक्त राष्ट्र महासभा हर साल इस पर प्रस्ताव पारित करती है। रूस और चीन ने बाह्य अंतरिक्ष में हथियारों की तैनाती की रोकथाम पर एक संधि का मसौदा रखा है, जिसके बारे में पश्चिमी देशों का कहना है कि यह जमीन से दागे जाने वाले उपग्रह-रोधी हथियारों को शामिल नहीं करता और इसका सत्यापन संभव नहीं है। पश्चिमी देश इसके बजाय जिम्मेदार आचरण के मानदंडों के पक्षधर रहे हैं। महासभा के तहत गठित मुक्त कार्य समूह इन दोनों दृष्टिकोणों को जोड़ने का सबसे ताजा प्रयास है। 4. **भारत खुद भी प्रति-अंतरिक्ष शक्ति है** — 27 मार्च 2019 को मिशन शक्ति के तहत DRDO ने जमीन से दागी गई उपग्रह-रोधी (anti-satellite) मिसाइल से निम्न भू-कक्षा में एक भारतीय उपग्रह को नष्ट किया, और इस तरह भारत अमेरिका, रूस और चीन के बाद यह क्षमता प्रदर्शित करने वाला चौथा देश बना। भारत ने लगभग 300 किमी की निचली कक्षा इसलिए चुनी ताकि मलबा जल्दी नष्ट हो जाए। उसी वर्ष भारत ने एकीकृत रक्षा स्टाफ के अधीन रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी (Defence Space Agency) और रक्षा अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन किया। भारत का घोषित रुख यह है कि वह बाह्य अंतरिक्ष के शस्त्रीकरण का विरोध करता है और उसे शांतिपूर्ण उपयोग के लिए सुरक्षित रखने के बहुपक्षीय प्रयासों का समर्थन करता है।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. **सामान्य अध्ययन-3 के पाठ्यक्रम में अंतरिक्ष और सुरक्षा साथ-साथ आते हैं** — सामान्य अध्ययन-3 में "सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर के क्षेत्र में जागरूकता" और "सुरक्षा चुनौतियां एवं उनका प्रबंधन" दोनों शामिल हैं। UPSC भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम, अंतरिक्ष मलबे और उपग्रह-रोधी क्षमता पर प्रश्न पूछ चुका है। अंतरिक्ष का शस्त्रीकरण विज्ञान-प्रौद्योगिकी को सुरक्षा से उस ढंग से जोड़ता है जो परीक्षकों को पसंद है। 2. **प्रारंभिक परीक्षा में संधियां और उनके प्रावधान नियमित रूप से पूछे जाते हैं** — बाह्य अंतरिक्ष संधि, चंद्रमा समझौते और इनके संबंध में भारत की स्थिति पर प्रश्न आम हैं। अक्सर जाल यह धारणा होती है कि बाह्य अंतरिक्ष संधि अंतरिक्ष में हर तरह के हथियार पर रोक लगाती है, जबकि वह कक्षा में केवल परमाणु और सामूहिक विनाश के हथियारों को प्रतिबंधित करती है। 3. **अंतरराष्ट्रीय संबंध और निबंध से जुड़ाव** — बड़ी शक्तियों के बीच शस्त्र नियंत्रण का ढहना और द्वि-उपयोगी तकनीक का उभार निबंध के मजबूत विषय हैं। खुले समुद्र (high seas) और अंटार्कटिका की तरह अंतरिक्ष भी वैश्विक साझा संपदा (global commons) का स्पष्ट उदाहरण है।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● बाह्य अंतरिक्ष संधि, 1967 का अनुच्छेद IV पृथ्वी की कक्षा में परमाणु हथियार या सामूहिक विनाश का कोई अन्य हथियार रखने पर रोक लगाता है, लेकिन कक्षा में पारंपरिक हथियारों को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित नहीं करता। ● बाह्य अंतरिक्ष संधि का अनुच्छेद VI बाह्य अंतरिक्ष में राष्ट्रीय गतिविधियों के लिए, जिनमें गैर-सरकारी संस्थाओं की गतिविधियां भी शामिल हैं, राज्यों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्तरदायी बनाता है। ● दायित्व अभिसमय, 1972 के तहत प्रक्षेपण करने वाला राज्य अपनी अंतरिक्ष वस्तु द्वारा पृथ्वी की सतह पर या उड़ते विमान को पहुंचाई गई क्षति के लिए पूर्णत: उत्तरदायी होता है। ● भारत ने चंद्रमा समझौते, 1979 पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन उसका अनुसमर्थन नहीं किया है। ● संयुक्त राष्ट्र की बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग संबंधी समिति (COPUOS) का गठन संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1959 में किया था। ● मिशन शक्ति (27 मार्च 2019) DRDO द्वारा निम्न भू-कक्षा में स्थित एक उपग्रह के विरुद्ध किया गया भारत का उपग्रह-रोधी मिसाइल परीक्षण था। ● बाह्य अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ की रोकथाम (PAROS) जिनेवा स्थित निरस्त्रीकरण

	सम्मेलन के एजेंडे का एक विषय है।
विश्लेषण (ANALYSIS)	**1. जब एक ही हथियार दोनों काम कर सके, तो 'रक्षात्मक' शब्द का कोई खास अर्थ नहीं रह जाता** — जो हथियार पास आते उपग्रह को निष्क्रिय कर सकता है, वह ऐसे उपग्रह को भी निष्क्रिय कर सकता है जो पास नहीं आ रहा; अंतर केवल इरादे का है, और इरादा दूसरे देश देख नहीं सकते। यही क्लासिक सुरक्षा दुविधा (security dilemma) है: एक देश का रक्षात्मक कदम उसके प्रतिद्वंद्वियों को आक्रामक दिखता है, और वे अपने हथियार बनाने लगते हैं। द हिंदू का यह तर्क कि अमेरिकी सिद्धांत अंतरिक्ष नियंत्रण को आक्रामक और रक्षात्मक दोनों मानता है, इस ठप्पे को लगभग अर्थहीन कर देता है। जब तक यह नहीं बताया जाता कि ये हथियार क्या कर सकते हैं, रूस और चीन सबसे बुरा मानकर चलेंगे, और बाकी देश भी यही करेंगे। **2. बाह्य अंतरिक्ष संधि की खामी जान-बूझकर छोड़ी गई थी, और अब वह खतरनाक हो गई है** — 1967 में डर कक्षा में परमाणु बमों का था, और संधि ने उसी से निपटा। पारंपरिक हथियारों को आंशिक रूप से इसलिए छोड़ दिया गया कि वे तब व्यावहारिक नहीं थे, और आंशिक रूप से इसलिए कि दोनों महाशक्तियां सैन्य सहायता के लिए अंतरिक्ष के उपयोग की छूट चाहती थीं। आज, जैसा द हिंदू कहता है, बैंकिंग, बिजली और संचार चलाने वाले नेटवर्क पर पारंपरिक प्रहार भी व्यापक क्षति कर सकता है, भले ही कानूनी अर्थ में वह सामूहिक विनाश का हथियार न हो। संपादकीय के शब्दों में, अनुच्छेद IV की रेखा अब तरल (fluid) हो गई है। इस खामी को भरने के लिए या तो नई संधि चाहिए, या इस पर सहमत व्याख्या कि 'सामूहिक व्यवधान का हथियार' (weapon of mass disruption) किसे माना जाए। **3. वाणिज्यिक और स्वायत्त उपग्रह दायित्व की कड़ी तोड़ देते हैं** — दायित्व अभिसमय यह मानकर चलता है कि एक प्रक्षेपक राज्य होगा, एक अंतरिक्ष वस्तु होगी और एक क्षति की घटना होगी। अगर AI से लैस कोई निजी उपग्रह आत्मरक्षा में खुद ही किसी दूसरे उपग्रह पर प्रहार का फैसला कर ले, तो यह स्पष्ट नहीं है कि राज्य केवल गलती साबित होने पर उत्तरदायी होगा या नहीं, वह प्रहार सशस्त्र हमला माना जाएगा या नहीं, और संचालक को लड़ाका माना जाएगा या नहीं। बाह्य अंतरिक्ष संधि के अनुच्छेद VI के तहत राज्य अपने निजी संचालकों के लिए उत्तरदायी हैं, लेकिन यह उत्तरदायित्व प्रक्षेपण और प्रसारण को ध्यान में रखकर लिखा गया था, हथियारों को नहीं। जब एक ही उपग्रह सेनाओं और अस्पतालों, दोनों की सेवा करता हो, तो अंतरराष्ट्रीय मानवीय विधि का विभेद का सिद्धांत (principle of distinction) लागू करना भी कठिन हो जाता है। **4. अपनी क्षमता पर स्पष्टता के बिना भारत शस्त्रीकरण का विश्वसनीय विरोध नहीं कर सकता** — भारत के पास उपग्रह-रोधी क्षमता है, रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी है, और भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के बाद तेजी से बढ़ता वाणिज्यिक अंतरिक्ष उद्योग है। वह शस्त्रीकरण के विरुद्ध तर्क देता है, पर जैसा द हिंदू बताता है, वह भी प्रति-अंतरिक्ष क्षमताएं विकसित करने वाले देशों में शामिल है। यह पाखंड नहीं है, क्योंकि प्रतिरोध (deterrence) के लिए क्षमता जरूरी है; लेकिन इसका मतलब यह है कि PAROS में भारत की आवाज में वजन तभी आएगा जब वह कोई ठोस प्रस्ताव रखे, जैसे विनाशकारी उपग्रह-रोधी परीक्षणों पर स्वैच्छिक रोक (moratorium) या अपने उपग्रहों के उद्देश्य को लेकर पारदर्शिता। विपरीत मत यह है कि देर से आए भारत को खुद पर बंदिशें नहीं लगानी चाहिए, जबकि दूसरे पहले ही हथियार तैनात कर चुके हैं। **5. परिणाम संयुक्त राष्ट्र के कार्य समूह नहीं, बड़ी शक्तियों के शिखर सम्मेलन तय कर सकते हैं** — द इंडियन एक्सप्रेस बताता है कि अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ शी-ट्रंप शिखर वार्ता के एजेंडे पर है। इतिहास बताता है कि नए क्षेत्रों में शस्त्र नियंत्रण की शुरुआत अग्रणी शक्तियों के बीच द्विपक्षीय समझ से होती है, जैसा अमेरिका–सोवियत परमाणु संधियों के साथ हुआ, और बाद में वह बहुपक्षीय बनता है। अगर अंतरिक्ष पर अमेरिका–चीन के बीच कोई द्विपक्षीय समझ बनती है, तो वह बाकी सबके लिए नियम तय करेगी। भारत का काम यह सुनिश्चित करना है कि ऐसे नियम मौजूदा बढ़त को स्थायी न बना दें और उभरती अंतरिक्ष शक्तियों को बाहर न छोड़ दें।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	"बाह्य अंतरिक्ष संधि परमाणु हथियारों को कक्षा से बाहर रखने के लिए लिखी गई थी; उसे कभी भीड़-भरे, वाणिज्यिक और हथियारबंद अंतरिक्ष के लिए नहीं बनाया गया।" कक्षा में हथियार तैनात करने की अमेरिकी स्वीकारोक्ति के आलोक में बाह्य अंतरिक्ष के लिए अंतरराष्ट्रीय विधिक व्यवस्था की पर्याप्तता का परीक्षण कीजिए तथा भारत की भूमिका सुझाइए। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	**1. भूमिका** — घटनाक्रम बताइए: अमेरिकी वायुसेना सचिव की 14 सितंबर की स्वीकारोक्ति, जिसकी स्पेस फोर्स प्रमुख ने पुष्टि की, कि कक्षा में अंतरिक्ष नियंत्रण हथियार तैनात हैं; और संपादकीयों द्वारा बहुपक्षीय शासन व्यवस्था की मांग। **2. मुख्य भाग — मौजूदा व्यवस्था** — बाह्य अंतरिक्ष संधि के अनुच्छेद III, IV और VI, अंतरिक्ष में क्षति के लिए दायित्व अभिसमय का गलती-आधारित मानक, और लंबे समय से अटके PAROS एजेंडे को समझाइए। स्पष्ट कीजिए कि कक्षा में केवल परमाणु और सामूहिक विनाश के हथियार प्रतिबंधित हैं।

	3. मुख्य भाग — यह व्यवस्था अपर्याप्त क्यों है — द्वि-उपयोगी और वाणिज्यिक उपग्रहों, 18,000 से अधिक सक्रिय उपग्रहों, AI-चालित स्वायत्त प्रणालियों, 'रक्षात्मक' और 'शत्रुतापूर्ण कार्रवाई' जैसे शब्दों की अस्पष्टता, तथा कक्षा में मानवीय विधि लागू करने की कठिनाई पर चर्चा कीजिए। **4. मुख्य भाग — भारत की भूमिका** — भारत के मिशन शक्ति, रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी और वाणिज्यिक अंतरिक्ष क्षेत्र के विकास का उल्लेख कीजिए; पारदर्शिता उपाय, विनाशकारी ASAT परीक्षणों पर रोक, उपग्रहों के निकट आने के लिए आचरण के नियम, और PAROS कार्य समूह तथा COPUOS में सक्रिय भूमिका का प्रस्ताव रखिए। **5. निष्कर्ष** — निष्कर्ष दीजिए कि भारत को प्रतिरोधक क्षमता और नियमों के पक्ष में मजबूत आवाज, दोनों की जरूरत है, क्योंकि अंतरिक्ष में संघर्ष से सबसे अधिक नुकसान उभरती अंतरिक्ष अर्थव्यवस्थाओं को होगा।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	**प्रश्न 1. आप रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी के प्रमुख हैं। एक अज्ञात विदेशी उपग्रह भारत के एक सैन्य संचार उपग्रह के बहुत करीब आकर दिशा बदल रहा है। आप क्या कदम उठाएंगे?** ***दृष्टिकोण (Approach):*** सबसे पहले मैं अपनी ट्रैकिंग और ISRO की अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता (space situational awareness) प्रणालियों से इस गतिविधि की पुष्टि करूंगा, और आकलन करूंगा कि यह निकटता खतरनाक है या सामान्य। मैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और रक्षा मंत्रालय को सूचित करूंगा, और खतरा वास्तविक होने पर अपने उपग्रह को हटाने पर विचार करूंगा। विदेश मंत्रालय के माध्यम से मैं उस देश से स्पष्टीकरण मांगूंगा जिसने वह उपग्रह पंजीकृत कराया है। घटना का सावधानी से दस्तावेजीकरण जरूरी है, क्योंकि आगे चलकर बहुपक्षीय मंचों पर भारत के पक्ष को इससे बल मिल सकता है। **प्रश्न 2. आप अंतरिक्ष विभाग के सचिव हैं। एक निजी भारतीय उपग्रह कंपनी पूछती है कि क्या वह किसी विदेशी सेना को इमेजिंग सेवाएं बेच सकती है। आप कैसे निर्णय लेंगे?** ***दृष्टिकोण (Approach):*** बाह्य अंतरिक्ष संधि के अनुच्छेद VI के तहत भारत अपने निजी संचालकों की गतिविधियों के लिए उत्तरदायी है, इसलिए मैं इसे केवल वाणिज्यिक नहीं, बल्कि निर्यात और सुरक्षा का प्रश्न मानूंगा। मैं IN-SPACe, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय से परामर्श करूंगा कि खरीदार किसी संघर्ष में शामिल है या नहीं, और क्या इस सेवा का इस्तेमाल नागरिकों के विरुद्ध हो सकता है। किसी भी अनुमति में उपयोग की शर्तें, अंतिम-उपयोगकर्ता प्रमाणन और सेवा निलंबित करने का अधिकार शामिल होगा। वाणिज्यिक विकास महत्वपूर्ण है, पर भारत को अपनी परिसंपत्तियों से हुए नुकसान का उत्तरदायी नहीं बनना चाहिए। **प्रश्न 3. साक्षात्कार बोर्ड पूछता है: उपग्रह-रोधी हथियार का परीक्षण कर चुके भारत को क्या अंतरिक्ष में हथियार रखने के लिए अमेरिका की आलोचना करनी चाहिए?** ***दृष्टिकोण (Approach):*** क्षमता दिखाने वाले एक बार के परीक्षण और कक्षा में हथियारों की स्थायी तैनाती में अंतर है, हालांकि दोनों ही अविश्वास बढ़ाते हैं। भारत बिना किसी विरोधाभास के यह तर्क दे सकता है कि प्रतिरोधक क्षमता जरूरी है और साथ ही उसके उपयोग को सीमित करने वाले नियमों का समर्थन भी कर सकता है, ठीक वैसे ही जैसे उसने परमाणु क्षेत्र में किया। आलोचना तब अधिक विश्वसनीय होगी जब भारत खुद भी कुछ उपाय पेश करे, जैसे अपनी परिसंपत्तियों को लेकर पारदर्शिता या विनाशकारी परीक्षणों पर रोक का समर्थन। लक्ष्य ऐसे नियम होने चाहिए जो सबके उपग्रहों की रक्षा करें, जिनमें भारत का बढ़ता नागरिक और वाणिज्यिक बेड़ा भी शामिल है।

9.2 मेटा के बाद गूगल भी बाल यौन शोषण सामग्री की रिपोर्ट अमेरिकी संस्था के बजाय सीधे गृह मंत्रालय के I4C को देगा

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। गूगल के एक प्रवक्ता ने सोमवार, 21 सितंबर को द इकोनॉमिक टाइम्स को बताया कि गूगल इंडिया अपने प्लेटफॉर्मों पर पकड़ी गई सारी बाल यौन शोषण सामग्री (Child Sexual Abuse Material — CSAM) की रिपोर्ट सीधे भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) को देगा। CSAM का अर्थ है ऐसी कोई भी तस्वीर, वीडियो या अन्य सामग्री जिसमें किसी बच्चे का यौन शोषण या दुरुपयोग दिखाया गया हो; अदालतें और बाल अधिकार संस्थाएं अब 'चाइल्ड पोर्नोग्राफी' के बजाय यही शब्द पसंद करती हैं, क्योंकि पुराना शब्द गलत ढंग से सहमति का आभास देता है। I4C गृह मंत्रालय से संबद्ध कार्यालय है और राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल का प्रबंधन करता है। यह कदम उसके कुछ ही दिन बाद आया है जब फेसबुक, व्हाट्सऐप और इंस्टाग्राम की स्वामी कंपनी मेटा ने बाल यौन शोषण के मामलों की रिपोर्ट भारत की उपयुक्त कानून प्रवर्तन एजेंसियों को देने पर सहमति जताई; ET के अनुसार दोनों कंपनियां अब ऐसी सामग्री की रिपोर्ट स्वत: (proactively) करेंगी। प्रवक्ता ने कहा, "गूगल ऑनलाइन CSAM से लड़ने और अपने प्लेटफॉर्मों को ऐसी सामग्री बनाने, संग्रहीत करने या फैलाने के लिए इस्तेमाल होने से रोकने के प्रति गहराई से प्रतिबद्ध है," और जोड़ा, "भारत सरकार के साथ हमारी जारी बातचीत के तहत, हमने सम्मानपूर्वक प्रस्ताव रखा है कि CSAM से जुड़े मामलों में I4C को प्रासंगिक जानकारी देने की व्यवस्था लागू की जाए।" ET समझाता है कि गूगल पर इन अपराधों की रिपोर्ट करने का कानूनी दायित्व हमेशा से था, पर अभी वह अपनी साइबरटिपलाइन (CyberTipline) रिपोर्टें अमेरिका स्थित गैर-लाभकारी संस्था नेशनल सेंटर

फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन (NCMEC) को भेजता है, जो परंपरागत रूप से उन्हें विभिन्न देशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों तक पहुंचाती रही है; इस घुमावदार प्रक्रिया से देरी होती है और अपराधियों को पकड़ना मुश्किल हो जाता है। अखबार के अनुसार सरकारी स्तर पर चिंता बढ़ रही थी: राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भारत में मेटा के प्लेटफॉर्मों पर बाल शोषण सामग्री के विज्ञापनों को लेकर स्वतंत्र जांच शुरू की थी, और NCPCR ने पिछले महीने मेटा इंडिया के प्रबंध निदेशक एवं कंट्री हेड अरुण श्रीनिवास को दो बार तलब किया था। एक अधिकारी ने पिछले सप्ताह ET को बताया कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) भी ऐसी सामग्री की स्वत: पहचान करने और उसे हटाने के लिए अन्य प्लेटफॉर्मों से बात कर रहा है। गूगल का कहना है कि वह उपयोगकर्ताओं और NGO जैसे तीसरे पक्षों की रिपोर्टों के अलावा स्वचालित पहचान और मानवीय समीक्षा का भी इस्तेमाल करता है। ET के एक पॉडकास्ट में अधिवक्ता सजन पूवय्या का तर्क है कि असली खामियां एल्गोरिदमिक प्रवर्धन (algorithmic amplification) — यानी प्लेटफॉर्मों की सिफारिश प्रणालियों द्वारा सामग्री को ज्यादा उपयोगकर्ताओं तक धकेलना — और कमजोर प्रवर्तन में हैं। पाठ्यक्रम से जुड़ाव: सामान्य अध्ययन-3, आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों में मीडिया और सोशल नेटवर्किंग साइटों की भूमिका तथा साइबर सुरक्षा।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

अमेरिकी कानून प्लेटफॉर्मों से CSAM की रिपोर्ट NCMEC की साइबरटिपलाइन को देने की अपेक्षा करता है → NCMEC भारतीय मामले भारतीय अधिकारियों को आगे भेजता है, जिससे देरी होती है → मेटा के प्लेटफॉर्मों पर CSAM विज्ञापनों को लेकर NCPCR और NHRC जांच शुरू करते हैं और मेटा इंडिया के प्रमुख को तलब किया जाता है → मेटा सीधे भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों को रिपोर्ट करने पर सहमत होता है → गूगल भी गृह मंत्रालय के I4C को सीधे रिपोर्ट करने का प्रस्ताव रखता है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. **IT अधिनियम CSAM को अन्य अश्लील सामग्री से अधिक कठोरता से दंडित करता है** — सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67B, जिसे 2008 में जोड़ा गया, बच्चों को यौन रूप से स्पष्ट कृत्यों में दिखाने वाली सामग्री के प्रकाशन या प्रसारण को दंडित करती है; साथ ही ऐसी सामग्री बनाने, एकत्र करने, खोजने, ब्राउज़ करने, डाउनलोड करने, उसका विज्ञापन करने या आदान-प्रदान करने, और बच्चों के ऑनलाइन शोषण को बढ़ावा देने को भी अपराध बनाती है। पहली बार दोषसिद्धि पर पांच वर्ष तक का कारावास और ₹10 लाख तक का जुर्माना, तथा दोबारा दोषसिद्धि पर सात वर्ष तक का कारावास और ₹10 लाख तक का जुर्माना है। धारा 79 मध्यस्थों (intermediaries) को तीसरे पक्ष की सामग्री के दायित्व से 'सुरक्षित आश्रय' (safe harbour) तभी देती है जब वे सम्यक तत्परता (due diligence) बरतें। IT नियम, 2021 के तहत महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थों को बाल यौन शोषण सामग्री की स्वत: पहचान के लिए स्वचालित उपकरणों सहित तकनीक-आधारित उपाय लगाने का प्रयास करना होता है।

2. **POCSO के तहत CSAM रखना, साझा करना और उसकी रिपोर्ट न करना अपराध है** — लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (POCSO), 2012 की धारा 15, जैसा 2019 में संशोधित किया गया, बच्चे से जुड़ी अश्लील सामग्री को हटाए, नष्ट किए या नामित प्राधिकारी को रिपोर्ट किए बिना संग्रहीत करने या अपने पास रखने को दंडित करती है; प्रसारण या व्यावसायिक उद्देश्य से ऐसी सामग्री रखना भी इसमें अपराध है। जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस बनाम एस. हरीश (2024) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसी सामग्री देखना, रखना या संग्रहीत करना POCSO की धारा 15 और IT अधिनियम की धारा 67B के तहत अपराध हो सकता है, और संसद से आग्रह किया कि 'चाइल्ड पोर्नोग्राफी' शब्द की जगह 'बाल यौन शोषण एवं दुर्व्यवहार सामग्री' (child sexual exploitative and abuse material) शब्द अपनाया जाए। POCSO की धारा 19 के तहत किसी अपराध की जानकारी रखने वाले हर व्यक्ति को पुलिस या विशेष किशोर पुलिस इकाई को सूचना देनी होती है।

3. **जहां पुलिस राज्य सूची का विषय है, उस संघीय व्यवस्था में I4C साइबर पुलिसिंग का समन्वय करता है** — पुलिस और लोक व्यवस्था सातवीं अनुसूची की राज्य सूची में हैं, इसलिए साइबर अपराध की जांच अधिकतर राज्य पुलिस ही करती है। गृह मंत्रालय ने राज्यों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों की कार्रवाई में समन्वय के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र स्थापित किया, जिसका उद्घाटन जनवरी 2020 में हुआ; यह राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल और वित्तीय धोखाधड़ी के लिए 1930 हेल्पलाइन चलाता है। इसलिए प्लेटफॉर्मों से I4C को मिली सीधी रिपोर्टें संबंधित क्षेत्राधिकार वाली राज्य पुलिस तक जल्दी पहुंचाई जा सकती हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के तहत गठित एक सांविधिक निकाय है।

4. **अमेरिकी कानून के कारण NCMEC दुनिया भर के CSAM का केंद्र बन गया** — अमेरिकी संघीय कानून के तहत अमेरिका स्थित इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदाताओं को अपनी जानकारी में आई प्रत्यक्ष बाल यौन शोषण सामग्री की रिपोर्ट एक निजी गैर-लाभकारी संस्था, नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन, की साइबरटिपलाइन को देनी होती है। इसके बाद NCMEC अन्य देशों से जुड़ी रिपोर्टें वहां के अधिकारियों को भेजता है। 2019 से भारत से संबंधित रिपोर्टें राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) और NCMEC के बीच हुई एक व्यवस्था के माध्यम से भारतीय अधिकारियों को मिलती रही हैं और राज्य पुलिस तक पहुंचाई जाती रही हैं। चूंकि सबसे बड़े प्लेटफॉर्म अमेरिकी हैं, इसलिए भारतीय उपयोगकर्ताओं से जुड़ी CSAM की ज्यादातर रिपोर्टें भारत पहुंचने से पहले अमेरिका होकर आती रही हैं।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. **पाठ्यक्रम में सोशल मीडिया और साइबर सुरक्षा का नाम लेकर उल्लेख है** — सामान्य अध्ययन-3 में "आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों में मीडिया और सोशल नेटवर्किंग साइटों की भूमिका" और "साइबर सुरक्षा की बुनियादी बातें" शामिल हैं। UPSC साइबर खतरों, IT अधिनियम और मध्यस्थों के विनियमन पर प्रश्न पूछ चुका है। प्लेटफॉर्मों द्वारा बाल शोषण सामग्री की रिपोर्टिंग के तरीके में बदलाव साइबर पुलिसिंग, बाल अधिकार और प्लेटफॉर्म विनियमन को एक साथ जोड़ता है। 2. **प्रारंभिक परीक्षा संस्थाओं और उनके मूल मंत्रालयों को परखती है** — I4C या CERT-In किस मंत्रालय के अधीन है, NCPCR किस अधिनियम से गठित है, और IT अधिनियम की कौन-सी धारा किस अपराध से संबंधित है — ऐसे प्रश्न आम हैं। गृह मंत्रालय के अधीन I4C और MeitY के अधीन CERT-In के बीच का अंतर एक आम जाल है। 3. **सामान्य अध्ययन-2 और नीतिशास्त्र से जुड़ाव** — बाल संरक्षण सामान्य अध्ययन-2 में कमजोर वर्गों से जुड़ा विषय है, और निजता, एन्क्रिप्शन तथा बाल सुरक्षा के बीच संतुलन सामान्य अध्ययन-4 की एक दुविधा है। POCSO पर सर्वोच्च न्यायालय का 2024 का निर्णय एक ताजा कानूनी आधार देता है।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67B बच्चों को यौन रूप से स्पष्ट कृत्यों में दिखाने वाली सामग्री के प्रकाशन, प्रसारण, ब्राउज़िंग, डाउनलोडिंग या आदान-प्रदान को दंडित करती है। ● भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल का प्रबंधन करता है। ● 2019 में संशोधित POCSO अधिनियम, 2012 की धारा 15 बच्चे से जुड़ी अश्लील सामग्री को हटाए, नष्ट किए या रिपोर्ट किए बिना संग्रहीत करने या अपने पास रखने को दंडित करती है। ● IT नियम, 2021 के तहत महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थ बाल यौन शोषण सामग्री की स्वतः पहचान के लिए स्वचालित उपकरणों सहित तकनीक-आधारित उपाय लगाने का प्रयास करेगा। ● राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के तहत गठित एक सांविधिक निकाय है। ● IT अधिनियम, 2000 की धारा 79 किसी मध्यस्थ को तीसरे पक्ष की सूचना के दायित्व से तभी छूट देती है जब वह सम्यक तत्परता बरते और प्रसारण को आरंभ, चयनित या संशोधित न करे। ● 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची के विषय हैं।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. **सीधी रिपोर्टिंग से गति बढ़ती है, और बाल संरक्षण को सबसे ज्यादा गति ही चाहिए** — ET का यह कहना सही है कि NCMEC वाले रास्ते से देरी होती है : भारत में बनी रिपोर्ट पहले अमेरिका की एक गैर-लाभकारी संस्था तक जाती है, वहां संसाधित होती है और फिर लौटकर आती है। जिस बच्चे का शोषण अभी हो रहा है, उसके लिए हर दिन मायने रखता है। I4C को सीधी रिपोर्टिंग, जो उसे तुरंत राज्य पुलिस तक पहुंचा सकता है, इस कड़ी को छोटा कर देती है। इससे भारतीय अधिकारियों को वही आंकड़े उसी समय मिलते हैं जब वे अमेरिका पहुंचते हैं, और उन्हें किसी दूसरे देश की प्राथमिकताओं पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। यह एक व्यावहारिक लाभ है जिसके लिए नए कानून की जरूरत नहीं है। 2. **यह बदलाव किसी नए कानून से नहीं, सांविधिक आयोगों के दबाव से आया** — घटनाओं का क्रम बहुत कुछ कहता है : पहले NCPCR और NHRC की जांच, फिर मेटा इंडिया के प्रमुख को दो बार तलब किया जाना, फिर मेटा की सहमति, और उसके बाद गूगल की। सांविधिक आयोगों ने तलब करने और पूछताछ करने की अपनी शक्ति से वह नतीजा हासिल कर लिया जो बरसों के नियम नहीं दिला पाए थे। इससे पता चलता है कि मौजूदा ढांचा — धारा 79 की सम्यक तत्परता, IT नियम और POCSO — कागज पर तो पर्याप्त है, पर प्रवर्तन में कमजोर है। विपरीत मत यह है कि ऐसा दबाव तदर्थ (ad hoc) है, और सभी प्लेटफॉर्मों पर लागू एक स्पष्ट नियम कंपनी-दर-कंपनी बातचीत से अधिक न्यायसंगत और टिकाऊ होगा। 3. **राज्य पुलिस में क्षमता के बिना ज्यादा रिपोर्टें बेमानी होंगी** — प्लेटफॉर्म बहुत बड़ी मात्रा में सामग्री पकड़ते हैं, और सीधी रिपोर्टिंग शुरू होने से भारतीय एजेंसियों के पास कहीं ज्यादा रिपोर्टें पहुंचेंगी। पुलिस राज्य का विषय है, और कई राज्यों के साइबर सेल में कर्मचारियों की कमी है तथा फोरेंसिक उपकरण और प्रशिक्षित अधिकारी नहीं हैं। अगर रिपोर्टें बिना जांचे पड़ी रहीं, तो तेज रिपोर्टिंग देरी को बस अमेरिका से भारत स्थानांतरित कर देगी। I4C का असली महत्व प्राथमिकता तय करने (triage) में है — उन रिपोर्टों को पहचानने में जो किसी ऐसे बच्चे की ओर इशारा करती हैं जो अभी खतरे में है — और राज्यों की क्षमता बढ़ाने में, न कि केवल आंकड़े

	प्राप्त करने में। 4. **सामग्री हटाने और रिपोर्ट करने से प्रवर्धन की समस्या हल नहीं होती** — ET पॉडकास्ट में पूवय्या का तर्क है कि असली खामी उन एल्गोरिदम में है जो हानिकारक सामग्री को ज्यादा उपयोगकर्ताओं तक धकेलते हैं, और कमजोर प्रवर्तन में। रिपोर्टिंग सामग्री मिलने के बाद की कार्रवाई है; यह सिफारिश प्रणालियों को उसे फैलाने से या विज्ञापन प्रणालियों को उसे चलाने से नहीं रोकती — और मेटा के विरुद्ध NCPCR की जांच इसी बारे में थी। गंभीर जवाब के लिए प्लेटफॉर्मों को यह ऑडिट करना होगा कि उनकी सिफारिश और विज्ञापन प्रणालियां बाल शोषण सामग्री से कैसे निपटती हैं। इस पर सहमति बनाना रिपोर्टिंग चैनल से कहीं कठिन है, और शायद इसीलिए इस पर अब तक सहमति नहीं बनी। 5. **यहां डेटा संप्रभुता बच्चों के हित में है, पर इस सिद्धांत को खींचा भी जा सकता है** — किसी भारतीय एजेंसी को सीधी रिपोर्टिंग डेटा संप्रभुता (data sovereignty) का ही एक रूप है — भारतीय डेटा किसी दूसरे देश से गुजरे बिना भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों तक पहुंचता है। CSAM के मामले में इसके विरुद्ध निजता का तर्क कमजोर है, क्योंकि यह सामग्री हर जगह अवैध है। जोखिम यह है कि बाद में यही चैनल ऐसी अन्य सामग्री तक फैला दिया जाए जहां मामला इतना स्पष्ट नहीं है, जैसे राजनीतिक अभिव्यक्ति। स्पष्ट सुरक्षा उपायों और ऑडिट के साथ इस व्यवस्था को CSAM तक सीमित रखने से बच्चों की भी रक्षा होगी और चैनल की विश्वसनीयता भी बनी रहेगी।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	"ऑनलाइन बाल यौन शोषण सामग्री एक सीमाहीन अपराध है, जिसकी पुलिसिंग राष्ट्रीय व्यवस्थाओं के जरिए होती है।" गूगल और मेटा द्वारा ऐसी सामग्री की रिपोर्ट सीधे भारतीय अधिकारियों को देने पर सहमति के आलोक में, भारत में ऑनलाइन बाल यौन शोषण से निपटने के विधिक और संस्थागत ढांचे का परीक्षण कीजिए तथा उसे सुदृढ़ करने के उपाय सुझाइए। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. **भूमिका** — घटनाक्रम बताइए: मेटा के बाद गूगल भी केवल अमेरिका के NCMEC पर निर्भर रहने के बजाय CSAM की रिपोर्ट सीधे गृह मंत्रालय के अधीन I4C को देगा। 2. **मुख्य भाग — विधिक ढांचा** — IT अधिनियम की धारा 67B और धारा 79, स्वत: पहचान पर IT नियम 2021, 2019 में संशोधित POCSO की धारा 15, और सामग्री रखने तथा शब्दावली पर सर्वोच्च न्यायालय के 2024 के निर्णय को समझाइए। 3. **मुख्य भाग — संस्थागत ढांचा** — I4C, राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल, जांच एजेंसी के रूप में राज्य पुलिस, 2005 के अधिनियम के तहत NCPCR, और NCMEC तथा NCRB के माध्यम से चलने वाले पुराने रास्ते का वर्णन कीजिए। 4. **मुख्य भाग — खामियां और उपाय** — पुराने रास्ते में देरी, राज्य साइबर सेल की क्षमता, एल्गोरिदमिक प्रवर्धन और विज्ञापन, पीड़ित की पहचान और पुनर्वास, तथा दायरा बढ़ने (mission creep) के जोखिम पर चर्चा कीजिए; प्राथमिकता निर्धारण प्रोटोकॉल, प्रशिक्षण और फोरेंसिक प्रयोगशालाएं, सिफारिश प्रणालियों का ऑडिट, और रिपोर्टिंग चैनल की स्पष्ट सीमाएं सुझाइए। 5. **निष्कर्ष** — निष्कर्ष दीजिए कि ऑनलाइन बच्चों की सुरक्षा के लिए प्लेटफॉर्मों, केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग चाहिए, और कार्रवाई की गति के साथ क्षमता और सुरक्षा उपाय भी होने चाहिए।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	**प्रश्न 1. आप जिला साइबर सेल के प्रभारी पुलिस अधीक्षक हैं। I4C एक प्लेटफॉर्म रिपोर्ट भेजता है जिससे पता चलता है कि आपके जिले में एक बच्चे का शोषण हो रहा है और सामग्री साझा की जा रही है। आप क्या करेंगे?** ***दृष्टिकोण (Approach):*** मैं इसे आपात स्थिति मानूंगा, क्योंकि बच्चा अभी खतरे में हो सकता है। मैं एक महिला अधिकारी सहित एक छोटी टीम बनाऊंगा, विधिक प्रक्रिया के तहत प्लेटफॉर्म और सेवा प्रदाताओं के माध्यम से अकाउंट और स्थान का पता लगाऊंगा, और बच्चे को छुड़ाने तथा उसकी देखभाल के लिए बाल कल्याण समिति और जिला बाल संरक्षण इकाई के साथ समन्वय करूंगा। मैं POCSO और IT अधिनियम के तहत FIR दर्ज करूंगा और डिजिटल साक्ष्य सावधानी से सुरक्षित रखूंगा। POCSO की अपेक्षा के अनुसार पूरी प्रक्रिया में बच्चे की पहचान गोपनीय रखी जानी चाहिए। **प्रश्न 2. आप MeitY में संयुक्त सचिव हैं। अन्य प्लेटफॉर्म पूछते हैं कि क्या उन्हें भी सीधे I4C को रिपोर्ट करना होगा। आप क्या जवाब देंगे?** ***दृष्टिकोण (Approach):*** मैं समझाऊंगा कि IT अधिनियम और IT नियम पहले से ही सम्यक तत्परता की, और बड़े प्लेटफॉर्मों के लिए CSAM की स्वत: पहचान की अपेक्षा करते हैं, और इन

दायित्वों को पूरा करने का सबसे प्रभावी तरीका भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सीधी रिपोर्टिंग है। बोझ कम रखने के लिए मैं एक मानक तकनीकी प्रारूप और I4C के साथ संपर्क का एक ही बिंदु उपलब्ध कराऊंगा। मैं यह भी स्पष्ट करूंगा कि यह चैनल CSAM और इसी प्रकृति की अवैध सामग्री तक सीमित है। सभी प्लेटफॉर्मों के लिए एक जैसा दृष्टिकोण अलग-अलग बातचीत से अधिक न्यायसंगत है।

प्रश्न 3. साक्षात्कार बोर्ड पूछता है : क्या बाल शोषण सामग्री पकड़ने के लिए प्लेटफॉर्मों को एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन तोड़ने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए ?

दृष्टिकोण (Approach): यह निजता और बाल सुरक्षा के बीच वास्तविक टकराव है, और दोनों ही संरक्षित मूल्य हैं। सबके लिए एन्क्रिप्शन तोड़ने से बच्चों सहित सभी उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा कमजोर होगी, और इसका निगरानी के लिए दुरुपयोग हो सकता है। बेहतर उपायों में सेवाओं के बिना एन्क्रिप्शन वाले हिस्सों में पहचान, उपयोगकर्ताओं के लिए रिपोर्टिंग टूल, मेटाडेटा-आधारित संकेत, और रिपोर्ट मिलने के बाद मजबूत जांच शामिल हैं। कानून को प्लेटफॉर्मों पर एन्क्रिप्शन तोड़े बिना हर संभव प्रयास करने का दबाव बनाना चाहिए, और तकनीक बदलने के साथ इस संतुलन की समीक्षा करते रहना चाहिए।

9. नैतिकता एवं प्रशासक कोना — समन्वित केस स्टडी (Ethics & Administrator's Corner — Integrative Case Studies)

ये तीन केस स्टडी आज के समाचार पत्रों की कहानियों को जीएस4-शैली (GS4-style) के परिदृश्यों में एक साथ पिरोती हैं। आदर्श दृष्टिकोण (Model Approach) पढ़ने से पहले प्रश्नों को कागज़ पर हल करें, जिसे नामित बिंदुओं के रूप में लिखा गया है ताकि आप केवल अपने निष्कर्षों की नहीं, बल्कि अपनी संरचना की भी इससे तुलना कर सकें।

केस 1 — छत पर वह महिला और वह बंदर जिसे कानून भूल गया

परिदृश्य (SCENARIO) आप एक पहाड़ी राज्य की राजधानी के नगर निगम आयुक्त (Municipal Commissioner) हैं। 30 अगस्त को 63 वर्ष की एक महिला पर उनके घर की छत पर रीसस बंदरों (rhesus macaque) के एक झुंड ने हमला कर दिया। उन्हें रीढ़ की हड्डी की चोट सहित गंभीर चोटें आईं और 5 सितंबर को उनकी मृत्यु हो गई। आपके निगम के रिकॉर्ड में हर महीने बंदरों के 50-55 हमले दर्ज होते हैं। वर्ष 2022 तक रीसस बंदर वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत संरक्षित प्रजाति था, और उसे पकड़ने, उसकी नसबंदी करने तथा मुआवज़ा देने का काम राज्य का वन विभाग देखता था। वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2022 ने इसे अधिनियम की अनुसूचियों से हटा दिया। अब मुख्य वन्यजीव संरक्षक (Chief Wildlife Warden) का कहना है कि बंदर "आवारा पशु जैसा" है और नगरीय निकायों के दायरे में आता है। वन विभाग बंदरों को पकड़ने और उनकी नसबंदी में अब भी मदद करता है, पर इसके बदले आपके निगम से प्रति बंदर ₹700 वसूलता है; पहले उसे जो केंद्रीय धनराशि मिलती थी, वह भी बंद हो चुकी है। आपके कर्मचारियों को बंदर पकड़ने का प्रशिक्षण अभी-अभी मिलना शुरू हुआ है। राज्य की वन्यजीव मुआवज़ा नीति के तहत जंगली जानवर के हमले में मृत्यु होने पर ₹4 लाख मिलते हैं, लेकिन अधिकारियों के संकेत हैं कि परिवार शायद इसका पात्र न हो, क्योंकि यह बंदर अब अधिनियम के दायरे में नहीं है। एक गैर-सरकारी संगठन (NGO) आपके कार्यालय के बाहर धरना दे रहा है; उसकी मांग है कि परिवार को ₹5 लाख दिए जाएं और बंदरों को खाना खिलाने वालों पर कार्रवाई हो। परिवार गरीब है। महिला का बेटा सबके सामने आपसे पूछता है: "अगर वन विभाग ज़िम्मेदार नहीं है और आप भी ज़िम्मेदार नहीं हैं, तो मेरी माँ को मारा किसने?" आपके निगम के बजट में ऐसे मुआवज़े के लिए कोई मद (budget head) नहीं है, और लेखा-परीक्षा विभाग (audit department) चेतावनी दे चुका है कि कानूनी स्वीकृति के बिना कोई भुगतान न किया जाए।

प्रश्न 1. जब कानून में बदलाव के कारण किसी नागरिक को हुई क्षति की ज़िम्मेदारी किसी की नहीं रह जाती, तब कौन-से नैतिक मुद्दे उठते हैं?

प्रश्न 2. आयुक्त के रूप में क्या आप परिवार की मदद का कोई वैध रास्ता निकाल सकते हैं, और क्या आपको ऐसा करना चाहिए?

प्रश्न 3. आप कौन-से दीर्घकालिक कदम उठाएंगे ताकि अगला पीड़ित इसी खालीपन में न छूट जाए?

आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH)

1. **मूल समस्या शासन की शून्यता (governance vacuum) है, और ऐसी शून्यता अपने आप में एक नैतिक विफलता है** — किसी एक अधिकारी ने कोई नियम नहीं तोड़ा, फिर भी नतीजा यह है कि एक महिला की जान चली गई और राज्य कह रहा है कि इसके लिए कोई ज़िम्मेदार नहीं है। 2022 के संशोधन ने बंदर की कानूनी स्थिति तो बदल दी, पर जिन निकायों से अब कार्रवाई की अपेक्षा है, उन्हें न धन सौंपा, न विशेषज्ञता, न मुआवज़े का ढांचा। लोक प्रशासन में जवाबदेही (accountability) का अर्थ ही यह है कि हर पूर्वानुमेय सार्वजनिक क्षति के लिए कोई न कोई प्राधिकारी उत्तर दे। इसलिए बेटे का प्रश्न उचित है, और आयुक्त को इस तकनीकी जवाब की आड़ नहीं लेनी चाहिए कि अब कानून बंदरों पर लागू नहीं होता। नैतिक दृष्टि से शुरुआत यहीं से होनी चाहिए कि जो निगम अब इस विषय का प्रभारी प्राधिकारी है, उस पर परिवार को कम से कम एक उत्तर देने का दायित्व तो है।

2. **करुणा को कानूनी रास्तों से होकर चलना चाहिए, उन्हें लांघकर नहीं** — बजट मद के बिना नगर निगम की निधि से ₹5 लाख देना वित्तीय नियमों का उल्लंघन होगा और इस पर लेखा-परीक्षा आपत्तियां उठेंगी; जो आयुक्त अनियमित भुगतान करता है, वह ऐसी परिपाटी डाल देता है जिसे वह आगे निभा नहीं सकता। लेकिन वैध विकल्प मौजूद हैं। वह राज्य सरकार से सिफ़ारिश कर सकता है कि मुख्यमंत्री राहत कोष से अनुग्रह राशि (ex gratia) दी जाए, या यदि राज्य ऐसे हमलों को स्थानीय आपदा के रूप में अधिसूचित कर दे तो राज्य के आपदा प्रतिक्रिया तंत्र से सहायता मिले। वह निर्वाचित परिषद से एकमुश्त स्वीकृति मांग सकता है, और परिवार को उन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ सकता है जिनके वे पात्र हैं। यह सब उसे कुछ ही दिनों के भीतर लिखित रूप में राज्य के सामने रखना चाहिए, ताकि देरी को उदासीनता न समझ लिया जाए। सिद्धांत यह है कि नियम साधनों को सीमित करते हैं, प्रयास करने के कर्तव्य को नहीं।

3. **विभागों के आपसी विवाद की कीमत परिवार को न चुकानी पड़े** — ज़िम्मेदारी किसकी है, इस पर वन विभाग और निगम की अपनी-अपनी व्याख्याएं हैं, और प्रति बंदर ₹700 का शुल्क दिखाता है कि हर कोई अपना बजट बचाने में लगा है। परिवार को इस विवाद के सुलझने तक प्रतीक्षा करने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। आयुक्त को मामला मुख्य सचिव तक ले जाना चाहिए, ताकि ज़िम्मेदारी और धन के बारे में तुरंत एक अंतरिम निर्णय हो, और साथ-साथ परिवार की मदद भी जारी रखनी चाहिए। विभागों में भीतर ही भीतर मतभेद हों, तब भी नागरिक के सामने सरकार का एक ही चेहरा होना चाहिए — यह लोक सेवकों का दायित्व है।

4. **केवल इस मामले का नहीं, इसकी जड़ का भी समाधान करें** — राज्य 2006 से अब तक 1,86,448 बंदरों की नसबंदी कर चुका है, और सरकारी आंकड़ों के अनुसार बंदरों की अनुमानित संख्या 2004 में 3,17,512 से घटकर 2019-20 में 1,36,443 रह गई। इससे संकेत मिलता है कि नसबंदी लगातार की जाए तो कारगर होती है। निगम को यह काम प्रशिक्षित कर्मचारियों के ज़रिए या वन विभाग के साथ औपचारिक समझौता करके जारी रखना चाहिए। सार्वजनिक रूप से बंदरों को खाना खिलाने पर रोक सख्ती से लागू होनी चाहिए, क्योंकि विशेषज्ञों के अनुसार यही उन्हें जंगलों से बाहर खींच लाता है। जिन वार्डों में हमले अधिक होते हैं, वहां कूड़े का सुरक्षित प्रबंधन हो और छतों तक बंदरों की पहुंच रोकी जाए। हमलों का वार्ड-स्तरीय नक्शा बनाकर पकड़ने वाले दलों को वहां भेजा जा सकता है जहां उनकी सबसे अधिक ज़रूरत है। रोकथाम मुआवज़े से सस्ती पड़ती है।

5. **उस नीतिगत खामी को दूर करें जिससे यह त्रासदी पैदा हुई** — आयुक्त को औपचारिक रूप से सिफ़ारिश करनी चाहिए कि राज्य अपनी मुआवज़ा नीति में संशोधन करे, ताकि अधिनियम की अनुसूचियों से हटाए गए पशुओं के हमले भी इसके दायरे में आएं, या फिर शहरी क्षेत्रों में मानव-पशु संघर्ष के लिए एक अलग योजना बने जिसका धन-स्रोत स्पष्ट हो। उसे यह मांग भी रखनी चाहिए कि जब पकड़ने और नसबंदी की ज़िम्मेदारी शहरी स्थानीय निकायों को सौंपी गई है, तो उसके लिए धन भी उन्हीं के पास आए। जब सरकार की अपनी नीति अन्यायपूर्ण परिणाम दे रही हो, तो सरकार को लिखित रूप में यह बताना भी लोक सेवक के कर्तव्य का हिस्सा है।

6. **परिवार और जनता से ईमानदारी से संवाद करें** — आयुक्त को परिवार से मिलकर समझाना चाहिए कि कानून के तहत क्या किया जा सकता है और क्या नहीं, उसने कौन-से कदम उठाए हैं और इनमें कितना समय लगने की संभावना है। उसे उस NGO से भी मिलना चाहिए और बंदरों को खाना न खिलाने के सार्वजनिक अभियान में सहयोग के लिए उसे आमंत्रित करना चाहिए। अपनी शक्ति की सीमाओं के बारे में ईमानदारी, और उन सीमाओं के भीतर दिखाई देने वाला प्रयास — ये दोनों मिलकर उन वादों से कहीं अधिक भरोसा पैदा करते हैं जो निभाए न जा सकें, और उन इनकारों से भी जो नियमों की आड़ में किए जाएं।

केस 2 — काउंटर के ऊपर लगा कैमरा

परिदृश्य (SCENARIO) आप एक बड़े राज्य के औषधि नियंत्रक (Drugs Controller) हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक प्रारूप अधिसूचना (draft notification) जारी की है, जिसके अनुसार दवा की दुकानों पर सीसीटीवी निगरानी अनिवार्य होगी और रिकॉर्डिंग तीन महीने तक सुरक्षित रखनी होगी। इसका उद्देश्य अनुसूची H, H1 और X की दवाओं की अनधिकृत बिक्री पर रोक लगाना है — ये पर्चे पर मिलने वाली दवाएं हैं, जिनमें तेज़ एंटीबायोटिक, मन:प्रभावी (psychotropic) और आदत डालने वाली दवाएं शामिल हैं। यह उपाय पहली बार 2021 में बच्चों में दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रस्तावित हुआ था, और औषधि परामर्शदात्री समिति (Drugs Consultative Committee) के एक वरिष्ठ सदस्य ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि कैमरे दवा विक्रेताओं में "डर पैदा करेंगे", ताकि वे बच्चों को बिना पर्चे के ऐसी दवाएं न बेचें। 2019 में प्रकाशित एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण में पाया गया कि लगभग 1.8% बच्चे ओपिऑइड (opioids) का सेवन करते हैं। आपके राज्य में कई सौ दुकानों पर लगभग एक औषधि निरीक्षक है, इसलिए फुटेज की नियमित समीक्षा असंभव है। अखिल भारतीय केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट संगठन (All India Organisation of Chemists and Druggists) से जुड़े राज्य केमिस्ट संघ का कहना है कि एक दुकान को इस पर लगभग एक लाख रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कटौती और कमज़ोर कनेक्टिविटी के कारण नियम का पालन कठिन है, और कैमरे मरीज़ों की निजता का उल्लंघन करेंगे। कई ग्रामीण दुकानों की रोज़ की बिक्री ₹5,000 से ₹10,000 के बीच है। पिछले महीने आपके राज्य में एक 15 वर्षीय किशोर को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, क्योंकि उसने गांव की एक छोटी दुकान से बिना पर्चे के खरीदी गई नींद की दवा (sedative) की अधिक मात्रा ले ली थी। उसकी माँ ने आपको लिखा है: "हर दुकान में कैमरा लगवाइए। मैं अपना बेटा खोऊं, इससे तो अच्छा है कि वे एक लाख खो दें।" महिलाओं के स्वास्थ्य पर काम करने वाले एक NGO ने अलग से लिखा है कि गर्भनिरोधक और एचआईवी की दवाएं खरीदने वाली महिलाएं पहले से ही किसी के देख लेने से डरती हैं, और अगर उन्हें पता चला कि उनकी रिकॉर्डिंग हो रही है तो वे ये दवाएं खरीदना ही बंद कर सकती हैं।

प्रश्न 1. इस मामले में परस्पर टकराते मूल्यों और हितधारकों (stakeholders) की पहचान कीजिए।

प्रश्न 2. आप अपने राज्य में इस नियम को किस तरह लागू करेंगे कि यह बच्चों की रक्षा भी करे और किसी को अनुपातहीन नुकसान भी न पहुंचाए?

प्रश्न 3. क्या "डर" पैदा करना विनियमन (regulation) का नैतिक रूप से स्वीकार्य साधन है?

आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH)

1. **टकराव में खड़े सभी मूल्य वैध हैं** — माँ बच्चों की सुरक्षा की बात कर रही है, जो राज्य के सबसे प्रबल कर्तव्यों में से एक है। NGO निजता और संवेदनशील स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच की बात कर रहा है, जिन्हें पुट्टस्वामी (2017) मामले में की गई व्याख्या के अनुसार अनुच्छेद 21 का संरक्षण प्राप्त है। दवा विक्रेता आजीविका और अनुपालन लागत की आनुपातिकता की बात कर रहे हैं, और ग्रामीण मरीज़ों का सरोकार यह है कि छोटी दुकानें बंद हुईं तो उन्हें दवाएं मिलती रहेंगी या नहीं। औषधि नियंत्रक को इनमें से किसी एक को तुरुप का पत्ता नहीं मान लेना चाहिए। नैतिक कार्य ऐसा ढांचा खोजना है जो सबसे प्रबल हित — बच्चों की सुरक्षा — को पूरा करे और बाकी हितों को कम से कम नुकसान पहुंचाए।

2. **कैमरा लेन-देन पर नज़र रखे, मरीज़ पर नहीं** — कैमरे इस तरह लगाए जा सकते हैं कि ग्राहक के चेहरे के बजाय काउंटर, हाथ और दी जा रही दवा रिकॉर्ड हो; यह दिखाने के लिए इतना काफ़ी है कि किसी बच्चे ने नियंत्रित दवा खरीदी या नहीं। फुटेज तक पहुंच केवल अधिकृत निरीक्षकों को, किसी विशिष्ट शिकायत या निरीक्षण के सिलसिले में ही मिले, और हर बार की पहुंच का लिखित रिकॉर्ड रखा जाए। तीन महीने की अवधि पूरी होने पर फुटेज मिटा दी जाए और किसी अन्य उद्देश्य के लिए उसका उपयोग न हो। एक सूचना-पट्ट के ज़रिए दवा विक्रेताओं और ग्राहकों को बताया जाए कि क्या रिकॉर्ड हो रहा है और क्यों। ये सुरक्षा उपाय वैधता, वैध उद्देश्य और आनुपातिकता की कसौटी पर खरे उतरते हैं और NGO की अधिकांश चिंताओं का उत्तर भी देते हैं।

3. **जोखिम और क्षमता के अनुसार बोझ को चरणों में बांटें** — सबके लिए एक ही समय-सीमा तय करने से सबसे छोटी ग्रामीण दुकानों पर सबसे भारी मार पड़ेगी। नियंत्रक को पहले उन दुकानों में कैमरे अनिवार्य करने चाहिए जिनके पास अनुसूची X की दवाएं रखने का लाइसेंस है, जिनका पहले उल्लंघन का रिकॉर्ड रहा है, और जो शहरी दुकानें स्कूलों-कॉलेजों के पास हैं। छोटी दुकानों को अधिक समय मिले और ऐसे सरल ऑफ़लाइन रिकॉर्डरों की अनुमति हो जिन्हें कनेक्टिविटी की ज़रूरत न हो। सबसे छोटी दुकानों के लिए बैंक ऋण या राज्य सब्सिडी के माध्यम से सहायता की संभावना भी तलाशी जा सकती है। आनुपातिकता केवल एक कानूनी सिद्धांत नहीं है; सीमित अनुपालन बजट को बांटने का भी यह एक समझदारी भरा तरीका है।

4. **प्रतिरोध (deterrence) के रूप में डर तभी स्वीकार्य है जब वह न्यायसंगत और विश्वसनीय हो** — हर कानून परिणामों के डर के सहारे ही गलत काम को रोकता है, और गलत काम करने वालों के मन में पकड़े जाने का डर पैदा करने में कुछ भी अनैतिक नहीं है। अनैतिक वह डर होगा जो ईमानदार और दोषी दोनों पर समान रूप से पड़े, जबकि पकड़े जाने की कोई वास्तविक संभावना ही न हो — ऐसा डर केवल उत्पीड़न बनकर रह जाता है। इसलिए प्रतिरोध के पीछे विश्वसनीय प्रवर्तन होना चाहिए: दुकानों के एक यादृच्छिक नमूने में

फुटेज की औचक जांच, शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई और दिखाई देने वाले दंड। वरना यह नियम सुरक्षा दिए बिना केवल लागत पैदा करेगा, और इससे न दवा विक्रेताओं का भला होगा, न बच्चों का।

5. **कैमरा एक साधन है; प्रवर्तन और पर्चा-व्यवस्था बाकी साधन हैं** — अनुसूची H1 रजिस्टर में दवा विक्रेता को पहले से ही पर्चा लिखने वाले डॉक्टर, मरीज़ और दवा की मात्रा का ब्योरा दर्ज करना होता है; नियंत्रक को निरीक्षकों से इन रजिस्टरों का नियमित ऑडिट कराना चाहिए। अनुसूची X की बिक्री का ऐप-आधारित रिकॉर्ड, पंजीकृत डॉक्टरों से जुड़े ई-पर्चे (e-prescription) और स्कूलों में जागरूकता — ये सभी बच्चों तक इन दवाओं की पहुंच घटा सकते हैं। नियंत्रक को और अधिक निरीक्षकों की नियुक्ति के लिए भी ज़ोर देना चाहिए, क्योंकि कोई भी तकनीक निरीक्षक संवर्ग (cadre) की जगह नहीं ले सकती। ओवरडोज़ वाले मामले की भी जांच होनी चाहिए और उल्लंघन सिद्ध होने पर दुकान का लाइसेंस निलंबित किया जाना चाहिए, ताकि यह संदेश जाए कि नियम केवल कागज़ी नहीं हैं।

6. **माँ और NGO से स्वयं संवाद करें** — नियंत्रक को माँ को उत्तर देना चाहिए और बताना चाहिए कि राज्य क्या कर रहा है तथा नींद की दवा बेचने वाली दुकान के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है। उसे महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़े NGO से मिलना चाहिए और उसके सुझावों को राज्य के कार्यान्वयन दिशानिर्देशों में शामिल करना चाहिए। जो नियामक सभी प्रभावित समूहों से खुलकर संवाद करता है, उसके द्वारा ऐसा नियम बनाने की संभावना अधिक होती है जो सचमुच काम करे, और वह बल प्रयोग के बिना भी नियमों का पालन करवा पाता है।

केस 3 — शिकायत से पहले आया वीडियो

परिदृश्य (SCENARIO) आप बिहार के एक ज़िले के पुलिस अधीक्षक (Superintendent of Police) हैं। शनिवार की शाम दसवीं कक्षा के दो विद्यार्थी — एक लड़की और एक लड़का, जो साथ पढ़ते हैं और जिनकी दोस्ती के बारे में दोनों के परिवार जानते हैं — कोचिंग के बाद स्कूटर से शहर के बाहरी पहाड़ी इलाके में घूमने गए। सात-आठ युवकों के एक समूह ने उन्हें घेर लिया, लड़के को थप्पड़ मारे और लड़की से छेड़छाड़ की। वीडियो में दिखता है कि दोनों बार-बार माफ़ी मांग रहे हैं और फिर कभी न लौटने का वादा कर रहे हैं, कुछ लोग चिल्ला रहे हैं कि इन दोनों की शादी करा दी जाए, और नकाब पहने एक व्यक्ति लड़की को उठाकर भागने लगता है, जब तक कि लड़का उसका पीछा नहीं करता। लड़की ने अपने परिवार को कुछ नहीं बताया। दो दिन बाद वीडियो वायरल हो गए, पूरे देश में आक्रोश फैल गया, विपक्षी नेताओं ने इस घटना को "बेहद विचलित करने वाला" बताया और राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान (suo motu cognisance) लिया। आपकी पुलिस ने प्राथमिकी (FIR) दर्ज की है और तीन लोगों को गिरफ़्तार किया है, जिनके नाबालिग होने का अनुमान है। राज्य के अपर पुलिस महानिदेशक (Additional Director General) ने सफ़ाई दी है कि देरी इसलिए हुई क्योंकि पीड़िता ने शिकायत नहीं की थी। टेलीविज़न चैनल अब धुंधली की गई क्लिप दिखा रहे हैं, और स्थानीय समूह मैसेजिंग ग्रुपों में बिना धुंधलाए वीडियो साझा कर रहे हैं। एक स्थानीय नेता ने पत्रकारों से कहा है कि "सुनसान जगहों पर घूमने वाले बच्चे मुसीबत को खुद न्योता देते हैं"। लड़की का परिवार चाहता है कि उसके विवाह की संभावनाओं को बचाने के लिए मामला चुपचाप बंद कर दिया जाए; लड़के का परिवार अधिकतम प्रचार चाहता है ताकि हमलावरों को सज़ा मिले। आपके वरिष्ठ अधिकारी चाहते हैं कि जल्दी से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और गिरफ़्तारियों की घोषणा की जाए।

प्रश्न 1. दोनों बच्चों के प्रति आपके तात्कालिक कानूनी और नैतिक कर्तव्य क्या हैं?

प्रश्न 2. वायरल वीडियो, मीडिया और दोनों परिवारों की परस्पर विरोधी मांगों से आप कैसे निपटेंगे?

प्रश्न 3. इस घटना में सामने आई नैतिक पहरेदारी (moral policing) की मानसिकता का पुलिस को किस तरह जवाब देना चाहिए?

आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH)

1. **दोनों बच्चे पीड़ित हैं, और कानून उनकी गरिमा को सबसे ऊपर रखता है** — दोनों नाबालिग हैं और लड़की के साथ यौन हमला हुआ है, इसलिए लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (POCSO), 2012 लागू होता है। POCSO के अनुसार बच्ची का बयान बाल-अनुकूल तरीके से दर्ज किया जाना चाहिए — यथासंभव उसके घर पर या उसकी पसंद की जगह पर, ऐसी महिला अधिकारी द्वारा जो वर्दी में न हो — और उसकी पहचान उजागर नहीं की जानी चाहिए। पुलिस को चिकित्सा देखभाल, परामर्श, तथा बाल कल्याण समिति (Child Welfare Committee) और एक सहायक व्यक्ति (support person) के माध्यम से सहायता भी सुनिश्चित करनी चाहिए। लड़का, जिस पर उसे बचाते हुए हमला हुआ, वह भी पीड़ित है और उसे भी उतनी ही देखभाल चाहिए। पहला कर्तव्य बच्चों की रक्षा करना है, सुर्खियों को संभालना नहीं।

2. **दूसरे हमले को रोकें: वीडियो का प्रसार** — बिना धुंधलाए वीडियो को हर बार आगे भेजना लड़की की गरिमा का फिर से उल्लंघन है, और किसी बच्चे से जुड़ी यौन रूप से स्पष्ट सामग्री साझा करना अपने आप में POCSO और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (Information Technology Act) के तहत अपराध है। पुलिस अधीक्षक को साइबर सेल को निर्देश देना चाहिए कि वह वीडियो फैलाने वालों का पता लगाकर उन पर कार्रवाई करे, प्लेटफ़ॉर्मों से इन्हें हटाने का अनुरोध करे, और एक सार्वजनिक परामर्श (advisory) जारी करे कि इन्हें साझा करना अपराध है। उसे प्रसारकों को भी याद दिलाना चाहिए कि बाल पीड़ित की पहचान उजागर करने पर कानूनी रोक है। यहां की गई सख्त कार्रवाई किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से अधिक लड़की की रक्षा करती है।

3. **लड़की की इच्छा का सम्मान करें, पर उसे कानून पर हावी न होने दें** — लड़की का परिवार प्रचार से बचना चाहता है, यह समझ में आने वाली बात है और जांच के तरीके में इसका सम्मान होना चाहिए; लेकिन किसी बच्चे के विरुद्ध यौन अपराध का मामला चुपचाप बंद नहीं किया जा सकता, क्योंकि POCSO के तहत रिपोर्ट करना अनिवार्य है और यह अपराध समाज के विरुद्ध है। पुलिस अधीक्षक को यह बात परिवार को संवेदनशीलता से समझानी चाहिए, पूर्ण गोपनीयता और महिला अधिकारी द्वारा मामले को संभाले जाने का आश्वासन देना चाहिए, और उन्हें लगातार जानकारी देते रहना चाहिए। लड़के के परिवार की प्रचार की इच्छा पर भी लगाम ज़रूरी है, क्योंकि लड़के के बारे में प्रचार से लड़की की पहचान आसानी से उजागर हो सकती है। पुलिस को दोनों बच्चों की ओर से गिरफ़्तारियों और कानूनी कार्रवाई के तथ्यों के ज़रिए बोलना चाहिए, उनकी कहानियों के ज़रिए नहीं।

4. **नाबालिग आरोपियों से उन्हीं के कानून के तहत निपटा जाए** — यदि गिरफ़्तार व्यक्ति नाबालिग हैं, तो किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 लागू होगा: उन्हें किशोर न्याय बोर्ड (Juvenile Justice Board) के सामने पेश करना होगा,

उनकी पहचान उजागर नहीं की जा सकती, और यदि उनकी आयु 16-18 वर्ष है तो जघन्य अपराधों में प्रारंभिक मूल्यांकन आवश्यक है। उन्हें मीडिया के सामने परेड कराना या प्रेस कॉन्फ्रेंस में "अपराधी" कहना कानून का उल्लंघन होगा। आरोपी के लिए विधि की सम्यक प्रक्रिया (due process) नरमी नहीं है; यही वह चीज़ है जिसके कारण दोषसिद्धि आगे टिक पाती है। नकाबपोश व्यक्ति सहित बाकी आरोपियों की पहचान वीडियो के ज़रिए की जानी चाहिए और उन्हें बिना देरी गिरफ़्तार किया जाना चाहिए।

5. **देरी का ईमानदारी से उत्तर दें और उससे सीखें** — पुलिस ने कार्रवाई तभी की जब वीडियो वायरल हुआ, और यह कहना कि पीड़िता ने शिकायत नहीं की, सच तो है पर अधूरा है। पुलिस अधीक्षक को स्वीकार करना चाहिए कि पीड़ित, विशेषकर लड़कियां, अक्सर इसलिए शिकायत नहीं करतीं क्योंकि उन्हें दोषी ठहराए जाने और सामाजिक परिणामों का डर होता है, और यह भी कि पुलिस को ऐसे माध्यम बनाने होंगे जिनसे शिकायत करना सुरक्षित लगे — हेल्पलाइन, महिला सहायता डेस्क और स्कूलों तक पहुंच। वायरल होने को कार्रवाई का आधार बनाना यह खतरनाक संदेश देता है कि व्यवस्था केवल जन-आक्रोश से ही हिलती है।

6. **नैतिक पहरेदारी को कानून-व्यवस्था के खतरे के रूप में लें** — हमलावरों ने स्वयंभू नैतिकता-रक्षकों की तरह व्यवहार किया, और स्थानीय नेता की यह टिप्पणी कि बच्चे "मुसीबत को न्योता देते हैं", पीड़ितों को ही दोषी ठहराती है। पुलिस अधीक्षक को सार्वजनिक रूप से कहना चाहिए कि दो विद्यार्थियों के साथ समय बिताने से कोई कानून नहीं टूटा, अपराध तो भीड़ ने किया है। वह स्वयंभू निगरानी (vigilantism) के लिए कुख्यात गुटों के विरुद्ध निवारक कार्रवाई कर सकता है, युवाओं की आवाजाही की स्वतंत्रता पर रोक लगाए बिना सुनसान जगहों पर गश्त बढ़ा सकता है, और अधिकारों तथा सुरक्षा के प्रति जागरूकता के लिए स्कूलों के साथ काम कर सकता है। अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत पुलिस का संवैधानिक कर्तव्य ऐसी पुलिसिंग है जो सामाजिक पूर्वाग्रहों को लागू करने के बजाय नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करे।

10. प्रारंभिक परीक्षा त्वरित-पुनरीक्षण तथ्य (Prelims Quick-Revision Facts)

ये तथ्य उसी पैटर्न पर लिखे गए हैं जिस पर यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा (UPSC Prelims) वास्तव में प्रश्न पूछती है — प्रावधान, मूल अधिनियम, नियुक्ति या प्रशासनिक प्राधिकारी, संरचना, परिभाषा, संधि का वर्ष और कानून में तय सीमा। समाचार केवल संदर्भ देता है; उसके पीछे का स्थायी तथ्य ही पूछा जाता है। जिन अस्थायी आँकड़ों पर कोई वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं बन सकता, उन्हें जानबूझकर छोड़ा गया है।

विषय (TOPIC)	परीक्षा-पैटर्न तथ्य (EXAM-PATTERN FACTS)
निर्वाचन प्रतीक आदेश का पैरा 15 (Paragraph 15, Election Symbols Order)	निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 का पैरा 15 भारत निर्वाचन आयोग को यह अधिकार देता है कि जब किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के प्रतिद्वंद्वी धड़े या समूह स्वयं को ही असली दल बताएं, तो वह उनके बीच के विवाद का निर्णय करे; आयोग का निर्णय सभी समूहों पर बाध्यकारी होता है। यह आदेश संविधान के अनुच्छेद 324 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत बने नियमों के अंतर्गत जारी किया जाता है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आज तृणमूल कांग्रेस विवाद में इसी पैरा के तहत अंतिम निर्धारण का उल्लेख किया।
अनुच्छेद 311 और उसका परंतुक (Article 311 and its proviso)	अनुच्छेद 311(1) के अनुसार किसी सिविल सेवक को उसकी नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी से अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा पदच्युत नहीं किया जा सकता या हटाया नहीं जा सकता, और अनुच्छेद 311(2) के अनुसार इससे पहले जांच होनी चाहिए जिसमें उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर मिले। अनुच्छेद 311(2) का दूसरा परंतुक तीन स्थितियों में जांच की आवश्यकता समाप्त कर देता है: जब व्यक्ति किसी आपराधिक आरोप में दोषसिद्ध हो चुका हो, जब जांच करना युक्तियुक्त रूप से व्यावहारिक न हो, या जब राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल का समाधान हो जाए कि राज्य की सुरक्षा के हित में जांच कराना समीचीन नहीं है। जम्मू-कश्मीर सरकार ने आज POCSO मामले में आरोपी एक शिक्षक की सेवा समाप्त करने के लिए अनुच्छेद 311 का प्रयोग किया।
अनुच्छेद 20(2) — दोहरे दंड का निषेध (double jeopardy)	अनुच्छेद 20(2) कहता है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। यह संरक्षण किसी न्यायालय द्वारा अभियोजन और दंड पर लागू होता है, विभागीय कार्यवाही पर नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज कर्नाटक में 2012 के एक बलात्कार-हत्या मामले की नए सिरे से जांच का आदेश दिया, पर साथ ही उस एकमात्र आरोपी को संरक्षण दिया जिसे 2023 में सीबीआई अदालत ने बरी कर दिया था।
अनुच्छेद 174(1) — छह महीने का नियम (six-month rule)	अनुच्छेद 174(1) के अनुसार राज्यपाल को राज्य विधानमंडल का सत्र इस प्रकार आहूत करना होता है कि एक सत्र की अंतिम बैठक और अगले सत्र की पहली बैठक के बीच छह महीने का अंतर न हो; अनुच्छेद 85(1) राष्ट्रपति के माध्यम से संसद पर भी यही नियम लागू करता है। यह प्रावधान केवल न्यूनतम सीमा तय करता है, बैठकों के दिनों की कोई अनिवार्य संख्या नहीं। इंडियन एक्सप्रेस के एक लेख में बताया गया है कि 17वीं लोकसभा (2019-2024) के दौरान संसद के दोनों सदनों की बैठकें वर्ष में औसतन केवल 55 दिन हुईं।
निवारक निरोध और अनुच्छेद 22 (Preventive detention and Article 22)	अनुच्छेद 22(3) से 22(7) निवारक निरोध की अनुमति देते हैं, पर यह शर्त रखते हैं कि तीन महीने से अधिक के किसी भी निरोध की समीक्षा एक सलाहकार बोर्ड करे, और बंदी को निरोध के आधार बताए जाएं तथा उसे जल्द से जल्द अभ्यावेदन देने का अवसर मिले। जम्मू-कश्मीर लोक सुरक्षा अधिनियम (Public Safety Act), 1978 राज्य का एक निवारक निरोध कानून है। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने 17 सितंबर को कहा कि निवारक निरोध सामान्य आपराधिक कानून का विकल्प नहीं बन सकता।
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 447 (Section 447, Companies Act)	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 447 धोखाधड़ी को परिभाषित करती है और उसके लिए दंड का प्रावधान करती है। धारा 212(6) के तहत न्यायालय धारा 447 के अपराध का संज्ञान केवल गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO) के निदेशक या केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी की शिकायत पर ही ले सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज इस आशय के अपने जनवरी के निर्णय की समीक्षा से इनकार कर दिया, पर केंद्र के लिए अधिकारियों को अधिकृत करने का रास्ता खुला छोड़ा। SFIO का गठन इसी अधिनियम की धारा 211 के तहत हुआ है।
विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 11 (Section 11, Electricity Act)	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 11 समुचित सरकार को यह अधिकार देती है कि वह असाधारण परिस्थितियों में किसी उत्पादन कंपनी को निर्देश दे कि वह अपने उत्पादन केंद्र का संचालन और रखरखाव सरकार के निर्देशों के अनुसार करे; इससे होने वाले किसी भी प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव की भरपाई समुचित आयोग कर सकता है। ऊँची मांग को देखते हुए विद्युत मंत्रालय टाटा पावर के 4,000 मेगावाट के आयातित कोयले पर आधारित मुंद्रा संयंत्र के लिए धारा 11 के निर्देशों को दिसंबर तक बढ़ाने पर विचार कर रहा है।
बाज़ार जोखिम पर आरबीआई के पूंजी मानदंड (RBI market-risk capital norms)	बाज़ार जोखिम के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं पर आरबीआई के अंतिम निर्देश 1 अप्रैल 2027 से लागू होंगे। ये बैंकों को पूंजी आवश्यकता घटाने के लिए किसी लिखत (instrument) को ट्रेडिंग बुक और बैंकिंग बुक के बीच पुनर्वर्गीकृत करने से स्पष्ट रूप से रोकते हैं। बाज़ार जोखिम पूंजी हर कारोबारी दिन की समाप्ति पर, निरंतर आधार पर बनाए रखनी होगी। ये मानदंड बेसल बैंकिंग पर्यवेक्षण समिति के बेसल III ढांचे को भारत में लागू करने का हिस्सा हैं।

विषय (TOPIC)	परीक्षा-पैटर्न तथ्य (EXAM-PATTERN FACTS)
निजी बैंक प्रमुखों के कार्यकाल की सीमा (tenure limit)	निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए आरबीआई के नियमों के अनुसार कोई प्रबंध निदेशक एवं सीईओ या पूर्णकालिक निदेशक लगातार 15 वर्ष से अधिक पद पर नहीं रह सकता। बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35B के तहत ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति के लिए आरबीआई की स्वीकृति आवश्यक है। यह सीमा आज इसलिए चर्चा में है क्योंकि एचडीएफसी बैंक शीर्ष पद के अपने एक उम्मीदवार के लिए इसमें छूट चाहता है।
एनबीएफसी का ऊपरी स्तर और सूचीबद्धता (NBFC upper layer and listing)	आरबीआई के अक्टूबर 2021 के पैमाना-आधारित विनियमन (Scale-Based Regulation) ढांचे के तहत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को आकार और जोखिम के आधार पर आधार, मध्य, ऊपरी और शीर्ष स्तरों में रखा जाता है। ऊपरी स्तर में वर्गीकृत एनबीएफसी (NBFC-UL) को इस रूप में पहचाने जाने के तीन वर्षों के भीतर अपने शेयर सूचीबद्ध कराने होते हैं। आरबीआई ने 11 सितंबर को टाटा संस का पंजीकरण रद्द करने का आवेदन अस्वीकार कर दिया, और NBFC-UL के रूप में उसके वर्गीकरण के कारण ही सूचीबद्धता का प्रश्न अब टाला नहीं जा सकता।
प्रमुख उद्योग सूचकांक (Index of Core Industries)	प्रमुख उद्योग सूचकांक उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) का आर्थिक सलाहकार कार्यालय तैयार करता है। यह कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफ़ाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली सहित बुनियादी उद्योगों के उत्पादन को मापता है; अब लौह अयस्क के आंकड़े भी इसमें दिए जाते हैं। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) में प्रमुख उद्योगों का भार 40.27% है; IIP को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय तैयार करता है।
समुद्र मंथन मिशन (Samudra Manthan Mission)	समुद्र मंथन मिशन भारत के गहरे और अति-गहरे समुद्री क्षेत्रों में तेल और गैस की खोज में तेज़ी लाने का सरकारी कार्यक्रम है। वित्त वर्ष 2031 तक ₹84,000 करोड़ के परिव्यय से इसमें भूकंपीय सर्वेक्षण, गहरे पानी में ड्रिलिंग और साझा अपतटीय बुनियादी ढांचे को सहायता दी जाती है, और ड्रिलिंग लागत का आधा हिस्सा तक सरकार वहन करती है। महानदी अपतटीय बेसिन में कोणार्क से लगभग 43 किमी दूर MN-DW18-1-H-D कुएं में ओएनजीसी की गैस खोज वहां उसके मौजूदा अभियान का पहला कुआं है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 2025 ऐसी खोजों के लिए साझा सुविधाओं की अनुमति देते हैं।
राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (National Critical Mineral Mission)	जनवरी 2025 में स्वीकृत राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन का उद्देश्य अन्वेषण, विदेशों में अधिग्रहण, प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण के ज़रिए भारत के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। इसके लिए सरकारी परिव्यय ₹16,300 करोड़ है और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से ₹18,000 करोड़ के निवेश की अपेक्षा है। खान मंत्रालय ने आज बताया कि महत्वपूर्ण खनिजों के विकास के लिए लगभग ₹34,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं; मंत्रालय महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण के लिए एक प्रोत्साहन योजना भी तैयार कर रहा है। महत्वपूर्ण खनिज खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत शासित होते हैं।
प्रवेश-नियंत्रित हाई-स्पीड कॉरिडोर (Access-controlled high-speed corridors)	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने चार और छह लेन वाले प्रवेश-नियंत्रित हाई-स्पीड राष्ट्रीय राजमार्गों की योजना और डिज़ाइन के लिए पहली बार अलग मानक जारी किए हैं; पहले इनके लिए कोई विशिष्ट विनिर्देश नहीं थे। विकसित भारत 2047 के तहत भारत ऐसे 50,000 किमी कॉरिडोर बनाने की योजना बना रहा है। राजमार्ग पीपीपी के लिए संशोधित मॉडल रियायत समझौते (model concession agreement) के अनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा और लोकहित के आधार पर रियायतग्राही (concessionaire) के स्वामित्व में किसी भी बदलाव के लिए नामित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है।
UNCLOS — पारगमन मार्ग (transit passage)	संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय (UNCLOS), 1982 युद्धपोतों सहित सभी जहाज़ों और विमानों को अंतरराष्ट्रीय नौवहन में प्रयुक्त जलडमरूमध्यों से "पारगमन मार्ग" का अधिकार देता है। यह मार्ग निरंतर और शीघ्र होना चाहिए, और तटीय राज्य इसे निलंबित नहीं कर सकता। यह 12 समुद्री मील के प्रादेशिक समुद्र से होकर मिलने वाले "निर्दोष मार्ग" (innocent passage) से भिन्न है, जिसे अस्थायी रूप से निलंबित किया जा सकता है और जिसमें पानी के भीतर चलती पनडुब्बियां तथा ऊपर से उड़ान शामिल नहीं हैं। 2007 के मलक्का और सिंगापुर जलडमरूमध्य सहयोग तंत्र को आज होर्मुज़ के लिए एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया गया है।
लियोपार्डस टिलकायो (Leopardus tilcayo)	लियोपार्डस टिलकायो, जिसे स्थानीय समुदाय 'टिलकायो' कहते हैं, सौ वर्षों से अधिक समय में औपचारिक रूप से वर्णित पहली नई जीवित बिल्ली प्रजाति है। यह दक्षिण अमेरिका की टाइगर कैट बिल्लियों में से है और बोलीविया के युंगास मेघ वन (cloud forest) में पाई गई। इसकी लंबाई लगभग 46 सेमी और वज़न लगभग 1.4 किग्रा है, यानी यह पालतू बिल्ली से भी छोटी है; आनुवंशिक आंकड़ों ने इसके नई प्रजाति होने की पुष्टि की। आईयूसीएन रेड लिस्ट टाइगर कैट को घटती आबादी वाली दो सुभेद्य (Vulnerable) प्रजातियों के रूप में दर्ज करती है।
प्रोजेक्ट चीता (Project Cheetah)	17 सितंबर 2022 को नामीबिया से चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाकर शुरू किया गया प्रोजेक्ट चीता किसी बड़े मांसाहारी जीव का दुनिया का पहला अंतर-महाद्वीपीय स्थानांतरण है; 2023 में दक्षिण अफ्रीका से भी चीते लाए गए। भारत में चीते को 1952 में विलुप्त घोषित किया गया था। उद्यान के निदेशक के अनुसार सोमवार को कूनो में नामीबिया से लाए गए 10 वर्षीय नर चीते गौरव की मृत्यु हो गई, और अब उद्यान में 51 चीते हैं।
जाफ़ना तिरुवल्लुवर	श्रीलंका के उत्तरी प्रांत में स्थित जाफ़ना तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र 1.2 करोड़ डॉलर के भारतीय अनुदान

विषय (TOPIC)	परीक्षा-पैटर्न तथ्य (EXAM-PATTERN FACTS)
सांस्कृतिक केंद्र (Jaffna Thiruvalluvar Cultural Centre)	से बना है; प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में इसकी आधारशिला रखी थी, और इसमें 600 सीटों वाले सभागार सहित 11 मंज़िला भवन है। 18 सितंबर को स्थापित एक ट्रस्ट अंतरिम शासी निकाय के रूप में इसका संचालन करेगा, जब तक कि इसे जाफ़ना नगर परिषद को सौंप नहीं दिया जाता। तिरुवल्लुवर तमिल क्लासिक 'तिरुक्कुरल' के रचयिता हैं।
एथलेटिक्स में SRY जीन परीक्षण (SRY gene test in athletics)	भारतीय एथलेटिक्स महासंघ (AFI) 2027 से महिला वर्ग की अपनी स्वीकृत प्रतियोगिताओं के लिए सभी आयु-वर्गों की महिला खिलाड़ियों के लिए SRY (Sex-determining Region Y) जीन का जीवन में एक बार होने वाला परीक्षण अनिवार्य करेगा। Y गुणसूत्र पर स्थित SRY जीन भ्रूण में पुरुष लैंगिक विकास की शुरुआत करता है। AFI विश्व एथलेटिक्स (World Athletics) से संबद्ध राष्ट्रीय महासंघ है।
GDPR — प्रमुख पर्यवेक्षी प्राधिकरण (lead supervisory authority)	25 मई 2018 से लागू यूरोपीय संघ के सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन (GDPR) के तहत, जिस कंपनी का मुख्य यूरोपीय प्रतिष्ठान किसी एक सदस्य देश में है, उसका विनियमन उसी देश का डेटा संरक्षण प्राधिकरण प्रमुख पर्यवेक्षी प्राधिकरण के रूप में करता है। इसीलिए आयरलैंड का डेटा संरक्षण आयोग कई बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों का प्रमुख नियामक है, और सोमवार को उसने लोकेशन डेटा के प्रसंस्करण को लेकर गूगल पर €403 मिलियन का जुर्माना लगाया। GDPR के तहत जुर्माना वैश्विक वार्षिक कारोबार के 4% तक हो सकता है।

स्रोत टिप्पणी (Source note): सभी सामग्री द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू और द इकोनॉमिक टाइम्स (दिल्ली संस्करण) — 22 सितंबर 2026 से ली गई है, जहां संकेतित है वहां आधिकारिक विज्ञप्तियों (official releases) और पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च (PRS Legislative Research) से पूरक। तथ्य, आंकड़े और उद्धरण उसी तारीख को रिपोर्ट किए गए अनुसार पुनरुत्पादित हैं; उत्तर में उपयोग करने से पहले उनकी वर्तमानता (चल रही कानूनी कार्यवाही, बदलते आंकड़े) सत्यापित करें।

11. आज के निबंध (Essays of the Day)

दो निबंध, ऐसे प्रश्नों पर जिनकी भाषा निबंध (Essay) प्रश्नपत्र वास्तव में जिस तरह तय करता है, और एक शीर्ष रैंक वाले अभ्यर्थी के समयबद्ध लेखन की शैली में लिखे गए। इन्हें संरचना और उदाहरणों के दायरे के लिए पढ़ें — याद करने के लिए नहीं।

निबंध (ESSAY) 1 · निबंध · खंड A · 6 मिनट पठन (min read)

किसी स्वतंत्र समाज की सच्ची कसौटी यह है कि वह उन लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है जिन पर उसे संदेह है।

विषय (Themes): स्वतंत्रता · विधि का शासन · नीतिशास्त्र

फ्रांज़ काफ़्का के उपन्यास 'द ट्रायल' की शुरुआत एक साधारण सुबह से होती है, जब जोज़ेफ़ के. नाम के एक बैंक क्लर्क को उसके अपने ही किराये के कमरे में गिरफ़्तार कर लिया जाता है, जबकि उसने कोई गलत काम नहीं किया है। अधिकारी शिष्ट हैं; वे तो बस अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। पर वे उसे यह नहीं बता सकते — न उस समय, न कभी बाद में — कि उस पर आरोप क्या है। पूरे उपन्यास में के. एक ऐसे आरोप से अपना बचाव करने की कोशिश करता रहता है जिसका नाम कोई नहीं लेता। इस उपन्यास का आतंक उसकी हिंसा में कम है, जो नाममात्र की है, और उसकी चुप्पी में कहीं अधिक। कोई राज्य सौम्य होकर भी स्वतंत्रता छीन सकता है, यदि वह आपको यह न बताए कि उसने आप पर हाथ क्यों डाला है।

हर समाज लोगों पर संदेह करता है, और उसे करना भी चाहिए: अपराध वास्तविक है, धोखाधड़ी वास्तविक है, और जो राज्य किसी पर संदेह न करे, वह किसी की रक्षा भी नहीं कर सकता। इसलिए स्वतंत्रता की कसौटी यह नहीं हो सकती कि संदेह है या नहीं। कसौटी यह है कि संदेह के बाद क्या होता है। क्या संदेह को कार्रवाई से पहले अपना कारण बताना पड़ता है? क्या उसे कोई ऐसा व्यक्ति परख सकता है जो स्वयं उस संदेह में सहभागी न हो? क्या गलत सिद्ध होने पर संदेह समाप्त हो जाता है, या संदिग्ध व्यक्ति जीवन भर उसका बोझ ढोता है? जिन पर संदेह किया जाता है, वे प्रायः किसी भी सभा के सबसे अलोकप्रिय लोग होते हैं। उनके लिए कोई समाज इन प्रश्नों का क्या उत्तर देता है, यह उसकी स्वतंत्रता के बारे में उन सब बातों से अधिक बताता है जो वह अपने नागरिकों के बारे में सामान्य रूप से कहता है।

मानवता ने यह पाठ धीरे-धीरे और भारी कीमत चुकाकर सीखा। 1215 में मुहरबंद मैग्ना कार्टा के अनुच्छेद 39 ने वचन दिया था कि किसी भी स्वतंत्र व्यक्ति को उसके समकक्षों के विधिसम्मत निर्णय या देश के कानून के बिना न पकड़ा जाएगा, न बंदी बनाया जाएगा। यह एक राजा और उसके सामंतों के बीच का समझौता था, गरीबों का अधिकार-पत्र नहीं; फिर भी इसने यह विचार बो दिया कि बंदी बनाने की शक्ति को अपने से बाहर किसी सत्ता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। साढ़े पांच शताब्दियों बाद विलियम ब्लैकस्टोन ने अपनी 'कमेंट्रीज़ ऑन द लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड' में इस नैतिक गणित को सीधे शब्दों में रखा: दस दोषी छूट जाएं, यह बेहतर है, बजाय इसके कि एक निर्दोष को कष्ट भोगना पड़े। और 1943 में अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति फ़ेलिक्स फ़्रैंकफ़र्टर ने मैकनैब बनाम संयुक्त राज्य (McNabb v. United States) मामले में इस पूरे इतिहास को एक वाक्य में समेट दिया: "स्वतंत्रता का इतिहास मुख्यतः प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों के पालन का इतिहास रहा है।"

भारतीय संविधान ने यह सीख अपने शब्दों में उतार ली। अनुच्छेद 22(1) कहता है कि गिरफ़्तार किए गए किसी व्यक्ति को, यथाशीघ्र, गिरफ़्तारी के आधार बताए बिना हिरासत में नहीं रखा जाएगा, और न ही उसे अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने और उसके द्वारा बचाव कराने के अधिकार से वंचित किया जाएगा। अनुच्छेद 22(2) चौबीस घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य करता है। ये सजावटी प्रावधान नहीं हैं। इनका उद्देश्य यह है कि हिरासत में लेने की शक्ति रखने वाला व्यक्ति पहले ही क्षण में कारण को ऐसी जगह रखे जहां कोई और उसे देख सके। 21 सितंबर को सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि गिरफ़्तारी के आधार लिखित रूप में, और उस भाषा में दिए जाने चाहिए जिसे गिरफ़्तार व्यक्ति समझता हो; इस नियम को तोड़कर की गई गिरफ़्तारी असंवैधानिक है और व्यक्ति तत्काल रिहाई का अधिकारी है। पीठ ने कहा कि ऐसी रिहाई ज़मानत नहीं है; यह उस हिरासत से मुक्ति है जो कभी होनी ही नहीं चाहिए थी। न्यायालय ने जांच एजेंसियों का यह तर्क अस्वीकार कर दिया कि ऐसा उल्लंघन "मात्र एक प्रक्रियात्मक चूक" है, और इस नियम को सामान्य अपराधों के साथ-साथ आतंकवाद और धन-शोधन से जुड़े विशेष कानूनों पर भी समान रूप से लागू किया।

स्थिति हमेशा इतनी स्पष्ट नहीं थी। 1950 में ए.के. गोपालन मामले में न्यायालय ने "विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया" का अर्थ यह लगाया कि विधायिका द्वारा बनाई गई कोई भी प्रक्रिया पर्याप्त है, चाहे वह कितनी ही कमज़ोर क्यों न हो। 1976 में आपातकाल के दौरान एडीएम जबलपुर मामले में बहुमत ने माना कि हिरासत में लिया गया व्यक्ति बंदी प्रत्यक्षीकरण (habeas corpus) के लिए न्यायालय का

दरवाज़ा तक नहीं खटखटा सकता। न्यायमूर्ति एच.आर. खन्ना को अपनी अकेली असहमति की कीमत मुख्य न्यायाधीश का पद गंवाकर चुकानी पड़ी; दशकों बाद 2017 में पुट्टस्वामी मामले में न्यायालय ने घोषित किया कि बहुमत का वह मत निरस्त हो चुका है। इन दोनों के बीच 1978 में मेनका गांधी मामला आया, जिसने ज़ोर देकर कहा कि किसी व्यक्ति को स्वतंत्रता से वंचित करने वाली हर प्रक्रिया न्यायसंगत, निष्पक्ष और युक्तियुक्त होनी चाहिए; और फिर 1997 में डी.के. बसु मामला आया, जिसने गिरफ़्तारी के नियम तय किए — गिरफ़्तारी ज्ञापन (arrest memo) से लेकर किसी रिश्तेदार को सूचना देने तक। फ़्रैंकफ़र्टर के शब्दों के अर्थ में, भारत की यात्रा प्रक्रियाओं में लिखा गया स्वतंत्रता का इतिहास रही है।

यह सिद्धांत थाने की चारदीवारी से बहुत आगे तक जाता है। उसी दिन के अख़बारों में 'द हिंदू' के एक संपादकीय ने बताया कि पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (special intensive revision) के दौरान न्यायिक अधिकारियों ने चिह्नित किए गए 60 लाख मतदाताओं में से लगभग 27 लाख को अपात्र माना। 22 लाख से अधिक लोगों ने अपील की है। अब तक निपटाई गई अपीलों में से लगभग 93 प्रतिशत में मतदाता का नाम सूची में वापस जोड़ा गया है। अंतिम आंकड़े जो भी हों, ढर्रा जाना-पहचाना है: पहले व्यक्ति को अपात्र मान लिया जाता है, और फिर उससे कहा जाता है कि वह इस धारणा को गलत साबित करे। संदेह बिना किसी स्पष्टीकरण के आता है, और उसे दूर करने का बोझ उस पर पड़ता है जो उसे उठाने में सबसे कम सक्षम है। यह जोज़ेफ़ के. की उस सुबह का नागरिक रूप है।

संदेह का एक और, कहीं अधिक मौन रूप भी है, जिसकी समीक्षा कोई न्यायालय नहीं करता। विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित एक कार्यबल ने बताया कि 2018 से 2023 के बीच वंचित समुदायों के 13,600 से अधिक विद्यार्थियों ने प्रमुख संस्थानों में पढ़ाई बीच में छोड़ दी, और उसने विद्यार्थियों तथा शिक्षकों के बीच एक सामाजिक बेमेल (social mismatch) की बात कही। जिस विद्यार्थी को लगता है कि कक्षा को उसके वहां होने के औचित्य पर ही संदेह है, उसके साथ एक अलग तरह के संदिग्ध जैसा व्यवहार हो रहा है — ऐसा संदिग्ध, जिस पर शक है कि वह उस सीट का हक़दार ही नहीं। कोई वारंट जारी नहीं होता। पर मन पर इसका असर वैसा ही हो सकता है।

इसके विरुद्ध दिए जाने वाले ईमानदार तर्क को उसका पूरा वज़न मिलना चाहिए। आतंकवादी और संगठित अपराधी प्रक्रिया की हर खामी का लाभ उठाते हैं। गिरफ़्तारी ज्ञापन के मसौदे में एक छोटी-सी चूक किसी खतरनाक व्यक्ति को छुड़ा सकती है, और जब ऐसा होता है तो पीड़ितों को शायद ही लगता है कि विधि के शासन ने उनके साथ न्याय किया। जांचकर्ता दबाव में, अक्सर पर्याप्त कर्मचारियों के बिना काम करते हैं, और हर नई शर्त उनका बोझ बढ़ाती है। जो समाज संदेह को बहुत महंगा बना देता है, वह अंततः उन शक्तिशाली लोगों की अधिक रक्षा कर सकता है जो वकील रख सकते हैं, और उन कमज़ोरों की कम, जिन्हें पुलिस की कार्रवाई की ज़रूरत थी।

पर देखिए कि यह शर्त वास्तव में कितनी महंगी है। यह गिरफ़्तारी को नहीं रोकती। यह बस इतना मांगती है कि शुरुआत में ही कारण लिख दिया जाए, उन शब्दों में जिन्हें व्यक्ति पढ़ सके। अगर संदेह ठोस आधार पर है, तो उसे लिखने में एक काग़ज़ भर लगता है। अगर उसे लिखा ही नहीं जा सकता, तो वह अभी किसी की स्वतंत्रता छीनने लायक हुआ ही नहीं था। प्रक्रिया संदेह को निष्क्रिय नहीं करती; उसे अनुशासित करती है। वह राज्य को विवश करती है कि वह एक भावना को कारण में बदले, और उस कारण को ऐसी चीज़ में, जिसे कोई मजिस्ट्रेट, वकील या परिवार परख सके। यह डर वास्तविक है कि नियम दोषियों को छुड़ा देते हैं, पर इसका उपाय बेहतर जांच है, आंखों पर पट्टी बांधकर की गई हिरासत नहीं। और लंबे समय में, जिस पुलिस बल को हर गिरफ़्तारी का औचित्य बताना पड़ता है, वही उस जन-विश्वास को अर्जित करता है जिस पर हर जांच टिकी होती है।

अंततः, संदिग्धों के साथ होने वाला व्यवहार एक दर्पण है जिसमें हर नागरिक अपना भविष्य देख सकता है, क्योंकि संदेह किसी पर भी किया जा सकता है, और अधिकांश लोगों पर कभी न कभी किसी न किसी बात का संदेह होगा ही। स्वतंत्र समाज वह नहीं है जिसमें किसी पर कभी गलत आरोप न लगे। स्वतंत्र समाज वह है जिसमें आरोप लगने भर से व्यक्ति से उसका नाम, उसके कारण जानने का हक़ और उत्तर देने का अधिकार नहीं छिन जाता। काफ़्का के क्लर्क को यह कभी नहीं मिला। हमारा संविधान हर भारतीय को इसका वचन देता है।

आज के कार्ड्स से निर्मित (Built from today's cards): सर्वोच्च न्यायालय: लिखित आधार के बिना गिरफ़्तारी शून्य, किसी भी पुनः गिरफ़्तारी के लिए मजिस्ट्रेट की स्वीकृति अनिवार्य · द हिंदू संपादकीय: एसआईआर अपीलों से स्पष्ट कि चुनाव आयोग ने पात्र मतदाताओं के नाम पहले हटाए और सत्यापन बाद में किया (बंगाल में 93% नाम बहाल) · सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय कार्यबल की अंतरिम रिपोर्ट ने परिसरों में आत्महत्याओं को प्रतिस्पर्धा, जाति और विद्यार्थी-शिक्षक सामाजिक बेमेल से जोड़ा

निबंध (ESSAY) 2 · निबंध · खंड B · 6 मिनट पठन (min read)

जो सबका है, उसकी परवाह कोई नहीं करता।

विषय (Themes): पर्यावरण · वैश्विक साझा संपदा · शासन

किसी भी साधारण दिन का अख़बार उठाकर देखिए। खाड़ी में एक संकरा जलडमरूमध्य, जिससे होकर दुनिया के तेल का बड़ा हिस्सा गुज़रता है, घेराबंदी में है, और लाल सागर के मुहाने पर एक दूसरा संकरा जलडमरूमध्य हमलों की चपेट में है। एक महाशक्ति स्वीकार करती है कि उसने पृथ्वी की कक्षा में हथियार तैनात किए हैं। भारतीय वैज्ञानिक बताते हैं कि अस्पतालों के वार्डों में पाया जाने वाला एक खतरनाक कवक अब उन अधिकांश दवाओं का प्रतिरोध करने लगा है जिनका हम उसके विरुद्ध उपयोग करते हैं। महाराष्ट्र के 83 तालुकों में बीस दिन से अधिक समय से बारिश नहीं हुई है, और टैंकर उन गांवों तक पानी पहुंचा रहे हैं जिनके कुएं सूख चुके हैं। समुद्र की तलहटी से लेकर बाहरी अंतरिक्ष तक — पांच ख़बरें, और इन सबमें एक बात साझा है। हर ख़बर किसी ऐसी चीज़ के बारे में है जिसका मालिक कोई नहीं, पर उपयोग सब करते हैं।

यह अवलोकन पुराना है। अरस्तू ने 'पॉलिटिक्स' की दूसरी पुस्तक में प्लेटो की साझा संपत्ति की योजना की आलोचना करते हुए लिखा था कि "जो वस्तु सबसे अधिक लोगों की साझी होती है, उसकी सबसे कम देखभाल होती है।" उनके अनुसार हर व्यक्ति मुख्यतः अपनी चीज़ के बारे में सोचता है और साझा हित के बारे में लगभग नहीं सोचता। 1968 में पारिस्थितिकीविद गैरेट हार्डिन ने 'साइंस' पत्रिका में प्रकाशित अपने निबंध 'द ट्रैजेडी ऑफ़ द कॉमन्स' (साझा संपदा की त्रासदी) में इस विचार को आधुनिक नाम दिया। उन्होंने लिखा, कल्पना कीजिए एक ऐसे चरागाह की जो सबके लिए खुला है। हर चरवाहे को एक और पशु जोड़ने का पूरा लाभ मिलता है, जबकि ज़रूरत से ज़्यादा चराई की कीमत सब मिलकर चुकाते हैं। इसलिए हर कोई एक और पशु जोड़ता है, फिर एक और, जब तक कि चरागाह नष्ट नहीं हो जाता। यह बर्बादी कोई नहीं चाहता, पर इसमें योगदान हर कोई देता है।

पांचों ख़बरें इस प्रतिमान पर लगभग पूरी तरह खरी उतरती हैं। जलडमरूमध्य एक साझा राजमार्ग है, और उसके किनारे बसा कोई भी राज्य उसे बंधक बनाकर लाभ उठा सकता है। पृथ्वी की कक्षा एक साझा ताक है, और मलबा पैदा करने वाला हर परीक्षण या हथियार ऐसी लागत जोड़ता है जिसे सभी उपग्रह-उपयोगकर्ता भुगतेंगे; वैज्ञानिक लंबे समय से ऐसी शृंखलाबद्ध टक्करों की चेतावनी देते आए हैं जो कुछ कक्षाओं को अनुपयोगी बना सकती हैं। रोगाणुरोधी (antimicrobial) दवाओं की प्रभावशीलता भी एक साझा संसाधन है, जो ख़त्म होने तक दिखाई नहीं देता: अस्पताल हो या खेत, कवकरोधी दवा की हर अनावश्यक खुराक इसका थोड़ा-सा हिस्सा ख़र्च कर देती है, और उसका बिल वर्षों बाद किसी आईसीयू में पड़े किसी अजनबी के नाम आता है। भूजल सबसे अंतरंग साझा संपदा है। जो किसान गहरा बोरवेल खोदता है, पानी उसे मिलता है; कीमत वह पड़ोसी चुकाता है जिसका कुआं सूख जाता है। और वायुमंडल, जिसमें अमीर देशों ने ऐतिहासिक उत्सर्जन का अधिकांश हिस्सा उड़ेला, अब अचानक आने वाली बाढ़ों (flash floods) के रूप में नेपाल को अपना बिल भेज चुका है — इसीलिए काठमांडू अब राहत की नहीं, जलवायु न्याय की भाषा बोलने लगा है।

यदि कहानी यहीं समाप्त हो जाती, तो इस निबंध का कथन प्रकृति का नियम होता। पर ऐसा नहीं है। उसी अख़बार ने यह याद भी दिलाया कि यह त्रासदी टाली जा सकती है। मलक्का और सिंगापुर जलडमरूमध्य, जो लगभग 800 किलोमीटर लंबे हैं और विश्व व्यापार का बहुत बड़ा हिस्सा ढोते हैं, कभी ऐसे समुद्र की तरह देखे जाते थे जिस पर किसी का अधिकार नहीं। 1971 में इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर ने मिलकर इस दृष्टिकोण को चुनौती दी और साथ काम करना शुरू किया। 1982 में संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय (UNCLOS) ने पारगमन मार्ग (transit passage) की व्यवस्था बनाई, जिसके बाद इन तीनों देशों ने जलडमरूमध्य के उपयोगकर्ताओं के साथ मिलकर वह ढांचा खड़ा किया जो 2007 में शुरू हुए सहयोग तंत्र (Cooperative Mechanism) के रूप में सामने आया। वे जहाज़ों से कोई शुल्क नहीं वसूलते; सुरक्षा और पर्यावरण का बोझ जलमार्ग का उपयोग करने वालों के साथ बांटते हैं। जो संकरा रास्ता एक अवरोध-बिंदु (chokepoint) बन सकता था, वह एक साझा ज़िम्मेदारी बन गया।

इससे बड़ा सबक अर्थशास्त्री एलिनर ऑस्ट्रॉम से मिला, जिन्होंने 1990 में 'गवर्निंग द कॉमन्स' प्रकाशित की और 2009 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला बनीं। ऑस्ट्रॉम ने स्वयं जाकर वास्तविक साझा संपदाओं को देखा: स्विट्ज़रलैंड के अल्पाइन चरागाह, जापान के ग्राम-वन, स्पेन और फ़िलीपींस की सिंचाई प्रणालियां। इनमें से कई सदियों से चली आ रही थीं। वे इसलिए नहीं बचीं कि उनका निजीकरण कर दिया गया या राज्य ने उन पर कब्ज़ा कर लिया — हार्डिन के दो उपाय यही थे — बल्कि इसलिए कि उपयोगकर्ताओं ने स्वयं स्पष्ट सीमाओं वाले नियम बनाए, एक-दूसरे पर नज़र रखी, बेईमानी पर क्रमशः बढ़ता दंड दिया और झगड़े सुलझाने के सस्ते तरीके अपनाए। ऑस्ट्रॉम ने दिखाया कि जो सबका है, उसकी देखभाल तब होती है जब "सब" का अर्थ "कोई ख़ास नहीं" न रहकर "हम सब, नियमों के साथ" हो जाता है।

दुनिया ने यह सबसे बड़े पैमाने पर भी करके दिखाया है। ओज़ोन परत को क्षीण करने वाले पदार्थों पर 1987 का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संयुक्त राष्ट्र की पहली ऐसी संधि बना जिसका अनुसमर्थन हर सदस्य देश ने किया, और ओज़ोन परत धीरे-धीरे सुधार की राह पर है। 1967 की बाह्य अंतरिक्ष संधि (Outer Space Treaty) ने बाहरी अंतरिक्ष के अन्वेषण और उपयोग को "समस्त मानवजाति का क्षेत्र" घोषित किया और कक्षा में परमाणु हथियारों पर रोक लगाई; आधी सदी तक इसने हथियारों की होड़ के सबसे बुरे रूप को धरती तक ही सीमित रखा। अपने देश में भी, महाराष्ट्र के हिवरे बाज़ार जैसे गांव अपने पानी का सामूहिक बजट बनाने के लिए जाने गए, जहां गांव मिलकर तय करता है कि कितना पानी निकाला जाए और कौन-सी फ़सल उगाई जाए।

विरोधी पक्ष को भी निष्पक्षता से रखा जाना चाहिए। सहयोग अक्सर विफल होता है। न्यूफ़ाउंडलैंड के तट पर कॉड मछली का भंडार, जो कभी पृथ्वी के सबसे समृद्ध मत्स्य-क्षेत्रों में था, वैज्ञानिक चेतावनियों के बावजूद ढह गया और 1992 में उसे बंद करना पड़ा। संधियां उतनी ही मज़बूत होती हैं जितनी शक्तिशाली देशों की उनका पालन करने की इच्छा; बाह्य अंतरिक्ष संधि कक्षा में पारंपरिक हथियारों पर रोक नहीं लगाती, और किसी जलडमरूमध्य के किनारे बसा राज्य यह तय कर सकता है कि दुनिया की नाराज़गी झेलकर भी यह दबाव बनाए रखना फ़ायदे का सौदा है। ऑस्ट्रॉम के समुदाय छोटे, स्थिर और एक-दूसरे को देख सकने वाले थे। वैश्विक साझा संपदा में इनमें से कोई गुण नहीं है। संभव है, पूरे ग्रह के पैमाने पर अरस्तू ही सही हों।

फिर भी अनुभव एक सीमित, पर अधिक आशाजनक निष्कर्ष की ओर इशारा करता है। साझा संपदा तब विफल होती है जब तीन चीज़ें न हों: नुकसान की जानकारी, एक ऐसा मंच जहां उपयोगकर्ता मोलभाव कर सकें, और बेईमानी की कोई कीमत। जहां ये तीनों खड़ी की जाती हैं, जैसे मलक्का या मॉन्ट्रियल में, वहां साझा चीज़ें टिकी रहती हैं। इसीलिए आज ख़बरों में उठ रही मांगें — कक्षा में हथियारों का खुलासा, दवाओं की संवेदनशीलता की व्यापक जांच (susceptibility testing), गांव-गांव भूजल का मानचित्रण, और हानि व क्षति (loss and damage) को साझा दायित्व मानने वाला एक क्षेत्रीय कोष — सभी एक ही दिशा में संकेत करती हैं। हर मांग एक अदृश्य लागत को दृश्य बनाती है और उसे एक पता देती है।

भारत के पास इसे गंभीरता से लेने के विशेष कारण हैं। वह हिंद महासागर के नौवहन मार्गों के किनारे स्थित है, वह एक अंतरिक्ष-शक्ति है, दवा-प्रतिरोधी संक्रमणों का सबसे भारी बोझ उठाने वाले देशों में है, और किसी भी अन्य देश से अधिक भूजल निकालता है। उसका संविधान पहले ही अनुच्छेद 48A में राज्य से और अनुच्छेद 51A(g) में हर नागरिक से पर्यावरण की रक्षा की अपेक्षा करता है। शीर्षक के कथन को निर्णय के रूप में नहीं, चेतावनी के रूप में पढ़ना ही उचित है। जो सबका है, उसकी परवाह कोई नहीं करेगा — पर केवल तभी, जब हर कोई किसी और की प्रतीक्षा करता रहे। उपाय वहीं से शुरू होता है जब कोई समाज तय कर लेता है कि वह साझा चीज़ उसकी अपनी है, और उसकी रक्षा का दायित्व भी उसी का है।

आज के काड्र्स से निर्मित (Built from today's cards): होर्मुज़ गतिरोध: द हिंदू के एक लेख में मलक्का–सिंगापुर सहयोग तंत्र को मॉडल के रूप में सुझाया गया, जबकि हूती बाब अल-मंदेब को भी अवरुद्ध कर रहे हैं · अमेरिका ने 'कक्षा में अंतरिक्ष नियंत्रण हथियार' तैनात करने की बात स्वीकारी; द हिंदू और ईटी के संपादकीयों ने बहुपक्षीय अंतरिक्ष शासन की मांग की · भारतीय अध्ययन: कैंडिडा ऑरिस के 90% से अधिक नमूने जीन दोहराव और Fks1 उत्परिवर्तनों के कारण एज़ोल-प्रतिरोधी; ईगल प्रभाव से खुराक तय करना जटिल · महाराष्ट्र एनडीआरएफ मानदंडों के तहत 100% सूखा घोषित करेगा, 83 तालुकों में 20 से अधिक दिनों से बारिश नहीं; चीनी उत्पादन में लगभग 20% गिरावट का अनुमान · नेपाल आपदा राहत मांगने के बजाय जलवायु-न्याय के दावे करने लगा, हानि और क्षति पर भारत के रुख की परीक्षा